जापान का संविधान

तथा

अपराध-दण्ड कानून

(THE CONSTITUTION OF JAPAN AND CRIMINAL LAWS)

अनुवादक

डॉ॰ रामाधार पाठक, एम॰ ए॰ पी-एच॰ डी॰

सत्यमेव जयते

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मन्त्रालय,

भारत सरकार के तत्त्वावधान में

हिन्दी प्रकाशन समिति

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी—5

द्वारा प्रकाशित

जापान का संविधान

तथा

अपराध-दण्ड कानून

(THE CONSTITUTION OF JAPAN AND CRIMINAL LAWS)

अनुवादक
डॉ० रामाधार पाठक, एम्० ए०, पी एच्० डी०

सत्यमेव जयते

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मन्त्रालय,
भारत सरकार के तत्त्वावधान में हिन्दी प्रकाशन समिति,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-5
द्वारा प्रकाशित

1965

प्रथम संस्करण—1965

प्रकाशन सहायक—भगवतीप्रसाद राय

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के तत्त्वावधान में
प्रकाशित 'जापान का संविधान तथा अपराध-दण्ड कानून'
अंग्रेजी पुस्तक 'The Constitution of
Japan and Criminal
Laws' का हिन्दी
रूपान्तर है।

प्रकाशक
हिन्दी प्रकाशन समिति,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

मुद्रक
लक्ष्मीदास
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी प्रेस, वाराणसी-5

प्रकाशकीय

8 अगस्त सन् 1963 ई० को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रकाशन समिति की स्थापना हुई। समिति के तत्वावधान में मानक ग्रन्थों का अनुवाद और कुछ विषयों पर मौलिक ग्रन्थों का प्रणयन निश्चित किया गया। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से अन्य मानक ग्रन्थों सहित घाना जापान स्विटजरलैण्ड, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, ब्रिटिश नार्थ अमरिका एक्ट सयुक्त राज्य अमेरिका रूस आदि के सविधान अनुवाद के लिए सौंपे गए। समिति ने इनका अनुवाद विश्वविद्यालय के अनुभवी अध्यापकों से कराया है। जापान का सविधान इस योजना की दूसरी पुस्तक है। अनुवाद करते समय भारत सरकार की ओर से प्रकाशित पारिभाषिक शब्दावली का पूर्ण उपयोग किया गया है। भाषा सरल तथा औपचारिक रखी गई है। सविधान की अधिकाश शब्दावली पारिभाषिक होती है, उसके प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, इसलिए विषय *सुस्पष्ट बनाने के लिए भाषा में यथासम्भव पर्यायों के प्रयोग से बचने का प्रयास किया गया है। यथा-अवसर सविधान के मिश्र या सयुक्त वाक्य हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुकूल छोटे वाक्यों में रखे गए है।*

अन्य भाषा में बने सविधान का हिन्दी भाषा में अनुवाद करते समय यह ध्यान रखा गया है कि उस देश के शिष्टाचार तथा सस्कृति मूलक प्रयोग विशेष परिवर्तित न हो। सम्भव है इससे कहीं-कहीं भाषा अनमेल प्रतीत हो, जैसे Koso Appeal (कोसो अपील), Kokoku Appeal (कोकोकु अपील), Jokoku Appeal (जोकोकु अपील) आदि।

इस कार्य के लिए पूरी आर्थिक सहायता भारत सरकार से मिली है। इस अनुदान तथा प्रोत्साहन के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की हिन्दी प्रकाशन समिति भारत सरकार के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ है। अनुवादक ने बडे परिश्रम से इसका अनुवाद किया है। उनका कार्य प्रशसनीय है और वे समिति

की ओर से बधाई के पात्र हैं। प्रकाशन-कार्य में मैनेजर, बी० एच्० यू० प्रेस, का सहयोग पूर्णरूप से प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें अपनी ओर से तथा समिति की ओर से धन्यवाद देता हूँ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी 5

नन्दलाल सिंह
निदेशक, हिन्दी प्रकाशन समिति

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ
9. अनेकापराध ·· ··· ···	33
"हेरगोआड़"	
10 पुनरावृत्त अपराध ··· ··	35
"रदेहन"	
11. सहापराधिता ·	36
"क्योहन्"	
12. दण्ड घटाव वाली परिस्थितियों के कारण दण्ड का घटाव···	37
"गकुयों गेट्केड़"	
13. दण्ड के बढ़ाव या घटाव के सामान्य नियम	37
"कगेन् रेड़"	
दूसरा खण्ड अपराध ···	39
1 निकाल दिया गया ·	39
2 गृह-युद्ध से सबद्ध अपराध ··	39
'नइगन नि कन्-मुर लुमि"	
3. (बाह्य) युद्ध सबन्धी अपराध ···· · ·	40
4. अन्तर्राष्ट्रीय सबन्धों से सबद्ध अपराध · ·	40
"बाक्का नि कन्-मुर लुमि"	
5. कार्यालयीय कार्यों में बाधा डालने के अपराध ···	41
"कामु नो मिक्को वो बोंगैमुर लुमि"	
6. निकल भागने (पलायन) के अपराध ··· ···	42
"तोंमा नो लुमि"	
7. अपराधियों को आश्रय देने एव साक्ष्य के अधिलङ्घन के अपराध ··· - ·	43
"हनिन जोतोङु नायोंबि शोको इन्नेरनु नो लुमि"	
8. बलवे के अपराध ·· · · ···	43
"मोजा नो लुमि"	
9. आग लगाने एव दोषवश जलाने के अपराध ···	44
'हाक्ता जोयोंबि तिक्का नो लुमि"	
10. आप्लावन एव जल के उपयोग से सबद्ध अपराध · ·	46
"इम्मुड़ जोयोंबि मुदरो नि कन्-मुर लुमि"	

———

जापान का संविधान

मुझे हर्ष है कि जापान की जनता की इच्छा के अनुसार नव जापान के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया है और मैं प्रिवी कौंसिल के परामर्श एवं उक्त संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार संगठित राज्य सभा के निर्णय के अनुसार जापान के राष्ट्रीय संविधान के सुधारों का अधिनियमितकर अनुमोदित एवं प्रख्यापित करता हूँ।

हस्ताक्षर हिरोहितो सम्राट की मुद्रा

दिनांक शोवा के इक्कीसवें वर्ष के ग्यारहवें मास का तीसरा दिन (3 नवम्बर 1946)

प्रतिहस्ताक्षर

प्रधान मंत्री एवं परराष्ट्र मन्त्री — योशिदा शिगेरु

राज्य मन्त्री — बेरन शिदेहरा किजुरो

न्याय मन्त्री — किमुरा तोकुतारो

गृह-मन्त्री — ओमुरा सेइइची

शिक्षा मन्त्री — तनका कोतारो

कृषि एवं वन मन्त्री — वादा हिरोओ

राज्य मन्त्री — साइतो तकाओ

संवाद-मन्त्री — हितोत्सुमात्सु सदयोशि

वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री — होशिजिमा जिरो

कल्याण मन्त्री	कनाई याशिनरी
राज्य मन्त्री	उएहरा एत्सुजिरा
परिवहन मन्त्री	हिरत्सुक त्सुनेजिरा
वित्त मन्त्री	इशीबशी तजान
राज्य-मन्त्री	कानामोरी तोकुजिरा
राज्य मन्त्री	जेन वाइनामुरं

अध्याय 1

सम्राट्

अनुच्छेद 1 जनता की इच्छा से ही जिसमें सर्वोच्च प्रभुत्व निहित है, अपनी प्रतिष्ठा पाता हुआ सम्राट् राज्य एवं जनता की एकता का प्रतीक होगा।

अनु० 2—राज्य सिंहासन राजवंशीय होगा और राज्य सभा (Diet) द्वारा पारित राज्य-सदन-विधि (Imperial House Law) के अनुसार ही इसका उपभोग होगा।

अनु० 3—सम्राट् के राज्य-सम्बन्धी सभी कार्यों में मन्त्रि-परिषद् का परामर्श एवं अनुमोदन आवश्यक होगा और इसके लिए मन्त्रि-परिषद् उत्तरदायी होगी।

अनु० 4—सम्राट् राज्य के केवल उन्हीं विषयों में अपना कार्य कर सकेगा जो इस संविधान में विहित हैं और उसमें सरकार या शासन-विषयक शक्ति नहीं रहेगी।

सम्राट राज्य के विषयों में अपने कार्य-संपादन का प्रतिनिधान, विधान के निर्देशों के अनुसार, कर सकता है।

अनु० 5 जब राज्य-सदन-विधि के अनुसार, कोई राज-प्रतिनिधिमंडल (Regency) नियुक्त होगा, तो वह राज-प्रतिनिधि (Regent) राज्य के विषय में सम्राट् के नाम पर कार्य करेगा। ऐसी दशा में, पिछले अनुच्छेद का पहला परिच्छेद ही लागू होगा।

अनु० 6—*सम्राट, प्रधान मन्त्री को, जैसा कि राज्यसभा (Diet) ने यह* नाम दिया है, नियुक्त करेगा।

सम्राट्, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को, जैसा कि मन्त्रिपरिषद् *ने यह नाम दिया है, नियुक्त करेगा।*

अनु० 7—सम्राट् मन्त्रि-परिषद् के परामर्श एवं अनुमोदन के अनुसार, जनता की ओर से राज्य-विषयक निम्नांकित कार्य करेगा

संविधान, विधियों, मन्त्रिपरिषद् के आदेशों एवं संधि-पत्रों के संशोधनों का प्रवर्तन करना,

राज्य-सभा का समारोह,

प्रतिनिधि-सदन भंग करना,

अनु० 11—मानव के किसी मौलिक अधिकार के उपभोग से नागरिक वंचित नहीं रखा जायगा। इस संविधान द्वारा सम्प्रदत्त (प्रत्याभूत) मौलिक अधिकार जिन्हें वर्तमान एवं आगामी पीढ़ी के नागरिकों को शाश्वत एवं अनुल्लंघ्य अधिकारों के रूप में दिए जायेंगे।

अनु० 12 संविधान द्वारा जनता को दी गई स्वतन्त्रता तथा अधिकारों की सुरक्षा जनता के सतत प्रयासों द्वारा की जायगी। जो उक्त स्वतन्त्रता एवं अधिकारों का दुरुपयोग न करेगी तथा सदैव उनका उपयोग जनकल्याण के हेतु किया करने का उत्तरदायी होगी।

अनु० 13 समस्त जनता को व्यक्तिगत रूप में बरता जायगा। उनके जीवन, स्वतन्त्रता एवं सुख के प्रयत्न उस अंश तक विधान तथा अन्य सरकारी मामलों में सर्वप्रधान समझे जायेंगे जब तक कि वे जनहित के विरोध में नहीं जायेंगे।

अनु० 14 विधान के समक्ष समस्त जनता समान है। जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक स्तर, कुटुम्ब उद्भव (Family origin) के कारण उनके साथ राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक सम्बन्धों में कोई भेद नहीं रखा जायगा।

कुलीन अथवा कुलीनता मान्य नहीं होगी।

किसी सम्मान, अलंकरण या किसी वैशिष्ट्य प्रदान के साथ कोई विशेषाधिकार न रहेगा और न तो इस प्रकार का कोई प्रदान उस व्यक्ति की आयु के पश्चात् विहित समझा जायगा जो उसे अब पाया हो या भविष्य में पाने वाला हो।

अनु० 15—जनता को अपने सरकारी कर्मचारियों को चुनने एवं पदच्युत करने का अहार्य अधिकार है।

सभी सरकारी कर्मचारी समस्त जनता के सेवक हैं किसी वर्ग विशेष के नहीं।

सरकारी कर्मचारियों के चुनाव के सम्बन्ध में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की धारणा दी जाती है।

सभी चुनावों में मतदान गुप्त रखा जायगा। किसी भी मतदाता के द्वारा किए गए चुनाव के सम्बन्ध में व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप में कोई प्रश्न नहीं किया जायगा।

अनु० 16—प्रत्येक व्यक्ति को हानि के निवारण, लोक कर्मचारियों के हटाने, विधियों, अध्यादेशों एवं अधिनियमों के अधिनियमन, निरसन एवं संशोधन, एवं अन्य विषयों के लिए शान्तिपूर्ण याचिका का अधिकार होगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को उक्त प्रकार की याचिका का प्रयोग करने पर किसी प्रकार का अपराधी नहीं समझा जायगा।

अनु० 17—इस दशा में जब किसी व्यक्ति को किसी लोक-कर्मचारी द्वारा अपने कार्य में हानि पहुँचाई गई हो वह राज्य या जनता की किसी संगठित इकाई से जैसा कि विधि द्वारा विहित हो क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है।

अनु० 18—किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के बन्धन में नहीं रखा जायगा। केवल किए गए अपराध के दण्ड के रूप में अनिवार्यता के अतिरिक्त अन्य अनैच्छिक अनिवार्यता निषिद्ध है।

अनु० 19—विचार एवं अन्तर्विवेक की स्वतन्त्रता का अतिक्रमण कभी नहीं किया जायगा।

अनु० 20—धर्म के संबंध में सभी को स्वतन्त्रता दी जाती है। किसी भी धार्मिक संगठन को राज्य की ओर से कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिया जायगा, न तो उसे किसी प्रकार का राजनीतिक प्रभुत्व जमाने का ही अधिकार होगा।

कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक कृत्य, समारोह, कर्म या क्रिया में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जायगा।

राज्य एवं इसके अंग धर्म-सम्बन्धी शिक्षा अथवा अन्य किसी धार्मिक कृत्य से दूर रहेंगे।

अनु० 21—समिति एवं संघ तथा भाषण, प्रेस (मुद्रणालय) एवं अन्य प्रकाशन के प्रकारों की स्वतन्त्रता दी जाती है।

किसी तरह की सेन्सर व्यवस्था विहित न होगी और न तो संचार के किसी प्रकार के रहस्य का ही उद्घाटन किया जायगा।

अनु० 22—हर व्यक्ति को अपना निवास चुनने एवं बदलने तथा अपने व्यवसाय चुनने की उस अंश तक स्वतन्त्रता होगी जिस अंश तक वह जन हित के विरोध में नहीं आती।

हर व्यक्ति को विदेश जाने एवं अपनी राष्ट्रीयता बदलने की स्वतन्त्रता होगी।

अनु० 23—सभी को शैक्षिक स्वतन्त्रता की गारण्टी दी जाती है।

अनु० 24—विवाह दोनों ही लिंगों के पारस्परिक अभिमत पर आधृत होगा और इसका निर्वाह पारस्परिक सहयोग एवं पति-पत्नी के समान अधिकार को आधार मानते हुए किया जायगा।

अपने जोड़े चुनने सम्पत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, आवास चुनने, विवाह-विच्छेद तथा विवाह एवं परिवार के अन्य विषयों के सम्बन्ध में, विधियों का अधिनियमन, व्यक्तिगत सम्मान एवं लिङ्ग के अनिवार्य गुणों की दृष्टि से किया जायगा।

अनु० 25—जनता को अनुकूल सुखी एवं सभ्य-सम्मत जीवन स्तर पर जीवन यापन करने का अधिकार होगा।

जीवन के हरेक क्षेत्र में राज्य के प्रयास सर्वथा सामाजिक हित, सुरक्षा एवं जनस्वास्थ्य की वृद्धि एवं प्रसार के लिए होंगे।

अनु० 26—जनता को अपनी योग्यता के अनुसार, जैसा कि विधान द्वारा विहित होगा, समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

जनता को, जैसा कि विहित हो, अपने लड़के-लड़कियों को संरक्षण में रखते हुए साधारण शिक्षा दिलाना अनिवार्य होगा। ऐसी अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क होगी।

अनु० 27—जनता को काम करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

वेतन, (काम करने के) घंटों, एवं विश्राम तथा अन्य काम करने की शर्तों के मानदण्ड विधान द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

बच्चों का शोषण नहीं किया जायगा।

अनु० 28—काम करने वालों को संगठित होने, सौदाकारी एवं सामूहिक रूप से काम करने के अधिकार की गारण्टी दी जाती है।

अनु० 29 सम्पत्ति रखने या उसके स्वामित्व का अटल अधिकार होगा।

सम्पत्ति के अधिकारों का निर्धारण, विधान द्वारा, जन-हित के अनुसार किया जायगा।

व्यक्तिगत सम्पत्ति को, जनता के उपयोग के लिए न्यायोचित प्रतिकर देकर, लिया जा सकता है।

अनु० 30—जनता को, जैसा कि विधि द्वारा विहित होगा, कर देना पड़ेगा।

अनु० 31—किसी भी व्यक्ति को जीवन अथवा स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जायगा और न तो विधान द्वारा निर्णीत प्रक्रिया के दण्ड के अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड ही दिया जायगा।

अनु० 32—किसी भी व्यक्ति को न्यायालयों से न्याय पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जायगा।

अनु० 33—किसी भी व्यक्ति पर कोई मुकदमा तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि किसी समर्थ न्यायाधिकारी द्वारा जो कि आरोपित अपराध को सविशेष निर्दिष्ट करता कोई अधिपत्र (वारंट) न जारी किया गया हो और जबतक कि वह सन्दिग्ध न सिद्ध हो और अपराध किया न गया हो।

अनु० 34—किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को तत्काल सूचित किए बिना अथवा परामर्श-दाता के तत्काली विशेषाधिकार के बिना न तो बन्दी किया जा सकता है और न तो निरुद्ध किया जा सकता है, और न तो उसे समुचित कारण के बिना ही निरुद्ध किया जा सकता है, और किसी व्यक्ति के माँग करने पर उक्त कारण खुले न्यायालय में तत्काल उसकी एवं उसके परामर्शदाता की उपस्थिति में, अवश्य प्रकट किया जायगा।

अनु० 35— सभी व्यक्तियों को अपने निवास, गोपनीय कागजात एवं सम्पत्ति के पड़ताल, तलाशी एवं अभिग्रहण के विरुद्ध कार्य का अधिकार तब तक रद्द नहीं समझा जायगा जब तक समुचित कारण पर कोई अधिपत्र न जारी हो और जिसमें विशेष रूप से उस स्थान का निर्देश न हो जिसकी तलाशी लेनी हो तथा उन वस्तुओं का भी जिनको बरामद करना हो, अथवा अनु० 33 में विहित दशाओं के अतिरिक्त हो।

प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण किसी समर्थ न्यायाधिकारी द्वारा जारी किए गए अलग-अलग अधिपत्रों पर ही की जायेगी।

अनु० 36—किसी भी लोक-अधिकारी द्वारा किसी तरह की पीड़ा या कोई क्रूर दण्ड बिल्कुल निषिद्ध है।

अनु० 37 —सभी आपराधिक अभियोगों में अभियुक्त को किसी निष्पक्ष न्यायालय में अविलम्ब न्याय पाने का अधिकार होगा।

अभियुक्त को सभी साक्षियों से निर्प्रश्न (जिरह) करने का अवसर दिया जायगा और उसे अपने लिए राजकीय व्यय पर साक्षियों के पाने के लिए अनिवार्य कार्यवाहियों का अधिकार होगा।

हर समय अभियुक्त को समर्थ परामर्शदाता की सहायता मिलेगी जो कि, यदि अभियुक्त अपने प्रयासों से न कर सकेगा तो उसके उपयोग के लिए राज्य के द्वारा दी जायगी।

अनु० 38 किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध प्रमाण देने को बाध्य नहीं किया जायगा।

किसी भी प्रकार की बाध्यता यन्त्रणा या धमकी या लम्बे बन्दीकरण या निरोध के परिणामस्वरूप की गयी सम्वीकृति प्रमाण रूप में नहीं मानी जायगी।

किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी सम्वीकृति के ही प्रमाण पर न तो अपराधी समझा जायगा और न कोई दण्ड ही दिया जायगा।

अनु० 39—किसी भी व्यक्ति को उस कार्य के लिए अपराधी नहीं ठहराया जा सकेगा जो किए जाने के समय वैध रहा हो या जिसके लिए उसे छूट रही हो और न तो उसे दोहरे खतरे अथवा सन्देह (jeopardy) में ही रखा जायगा।

अनु० 40—प्रत्येक व्यक्ति, उस दशा में जबकि वह बन्दीकरण या निरोध से मुक्त कर दिया गया हो, विधान के अनुसार, निवारण के लिये मुकदमा कर सकता है।

अध्याय 4

राज्य सभा (Diet)

अनु० 41— राज्य-सभा राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग होगी और राज्य की एकमात्र विधायक अंग भी।

अनु० 42—राज्य-सभा में दो सदन होंगे जिनके नाम प्रतिनिधि-सदन एव सभासद्-सदन होंगे।

अनु० 43 दोनों सदनों में समस्त जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य एवं प्रतिनिधि रहेंगे।

प्रत्येक सदन के सदस्यों की संख्या का निर्धारण विधान द्वारा किया जायगा।

अनु० 44 दोनों सदनों के सदस्यों एवं उनके निर्वाचकों की अर्हताओं का निश्चय विधान द्वारा किया जायगा। इस सम्बन्ध में जाति, सम्प्रदाय, लिंग, सामाजिक स्थिति, कौटुम्बिक मूल, शिक्षा, सम्पत्ति अथवा आय के आधार पर कोई भेद नहीं किया जायगा।

अनु० 45 प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष होगा पर यदि प्रतिनिधि-सदन भंग कर दिया जायगा तो यह कार्यकाल पूरा अवधि के पूर्व भी रद्द समझा जायगा।

अनु० 46—सभासद-सदन के सदस्यों का कार्यकाल छ वर्ष रहेगा और इसके आधे सदस्यों का चुनाव हर तीसरे वर्ष होगा।

अनु० 47 निर्वाचन-क्षेत्र, मतदान पद्धति एवं दोनों सदनों के चुनाव की पद्धति से सम्बद्ध अन्य विषयों का निश्चय विधान द्वारा किया जायगा।

अनु० 48—किसी भी व्यक्ति को एक साथ दोनों सदनों का सदस्य होने की अनुमति नहीं दी जायगी।

अनु० 49 दोनों सदनों के सदस्यों को विधानानुसार राष्ट्रीय कोष से समुचित वार्षिक निधि दी जायगी।

अनु० 50 विधान द्वारा विहित दशाओं के अतिरिक्त दोनों सदनों के सदस्य राज्य-सभा के अधिवेशन की अवधि में गिरफ्तारी से मुक्त होंगे और किसी भी सदस्य पर अधिवेशन के आरम्भ में की गई गिरफ्तारी से वह अधिवेशन की अवधि तक के लिए सदन की माँग पर मुक्त किया जायगा।

अनु० 51 दोनों सदनों के सदस्य सदन के भीतर दिए गए मतों, वक्तृताओं या बहसों के सम्बन्ध में सदन के बाहर उत्तरदायी नहीं ठहराए जायँगे।

अनु० 52—राज्य-सभा का सामान्य अधिवेशन प्रतिवर्ष एक बार होगा।

अनु० 53—राज्य-सभा के असाधारण अधिवेशनों का निर्धारण मंत्रिपरिषद् करेगी। दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या के एक चौथाई या अधिक सदस्यों की माँग पर मंत्रिपरिषद् ऐसा अधिवेशन बुलाएगी।

अनु० 54—प्रतिनिधि-सदन के भंग हो जाने पर भंग होने की तिथि से चालीस (40) दिन के अन्दर प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का एक सामान्य निर्वाचन होगा और निर्वाचन के तीस (30) दिन के अन्दर राज्य-सभा का अधिवेशन अवश्य बुलाया जायगा।

प्रतिनिधि-सदन के भंग होने पर उसके साथ सभासद-सदन भी बन्द कर दिया जायगा। तथापि मंत्रि परिषद राष्ट्रीय संकट के समय सभासद सदन का संकटकालीन अधिवेशन बुला सकती है।

पिछले परिच्छेद के उपबन्ध में उल्लिखित अधिवेशन में प्रयुक्त उपाय अस्थायी होंगे और राज्य-सभा के दूसरे अधिवेशन के दस (10) दिन के अन्दर प्रतिनिधि-सदन द्वारा अनुमोदित न होने पर व्यर्थ हो जायगे।

अनु० 55—प्रत्येक सदन अपने सदस्यों की अर्हता से सम्बद्ध विवादों का निर्णय करेगा। तथापि किसी सदस्य को उसके स्थान से वंचित करने के लिए उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई या उससे अधिक मत द्वारा पारित प्रस्ताव आवश्यक होगा।

अनु० 56—दोनों सदनों में कार्यवाही तब तक नहीं प्रारम्भ की जायगी जब तक कि कुल सदस्यों के एक तिहाई अथवा उससे अधिक सदस्य उपस्थित न हों।

प्रत्येक सदन में विषयों का निर्णय संविधान में अन्यत्र विहित दशाओं को छोड़ कर उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा, एवं किसी बन्ध (tie) को छोड़कर जिसका निर्णय अधिष्ठाता करेगा।

अनु० 57—प्रत्येक सदन में विचार विमर्श सार्वजनिक रूप में होगा। तथापि गुप्त बैठकें भी की जा सकेंगी यदि उसके लिए उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई या उससे अधिक सदस्य प्रस्ताव पारित करें।

प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों का लेखा रखेगा। इन लेखाओं को, केवल गुप्त बैठकों की कार्यवाहियों के उन अंशों को छोड़कर जिन्हें गोपनीय रखना आवश्यक समझा जायगा प्रकाशित एवं जन सामान्य तक प्रसारित किया जायगा।

उपस्थित सदस्यों के $\frac{1}{5}$ अथवा उससे अधिक सदस्यों की मांग पर किसी भी विषय पर सदस्यों के मतों को कार्यवाही के लेख में अंकित किया जायगा।

अनु० 68—राज्य के मन्त्रियों की नियुक्ति प्रधान मन्त्री करेगा तथापि उनकी कुछ संख्या का अधिकांश राज्य-सभा के सदस्यों में से चुना जायगा।

प्रधान मन्त्री राज्य के मन्त्रियों को जैसे चुन सकता है वैसे ही उन्हें निकाल भी सकता है।

अनु० 69—यदि प्रतिनिधि-सदन कोई अविश्वास का प्रस्ताव पारित करता है अथवा किसी विश्वास के प्रस्ताव को रद्द करता है तो मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देगी यदि दस (10) दिन के अन्दर प्रतिनिधि-सदन विघटित न हो जाय।

अनु० 70—प्रधान मन्त्री का पद रिक्त होने पर अथवा प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के बाद राज्य सभा के प्रथम समारोह पर मन्त्रि-परिषद् सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देगी।

अनु० 71—पिछले दो अनुच्छेदों में उल्लिखित दशाओं में मन्त्रि-परिषद् उस समय तक अपना कार्य करती रहेगी जबतक कि नया प्रधान मन्त्री नियुक्त नहीं हो जाता।

अनु० 72—मन्त्रि-परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में प्रधान मन्त्री विधेयक प्रस्तुत करेगा, सामान्य राष्ट्रीय विषयों एवं राज्य सभा के बाह्य सम्बन्धों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तथा अनेक प्रशासनिक विभागों का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण करेगा।

अनु० 73—अन्य सामान्य प्रशासनिक कार्यों के साथ ही मन्त्रि-परिषद् को निम्नलिखित कार्य करने होंगे :

श्रद्धापूर्वक विधान का नियोजन करना, राज्य के कार्यों का सञ्चालन करना।

विदेशी विषयों का प्रबन्ध करना।

सन्धियों का निश्चय करना, किन्तु इन विषयों में राज्य-सभा (Diet) का पहले ही, अथवा परिस्थितियों के अनुसार बाद में अनुमोदन आवश्यक है।

विधि द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लोक (Civil) सेवाओं का नियोजन करना।

आयव्ययक तैयार करना एवं उसे राज्य-सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।

अनु० 62 —प्रत्येक सदन सरकार के संबंध मे जाच-पडताल कर सकता है और साक्षियो की उपस्थिति एव प्रमाण की माँग कर सकता है तथा लिखित प्रमाणो का प्रस्तुत करने की भी माग कर सकता है ।

अनु० 63—प्रधान मंत्री एव राज्य के अन्य मंत्री, चाहे वे सदन के सदस्य हो या न हो किसी भी समय किसी भी सदन में विधेयकों पर बोलने के लिए जा सकते है । उत्तर अथवा स्पष्टीकरण देने के लिए जब उनकी उपस्थिति अपेक्षित हो तो उन्हें अवश्य उपस्थित होना पडेगा ।

अनु० 64—राज्य-सभा उन न्यायाधीशो के अभियोगो के निर्णय के लिए जिनके विरुद्ध पदच्युत करने की कार्यवाही की जा चुकी हो दोनो सदनो के सदस्यो म स एक महाभियोग-न्यायालय का सगठन करेगी ।

इस प्रकार के महाभियोगो स संबद्ध विषयो की व्यवस्था विधि द्वारा की जायगी ।

अध्याय 5

मन्त्रि-परिषद्

अनु० 65—कार्यकारी शक्ति मन्त्रिपरिषद में निहित होगी ।

अनु० 66 मन्त्रिपरिषद में राज्य के अन्य मंत्री एव उनके अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री रहेगा जैसा कि विधि द्वारा विहित होगा ।

प्रधान मंत्री एव राज्य के अन्य मंत्री सिविलियन (फौजी से भिन्न) रहेंगे ।

कार्यकारी शक्ति के सचालन (प्रयोग) में मन्त्रिपरिषद् राज्य सभा के प्रति सामूहिकरूप स उत्तरदायी होगी ।

अनु० 67 राज्य-सभा के एक प्रस्ताव द्वारा राज्य-सभा के सदस्यो में से प्रधानमंत्री का पदनामित किया जायगा । यह पदनाम अन्य सभी कार्यों म पहले होगा ।

यदि प्रतिनिधि-एव सभासद्-सदन एकमत नहीं होते और यहाँ तक कि दोनो सदनो की संमिलित बैठक में भी कोई निर्णय नहीं हो पाता, जैसा कि विहित हो, अथवा सभासद्-सदन, प्रतिनिधि-सदन के पदनाम देने के दस (10) दिन के अन्दर अवकाशो को छोडकर, यदि पदनाम देने में असमर्थ रहे तो प्रतिनिधि-सदन का निर्णय राज्य-सभा का निर्णय माना जायगा ।

अनु० 68—राज्य के मन्त्रियों की नियुक्ति प्रधान मन्त्री करेगा तथापि उनकी कुछ संख्या का अधिकांश राज्य-सभा के सदस्यों में से चुना जायगा।

प्रधान मन्त्री राज्य के मन्त्रियों को जैसे चुन सकता है वैसे ही उन्हें निकाल भी सकता है।

अनु० 69 यदि प्रतिनिधि सदन कोई अविश्वास का प्रस्ताव पारित करता है अथवा किसी विश्वास के प्रस्ताव को रद्द करता है तो मन्त्रि-परिषद सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देगी यदि दस (10) दिन के अन्दर प्रतिनिधि सदन विघटित न हो जाय।

अनु० 70 प्रधान मन्त्री का पद रिक्त होने पर अथवा प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के बाद राज्य सभा के प्रथम समारोह पर मन्त्रि परिषद सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देगा।

अनु० 71 पिछले दो अनुच्छेदों में उल्लिखित दशाओं में मन्त्रि-परिषद् उस समय तक अपना काम करती रहेगी जब तक कि नया प्रधान मन्त्री नियुक्त नहीं हो जाता।

अनु० 72 मन्त्रि परिषद के प्रतिनिधि के रूप में प्रधान मन्त्री विधेयक प्रस्तुत करेगा, सामान्य राष्ट्रीय विषयों एवं राज्य सभा के बाह्य सम्बन्धों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तथा अनेक प्रशासनिक विभागों का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण करेगा।

अनु० 73 अन्य सामान्य प्रशासनिक कार्यों के साथ ही मन्त्रि-परिषद् को निम्नलिखित कार्य करने होंगे

श्रद्धापूर्वक विधान का नियोजन करना राज्य के कार्यों का संचालन करना।

विदेशी विषयों का प्रबन्ध करना।

सन्धियों का निश्चय करना किन्तु इन विषयों में राज्य-सभा (Diet) का पहले ही, अथवा परिस्थितियों के अनुसार बाद में अनुमोदन आवश्यक है।

विधि द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार असैनिक (Civil) सेवाओं का नियोजन करना।

आयव्ययक तैयार करना एवं उसे राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।

प्रस्तुत संविधान एवं विधि की व्यवस्थाओं के निष्पादन के लिए मंत्रिपरिषद के आदेशों या अधिनियमन करना। तथापि मन्त्रिपरिषद के ऐसे आदेशों में विना दाण्डिक व्यवस्थाओं का तब तक समावेश नहीं होगा जब तक कि वे उक्त प्रकार की विधि द्वारा प्राधिकृत न हों।

सामान्य राज्य-क्षमा दण्ड का रूपान्तरण अधिकारों का प्रतिसंहरण एवं प्रत्यावर्तन आदि का निर्णय करना।

अनु० 74—सभी विधियों एवं मन्त्रिपरिषद के आदेशों पर राज्य के सक्षम मन्त्रियों के हस्ताक्षर होंगे एवं प्रधान मंत्री का प्रतिहस्ताक्षर होगा।

अनु० 75—राज्य के मन्त्रियों पर अपने कार्यकाल में कोई भी वैधानिक कार्यवाही बिना प्रधान मंत्री की सम्मति के नहीं की जा सकेगी। तथापि इसके द्वारा उक्त कार्यवाही करने के अधिकार का अपहरण नहीं होगा।

अध्याय 6

न्यायपालिका

अनु० 76 न्याय विषयक समस्त शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में तथा उन अवर न्यायालयों में निहित है जो विधि द्वारा संस्थापित हों।

किसी प्रकार का असाधारण न्यायाधिकरण (Extraordinary tribunal) स्थापित नहीं किया जायगा और न तो कार्यपालिका के किसी अंग या अभिकरण को ही सर्वोच्च न्यायिक शक्ति दी जायगी।

सभी न्यायाधीश अपने अन्तर्विवेक से कार्य करने में स्वतन्त्र रहेंगे और उन पर केवल संविधान एवं विधियों का बन्धन रहेगा।

अनु० 77—विधायिका शक्ति सर्वोच्च-न्यायालय में निहित है जिसमें वह प्रक्रिया एवं व्यवहार के तथा न्यायवादियों से सम्बद्ध मामलों, न्यायालयों के आन्तरिक अनुशासन एवं न्यायिक विषयों के प्रशासन से सम्बद्ध नियमों का निर्धारण करेगा।

लोक-अभियोक्ता सर्वोच्च न्यायालय की विधायिका शक्ति के अधीन होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय अन्य न्यायालयों को अवर न्यायालयों के लिए नियम बनाने का अधिकार सौंप सकता है।

अनु० 78 जनता द्वारा लगाए हुए महाभियोग की स्थिति को छोड़कर, न्यायाधीश तब तक नहीं हटाए जा सकते जब तक कि वे न्यायालय द्वारा मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम नहीं घोषित किए जाएं। न्यायाधीशों के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही किसी भी कार्यपालिका के अंग अथवा अभिकरण द्वारा नहीं की जा सकती।

अनु० 79 सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश एवं उतने और न्यायाधीश रहेंगे जितने विधान द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायाधीशों को मन्त्रि-परिषद नियुक्त करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के पहले सामान्य निर्वाचन के अवसर पर उनकी नियुक्ति के बाद, जनता द्वारा पुनर्विलोकन किया जायगा और प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के प्रथम सामान्य निर्वाचन के अवसर पर दस (10) वर्ष बाद पुनः पुनर्विलोकन किया जायगा तथा इसी तरह बाद में भी किया जायगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित दशा में यदि मतदाताओं का बहुमत किसी न्यायाधीश की पदच्युति के पक्ष में हो तो वह पदच्युत कर दिया जायगा।

पुनर्विलोकन से संबद्ध विषय विधान द्वारा विहित होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विधान द्वारा निश्चित आयु तक पहुँच जाने पर निवृत्त कर दिए जाएंगे।

ऐसे सभी न्यायाधीशों को नियमित अन्तर पर समुचित प्रतिकर मिलेगा जो कि उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जायगा।

अनु० 80—अवर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति मन्त्रि परिषद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित व्यक्तियों की नियमावली में से किया जायगा। ऐसे सभी न्यायाधीश दस (10) वर्ष की अवधि तक कार्यभार वहन करेंगे, वे इसके बाद भी नियुक्त हो सकते हैं किन्तु यदि वे विधान द्वारा नियत आयु पर निवृत्त कर दिये जायें।

अवर न्यायालयों के न्यायाधीश नियमित अन्तर पर समुचित प्रतिकर पाएंगे और वह उनके कार्यकाल के अन्दर घटाया नहीं जायगा।

अनु० 81—किसी विधि आदेश नियम या अधिकारिक कार्य की सांविधानिकता के निर्धारण में सर्वोच्च न्यायालय ही अन्तिम आश्रय का समर्थ न्यायालय है।

अनु० 82—विचारणों (trials) का संचालन एवं निर्णय की घोषणा सार्वजनिक रूप से की जायगी। जब कोई न्यायालय इसके प्रचार को एकमत से सार्वजनिक व्यवस्था अथवा नैतिक आचार के लिए घातक घोषित करे, उस दशा में कोई भी न्यायिक विचारण गुप्त रीति से किया जा सकता है, किन्तु राजनैतिक अपराधों के अथवा प्रन्यालय से सम्बद्ध अपराधों के विचारण में अथवा उन अभियोगों में जिनमें कि इस संविधान के अध्याय 3 में सम्प्रदत्त जनता के अधिकारों का प्रश्न हो विचारण सार्वजनिक रूप में किया जायगा।

अध्याय 7

वित्त

अनु० 83—राष्ट्रीय वित्त को प्रशासित करने की शक्ति का प्रयोग राज्य-सभा के निर्णयों के अनुसार होगा।

अनु० 84—बिना विधान के न तो नए कर लगाए जा सकते हैं और न पुराने करों में परिवर्तन किया जा सकता है, अथवा ऐसी दशाओं में, जैसा विधान द्वारा निर्दिष्ट हो, किया जायगा।

अनु० 85—राज्य-सभा द्वारा प्राधिकृत हुए बिना राज्य द्वारा न तो कोई धन राशि खर्च की जा सकती है और न तो राज्य अनिवार्य रूप से उसका उपयोग ही कर सकता है।

अनु० 86—मन्त्रि-परिषद् प्रत्येक राजवित्तीय वर्ष के लिए आयव्ययक तैयार करेगी तथा उस पर विचार एवं निर्णय के लिए राज्य-सभा को प्रस्तुत करेगी।

अनु० 87—आयव्ययक में अदृष्ट कमियों को पूरा करने के लिए राज्य-सभा द्वारा एक आरक्षित निधि की व्यवस्था की जायगी जो मन्त्रि-परिषद् के दायित्व पर खर्च की जायगी।

आरक्षित निधि में से किये जाने वाले सभी भुगतानों के लिए मन्त्रि-परिषद् को बाद में राज्य-सभा से स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

अनु० 88—राज-परिवार की समस्त सम्पत्ति राज्य की सम्पत्ति होगी।

राज-परिवार के सभी व्ययों का विनियोजन राज्य सभा द्वारा आयव्ययक में किया जायगा।

अनु० 89—किसी भी सार्वजनिक द्रव्य या अन्य सम्पत्ति का विनियोजन या व्यय किसी धार्मिक संस्था या संघ के उपयोग, लाभ या संधारण के लिए अथवा किसी धर्मीय शिक्षा-संबंधी अथवा परोपकार विषयक उद्यमों के लिए जो राज्य प्राधिकरण के नियन्त्रण में न हो, नहीं किया जा सकता।

अनु० 90 राज्य के व्यय एवं आय (राजस्व) के अंतिम लेखाओं का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष एक लेखा परीक्षा मण्डल द्वारा किया जायगा और मंत्रि परिषद् द्वारा राज्य वित्तीय वर्ष के अन्त में लेखा परीक्षण के विवरण के साथ उस समय के ठीक बाद जब तक कि वह लेखा न राज्य सभा को प्रस्तुत किया जायगा।

लेखा परीक्षा-मण्डल के संगठन एवं सामर्थ्य का निर्धारण विधान द्वारा किया जायगा।

अनु० 91 कुछ नियत अन्तरों पर और कम-से-कम प्रतिवर्ष मंत्रि परिषद् राष्ट्रीय राजस्व की स्थिति के विषय में राज्य-सभा एवं जनता को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 8

स्थानीय स्वायत्त शासन

अनु० 92—स्थानीय सार्वजनिक सत्ताओं के संगठन एवं कार्य करने के नियमों का निश्चय विधान द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन सिद्धान्तों के अनुसार किया जायगा।

अनु० 93—स्थानीय सार्वजनिक सत्ताएँ विधानानुसार सभाओं की स्थापना अपने विचार विमर्श करने वाले अंग के रूप में करेंगी।

सभी स्थानीय सार्वजनिक सत्ताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, उनकी सभाओं के सदस्यों तथा उन स्थानीय कर्मचारियों के, जो विधान द्वारा निर्धारित किए जायँ, निर्वाचन उनके विभिन्न समुदायों में प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा।

अनु० 94—स्थानीय लोक सत्ताओं को अपनी सम्पत्ति, अपने विविध विषयों एवं प्रशासन के प्रबन्ध करने तथा विधान के अन्तर्गत अपने निजी नियमों को अधिनियमित करने का अधिकार होगा।

अनु० 95—*एक स्थानीय लोक-सत्ता में लागू होने वाले* किसी भी विशेष विधान को जो विधि-सम्मत पाया गया हो, उस स्थानीय लोक सत्ता के मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्राप्त अनुमोदन के बिना राज्य-सभा द्वारा अधिनियमित नहीं किया जा सकता।

अध्याय 9

संशोधन

अनु० 96—*इस संविधान में संशोधन का सूत्रपात राज्यसभा* द्वारा दोनों सदनों के कुल सदस्यों के दो-तिहाई या इससे अधिक सदस्यों के सम्मिलित मतदान से किया जायगा और तब वह सत्याङ्कन के लिए जनता को प्रस्तुत किया जायगा। इस सत्याङ्कन के लिए एक विशेष जनमत-संग्रह का, अथवा निर्वाचन के अवसर पर जैसा कि राज्य-सभा निश्चय करे, कुल मत के बहुमत का सकारात्मक मत अपेक्षित है।

उक्त प्रकार से सत्याङ्कित या अनुसमर्थित संशोधन तत्काल सम्राट् द्वारा जनता के नाम से संविधान का अभिन्न अंग घोषित कर दिया जायगा।

अध्याय 10

सर्वोच्च विधि

अनु० 97—जापान की जनता के लिए प्रत्याभूत (guaranteed) मानव के मूल अधिकार उसके उस स्वतन्त्रता-संघर्ष के प्रतिफल हैं जिसे वह युगान्तरों से करता चला आ रहा था। ये अधिकार अनेक चिरस्थायिता की यथार्थ कसौटियों पर खरे उतरे हैं। अतः इन्हें वर्तमान एवं भविष्य में होने वाली पीढ़ियों को इस विश्वास के साथ प्रदान किया जाता है कि जापान का मानव इन्हें सर्वदा अक्षुण्ण बनाए रखेगा।

अनु० 98—प्रस्तुत संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च विधान होगा जिसके समक्ष किसी भी विधि, अध्यादेश, सम्राट् की घोषणा या अन्य सरकारी अधिनियम या उसके अंग का, जो इसकी व्यवस्थाओं के विरुद्ध होगा, विधि-बल या मान्यता नहीं प्राप्त होगी।

जापान द्वारा की गई संधियों एवं राष्ट्र के प्रतिष्ठापित विधानों का श्रद्धापूर्वक अनुपालन किया जायगा।

अनु० 99—सम्राट अथवा राजप्रतिनिधि तथा राज्य के सभी मन्त्रियों, राज्य सभा के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा अन्य सभी लोक-कर्मचारियों को इस संविधान के प्रति समादर रखने एवं इसकी मर्यादा बनाए रखने की बाध्यता होगी।

अध्याय 11

अनुपूरक उपबन्ध

अनु० 100—प्रख्यापित करने की तिथि से छः (6) मास की अवधि के बाद यह संविधान प्रवर्तित होगा।

प्रस्तुत संविधान के प्रवर्तन के लिए आवश्यक विधियों के अधिनियमन, सभासद सदन के सदस्यों के निर्वाचन, राज्य-सभा के समारोह की प्रक्रिया तथा इस संविधान के प्रवर्तन के लिए अन्य प्रारम्भिक प्रक्रियाओं को पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट तिथि से पूर्व निष्पन्न किया जायगा।

अनु० 101—यदि इस संविधान के अनुसार समारम्भ तिथि से पूर्व सभासद सदन का संगठन नहीं हो जाता तो प्रतिनिधि-सदन राज्य-सभा के रूप में तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि सभासद सदन का संगठन नहीं हो जाता।

अनु० 102—इस संविधान के अन्तर्गत पहली अवधि में कार्य करते हुए सभासद सदन के आधे सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। इस कोटि के अन्तर्गत आने वाले सदस्यों का निर्धारण विधि द्वारा किया जायगा।

अनु० 103—इस संविधान की समारम्भ तिथि पर अपना कार्य करते हुए राज्य के मन्त्री-गण, प्रतिनिधि-सदन के सदस्य एवं न्यायाधीश तथा अन्य सभी लोक-कर्मचारी जो उन पदों से संबद्ध पदों पर हों जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हों, स्वतः इस संविधान के प्रवर्तित होने पर अपने पद से च्युत नहीं होंगे जब तक कि विधान द्वारा उनका अन्यथा उल्लेख न किया जाय किंतु जब उनके उत्तराधिकारी इस संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार निर्वाचित या नियुक्त हो जायेंगे तब वस्तुतः उन्हें अपना पद त्यागना पड़ेगा।

दण्ड संहिता

(1921 के विधि क्र० 77 1941 के विधि क्र० 61 एव 1947 के विधि क्र० 124 द्वारा संशोधित 1907 का विधि क्र० 45)

पहला खण्ड—सामान्य उपबन्ध

अध्याय 1

विधियों के विनियोग (प्रयुक्ति)

अनु० 1—यह विधि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगी जिसने जापान राज्य की सीमा के अन्तर्गत कोई अपराध किया हो।

यह उन सभी व्यक्तियों पर भी लागू होगी जिन्होंने जापान राज्य के बाहर भी किसी जापानी जहाज पर चढे हुए अपराध किया हो।

अनु० 2—यह विधि उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जिन्होंने जापान की सीमा के बाहर निम्नाङ्कित अपराधों में किसी को किया हो

(1) निरसित,

(2) 77 से 79 तक के अनुच्छेदों में उल्लिखित अपराध,

(3) अनु० 81, 82, 87 और 88 में उल्लिखित अपराध,

(4) अनु० 148 में उल्लिखित अपराध एव उसका प्रयत्न,

(5) अनु० 154, 155, 157 और 158 में उल्लिखित अपराध,

(6) अनु० 162 एव 163 में उल्लिखित अपराध,

(7) अनु० 164 से 166 में उल्लिखित अपराध एव अनु० 164 के परिच्छेद 2, 165 के परि० 2 तथा 166 के परि० 2 में उल्लिखित अपराधों के प्रयत्न।

अनु० 3— यह विधान उन सभी जापान राष्ट्र के निवासियों पर लागू होगा जिन्होंने जापान की सीमा के बाहर निम्नांकित में से कोई अपराध किया हो

(1) अनु० 108 एव अनु० 109 के परि० 1 में उल्लिखित अपराध, अनुच्छेद 108 एव अनु० 109 परि० 1 के अनुसार व्यवहृत किए जाने वाले अपराध एव उनके प्रयत्न,

(2) अनु० 119 में उल्लिखित अपराध

(3) अनु० 159 से 161 तक के अनुच्छेदों में उल्लिखित अपराध

(4) अनु० 167 में उल्लिखित अपराध एवं उक्त अनुच्छेद के परि० 2 में उल्लिखित अपराध प्रयत्न

(5) अनु० 176 से 179 181 और 184 में उल्लिखित अपराध

(6) अनु० 199 एवं 200 में उल्लिखित अपराध एवं उनके प्रयत्न,

(7) अनु० 204 एवं 205 में उल्लिखित अपराध

(8) अनु० 214 से 216 में उल्लिखित अपराध

(9) अनु० 218 में उल्लिखित अपराध तथा उक्त अपराध के करने में किसी व्यक्ति को मार डालने या घायल कर देने का अपराध

(10) अनु० 220 एवं 221 में उल्लिखित अपराध

(11) अनु० 224 से 228 में उल्लिखित अपराध

(12) अनु० 230 में उल्लिखित अपराध

(13) अनु० 235 236 238 से 241 और 243 में उल्लिखित अपराध,

(14) अनु० 246 से 250 में उल्लिखित अपराध

(15) अनु० 253 में उल्लिखित अपराध

(16) अनु० 256 परि० 2 में उल्लिखित अपराध।

अनु० 4 यह विधान उन सभी जापानी लोक-कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्होंने निम्नांकित में से किसी अपराध को जापान की सीमा के बाहर किया हो

(1) अनु० 101 में उल्लिखित अपराध एवं उसका प्रयत्न

(2) अनु० 156 में उल्लिखित अपराध

(3) अनु० 193 अनु० 195 परि० 2 और अनु० 179 से 197—(3) में उल्लिखित अपराध एवं अनु० 195 परि० 2 में उल्लिखित अपराध के द्वारा किसी व्यक्ति को मार डालने अथवा घायल करने का अपराध।

अनु० 5—चाहे किसी भी देश में कोई अटल निर्णय भले ही दिया गया हो उससे जापान में उसके लिए कोई दण्ड बाधित नहीं होगा। तथापि यदि अपराधी विदेश में घोषित दण्ड को अंशतः अथवा पूर्णतः निष्पादित कर चुका हो तो

जापान म उस अपराध का दण्ड न्त्ता कर दिया जायगा या न्म छोड़ दिया जायगा।

अनु० 6—यदि किसी अपराध क करन क बाद न्सका दण्ड विधान द्वारा बदल दिया गया हो तो जो लघु दण्ड होगा वही लागू होगा।

अनु० 7—इस विधान म राज्य कर्मचारी पद स सरकारी कर्मचारियों राज्य-कर्मचारियों सभाओं एव समितियों क सदस्यों तथा अन्य लोगों का जो जन साधारण क कार्यों म विधियों एव अध्यादेशों क अनुसार लगे हुए हों बोध होगा।

राज्य कार्यालय पद स उन स्थानों को समझा जायगा जहाँ राज्य-कर्मचारी अपना कार्य करत।

अनु० 8—इस विधान क सामान्य उपबन्ध उन अभियोगों (अपराधों) क सम्बन्ध म भी लागू होंग जिनक लिए दण्ड अन्य विधियों या आदेशों द्वारा निश्चित हों सिवाय उन दशाओं क जिनक लिए उन विधियों या आदेशों द्वारा कुछ अन्यथा निश्चित हो।

अध्याय 2

दण्ड

अनु० 9—प्रधान दण्ड हैं—प्राण-दण्ड कठोरश्रमकारागारवास कारावास अर्थदण्ड शान्तिक निरोध तथा लघु अर्थ दण्ड राज्यसात्करण एक अतिरिक्त दण्ड है।

अनु० 10—प्रधान दण्डों की गम्भीरता पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट क्रम स होगी परन्तु आजीवन कारावास सामित कठोरश्रमकारागारवास स तथा सामित कारावास भी सामित कठोरश्रमकारागारवास स गुरुतर होगा यदि पिछल का चरम अवधि दूसर की चरम अवधि स दुगुनी अधिक हो।

समान प्रकार क दण्डों में भी जिसकी अधिक चरम अवधि या अधिक चरम राशि होगी वह गुरुतर होगा। यदि चरम अवधि एव चरम राशि बराबर हो तो जिसकी न्यूनतम अवधि या न्यूनतम राशि अधिक होगी वह गुरुतर माना जायगा।

ऐसे व्यक्ति जो पूरे लघु अर्थदण्ड को देने में असमर्थ होंगे उन्हें किसी कर्मशाला में कम से कम एक दिन और अधिक से अधिक तीस दिन तक रखा जायगा।

उस दशा में जबकि दो या उससे अधिक अर्थदण्ड सामूहिक रूप से लगाए गए हों या बड़े अर्थदण्ड या छोटे अर्थदण्ड साथ लगाए गए हों तो उक्त निरोध की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं की जा सकती। उस दशा में जबकि दो या अधिक छोटे अर्थदण्ड साथ लगाए गए हों, निरोध की अवधि साठ दिन से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।

जब कोई बड़ा या छोटा अर्थदण्ड लगाया गया हो तो ऐसे बड़े या छोटे अर्थदण्ड को पूर्णतः देने में असमर्थ होने की दशा में निरोध की अवधि भी साथ ही निर्धारित एवं घोषित कर दी जायगी।

सम्बद्ध पक्ष की राय के बिना बड़े अर्थदण्ड के लिए निरोध निर्णय के अटल हो जाने के तीस दिन के अन्दर तथा छोटे अर्थदण्ड के लिए दस दिन के अन्दर प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।

जब कोई व्यक्ति जिस पर बड़ा या छोटा अर्थदण्ड लगाया गया हो तथा उसने उसका कुछ भाग चुका दिया हो तो वह पूरी अवधि के उस शेष अंश तक निरोध में रखा जायगा जितना कि पूरी निरोध-अवधि से उसके दिए गए धन के अनुपात में दिनों की संख्या घटाने से शेष बनेगा।

निरोध-अवधि के अन्तर्गत की गई भुगतान से बाकी दिनों में से दिनों की संख्या उसी अनुपात में घटाई जायगी जैसा कि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित है।

ऐसी राशि जमा नहीं हो सकेगी जो एक भी दिन के निरोध के अनुपात में न हो (अर्थात् निरोध की पूरी अवधि के दिनों में से एक दिन पर जो अर्थदण्ड आता है उससे भी कम अर्थदान स्वीकार नहीं किया जायगा)।

अनु० 19—निम्नांकित वस्तुओं का राज्यसात्करण किया जा सकता है :

(1) वे वस्तुएं जो आपराधिक कर्म की घटक रही हों,

(2) वे वस्तुएं जिनका किसी आपराधिक कर्म में प्रयोग या प्रयोग करने का मन्तव्य रहा हो,

अनु० 24—दण्ड भोगने का पहला दिन चाहे किसी घण्टे में भोगना शुरू किया जाय पूरे एक दिन के रूप में परिगणित किया जायगा। यही नियम भोगाधिकार की अवधि के पहले दिन के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

दण्ड की अवधि के पूरे होने वाले दिन के बाद वाले दिन निर्मुक्ति का निष्पादन किया जायगा।

अध्याय 1

दण्ड के निष्पादन का निलम्बन

अनु० 25—यदि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी को कठोरश्रम-कारावास या कारावास का दण्ड मिल चुका हो जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो या अर्थदण्ड जो 5,000 येन से अधिक न हो तो ऐसे दण्ड का निष्पादन, निर्णय के दिन से परिस्थितियों के अनुकूल, कम-से-कम एक वर्ष तथा अधिक-से-अधिक पांच वर्ष तक की अवधि के लिए निलम्बित किया जा सकता है

(1) ऐसे व्यक्ति जिन्हें पहले कभी भी कारावास या कोई कठिन दण्ड न मिला हो,

(2) ऐसे व्यक्ति जिन्हें यद्यपि पहले कारावास या कोई कठिन दण्ड मिल चुका हो किन्तु उस पूर्व दण्ड के निष्पादन के पूर्ण होने या क्षमा किये जाने की तिथि से सात वर्ष के अन्दर कोई कारावास या कठिन दण्ड फिर न मिला हो।

अनु० 26—अधोलिखित दशाओं में दण्ड के निष्पादन का निलम्बन प्रतिसंहृत किया जा सकता है

(1) जबकि निलम्बन की अवधि के अन्तर्गत कोई अन्य अपराध किया गया हो और उसके लिए कारावास या कोई और कठिन दण्ड दिया गया हो,

(2) जबकि दण्ड-निष्पादन के निलम्बन की घोषणा के पूर्व किए गए अपराध के लिए कारावास या कोई और कठिन दण्ड दिया जा चुका हो,

(3) पिछले अनुच्छेद के प्रभाग (2) में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त, जब यह पता चल जाय कि उस व्यक्ति को, दण्ड-निष्पादन के निलम्बन की घोषणा के पहले किसी अन्य अपराध के लिए कारावास या कोई कठिन दण्ड मिला था।

जब निलम्बन की अवधि के अन्दर कोई और अपराध किया गया हो और उसके लिए कोई अर्थदण्ड दिया गया हो तो दण्ड निष्पादन के निलम्बन की घोषणा प्रतिसहृत की जा सकती है।

अनु० 27 –जब दण्ड निष्पादन के निलम्बन की अवधि निलम्बन की घोषणा के प्रतिसंहरण के बिना ही बीत जाय तो दण्ड की घोषणा प्रभावशून्य हो जायगी।

अध्याय 5

कारागार से सामयिक निर्मुक्ति (वाग्विश्वास)

"करिशुत्सुशोकु"

अनु० 28– यदि कोई कठोरश्रम-कारावास या कारावास में दण्डित व्यक्ति सुधार के संकेत प्रकट करे तो प्रशासनिक अधिकारियों की कारवाई द्वारा, दण्ड की अवधि सीमित होने पर उसका एक तिहाई एवं आजीवन रहने पर दस वर्ष भोग लेने पर, कारागार से सामयिक (कुछ शर्तों पर) निर्मुक्ति दी जा सकती है।

अनु० 29—कारागार से सामयिक निर्मुक्ति की कार्रवाई अधोलिखित दशाओं में प्रतिसहृत कर दी जायगी

(1) जबकि सामयिक निर्मुक्ति की दशा में कोई और अपराध किया गया हो और कोई अर्थदण्ड या कठिन दण्ड दिया गया हो,

(2) जबकि सामयिक निर्मुक्ति के पहले किए गए अन्य किसी अपराध के लिए कोई अर्थदण्ड या और कठिन दण्ड दिया गया हो,

(3) जबकि व्यक्ति को कोई अर्थदण्ड या कठिन दण्ड भुगतना हो जो कि उसे सामयिक निर्मुक्ति के पूर्व किसी अन्य अपराध के लिए दिया गया था,

(4) जबकि सामयिक निर्मुक्ति के नियन्त्रण विषयक विनियम अतिलंघित हो गए हो।

सामयिक निर्मुक्ति की कार्रवाई के प्रतिसंहृत किये जाने की दशा में कारागार से बाहर बिताए गए दिनों को दण्ड की अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

अनु० 30—दाण्डिक निरोध से दण्डित व्यक्तियों को परिस्थितियों के अनुसार किसी भी समय प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई द्वारा सामयिक रूप में निर्मुक्त किया जा सकता है।

यही नियम उन व्यक्तियों के विषय में भी लागू होगा जो किसी बड़े या छोटे अर्थदण्ड को पूर्णतः देने में असमर्थ होने के फलस्वरूप निरोध में रखे गए हों।

अध्याय 6

दण्ड का भोगाधिकार एवं उसकी समाप्ति

"जिको"

अनु० 31—किसी दण्ड से दण्डित व्यक्तियों को उस दण्ड के निष्पादन से भोगाधिकार द्वारा अवमुक्त किया जायगा।

अनु० 32—यह भोगाधिकार उस समय पूरा होगा जबकि दण्ड की अन्तिम निर्णय की तिथि से निम्नांकित अवधि के अन्तर्गत दण्ड का निष्पादन न किया गया हो

(1) मृत्युदण्ड के लिए, तीस वर्ष,

(2) आजीवन कठोरश्रम-कारावास या आजीवन कारावास के लिए, बीस वर्ष,

(3) सीमित कठोरश्रम-कारावास या सीमित कारावास के लिए, पन्द्रह वर्ष यदि अवधि दस वर्ष या उससे अधिक हो, दस वर्ष, यदि अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक हो, पाँच वर्ष, यदि अवधि तीन वर्ष से कम हो,

(4) बड़े अर्थदण्डों के लिए, तीन वर्ष,

(5) दाण्डिक निरोध, छोटे अर्थदण्डों एवं राज्यसात्करण के लिए, एक वर्ष।

अनु० 37—जीवन, शरीर, स्वतंत्रता या अपनी अथवा दूसरों की संपत्ति के प्रति उपस्थित खतरे को हटाने के लिए किए गए अनिवार्य कार्य दण्डनीय नहीं होंगे यदि उक्त कार्यों द्वारा पहुँचाई गई क्षति, होने वाली क्षति से अधिक न हो। तथापि, परिस्थितियों के अनुसार, ऐसे कार्यों के दण्डों को, जिनमें होने वाली क्षति से उक्त कार्यों द्वारा की गई क्षति अधिक हो, हल्का अथवा क्षमा किया जा सकता है।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (उपबन्ध) उन व्यक्तियों के संबंध में लागू नहीं होंगी जो अपनी जीविका या व्यवसाय के कारण किसी विशेष बन्धन के अन्तर्गत हों।

अनु० 38—बिना आशय के किए गए अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को दण्डित नहीं किया जायगा परन्तु यह उस दशा में लागू नहीं होगा जहाँ कि किसी विधि में कोई विशेष व्यवस्था उसके विरुद्ध हो।

उस दशा में जब कि किसी व्यक्ति को, जिसने अपराध किया हो, अपराध करते समय यह ज्ञात न रहा हो कि जो अपराध वह कर रहा है वह उसके सोचे गए अपराध से गुरुतर है तो उसे उसके गुरुतर अपराध के लिए दण्डित नहीं किया जायगा।

विधि की व्यवस्था की अनभिज्ञता के बल पर किसी व्यक्ति को अपराध करने के आशय से शून्य नहीं माना जायगा। तथापि, इस दशा में परिस्थिति के अनुसार, दण्ड कम किया जा सकता है।

अनु० 39—अविवेकी व्यक्तियों के कार्य दण्डनीय नहीं होंगे। निर्बल मन वाले व्यक्तियों द्वारा किये गए अपराध-कृत्यों के दण्डों को हल्का कर दिया जायगा।

अनु० 40—मूक बधिरों के कार्य दण्डनीय नहीं होंगे अथवा दण्डित होने पर उनका दण्ड हल्का कर दिया जायगा।

अनु० 41—चौदह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों के अपराध दण्डनीय नहीं होंगे।

अनु० 42—उन व्यक्तियों का दण्ड हल्का किया जा सकता है जिन्होंने अपराध करने के बाद समर्थ अधिकारियों के समक्ष जाँच होने पर अपना प्रत्याख्यान कर दिया हो।

अर्थदण्ड छोटे अर्थदण्ड एवं राज्यसात्करण के अतिरिक्त और कोई दूसरा दण्ड नहीं दिया जायगा।

अनु० 47—यदि हेइगोजाइ में दो या उससे अधिक अपराध सीमित कठोरश्रमकारावास अथवा कारावास के दण्ड के योग्य हों तो दण्ड की चरम अवधि गुरुतम अपराध की चरम अवधि तथा इसकी आधी और (अर्थात् डेढ़ गुना) होगी किन्तु यह अवधि दूसरे अनेक किए गए अपराधों के लिए उल्लिखित चरम अवधियों से अधिक नहीं होगा।

अनु० 48—केवल अनु० 46 के परि० 1 की दशा के अतिरिक्त कोई *अर्थदण्ड या अन्य दण्ड भी साथ-साथ दिया जायगा।*

दो या अधिक अर्थदण्ड उतनी मात्रा तक दिए जायेंगे जहाँ तक कि उनकी राशि अनेक अपराधों पर लगाए गए अर्थदण्डों के योग से अधिक न हो।

अनु० 49 यद्यपि हेइगोजाइ के अन्तर्गत गुरुतम अपराध के लिये राज्यसात्करण का उल्लेख नहीं किया गया है तथापि यह अतिरिक्त रूप में लगाया जा सकता है यदि अन्यों में से किसी अपराध पर राज्यसात्करण विहित हो।

राज्यसात्करण के दो या अधिक दण्ड एक साथ लगाए जा सकते हैं।

अनु० 50—यद्यपि हेइगोजाइ के *अन्तर्गत* एक या अधिक अपराध (अपराधों) पर *न्याय निर्णय दिया गया हो* और *अन्य (अन्यों)* पर नहीं तो अनिर्णीत अपराध (अपराधों) पर न्याय निर्णय दिया जायगा।

अनु० 51—यदि हेइगोजाइ पर दो या अधिक निर्णय दिए जा चुके हों, तो दण्ड संयुक्त रूप से निष्पादित किए जायेंगे, किन्तु यदि प्राण-दण्ड निष्पादित करना हो तो राज्यसात्करण के अतिरिक्त अन्य कोई भी दण्ड कार्यान्वित नहीं किया जायगा। यदि आजीवन कठोरश्रमकारावास या आजीवन कारावास का दण्ड निष्पादित करना हो तो अर्थ-दण्ड एवं राज्यसात्करण के अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड कार्यान्वित नहीं किया जायगा। सीमित कठोरश्रमकारावास या सीमित कारावास के निष्पादन की अवधि, अनेक अपराधों में से गुरुतम के लिए उल्लिखित दण्ड की चरम अवधि एवं उसकी आधी *(अर्थात् डेढ़ गुनी) से अधिक नहीं होगी।*

अनु० 52—*यदि हेइगोजाइ"* के लिए दण्डित किसी व्यक्ति को एक (या अधिक) अपराध (या अपराधों) के संबंध में सामान्य राज-क्षमा की कृपा प्रदान की गई हो तो ऐसे क्षमा प्रदान से भिन्न अपराध (अपराधों) के लिए दण्ड का निर्णय विशेष रूप से किया जायगा।

अनु० 57—किसी पुनरावृत्त अपराध के दण्ड की अवधि, उस अपराध के लिए उल्लिखित कठोरश्रमकारावास की चरम अवधि के दुगुने से अधिक नहीं होगी।

अनु० 58—निकाल दिया गया।

अनु० 59—पुनरावृत्त अपराधों से सबद्ध व्यवस्थाएँ उसी तरह उन व्यक्तियों पर भी लागू होंगी जिन्होंने कोई अपराध तीन या अधिक बार किया हो।

अध्याय 11

सहापराधिता

"क्योहन्"

अनु० 60—किसी अपराध-कार्य में सहयोग देने वाले दो या अधिक व्यक्तियों को मुख्य अपराधी के रूप में व्यवहृत किया जायगा।

अनु० 61—वह व्यक्ति, जिसने दूसरे का अपराध करने के लिए उकसाया हो या उससे अपराध करवाया हो, मुख्य अपराधी समझा जायगा।

यही नियम उस व्यक्ति के संबंध में भी लागू होगा जिसने किसी उकसाने वाले को उकसाया हो।

अनु० 62—मुख्य अपराधी को सहायता देने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका उपसहायक है।

उपसहायक का उकसाने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपसहायक ही समझा जायगा।

अनु० 63—उपसहायक का दण्ड, मुख्य अपराधी के दण्ड का हल्का किया गया दण्ड होगा।

अनु० 64—अन्यथा विशेष प्रकार से विहित दशा को छोड़कर, उकसाने वालों एवं उपसहायकों का दाण्डिक निरोध अथवा छोटे अर्थ दण्ड द्वारा दण्डनीय अपराधों के लिए दण्डित नहीं किया जायगा।

अनु० 65—यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में फँस गया हो जो अपराध करने वाले की स्थिति के कारण अपराध हो तो उसे सहापराधी के रूप में व्यवहृत किया जायगा भले ही उसकी वैसी स्थिति न हो।

यदि दण्ड की गुरुता अपराधी की स्थिति पर निर्भर करती हो तो वैसी स्थिति न रखने वाले व्यक्तियों को सामान्य दण्ड दिया जायगा।

अध्याय 12

(दण्ड) घटाने वाली परिस्थितियों के कारण दण्ड का घटाव

"शाकुर्यो गेङकेइ"

अनु० 66—(दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियों के रहने पर किसी अपराध का दण्ड हल्का किया जा सकता है।

अनु० 67—विधि द्वारा चाहे दण्ड बढ़ाया या घटाया जाने वाला हो फिर भी (दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियों के कारण (दण्ड) हल्का किया जा सकता है।

अध्याय 13

दण्ड के बढ़ाव या घटाव के सामान्य नियम

"कगेन रेइ"

अनु० 68—यदि विधि द्वारा दण्ड हल्का करने के एक (या अधिक) आधार हो(हों) तो वह अधोलिखित नियमों के अनुसार हल्का किया जायगा

(1) यदि प्राणदण्ड को हल्का करना हो तो इसे कठोरश्रमकारावास या कारावास के रूप में किया जायगा जिसकी अवधि आजीवन अथवा दस वर्ष से कम नहीं होगा

(2) यदि आजीवन कठोरश्रमकारावास या आजीवन कारावास दण्ड हल्का करना हो तो इसे सीमित कठोरश्रमकारावास या सीमित कारावास के रूप में किया जायगा जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी,

(3) यदि सीमित कठोरश्रमकारावास या सीमित कारावास हल्का करना हो तो इस सीमित दण्ड की अवधि को आधा कर दिया जायगा,

(4) यदि कोई बड़ा अर्थदण्ड हल्का करना हो तो इसे उसकी कुल राशि को आधा कर दिया जायगा,

(5) यदि दाण्डिक निरोध हल्का करना हो तो उसकी चरम अवधि को आधा कर दिया जायगा,

(6) यदि कोई छोटा अर्थदण्ड हल्का करता हो तो उसे उसकी कुल राशि का आधा कर दिया जायगा।

अनु० 69—जब विधि द्वारा कोई दण्ड हल्का करना हो किन्तु उससे सबद्ध अनुच्छेद दो या अधिक दण्डों का विधान करता हो, तो सबसे पहले लगाए जाने वाले दण्ड का निर्णय एवं तत्पश्चात् दण्ड का हल्काव किया जायगा।

अनु० 70—यदि कठोरश्रमकारावास कारावास या दाण्डिक निरोध को हल्का करने में पूरे एक दिन से कुछ घंटे कम पड़ें तो उनकी गणना नहीं की जायगी।

यही नियम उस दशा में लागू होगा जबकि किसी (बड़े) अर्थदण्ड या छोटे अर्थदण्ड को हल्का करने में एक सन'' का कोई भाग (भिन्न) बच रहे।

अनु 71—(दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियों के कारण दण्ड का हल्काव करने में अनुच्छेद 68 एवं पिछले अनुच्छेद के नियमों का भी अनुसरण किया जायगा।

अनु० 72—यदि दण्डों को उसी समय बढ़ाना और हल्का करना हो तो उसका अधोलिखित क्रम होगा

(1) पुनरावृत्त अपराध के लिए दण्ड में बढ़ाव,

(2) विधि द्वारा दण्ड में घटाव,

(3) अनेकापराध (हइगाजाइ) के लिए दण्ड में बढ़ाव,

(4) (दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियों के कारण दण्ड में घटाव।

———

दूसरा खण्ड—अपराध

अध्याय 1

अनु० 73 से 76 तक निकाल दिया गया।

अध्याय 2

गृहयुद्ध से संबद्ध अपराध

"नइरान नि कन्सुरु त्सुमि"

अनु० 77—प्रत्येक व्यक्ति जिसने सरकार (राज्यसत्ता) को उखाड़ फेंकने, राज्य के उपनिवेश के बलात् अभिग्रहण करने अथवा अन्य प्रकार से राष्ट्रीय संविधान के विध्वस्त करने की धारणा से कोई विद्रोह संबन्धी या राजद्रोही कृत्य किया हो, गृहयुद्ध करने का अपराधी होगा और अधोलिखित विशेषताओं के अनुसार दण्डित किया जायगा

(1) प्रधान राजद्रोहियों को प्राण दण्ड अथवा आजीवन कारावास

(2) जिन्होंने षड्यंत्रों में भाग लिया हो अथवा किसी भीड़ में अपना आदेश चलाया हो उन्हें आजीवन अथवा कम से कम तीन वर्ष का कारावास, वे जो ऐसे अनेक अन्य कृत्यों में लगे हों, उन्हें एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कारावास,

(3) विप्लव-संबंधी या राजद्रोही कृत्य में अनुधावियों अथवा केवल सम्मिलित होने वालों को अधिक से अधिक तीन वर्ष का कारावास।

पिछले परिच्छेद के समा० 3 में उल्लिखित व्यक्तियों को छोड़कर पिछले परिच्छेद के अपराध का प्रयत्न भी दण्डनीय होगा।

अनु० 78—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने गृहयुद्ध के लिए तैयारी की हो, या षड्यंत्र किया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 79—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अस्त्र-शस्त्र, धन, खाद्य-सामग्री या ऐसे अन्य कार्य से सहायता द्वारा पिछले दो अनुच्छेदों का अपराध किया हो, अधिक से अधिक सात वर्ष तक का कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 80—यदि कोई व्यक्ति जो पिछले दो अनुच्छेदों का अपराध कर चुका हो, किन्तु विप्लव के संपादन के पहले ही आत्मप्रत्याख्यान कर दे तो उसका दण्ड क्षमा कर दिया जायगा।

अध्याय 3

(बाह्य) युद्ध संबंधी अपराध

अनु० 81—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी विदेशी राज्य के साथ षड्यन्त्र किया हो और उस दश से जापान राज्य के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग कराया हो प्राणदण्ड दिया जायगा।

अनु० 82—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी विदेशी राज्य के जापान के विरुद्ध शक्ति के प्रयोग करने पर उक्त विदेशी राज्य की सेना में सैनिक सेवा के लिए प्रवेश किया हो या उसे सैनिक सहायता दिया हो, प्राण दण्ड अथवा आजीवन या कम से कम दो वर्ष का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 83 से 86 तक निकाल दिया गया।

अनु० 87—अनुच्छेद 81 एवं 82 के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 88—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अनुच्छेद 81 एवं 82 में उल्लिखित अपराधों के लिए उद्योग किया हो या षड्यन्त्र किया हो एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 89 निकाल दिया गया।

अध्याय 4

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों से संबद्ध अपराध

"कोक्को नि कन्सुरु त्सुमि"

अनु०—90 और 91 निकाल दिए गए।

अनु० 92 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी विदेशी शक्ति (देश) को अपमानित करने की धारणा से उसके राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्र के किसी अन्य प्रतीक को हानि पहुँचाया विनष्ट किया हटा दिया या धराशायी किया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या दण्ड या 200 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा किन्तु उक्त दण्ड का अभियोजन उक्त सरकार की माँग पर ही किया जायगा।

अनु० 93—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी विदेशी शक्ति के विरुद्ध निजी युद्ध करने की धारणा से तैयारियाँ की हो या उसके लिए षड्यन्त्र किया

हो तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कारावास का दण्ड दिया जायगा किन्तु आत्म प्रत्याख्यान करने पर दण्ड क्षमा कर दिया जायगा।

अनु० 94—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने दो विदेशी शक्तियों के युद्धकाल में तटस्थता के अध्यादेश का उल्लंघन किया हो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कारावास या 1000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अध्याय 5

कार्यालयीय कार्यों में बाधा डालने के अपराध

"कोमु नो शिक्को बो गाँसुरु त्सुमि"

अनु० 95—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अपना कर्तव्य करते हुए किसी लोक कर्मचारी के विरुद्ध हिंसा या धमकी का प्रयोग किया हो तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास का दण्ड दिया जायगा।

यही उस प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में लागू होगा जिसने किसी लोक कर्मचारी के विरुद्ध हिंसा या धमकी का प्रयोग उससे कोई कार्रवाई कराने या किसी कार्रवाई से विमुख करने या उसे अपने पद से त्याग-पत्र दिलाने के अभिप्राय से किया हो।

अनु० 96—(1) प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी लोक कर्मचारी द्वारा अंकित मुद्राओं या कुर्की के चिह्नों को नुकसान पहुँचाया हो या विनष्ट किया हो अथवा जिसने अन्य प्रकार से उन मुद्राओं या चिह्नों को व्यर्थ कर दिया हो दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास अथवा 300 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 96—(2) प्रत्येक व्यक्ति को जिसने संपत्ति छिपा दिया हो नुकसान किया हो विनष्ट कर दिया हो अथवा अन्तरित कर देने का बहाना किया हो अथवा अनिवार्य निष्पादन के परिहार के लिए किसी बाध्यताका रखने का बहाना किया हो दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास अथवा 1 000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 96—(3) प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी सार्वजनिक नीलामी या निविदा के संबंध में किसी कपटपूर्ण उपाय या प्रभाव से औचित्य के प्रतिकूल कोई कार्य किया हो दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 5 000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

यही उस व्यक्ति के संबंध में भी लागू होगा जिसने उचित मूल्यों को कम करने या अनुचित लाभ पाने के अभिप्राय से आपस में परामर्श किया हो।

अध्याय 6

निकल भागने (पलायन) के अपराध

"तोसो नो त्सुमि"

अनु० 97—प्रत्येक सिद्धदोष या असिद्धदोष बन्दी को, जो निकल भागे, एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 98—यदि कोई सिद्धदोष या असिद्धदोष बन्दी या व्यक्ति, जिसके विरुद्ध प्रस्तुति का अधिपत्र निष्पादित हो, निरोध-स्थान या बन्धन को तोड़कर या हिंसा या धमकी देकर, या दो या अधिक व्यक्तियों के साथ कामना उपेक्षा करके निकल भागा हो उसे तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 99—प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधि या आदेश द्वारा निरोधित किसी अन्य व्यक्ति को छुड़ा लिया हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 100—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने विधि या आदेश द्वारा निरोधित किसी अन्य व्यक्ति को निकल भगाने के अभिप्राय से ऐसे यन्त्र या साधन उपलब्ध किया हो, या उसके निकल भागने को सरल बनाने के अभिप्राय वाले अन्य प्रकार के कार्य किया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या दण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति को जिसने पिछले परिच्छेद के अभिप्राय से हिंसा का प्रयोग किया हो या धमकी दी हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 101—प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधि या आदेश द्वारा स्थानबद्ध व्यक्तियों की देखभाल या वहन के लिए उत्तरदायी हो, और उसने, उन्हें निकल भागने दिया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 102—इस अध्याय के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अध्याय 7

अपराधियों को संश्रय देने एवं साक्ष्य के अधिलंघन के अपराध

"हन्निन् जोतोकु ओयोबि शोको इन्मेत्सु नो त्सुमि"

अनु० 103—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी ऐसे व्यक्ति को आश्रय दिया हो या उसकी तलाशी में हस्तक्षेप किया हो या जिसने अर्थदण्ड या गुरुतर दण्ड द्वारा दण्डनीय अपराध किया हो अथवा जो निरोध की अवस्था में निकल भागा हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 200 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 104 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी आपराधिक अभियोग में साक्ष्य को नष्ट किया हो, जालसाजी किया हो अथवा उसे मिथ्या बनाया हो अथवा जिसने जाली या मिथ्या साक्ष्य का प्रयोग किया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 200 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 105 जब इस अध्याय के बाद अपराध अपराधी या फरार के किसी सम्बन्धी द्वारा अपराधी या फरार के लाभ के लिए किया जाय तो दण्ड क्षमा किया जा सकता है।

अध्याय 8

बल्वे का अपराध

"सोजो नो त्सुमि"

अनु० 106 वे व्यक्ति जो बड़ी संख्या में एकत्र होकर हिंसा किये हों अथवा धमकी दिये हों, बल्वे के अपराधी माने जायेंगे और उन्हें निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार दण्ड दिया जायगा

(1) सरगना को एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास दण्ड
(2) जिन्होंने दूसरों को निर्देश दिया या नेतृत्व किया एवं अशान्ति फैलाई हो, उन्हें छः मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास दण्ड
(3) जिन्होंने केवल अनुसरण किया हो उन्हें 50 येन तक का अर्थदण्ड।

अनु० 107—उन व्यक्तियों में से जो हिंसक प्रयोग करने या धमकी देने के अभिप्राय से बड़ी संख्या में एकत्र हुए हों एवं लोक-कर्मचारियों द्वारा तीन या अधिक बार तितर बितर होने के लिए आदेश दिए जाने पर भी नहीं हटे हों, सरगना को तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास एवं अन्यों को 50 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा।

अध्याय 9

आग लगाने एवं उपेक्षावश जलाने के अपराध

"होका ओयोबि शिक्का नो त्सुमि"

अनु० 108—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने मानव-निवास के रूप में प्रयुक्त अथवा जिसमें व्यक्ति हों ऐसे भवन रेलगाड़ी बिजली की कार जलयान, या कारावास खान को आग लगा कर जला दिया हो, प्राण-दण्ड या आजीवन-अथवा कम-से कम पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 109—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी भवन, रेलगाड़ी, जलयान या खान को जिसका प्रयोग, उस समय मानव-निवास के रूप में नहीं होता था, अथवा जिसमें आदमी नहीं थे आग लगा कर जला दिया हो, कम से कम दो वर्ष का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित वस्तुओं में से कोई अपराधी की निजी संपत्ति रही हो तो उसे छः मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास दण्ड दिया जायगा, किन्तु यदि कोई सार्वजनिक संकट न हुआ हो तो कोई दण्ड नहीं दिया जायगा।

अनु० 110—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो अनुच्छेदों में उल्लिखित वस्तुओं के अतिरिक्त किसी वस्तु में आग लगाकर जला दिया हो और उससे सार्वजनिक संकट उत्पन्न किया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोर-श्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित वस्तु अपराधी की निजी संपत्ति हो, तो उसे एक वर्ष तक का कठोर-श्रमकारावास दण्ड या 100 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 111—अनु० 109 परि० 2 या, पिछले अनुच्छेद के परि० 2 के अपराध-सम्पादन के फलस्वरूप यदि अनुच्छेद 108 या 109 परि० 1 में

उल्लिखित वस्तुओं तक आग फैल गई हो और उन्हें जला दिया हो तो अपराधी को तीन मास से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यदि पिछले अनुच्छेद के परि० 2 में उल्लिखित अपराध के सम्पादन के फलस्वरूप आग फैल गई हो और पिछले अनुच्छेद के परि० 1 में उल्लिखित किसी वस्तु को जला दिया हो तो अपराधी को तीन वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 112—अनु० 108 एवम् 109 परि० 1 के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 113—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अनु० 108 या 109 परि० 1 में उल्लिखित अपराध को करने के अभिप्राय से तैयारियाँ की हों, दो वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास दण्ड दिया जायगा, किन्तु परिस्थितियों के अनुसार उसको दण्ड पूर्णतः क्षमा भी किया जा सकता है।

अनु० 114—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अग्निकाण्ड के अवसर पर आग बुझाने वाले यंत्र को छिपा दिया हो नुकसान पहुँचाया हो, (विनष्ट कर दिया हो) अथवा अन्य किसी तरह से आग बुझाने में बाधा पहुँचाई हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 115—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अनु० 109 परि० 1 एवं अनु० 110 परि० 1 में उल्लिखित किसी वस्तु को जला दिया हो उस दूसरे व्यक्ति को वस्तु जलाने वाले व्यक्ति के रूप में व्यवहृत किया जायगा यदि उक्त वस्तु कुर्की के अन्दर हो, जिसका वास्तविक अधिकार निर्णीत न हो, किराए या पट्टे पर दी गई हो, या बीमाकृत हो चाहे उक्त वस्तु अपराधी की हो क्यों न हो।

अनु० 116—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने असावधानी के कारण अनु० 108 या अनु० 109 में उल्लिखित किसी वस्तु को जला दिया हो और जो अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति हो, 1,000 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा।

यही नियम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में भी लागू होगा जिसने अनु० 109 में उल्लिखित किसी वस्तु को जो उसकी निजी सम्पत्ति हो, अथवा अनु० 110 में उल्लिखित किसी वस्तु को असावधानी के कारण जला दिया हो और उससे कोई सार्वजनिक संकट उत्पन्न कर दिया हो।

अनु० 117—(1) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने बारूद (gunpowder), भाप बायलर (steam boiler) या अन्य किसी विस्फोटक वस्तु का विस्फोट किया हो और (उससे) अनु० 108 में उल्लिखित किसी वस्तु या अनु० 109 में उल्लिखित किसी वस्तु को नुकसान पहुँचाया हो या विनष्ट कर दिया हो, जो दूसरे व्यक्ति की संपत्ति रही हो, आग लगाने वाले की तरह ही दण्ड दिया जायगा। यही नियम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में लागू होगा जिसने अनु० 109 या 110 में उल्लिखित किसी वस्तु को हानि पहुँचाया हो या विनष्ट किया हो जो उसकी निजी संपत्ति रही हो, और उससे कोई सार्वजनिक संकट उत्पन्न किया हो।

यदि पिछले परिच्छेद का कोई कृत्य असावधानी के कारण हो गया हो तो उस असावधानी के कारण लगी हुई आग के कृत्य की तरह व्यवहृत किया जायगा।

अनु० 117-(2)—ऐसी दशा में जबकि अनु० 116 या पिछले अनु० के परि० 1 में उल्लिखित कार्य कर, व्यावसायिक दृष्टि से आवश्यक सावधानी की उपेक्षा या घोर उपेक्षा से हो गया हो तो अपराधी को तीन वर्ष तक का कारावास या 3,000 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा।

अनु० 118 —प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने गैस, बिजली या भाप को किसी छेद से निकलने दिया हो या बाहर प्रवाहित किया हो, या बन्द कर दिया हो और उससे दूसरों के जीवन, शरीर या संपत्ति को संकट उत्पन्न कर दिया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 100 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने गैस, बिजली या भाप को किसी छेद से निकलने दिया हो, बाहर प्रवाहित किया हो या बन्द कर दिया हो और उससे दूसरे को मार डाला हो या घायल किया हो, उपर्युक्त दण्ड एवं घायल करने के दण्ड की तुलना में जो गुरुतर दण्ड होगा दिया जायगा।

अध्याय 10

आप्लावन एवं जल के उपयोग से संबद्ध अपराध

"इसुइ ओयोबि सुइरी नि कन्सुरू त्सुमि"

अनु० 119—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने कोई आप्लावन (बाढ़) किया हो और उससे किसी भवन, रेलगाड़ी, बिजली की कार या यान को जलमग्न कर

दिया हो या क्षति पहुचाई हो जिसका उपयोग जन-आवास के रूप में होता हो या जिसमें व्यक्ति रहा हो (रह हो) प्राण दण्ड या आजीवन कारावास या कम से कम तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 120 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने आप्लावन किया हो और उससे पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित से भिन्न वस्तुओं का जलमग्न किया हो या क्षति पहुँचाई हो और इस प्रकार कोई जन सकट उपस्थित कर दिया हो एक वर्ष से दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यदि आप्लावन से क्षत वस्तु अपराधी की निजी सपत्ति हो तो पिछले अनुच्छेद का दण्ड केवल उसी दशा में लागू होगा जबकि उक्त वस्तु कुर्की में हो वास्तविक अधिकार के विवाद में हो भाड़े पर दी गई हो पट्टे पर दी गई हो या बीमाकृत हो।

अनु० 121—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने आप्लावन के समय उसे दूर करने में उपयोगी किसी वस्तु को छिपा दिया हो क्षति पहुचाई हो या नष्ट किया हो या किसी दूसरी तरह से आप्लावन के लिए प्रयुक्त क्रिया को निराकृत किया हो एक वर्ष से दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 122—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने प्रमादवश कोई आप्लावन कर दिया हो और उससे अनु० 119 में लिखित किसी न किसी वस्तु को क्षति पहुँचाई हो या जिसने (उसी तरह) अनु० 120 में लिखित किसी वस्तु को क्षति पहुचाई हो एव उससे कोई जन सकट उपस्थित किया हो 300 यन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 123—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी भराव या बाँध को तोड़ दिया हो किसी प्रणाली (मोरी) को नष्ट किया हो या पानी के उपयोग को रोकने अथवा बाढ़ या आप्लावन करने के आशय से कोई अन्य कार्य किया हो दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास अथवा 200 यन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अध्याय 11

यातायात में अवरोध पहुँचाने से संबद्ध अपराध

"ओराइ वो वोगाइ-सुरु त्सुमि"

अनु० 124—प्रत्येक व्यक्ति को, जो स्थल या जल से किसी सड़क को हानि पहुँचा कर, नष्ट करके या अवरुद्ध करके या किसी पुल को तोड़ कर यातायात बाधित किया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 200 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले परिच्छेद के अपराध को करने में किसी अन्य व्यक्ति को घायल किया हो या मार डाला हो, उक्त दण्ड एवं घायल करने के दण्ड की तुलना में गुरुतर दण्ड से दण्डित किया जायगा।

अनु० 125—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने रेलवे या उसके सिगनल (केतु, signal) को क्षति पहुँचाई हो या नष्ट किया हो या अन्य प्रकार से ट्रेन या बिजली की कार के यातायात को खतरा पैदा किया हो, कम से कम दो वर्ष तक के सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दण्डित किया जायगा।

यही नियम उन व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होगा जिन्होंने किसी लाइट हाउस (light house) या बाया (buoy) को नुकसान पहुँचाया हो या नष्ट किया हो अथवा दूसरी तरह से नौपरिवहन यातायात को खतरा पैदा किया हो।

अनु० 126—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी रेलगाड़ी या बिजली की कार को, जिसमें आदमी रहे हों, स्खलन (upset) किया हो, या नष्ट किया हो, आजीवन या कम से कम तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही नियम उस व्यक्ति के संबंध में भी लागू होगा जिसने किसी जलयान को, जिसमें आदमी रहे हों, डुबा दिया हो या विनष्ट किया हो।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो परिच्छेदों के अपराधों के करने में किसी अन्य व्यक्ति का प्राणान्त कर दिया हो, प्राण-दण्ड या आजीवन कठोरश्रमकारावास के दण्ड से दण्डित किया जायगा।

अनु० 127—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अनु० 125 का अपराध किया हो और उससे किसी रेलगाड़ी या बिजली की कार का स्खलन कर दिया हो या

किसी जलयान को डुबा दिया हो या विनष्ट कर दिया हो, पिछले अनुच्छेद में विहित व्यवस्था के अनुसार दण्डित किया जायगा।

अनु० 128—अनु० 124 परि० 1 अनु० 125 तथा अनु० 126 परि० 1 और 2 में निर्दिष्ट अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 129—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने असावधानी के कारण किसी रेलगाड़ी या बिजली की कार या जलयान-यातायात को खतरा पहुँचाया हो या किसी रेलगाड़ी या बिजली की कार को ध्वस्त किया हो या उन्हें विनष्ट किया हो या किसी जलयान को डुबा दिया हो या विनष्ट किया हो, अधिक से अधिक 500 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

यदि पिछले परि० का कोई अपराधी यातायात के उपयुक्त व्यापार में लगा हो तो उसे तीन वर्ष तक का कारावास दण्ड या 1000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अध्याय 12

अतिचार (Trespass) के अपराध

"जुस्यो वो ओकसु त्सुमि"

अनु० 130—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने बिना किसी कारण के किसी वास-गृह या आरक्षित स्थान, भवन या जलयान का अतिचार किया हो या माँग करने पर उस स्थान को छोड़ न दिया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष का कठोरश्रमकारावास दण्ड या 50 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा।

अनु० 131—निरस्त किया गया।

अनु० 132—अनु० 130 के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अध्याय 13

गोपनीयता उल्लंघन के अपराध

"हिमित्सु वो ओकसु त्सुमि"

अनु० 133—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने बिना किसी उचित कारण के किसी मुहरबन्द पत्र को खोल दिया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष का कठोर-श्रमकारावास दंड अथवा 200 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 134—प्रत्येक व्यक्ति को जो कोई वैद्य-चिकित्सक औषधकारक औषधिनिर्माता धात्री वकील (विधिज्ञ), परामर्शदाता या लेख्यप्रमाणक (notary) हो या रह चुका हो तथा जिसने बिना किसी कारण के किसी अन्य व्यक्ति का कोई गोपनीय रहस्य खोल दिया हो जो कि उसकी जानकारी में अपने व्यवसाय के अनुसरण संबंधी किसी तथ्य में आया हो, अधिक से अधिक छः मास तक का कठोरश्रमकारावास या 100 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जाएगा।

यही नियम प्रत्येक उस व्यक्ति के संबंध में भी लागू होगा जो किसी ऐसे व्यवसाय में लगा हो या रह चुका हो जो धर्म या आराधना से संबद्ध हो और जिसने किसी ऐसे व्यक्ति का रहस्य खोल दिया हो जो व्यक्ति उसकी जानकारी में अपने व्यवसाय के अनुसरण संबन्धी किसी तथ्य में आया हो।

अनु० 135—इस अध्याय में निर्दिष्ट अपराध की कार्यवाही परिवाद (complaint) पर ही की जाएगी।

अध्याय 11

अफीम-तम्बाकू से संबद्ध अपराध

"अहेन-तबको नि कन्सुरु त्सुमि"

अनु० 136—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अफीम-तम्बाकू का आयात किया हो निर्माण या विक्रय किया हो या विक्रय के अभिप्राय से अपने पास रखा हो, छः मास से सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 137 प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अफीम-तम्बाकू पीने के उपयोग में आने वाले किसी उपकरण का आयात, निर्माण या विक्रय किया हो, या विक्रय के अभिप्राय से अपने पास रखा हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 138—कोई भी सीमा-शुल्क कर्मचारी जिसने अफीम-तम्बाकू अथवा अफीम-तम्बाकू पीने में उपयोगी किसी उपकरण का आयात किया हो या आयात की अनुज्ञा दी हो, उसे एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोर-श्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 139—अफीम-तम्बाकू पीने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अपने लाभ के निमित्त अफीम पीने के लिए कोई स्थान प्रदान किया हो छः मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रम कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 140—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अफीम तम्बाकू पीने का कोई उपकरण रखा हो अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 141 इस अध्याय के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अध्याय 15

पेय जल से सम्बद्ध अपराध

"इन्रियेसुइ नि कन्-सुरु त्सुमि"

अनु० 142—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने जनता के पीने के शुद्ध जल को दूषित किया हो या उक्त जल को अनुपयोगी कर दिया हो अधिक से अधिक छः मास का कठोरश्रमकारावास या 50 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा।

अनु० 143—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने जनता को पीने के लिए जलघर या अन्य किसी स्थान से सम्भरित (Supplied) शुद्ध जल को दूषित किया हो या उसे अनुपयोगी बना दिया हो छः मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोर श्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 144—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने पीने के साफ पानी में विष या अन्य कोई जन-स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाला पदार्थ मिला दिया हो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 145—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने पिछले तीन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट में से किसी अपराध को किया हो और उससे किसी अन्य व्यक्ति को घायल किया हो या मार डाला हो उक्त हत्या एवं घायल करने के दण्ड की तुलना में जो गुरुतर दण्ड होगा दिया जायगा।

अनु० 146 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने जलघर या अन्य स्थान से जनता को पीने के लिए पहुँचाए जाने वाले शुद्ध जल में विष या अन्य कोई हानिकारक पदार्थ मिला दिया हो जिससे जन-स्वास्थ्य को हानि पहुँचे कम से कम दो वर्ष का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा। यदि उसने उससे किसी का प्राण ले लिया हो तो उसे प्राण-दण्ड अथवा आजीवन या कम से कम पाँच वर्ष का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 147—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जनता के पेय जल की साफ जल-नली (Water main) को नुकसान पहुँचाया हो, विनष्ट किया हो या अवरुद्ध किया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अध्याय 16

जाली सिक्के बनाने के अपराध

"त्सुक—गिजो नो त्सुमि"

अनु० 148—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी चालू सिक्के, कागजी मुद्रा या बैंकनोट के बदले जाली सिक्के आदि चलाने के आशय से जाली बनाए हों, आजीवन या कम से कम तीन वर्ष का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होगा जिसने जाली सिक्के चलाए हों या सिक्का, कागजी मुद्रा या बैंकनोट में परिवर्तन कर दिया हो या इसे चलाने के अभिप्राय से वितरित किया हो या आयात किया हो।

अनु० 149—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी विदेशी सिक्के, कागजी मुद्रा या बैंक-नोट को, जो इस देश में परिचालित हों, चलाने के अभिप्राय से उसके बदले जाली तैयार किया हो या उसमें परिवर्तन किया हो, कम से कम दो वर्ष का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही (दण्ड) प्रत्येक उस व्यक्ति के सम्बन्ध में भी लागू होगा जिसने जाली या परिवर्तित सिक्के, कागजी मुद्रा या बैंक नोट आदि को चलाया हो या जिसने इसके परिचालन के अभिप्राय से इसे वितरित किया हो या इसका आयात किया हो।

अनु० 150—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने परिचालन के अभिप्राय से जाली या परिवर्तित सिक्का, कागजी मुद्रा, या बैंक नोट लिया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 151—पिछले तीन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 152—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जानबूझ कर जाली सिक्का, कागजी मुद्रा या बैंक नोट लेकर परिचालन के अभिप्राय से चलाया हो या वितरित किया हो, गुरु अर्थ-दण्ड या लघु अर्थ-दण्ड, जो 1 येन से लेकर उस सिक्के या कागजी मुद्रा या बैंक नोट के तीन गुने तक का होगा, दिया जायगा।

किसी लोक-कार्यालय या लोक-कर्मचारी द्वारा निर्मित होने चाहिए अथवा किसी लोक-कार्यालय या लोक-कर्मचारी द्वारा निर्मित किसी लेख्य या मानचित्र में हेर-फेर किया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रम कारावास या 300 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 156 प्रत्येक लोक-कर्मचारी को, जिसने चालू करने के अभिप्राय से तथा अपनी दफ्तरी कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई जाली लेख्य या मानचित्र बनाया हो अथवा किसी लेख्य या मानचित्र में हेरफेर किया हो, उसी रूप में व्यवहृत किया जायगा जैसा कि पिछले दो अनुच्छेदों में निर्दिष्ट है, अन्तर केवल उन पर मुहर या हस्ताक्षर के रहने या न रहने के अनुसार किया जायगा।

अनु० 157 प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने किसी लोक-कर्मचारी के समक्ष कोई गलत विवरण दिया हो और उसके द्वारा किसी अधिकार या कर्तव्य से सम्बद्ध प्रमाणित विलेख (authenticated deed) के मौलिक पत्र में कोई गलत इन्दराज करा दिया हो अधिक से अधिक पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम कारावास या 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने किसी लोक-कर्मचारी के समक्ष असत्य विवरण दिया हो और उससे किसी अनुमति या अनुज्ञा-पत्र अथवा पारपत्र (passport) में गलत इन्दराज करा दिया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास अथवा 300 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

पिछले दो परिच्छेदों में निर्दिष्ट अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 158—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले चार अनुच्छेदों में निर्दिष्ट किसी लेख्य या मान-चित्र को चलाया हो, वही दण्ड दिया जायगा जो उस व्यक्ति को दिया जाता, जिसने उक्त लेख्य या मानचित्र की जालसाजी की हो या उसमें हेरफेर किया हो या कोई मिथ्या लेख्य या मानचित्र बनाया हो या कोई गलत इन्दराज कराया हो।

पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट अपराध के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 159—प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने चलाने के अभिप्राय से, किसी अधिकार, कर्तव्य या तथ्य के प्रमाणन से सम्बद्ध किसी लेख्य या मानचित्र की जालसाजी, किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर या मुहर के प्रयोग से किया हो अथवा जिसने अधिकार, कर्तव्य या तथ्य के प्रमाणन से सम्बद्ध किसी लेख्य या मानचित्र की जालसाजी, अन्य व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर या जाली मुहर के प्रयोग से किया

से तीन मास से लेकर पांच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

यही नियम प्रत्येक उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जिसने किसी लेख्य या चित्र (मानचित्र) में हेरफेर किया हो जो अधिकार कर्तव्य या किसी तथ्य के प्रमाणन से संबद्ध हो तथा जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर हो।

पिछले दो परिच्छेदों में आने वाली दशाओं के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अधिकार कर्तव्य या किसी तथ्य के प्रमाणन से संबद्ध लेख्य या चित्र (मानचित्र) की जालसाजी या उसमें हेर-फेर किया हो अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास अथवा 100 युन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 160 प्रत्येक उस चिकित्सक को जिसने किसी राज कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र शव-परीक्षा प्रमाणपत्र या मृत्यु प्रमाणपत्र में गलत इन्दराज किया हो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कारावास या 500 युन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 161 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने पिछले दो अनुच्छेदों में निर्दिष्ट लेख्य या चित्र (मानचित्र) को चलाया हो वही दण्ड दिया जायगा जो लेख्य या चित्र (मानचित्र) की जालसाजी या उसमें हेर-फेर करने वाले या गलत इन्दराज करने वाले को विहित है।

पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अध्याय 18

मूल्यवान ऋणपत्रों (जमानता) (Valuable Securities) की जालसाजी के अपराध

'युकशाकेन गिजो नो त्सुमि

अनु० 162 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने परिचालन के अभिप्राय से किसी राज-कोषपत्र किसी राज-कार्यालय के ऋणपत्र किसी कम्पनी के अंशप्रमाणपत्र (Share certificate) या अन्य किसी मूल्यवान ऋणपत्र की जालसाजी या उसमें हेर-फेर किया हो तीन मास से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रम कारावास का दण्ड दिया जायगा।

यही नियम उस व्यक्ति पर भी लागू होगा, जिसने चलाने के अभिप्राय से किसी मूल्यवान जमानत (Valuable Security) या ऋण-पत्र में कोई गलत इन्दराज किया हो।

अनु० 163 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी जाली या परिवर्तित मूल्यवान ऋणपत्र (जमानत) या ऐसे ऋणपत्र को चलाया हो जिसमें कोई गलत इन्दराज हुआ हो, या चालू करने के अभिप्राय से ऐसे ऋणपत्र को अन्य किसी को वितरित किया हो या उसका आयात किया हो तीन मास से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

पिछले परिच्छेद के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अध्याय 19

मुद्राओं (मुहरों) की जालसाजी के अपराध

"इन्शो-गिज़ो नो त्सुमि"

अनु० 164—परिचालन के अभिप्राय से, जाली राज्य-मुद्रा, राज्य की महामुद्रा या इम्पीरियल साइन मैनुएल का प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दो वर्ष का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही दण्ड उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जिसने राज्य-मुद्रा, राज्य की महा-मुद्रा या इम्पीरियल साइन मैनुएल का अनुचित प्रयोग किया हो, अथवा जिसने जाली राज्य मुद्रा, राज्य की महामुद्रा या इम्पीरियल साइन मैनुएल का प्रयोग किया हो।

अनु० 165—परिचालन के अभिप्राय से, किसी लोक-कार्यालय की मुहर की जालसाजी करने वाले या लोक-कर्मचारी के जाली हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

यही दण्ड उस व्यक्ति के सबन्ध में भी लागू होगा, जिसने किसी लोक-कार्यालय की मुहर या लोक-कर्मचारी के हस्ताक्षर का अनुचित प्रयोग किया हो अथवा जिसने लोक-कार्यालय की जाली मुहर या लोक कर्मचारी के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया हो।

अध्याय 21

मिथ्या अभियोग के अपराध

"फुकोकु नो त्सुमि"

अनु० 172—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अन्य व्यक्ति पर आपराधिक या आनुशासनिक दण्ड आरोपित कराने के अभिप्राय से गलत सूचना दी हो, वहीं दण्ड दिया जायगा जो अनु० 169 में विहित है।

अनु० 173 पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराध करने वाला व्यक्ति, यदि उस वाद के सबंध में जिसमें उसने गलत सूचना दी हो, निर्णय के अटल होने अथवा अनुशासनीय कारवाई किए जाने के पहले ही प्रत्याख्यान कर देता उसका दण्ड हल्का या क्षमा किया जा जा सकता है।

अध्याय 22

अश्लीलता, बलात्कार तथा द्विपत्नीत्व के अपराध

"वैसेत्सु, कनिन ओयोबि जुकोन नो त्सुमि"

अनु० 174—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने सार्वजनिक रूप से कोई अश्लील कृत्य किया हो अधिक से अधिक छ मास तक का कठोरश्रमकारावास, या 500 येन तक का अर्थ दण्ड या दाण्डिक निरोध या लघु अर्थ दण्ड दिया जायगा।

अनु० 175—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अश्लील पुस्तक (लेख), चित्र या अन्य वस्तु का वितरण या विक्रय किया हो या सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन किया हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 5,000 येन तक का अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड दिया जायगा। यही दण्ड उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जो विक्रय के अभिप्राय से उक्त वस्तुओं को अपने पास रखे हो।

अनु० 176—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने बलात् या धमकी देकर कम से कम तरह वर्ष के किसी नर या नारी के साथ कोई अभद्र कृत्य किया हो, छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा। यही नियम उस व्यक्ति के साथ भी लागू होगा जिसने तरह वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की के साथ अभद्र कृत्य (indecent act) किया हो।

अनु० 177—प्रत्येक व्यक्ति, जिसने बलात् या धमकी देकर कम से कम तेरह वर्ष की किसी औरत के साथ सभाग किया हो, बलात्कार (rape) का

1,000 येन तक का अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड दिया जायगा, किन्तु यह उस दशा में नहीं लागू होगा जब कि दाव क्षणिक मनोरंजन के लिए अभिप्रेत हो।

अनु० 186—प्रत्येक व्यक्ति को जो नियमित अभ्यास के रूप में जुआ खेलने या पण (दाव) लगाने में आसक्त हो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति को जिसने कोई द्यूत-गृह खोल रखा हो या जुआरियों को एकत्र किया हो और उससे लाभ उठाया हो तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम कारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 187—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने लाटरी टिकट बेचा हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 3,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति को जिसने लाटरी टिकट के विक्रय में मध्यस्थ (अभिकर्ता, एजेण्ट) का काम किया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास या 2,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने, पिछले दो परिच्छेदों में अन्तर्भूत दशाओं के अतिरिक्त कोई लाटरी टिकट दिया हो या लिया हो, अधिक से अधिक 3,000 येन तक का अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड दिया जायगा।

अध्याय 24

पूजा-स्थानों एवं समाधियों से संबद्ध अपराध

"रेईहेशो ओयोबि फुन्बो नि कन्-सुरु त्सुमि"

अनु० 188—प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी शिन्तो चैत्य, बौद्ध-मन्दिर, कब्रिस्तान या किसी अन्य पूजा-स्थल के प्रति सार्वजनिक रूप से कोई अपमान-जनक कार्य किया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कारावास या कठोरश्रम-कारावास या 100 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 189—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी समाधि (कब्र) से शव-उत्खनन किया हो अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रम कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 190—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी शव, अस्थियों या मृत व्यक्ति के केशों या शव-पेटिका (coffin) में प्रदत्त किसी वस्तु को क्षति पहुँचाया हो, नष्ट कर दिया हो, परित्यक्त कर दिया हो या अधिकार में कर लिया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 191—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अनु० 189 में निर्दिष्ट अपराध किया हो और किसी शव, अस्थियों, मृत व्यक्ति के केशों या शव-पेटिका में प्रदत्त किसी अन्य वस्तु को क्षति पहुँचाया हो, नष्ट किया हो या परित्यक्त किया हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 192—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अस्वाभाविक रूप से मृत व्यक्ति की शव-परीक्षा कराए बिना ही दफना दिया हो, अधिक से अधिक 50 येन तक का अर्थदण्ड या कोई लघु अर्थदण्ड दिया जायगा।

अध्याय 25

कार्यालयीय भ्रष्टाचार के अपराध

"तोकुशोकु नो त्सुमि"

अनु० 193—प्रत्येक लोक-कर्मचारी को, जिसने अपने अधिकार का अनुचित प्रयोग किया हो और किसी व्यक्ति से ऐसा कार्य कराया हो जिसे करने के लिए वह बाध्य न हो अथवा उसे अपने समुचित अधिकार के प्रयोग करने से रोका हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 194—न्यायिक, अभियोगिक या पुलिस के कृत्य में सहायता पहुँचाते हुए अथवा उसको कार्यान्वित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग करके किसी व्यक्ति को बन्दी कर लिया हो या निरुद्ध कर लिया हो, छः मास से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 195—न्यायिक, अभियोगिक या पुलिस के कार्य में सहायता पहुँचाते हुए या उसे कार्यान्वित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने कर्तव्य के पालन में किसी आपराधिक अभियुक्त या अन्य व्यक्ति के प्रति कोई हिंसा या

क्रूरता का काय किया हो अधिक स अधिक सात वप तक का कठारश्रम कारावास या कारावास का दण्ड दिया जायगा।

यही दण्ड उस व्यक्ति के सबध में भी लागू हागा जिसन विधि या अध्यादश द्वारा परिरुद्ध किसी व्यक्ति के प्रति जिसकी वह रखवाली कर रहा हा या न्यायाथ ले जा रहा हो हिंसा या क्रूरतापूण काय किया हा।

अनु० 196—प्रत्यक व्यक्ति का जिसन पिछले दो अनुच्छदा में निर्दिष्ट काइ अपराध किया हा और उसस किसी अन्य व्यक्ति की हत्या की हा या घायल किया हो घायल करन के दण्ड एव उक्त दण्ड की तुलना में प्राप्त गुरुतर दण्ड दिया जायगा।

अनु० 197—यदि किसी लोक कमचारी या विवाचक (मध्यस्थ) ने अपने कत्तव्य क सबध में उत्कोच (घूस) लिया हा माँगा हो या लेने की प्रतिज्ञा की हा तो उसे अधिक स अधिक तीन वप तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा यदि याचना के बाद स्वीकार किया हो ता उसे पाँच वप तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

उस दशा में जबकि किसी व्यक्ति ने लोक-कमचारी या विवाचक हाने के अभिप्राय स अपन कत्तव्य के सबध में याचना की स्वीकृति पर उत्कोच लिया हो या उसका माग की हो ता उस जब वह लाक-कमचारी या विवाचक होता है अधिक स अधिक तीन वप तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 197–(2)—उस दशा में जब कि किसी लाक-कमचारी या विवाचक न अपन कत्तव्य क सबध में किसी तीसरे पक्ष को, प्राथना की स्वीकृति पर घूस दने क लिए प्ररित किया हा माँग किया हा या प्रतिज्ञा का हा ता उस अधिक स अधिक तीन वप तक का कठारश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 197–(3)—उस दशा में जब कि काइ लाक कमचारी या विवाचक पिछले दो अनुच्छदा में निर्दिष्ट अपराधा को करने क बाद काई अनुचित काय करता है या काइ उचित काय छाड देता (नहा करता) है, उस कम स कम एक वप का सामित कठारश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही नियम उस दशा में भी लागू हागा जब कि किसी लाक-कमचारी या विवाचक न अपन कत्तव्य-पालन में किसी अनुचित काय क लिए जान या उचित काय क छाड दन क सबध म घूस लिया हा माँगा हा या लन का प्रतिज्ञा का हा अथवा किसी तीसर पक्ष का दन क लिए प्ररित किया हा माँग का हा या प्रतिज्ञा का हो।

उस दशा में जब कि कोई व्यक्ति लोक कर्मचारी या विवाचक रहा हो और जिसने अपने कार्यकाल में प्रार्थना की स्वीकृति पर किसी अनुचित कार्य के करने या उचित कार्य के न करने के समय में घूस लिया हो मांगा हो या लेने की प्रतिज्ञा की हो तो उसे अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 197 (4)—अभियुक्त द्वारा या परिस्थितियों के ज्ञान रखने वाले किसी तीसरे पक्ष द्वारा लिया गया घूस जब्त कर लिया जायगा, उस दशा में जब कि घूस का पूरा या कोई भाग जब्त न हो सके तो उसके बराबर की अतिरिक्त मुद्रा वसूल कर ली जायगी।

अनु० 198 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अनु० 197 से 197 (3) तक के अनुच्छेदों में निर्दिष्ट घूस किसी लोककर्मचारी या विवाचक को दिया हो निवेदन किया हो या देना स्वीकार किया हो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 5 000 यन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

यदि पिछले परिच्छेद के अपराधों का कोई अभियुक्त अपना प्रत्याख्यान कर दिया हो तो उसका दण्ड हल्का या क्षमा कर दिया जायगा।

अध्याय 26

मानव-वध के अपराध

"सत्सुजिन नो त्सुमि"

अनु० 199 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को मार डाला हो प्राण-दण्ड या आजीवन या कम से कम तीन वर्ष का कठोरश्रम कारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 200—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अपने किसी पूर्वपुरुष या अपने विवाहित जोड़े के पूर्वपुरुष को मार डाला हो प्राण-दण्ड या आजीवन कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 201—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने पिछले दो अनुच्छेदों में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी एक को करने के अभिप्राय से तैयारी की हो अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा किन्तु परिस्थितियों के अनुसार उसका दण्ड क्षमा भी किया जा सकता है।

अनु० 202—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया हो या अन्य व्यक्ति की प्रार्थना पर या उसकी सम्मति से उसे मार डाला हो या उसमें सहायता पहुँचाई हो छः मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 203 अनु० 199 अनु० 200 तथा पिछले अनुच्छेद के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अध्याय 27

घायल करने का अपराध

"शोगाइ नो त्सुमि"

अनु० 204 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अन्य किसी व्यक्ति को घायल कर दिया हो अधिक से अधिक दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 500 येन तक का अर्थदण्ड या कोई लघु अर्थदण्ड दिया जायेगा।

अनु० 205— प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य किसी व्यक्ति को घायल कर दिया हो और उससे उसकी हत्या कर दी हो, कम से कम दो वर्ष का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

उस दशा में जबकि यह अपराध अपराधी के वंशीय पूर्वज के प्रति या विवाहित जोड़े के प्रति हुआ हो तो अपराधी को आजीवन या कम से कम तीन वर्ष का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 206—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने पिछले दो अनुच्छेदों में निर्दिष्ट अपराधों के करते समय अपराधी को उत्साहित किया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 50 येन तक का अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड दिया जायगा भले ही उसने किसी को घायल न किया हो।

अनु० 207 यदि दो या अधिक व्यक्तियों ने किसी अन्य व्यक्ति पर शस्त्र-प्रयोग किया हो और ऐसा करके उन्होंने उस व्यक्ति को घायल कर दिया हो तो उन्हें वैसे ही व्यवहृत किया जायगा, जैसा कि सहापराधिता के सबध में किया जाता है चाहे उन्होंने सामूहिक रूप से कार्य न किया हो, यदि चोटों की सापेक्ष-गम्भीरता का निर्णय असम्भव हो अथवा यह जानना असम्भव हो कि वस्तुतः चोटें किस व्यक्ति द्वारा पहुँचाई गईं।

श्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा। यदि उस (गर्भपात) से वह मर जाय या घायल हो जाय तो उसका दण्ड तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास होगा।

अनु० 214—*किसी भी वैद्य दाई औषधकारक या ड्रगिस्ट को*, जिसने किसी स्त्री का गर्भपात उसकी प्रार्थना पर या उसकी सम्मति से कराया हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा। यदि इस (गर्भपात) से वह मर जाय या घायल हो जाय तो दण्ड छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास होगा।

अनु० 215—*प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी स्त्री का गर्भपात, बिना उसकी प्रार्थना पर या बिना सम्मति से कराया हो, छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।*

पिछले परिच्छेद में लिखित अपराध का प्रयत्न भी दण्डनीय होगा।

अनु० 216—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराध किया हो और उसमें उसने किसी स्त्री की हत्या कर दी हो या चोट पहुँचाई हो तो उक्त दण्ड एवं चोट पहुँचाने के दण्ड की तुलना करने पर जो गुरुतर दण्ड होगा, वही दिया जायगा।

अध्याय 30

अभित्याग के अपराध

"इकि नो त्सुमि"

अनु० 217—*प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने सहायता की अपेक्षा के समय, अन्य व्यक्ति का अभित्याग, वृद्धता, बालकपन, कुरूपता या रोग के कारण कर दिया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।*

अनु० 218—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी वृद्ध, बालक, कुरूप या रुग्ण व्यक्ति का, जिसकी उसे रक्षा करनी चाहिए, अभित्याग कर दिया हो या उक्त व्यक्ति को जीवित रहने के लिये अपेक्षित संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहा हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

यदि यह अपराध अपराधी के किसी वंशीय पूर्वज या उसके विवाहित जोड़े में से किसी के प्रति किया गया हो तो अपराधी को छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 219—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो अनुच्छेदों में निर्दिष्ट में से किसी अपराध को करके किसी व्यक्ति को मार डाला हो या चोट पहुँचायी हो, उक्त दण्ड एवं चोट पहुँचाने के दण्ड की तुलना में जो गुरुतर दण्ड होगा, दिया जाएगा।

अध्याय 31

(अवैध) बन्दीकरण एवं परिरोध के अपराध

"तइहो आयोयि कन्किन् नो त्सुमि"

अनु० 220—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को अवैध रूप से बन्दी कर लिया हो या परिरुद्ध कर लिया हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा। यदि यह अपराध अपराधी के किसी वंशीय पूर्वज या उसके विवाहित जोड़े में से किसी के प्रति किया गया हो तो अपराधी को छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 221—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराध को करने में किसी व्यक्ति को मार डाला हो या चोट पहुँचायी हो, तो उक्त अपराध एवं चोट पहुँचाने के अपराध की तुलना में जो गुरुतर दण्ड होगा, वही दिया जाएगा।

अध्याय 32

अभित्रास के अपराध

"क्योहकु नो त्सुमि"

अनु० 222—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति को, उसके जीवन, शरीर, स्वतन्त्रता, ख्याति या सम्पत्ति को हानि पहुँचाने की धमकी दी हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 500 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा।

हानि पहुँचाया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या सामान्य कारावास अथवा 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा।

किसी भी मृत-व्यक्ति की ख्याति को हानि पहुँचाने वाले व्यक्ति को तब दण्डित नहीं किया जाएगा जब तक कि उक्त हानि असत्य रूप से न की गई हो।

अनु० 230–(2)—जब पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 के कार्य को, जनहित एवं जनता के लाभ सवर्धन के एकमात्र उद्देश्य से सबद्ध तथ्यों के अभियोजन में किया गया समझा जाएगा तो उक्त अपराध दण्डनीय नहीं होगा, यदि तथ्यों की छान-बीन में उक्त कार्य की सत्यता सिद्ध हो जाए।

पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट उपबन्ध के विनियोग में, किसी अपराध-कार्य से सबद्ध तथ्यों को, जो कार्य कि उस व्यक्ति द्वारा सपादित हो जो उस विषय में अभियोजित न किया गया हो, सार्वजनिक हित से सबद्ध तथ्य के रूप में समझा जाएगा।

जब पिछले अनुच्छेद के परि० 1 का कार्य, किसी लोक-कर्मचारी या किसी निर्वाचनीय लोक-कार्यालय के उम्मीदवार के विषय से सबद्ध तथ्यों के अभियोजन में किया गया हो तो उक्त कार्य दण्डनीय नहीं होगा, यदि छानबीन होने पर उक्त कार्य की सत्यता सिद्ध हो चुकी हो।

अनु० 231—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी व्यक्ति का बिना तथ्यों के अभियोजन के ही सार्वजनिक रूप से अपमानित किया हो, दाण्डिक निरोध या लघु अर्थदण्ड दिया जाएगा।

अनु० 232—इस अध्याय के सभी अपराधों पर कार्यवाही परिवाद पर ही की जाएगी।

यदि परिवाद को करने वाला सम्राट् (Emperor) सम्राज्ञी (Empress) विधवा महा सम्राज्ञी (Grand Empress Dowager) या विधवा सम्राज्ञी (Empress Dowager) या सम्राजीय उत्तराधिकारी (Imperial Heir) हो तो परिवाद प्रधानमन्त्री को उनकी तरफ से करना होगा; और यदि परिवाद-कर्ता कोई विदेशी अधिराज (Sovereign) या राष्ट्रपति (President) हो तो उसका प्रतिनिधि इसे उसकी तरफ से करेगा।

अनु० 238—प्रत्येक चोर, जिसने कोई संपत्ति चुराकर, उस चुराई हुई संपत्ति की पुन प्राप्ति को रोकने, बन्दीकरण से बचने या अपराध के चिन्हों को लुप्त करने के लिए बल-प्रयोग किया हो या धमकी दी हो, लूट का अपराधी होगा।

अनु० 239—प्रत्येक व्यक्ति जिसने अन्य व्यक्ति की संपत्ति को उसे बेहोशी (मूर्छा) में करके चुरा लिया हो, लूट का अपराधी होगा।

अनु० 240—यदि किसी लुटेरे ने किसी व्यक्ति को घायल किया हो तो उसे आजीवन या कम से कम सात वर्ष का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा, यदि उसने किसी की हत्या कर डाली हो तो उसे प्राण-दण्ड या आजीवन कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 241—यदि किसी लुटेरे ने किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया हो तो उसे आजीवन या कम से कम सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 242—इस अध्याय के अपराधों से संबद्ध व्यवस्थाओं (उपबन्धों) के विनियोग में वह संपत्ति जो किसी लोक-कार्यालय के आदेशानुसार किसी व्यक्ति के अधिकार में हो या उसकी देखभाल में हो, उसी व्यक्ति की मानी जाएगी चाहे उस पर भले ही दूसरे का स्वामित्व हो।

अनु० 243—अनुच्छेद 235, 236 तथा 238 से 241 तक के अनुच्छेदों के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 244—अनुच्छेद 235 के अपराध का या उसके प्रयत्न का दण्ड, जो कि अपराधी द्वारा अपने वंशीय रक्त-संबन्धी, विवाहित जोड़े, या उसी घर में साथ रहने वाले किसी संबन्धी के विरुद्ध किया गया हो, क्षमा कर दिया जाएगा; किन्तु यदि अपराध अन्य संबन्धियों के विरुद्ध किया गया हो तो उसकी कार्यवाही परिवाद पर ही की जाएगी।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था, उन संयुक्त अपराधियों के संबंध में लागू नहीं होगी, जो संबन्धी न हों।

अनु० 245—इस अध्याय के अपराधों से संबद्ध की प्रयुक्ति में बिजली को संपत्ति माना जायगा।

अध्याय 37

धोखेबाजी (Fraud) और भयादोहन (Blackmail; दबाव से ऐंठने) के अपराध

'सगि ओयोनि क्योकत्सु नो त्सुमि"

अनु० 246 दूसरे व्यक्ति को धोखा देनेवाले और उस धोखे से उसकी सम्पत्ति ले लेनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

यही व्यवस्था उस व्यक्ति के सम्बन्ध में भी लागू होगी जिसने पिछले परिच्छेद के ढंग से कोई अवैध आर्थिक लाभ लिया हो या लेने के लिए प्रेरित किया हो।

अनु० 247—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने दूसरे व्यक्ति के लिये व्यवसाय का प्रबन्ध करने में अपने या किसी तीसरे के अभीष्ट साधन या अपने स्वामी की हानि करने के अभिप्राय से अपने कर्तव्योल्लंघन का कोई काम किया हो और उससे अपने स्वामी को आर्थिक हानि की हो, पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम कारावास या 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा।

अनु० 248—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी अल्पवयस्क की अपरिपक्व बुद्धि या किसी व्यक्ति के निर्बल मस्तिष्क का अनुचित लाभ उठाते हुए उसकी सम्पत्ति ले लिया हो या अवैध आर्थिक लाभ लिया हो या किसी तीसरे पक्ष से प्राप्त करवाया हो, दस वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 249 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी व्यक्ति को आतंकित करके उसे अपनी सम्पत्ति देने को बाध्य किया हो, दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

यही नियम उस व्यक्ति के सम्बन्ध में भी लागू होगा जिसने पिछले परिच्छेद के ढंग से किसी से स्वयं अवैध आर्थिक लाभ लिया हो या किसी तीसरे पक्ष को लेने के लिए उकसाया हो।

अनु० 250—इस अध्याय के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 251—अनुच्छेद 242, 244 तथा 245 की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ इस अध्याय के अपराधों के सम्बन्ध में भी लागू होंगी।

अध्याय 38

छलपूर्ण विनियोजन के अपराध

"ओर्यो नो त्सुमि"

अनु० 252 —प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने पास में रखी हुई दूसरे व्यक्ति की किसी वस्तु का, अपने प्रयोग में विनियुक्त कर (लगा) लिया हो, पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

यही व्यवस्था उस व्यक्ति के संबंध में भी लागू होगी जिसने अपनी उस वस्तु का विनियुक्त कर लिया हो, जिसको अधिकार में रखने के लिए उसे किसी लोक-कार्यालय द्वारा आदेश मिला हो।

अनु० 253 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अपने प्रयोग के लिए अपने व्यवसाय (व्यापार) के सिलसिले में, अधिकार में रखी हुई किसी दूसरे की वस्तु का विनियुक्त कर लिया हो, दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 254—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने अपने प्रयोग के लिए, किसी खोई हुई वस्तु, हवा या पानी द्वारा स्वयं एकत्रित कोई वस्तु या संपत्ति जिसका कोई स्वामी न हो, विनियुक्त कर लिया हो, एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 100 येन तक का अथवा कोई लघु अर्थदण्ड दिया जाएगा।

अनु० 255—अनु० 244 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, इस अध्याय के अपराधों के संबंध में भी लागू होंगी।

अध्याय 39

चोरी के मालों से संबद्ध अपराध

"जोवुत्सु नि कन्-सुरु त्सुमि"

अनु० 256 --प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने (जानबूझकर) चोरी का माल ग्रहण किया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने चोरी के मालों का (जानबूझकर) परिवहन किया हो, उन्हें अपने पास रखने के लिए जमा किया हो, खरीदा हो या इनके निर्वर्तन (disposal) में दलाल का काम किया हो दस वर्ष तक का कठोर-श्रमकारावास तथा 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा।

अनु० 257—पिछले अनुच्छेद के अपराध का दण्ड क्षमा कर दिया जाएगा, यदि वह अपराध वंशीय रक्त-सम्बन्धियों, विवाहित जोड़े या साथ रहनेवाले सम्बन्धियों तथा दम्पति के बीच होगा।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था उस सह-अपराधी के संदर्भ में लागू नहीं होगी, जो सम्बन्धी न हो।

अध्याय 40

विनाश (Destruction) एवं छिपाने (Concealment) के अपराध

"किकि ओयोनि इन्तोकु नो त्सुमि"

अनु० 258 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी सरकारी कार्यालय के उपयोग में आने वाले किसी प्रलेख (document) को विनष्ट कर दिया हो, तीन मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 259 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अन्य व्यक्ति के अधिकारों या दायित्वों से सम्बद्ध प्रलेख (document) को नष्ट कर दिया हो, पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 260 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अन्य व्यक्ति के भवन या जलयान को हानि पहुँचाई हो या नष्ट कर दिया हो पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जाएगा। यदि ऐसा करने में उसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी हो या घायल कर दिया हो तो उस उक्त अपराध एवं घायल करने के अपराध की तुलना में जो गुरुतर दण्ड होगा वही दिया जाएगा।

अनु० 261 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने पिछले तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न कोई वस्तु नुकसान कर दी हो विनष्ट कर दिया हो या अन्य किसी तरह से उसे व्यर्थ (useless) कर दिया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 500 येन तक का अर्थदण्ड या कोई लघु अर्थ-दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 262—पिछले तीन अनुच्छेदों के दण्ड उस व्यक्ति के सम्बन्ध में भी लागू होंगे जिसने अपनी वस्तु को भी, जो कुर्की में हो जिसके वास्तविक

अधिकारी का निश्चय न हो, या भाड़े (पट्टे) पर दी गई हो, नुकसान किया हो, विनष्ट किया हो या दूसरे ढंग से अनुपयोगी बना दिया हो।

अनु० 263—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति के पत्र को छिपा लिया हो छः मास तक का कठोरश्रमकारावास या सामान्य कारावास या 50 येन तक का अर्थदण्ड या कोई लघु अथदण्ड दिया जाएगा।

अनु० 264 अनुच्छेद 259, 261 तथा पिछले अनुच्छेद के अपराधों का अभियोजन केवल परिवाद पर ही किया जाएगा।

— —

अनु० 4—यदि किसी उच्चतर न्यायालय में लम्बित विविध न्यायालयों के वास्तविक अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आने वाले विविध संबद्ध अभियोगों के साथ कोई ऐसा अभियोग हो जिसका उच्चतर न्यायालय अन्यों के साथ सामूहिक रूप से निर्णय देना आवश्यक समझे तो वह उसे एक व्यवस्था (ruling) द्वारा किसी अधिकार-क्षेत्र सपन्न निम्न न्यायालय में अन्तरित कर सकता है।

अनु० 5—जब किसी उच्चतर न्यायालय एवं निम्न न्यायालय में अनेक संबद्ध अभियोग (cases) विविध रूप से लम्बित हों, उच्चतर न्यायालय वास्तविक अधिकार क्षेत्र का बिना विचार किए हुए ही एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, निम्न न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले अभियोग पर भी सामूहिक रूप से निर्णय दे सकता है।

जब किसी उच्च न्यायालय के विशेष अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आने वाले अभियोग किसी उच्च न्यायालय में लम्बित हों और उल्लिखित अभियोगों से संबद्ध अभियोग किसी अवर न्यायालय में लम्बित हों तो उच्च न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा अवर न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के अंदर आने वाले अभियोगों पर भी सामूहिक रूप से निर्णय दे सकता है।

अनु० 6—जब विविध न्यायालयों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले अनेक अभियोग (cases) परस्पर संबद्ध हों तो वह न्यायालय जिसके अधिकार-क्षेत्र में एक भी अभियोग आता हो अन्य अभियोगों पर भी, सामूहिक रूप से अपना अधिकार-क्षेत्र प्रयुक्त कर सकता है। तथापि, वह न्यायालय उन अभियोगों पर अपना अधिकार-क्षेत्र प्रयुक्त नहीं कर सकता, जो अन्य विधियों की व्यवस्थाओं (Provisions) के अनुसार किसी विशेष न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में आते हों।

अनु० 7—यदि किसी एक न्यायालय में लम्बित, विविध न्यायालयों के प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र के अंदर आने वाले अनेक परस्पर संबद्ध अभियोगों के साथ कोई ऐसा अभियोग हो जिसका वह न्यायालय अन्यों के साथ, सामूहिक रूप से निर्णय देना आवश्यक समझता हो तो वह एक व्यवस्था (ruling) द्वारा उसे अन्य न्यायालय में अन्तरित कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह अभियोग आता हो।

अनु० 8—जब वास्तविक अधिकार-क्षेत्र के विषय में अनुरूप विविध न्यायालयों में अनेक परस्पर संबद्ध अभियोग अनेकशः लम्बित हों तो वह

न्यायालय किसी लाक-समाहर्ता (Public Procurator) या अभियुक्त के समावेदन (motion) पर, किसी व्यवस्था (ruling) द्वारा, यह निर्णय दे सकता है कि वे किसी न्यायालय में एकत्र कर दिए जाएँ।

यदि पिछले परिच्छेद की स्थिति में विविध न्यायालयों की व्यवस्थाएँ (rulings) एकमत न हों तो उक्त सभी न्यायालयों को अधिकार-क्षेत्र में रखने वाला अन्य आसन्न उच्चतर न्यायालय, किसी लोकसमाहर्ता या अभियुक्त की प्रार्थना पर, एक व्यवस्था (ruling) के आधार पर यह निर्णय दे सकता है कि उक्त सभी अभियोग किसी एक न्यायालय में एकत्र कर दिए जाएँ।

अनु० 9—दो या अधिक अभियोग निम्नलिखित दशाओं में परस्पर संबद्ध होते हैं,

(1) जहाँ कि एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक अपराध किए गए हों;
(2) जब कि अनेक व्यक्ति सामूहिक रूप से कोई एक अपराध किए हों या अलग-अलग अपराध किए हों।
(3) जहाँ दुरभिसंधि में काम करने-वाले अनेक में से हर व्यक्ति पृथक्-पृथक् अपराध करता है।

अपराधी को आश्रय देने, साक्ष्य के विनष्ट करने, शपथ लेकर मिथ्या-साक्ष्य देने मिथ्या विरोध-साक्ष्य या मिथ्या-व्याख्या के अपराध तथा असद् रूप से प्राप्त वस्तुओं से संबद्ध अपराधों तथा, पश्चान्तर में, प्रधान अपराधी द्वारा किए गए अपराध को सामूहिक रूप से किया गया माना जाएगा।

अनु० 10 जब एक ही अभियोग वास्तविक अधिकार क्षेत्र की दृष्टि से भिन्न विविध न्यायालयों में लम्बित हो तो उसका निर्णय किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

उच्चतर न्यायालय किसी लोक-समाहर्ता या अभियुक्त के समावेदन (motion) पर एक व्यवस्था (ruling) द्वारा उक्त अभियोग को किसी अधिकार-क्षेत्र-संपन्न न्यायालय को निर्णय के लिए उद्युक्त कर सकता है।

अनु० 11—जब एक ही अभियोग समान वास्तविक अधिकार-क्षेत्र वाले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हो तो उक्त अभियोग का निर्णय उस न्यायालय द्वारा किया जायगा जहाँ लोक-कार्यवाही सर्वप्रथम की गई हो।

ऐसे सभी न्यायालयों को अपने अधिकार-क्षेत्र से प्रभावित करने वाला अन्य आसन्न उच्चतर न्यायालय, किसी लोक-समाहर्ता या अभियुक्त के समावेदन

(motion) पर एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, अन्य न्यायालय को उस अभियोग के निर्णय के लिए उद्युक्त कर सकता है, जहाँ लोक-कार्यवाही बाद में की गई हो।

अनु० 12—तथ्यों के प्रकटीकरण की आवश्यकता के अनुसार कोई न्यायालय अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आनेवाले जिले के बाहर भी अपने कार्य कर सकता है।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (provisions) राजादिष्ट न्यायाधीशों के संबंध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

अनु० 13—न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र में न आने के कारण कार्यवाहियाँ प्रभाव शून्य नहीं होंगी।

अनु० 14—अविलम्बिता (urgency) की दशा में, कोई भी न्यायालय अधिकार-क्षेत्र संपन्न न होते हुए भी, तथ्यों के प्रकटीकरण के लिए आवश्यक उपाय प्रयोग में ला सकता है।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (provisions) राजादिष्ट न्यायाधीशों के संबंध में यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

अनु० 15 निम्नलिखित दशाओं में कोई लोक-समाहर्ता, अधिकार-क्षेत्र-संपन्न न्यायालय के निश्चय से संबद्ध सभी प्रथम न्यायालयों को अपने अधिकार-क्षेत्र से प्रभावित करने वाले किसी आसन्न उच्चतर न्यायालय को समावेदन प्रस्तुत कर सकता है

(1) जब कि क्षमतार्गत न्यायालय की क्षमता का निर्धारण जिला-विषयक सीमाओं के स्पष्टतः निर्दिष्ट न होने के कारण न हो सके;

(2) जब कि उस अभियोग का अपने अधिकार-क्षेत्र में रखने वाला अन्य कोई न्यायालय न हो, जिसके विषय में किसी न्यायालय को अधिकार-क्षेत्र से रहित घोषित करने वाला कोई निर्णय अन्ततः *बन्धनकारी न हो गया हो।*

अनु० 16— जब कि विधानतः अधिकार क्षेत्र संपन्न कोई न्यायालय न हो, अथवा ऐसे न्यायालय का निश्चय असंभव हो गया हो, तो महासमाहर्ता (Procurator General) अधिकार-क्षेत्र संपन्न न्यायालय के नामनिर्देशन करने के लिए, उच्चतम न्यायालय को प्रार्थना (समावेदन) प्रस्तुत करेगा।

(1) यदि वह स्वयं अपकृत पक्ष हो,

(2) यदि वह अभियुक्त या अपकृत-पक्ष का संबंधी हो या रह चुका हो,

(3) यदि वह अभियुक्त या अपकृत पक्ष का वैध प्रतिनिधि, संरक्षता का पर्यवेक्षक या पालक (क्युरेटर) हो,

(4) यदि उसने उस अभियोग में साक्षी या विशेषज्ञ साक्षी के रूप में काम किया हो,

(5) यदि उस अभियोग में उसने अभियुक्त के प्रतिनिधि, परामर्शदाता या सहायक के रूप में काम किया हो,

(6) यदि उसने उस अभियोग में लोक-समाहर्ता या न्यायिक-पुलिस (आरक्षी) अधिकारी का कार्य किया हो,

(7) यदि उसने, अनु० 266 प्रभाग 2 में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) में, क्षिप्र आदेश (Summary order) में, निचले न्यायालय के निर्णय में, अनु० 398 से 400, 412 या 413 के अनुसार अन्तरित या प्रति-प्रेषित अभियोग के प्राथमिक निर्णय में, या उन छानबीनों में, जो ऐसे अभियोगों के आधारभूत हों, भाग लिया हो। परन्तु यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी यदि उसने एक अधियाचित (requisitioned) न्यायाधीश के रूप में भाग लिया हो।

अनु० 21—उस दशा में, जब कि किसी न्यायाधीश को उसके कृत्यों से अपवर्जित करना हो, या यह भय हो कि वह पक्षपातपूर्ण निर्णय देगा तो उसके विषय में कोई लोक-समाहर्ता या अभियुक्त आपत्ति कर सकता है।

प्रतिवाद परामर्शदाता (Defense Counsel), अभियुक्त के लाभार्थ आपत्ति के लिए प्रावेदन (motion) कर सकता है, किन्तु अभियुक्त के स्पष्टतया व्यक्त अभिप्राय के विरुद्ध नहीं।

अनु० 22—अभियोग में किसी अभियाचना (demand) या विवरण (statement) के सपत्र हो जाने पर किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि उसके पक्षपातपूर्ण निर्णय देने का भय है। परन्तु, यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी यदि वह पक्ष आपत्ति के किसी आधार की जानकारी से अनभिज्ञ रहा हो, या ऐसा आधार (उक्त अभियाचना या विवरण के) बाद में हुआ हो।

अनु० 23—जब किसी न्यायाधीश के विरुद्ध, जो किसी सहयोगी (collegiate) न्यायालय का सदस्य हो, आपत्ति की गई हो तो वह न्यायालय, जिसका कि वह न्यायाधीश हो, उस पर एक व्यवस्था (ruling) लागू करेगा। यदि ऐसी दशा में उक्त न्यायालय जिला-न्यायालय हो, तो व्यवस्था (ruling) किसी सहयोगी न्यायालय द्वारा लागू की जायगी।

जब किसी जिला-न्यायालय के या परिवार-न्यायालय (Family Court) के एकमात्र किसी न्यायाधीश के विरुद्ध आपत्ति की गई हो तो व्यवस्था (ruling) उस न्यायालय के सहयोगी न्यायालय द्वारा लागू की जायगी जिससे सबद्ध वह न्यायाधीश हो, और जब कि किसी क्षिप्र-न्यायालय (Summary Court) के न्यायाधीश के विरुद्ध की गई हो तो किसी क्षमताशील जिला-न्यायालय के सहयोगी न्यायालय द्वारा लागू की जायगी। तथापि उक्त रूप में आपत्ति किया गया न्यायाधीश, यदि आपत्ति के प्रावेदन (motion) को साधार पाता है तो व्यवस्था (ruling) की गई ही समझी जाएगी।

इस प्रकार आपत्ति किया गया न्यायाधीश, पिछले दो परिच्छेदों में निर्दिष्ट व्यवस्था (ruling) में कोई भाग नहीं लेगा।

जब किसी आपत्ति किए गए न्यायाधीश के प्रत्याहरण (withdrawal) के फलस्वरूप कोई न्यायालय ऐसी व्यवस्था (ruling) चालू करने में असमर्थ हो तो व्यवस्था (ruling) अन्य आसन्न उच्चतर न्यायालय द्वारा दी जायगी।

अनु० 24—किसी आपत्ति का प्रावेदन जो कि स्पष्टत कार्यवाही में केवल विलम्ब लाने के अभिप्राय से किया गया हो, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा खारिज कर दिया जायगा। ऐसी दशा में पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 3 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। यही नियम उस दशा में भी लागू होगा जब कि अनु० 22 के उपबन्ध या न्यायालय के नियमों द्वारा निर्धारित कार्यवाही के उल्लंघन के सबंध में आपत्ति के लिए किया गया प्रावेदन खारिज करना हो।

पिछले परिच्छेद की दशा में, कोई राजादिष्ट (Commissioned) न्यायाधीश किसी जिला-न्यायालय का एकमात्र न्यायाधीश, किसी परिवार-न्यायालय या क्षिप्रन्यायालय (Summary Court) का कोई न्यायाधीश, जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई हो, आपत्ति के प्रावेदन को खारिज करते हुए कोई निर्णय दे सकता है।

अनु० 25 – किसी व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध, जिसके द्वारा किसी आपत्ति का प्रावेदन खारिज किया गया हो एक आसन्न कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 26 अनु० 20, प्रभाग 7 के उपबन्धों को छोड़कर, इस अध्याय के उपबन्ध न्यायालय-लिपिक के संबंध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे।

व्यवस्था (ruling) उसी न्यायालय द्वारा दी जायगी जिससे संबद्ध वह लिपिक होगा। तथापि अनु० 24 परिच्छेद 1 में उल्लिखित स्थिति में आपत्ति के प्रावेदन को खारिज करने के लिए निर्णय उस राजादिष्ट न्यायाधीश द्वारा दिया जाएगा जिससे वह न्यायालय-लिपिक संबद्ध हो।

अध्याय 3

वाद-करण सामर्थ्य

अनु० 27 जब अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति कोई न्यायिक व्यक्ति हो तो प्रक्रिया अधिनियमों के संबंध में उसका अभिवेदन किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा।

उस दशा में भी जब कि किसी न्यायिक व्यक्ति का अभिवेदन दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया हो, प्रक्रिया अधिनियमों के संबंध में उसका अभिवेदन प्रत्येक द्वारा पृथक् रूप से होगा।

अनु० 28—यदि, जहाँ ऐसे अपराध का अभियोग हो जिसमें दण्ड-संहिता के अनु० 39 से 41 तक के उपबन्ध न लागू हों, अभियुक्त या संदिग्ध मानसिक शक्ति से रहित हो तो प्रक्रिया अधिनियमों के संबंध में उसका अभिवेदन किसी वैध प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा (जब कि दो व्यक्ति हों जिनमें से प्रत्येक पैतृक प्रभाव जमाता हो। यही व्यवस्था इसके आगे भी लागू होगी)।

अनु० 29—पिछले दो अनुच्छेदों के उपबन्धों के अनुसार जब अभियुक्त के अभिवेदन के लिए कोई व्यक्ति न हो तो किसी लोक-समाहर्ता या पदेन लोक-समाहर्ता के निवेदन पर न्यायालय द्वारा एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया जायगा।

यही नियम उस दशा में भी लागू होगा जब कि पिछले दो अनुच्छेदों के उपबन्धों के अनुसार संदिग्ध के अभिवेदन के लिये कोई व्यक्ति न हो और

लोक-समाहर्ता न्यायिक-आरक्षी (Police) अधिकारी या उसमें दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति द्वारा उक्त निवेदन किया गया हो।

विधि प्रतिनिधि अपने कार्यों को तब तक करेगा जब तक कि संदिग्ध या अभियुक्त के प्रतिनिधि के रूप में कार्यवाही के कार्य को करने के लिए अन्य कोई व्यक्ति न आ जाय।

अध्याय 4

परामर्शदाता द्वारा प्रतिवाद तथा संबंधियों द्वारा सहायता

अनु० 30 अभियुक्त या संदिग्ध किसी समय प्रतिवाद-परामर्शदाता (Defense Counsel) को चुन सकता है।

अभियुक्त या संदिग्ध का वैध प्रतिनिधि पालक (Curator) विवाहित जोड़ा बनाये रखना भाई या बहन स्वतन्त्र रूप से उसके लिए प्रतिवाद परामर्शदाता चुन सकते हैं।

अनु० 31 परामर्शदाता का चुनाव अधिवक्ताओं (advocates) में से होगा।

किप्र-न्यायालय (Summary Court) परिवार-न्यायालय या जिला न्यायालय में प्रतिवाद-परामर्शदाता का चुनाव अधिवक्ताओं से भिन्न व्यक्तियों में से न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है। तथापि यह नियम निम्न-न्यायालय में केवल उन स्थानों में लागू होगा जिनमें अधिवक्ताओं में से चुना गया एक अन्य प्रतिवाद-परामर्शदाता हो।

अनु० 32 लोक-कार्यवाही (Public Action) के लिए जाने के पूर्व सम्पादित प्रतिवाद-परामर्शदाता का चुनाव प्रथम न्यायालय में भी प्रभावी रहेगा।

लोक कार्यवाही के लिए जाने के पश्चात् किया गया प्रतिवाद-परामर्शदाता का चुनाव विचारण (trial) के प्रत्येक दृष्टान्त के लिए किया जायगा।

अनु० 33—उस दशा में जब कि अभियुक्त के लिए अनेक प्रतिवाद परामर्शदाता हों तो न्यायालय के नियमानुसार एक मुख्यप्रतिवाद परामर्शदाता की नियुक्ति की जाएगी।

अनु० 34—मुख्य परामर्शदाता के कार्यों (Functions) एवं सामर्थ्य (powers) को जैसा कि पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित है, न्यायालय के नियमों द्वारा विहित किया जाएगा।

अनु० 35—जैसा कि न्यायालय के नियमों द्वारा विहित हो, न्यायालय अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति के प्रतिवाद-परामर्शदाताओं की संख्या नियत कर सकता है। तथापि, जहाँ तक अभियुक्त के प्रतिवाद-परामर्शदाता का संबंध है, यह नियम केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू होगा।

अनु० 36—जब अभियुक्त, निर्धनता या अन्य कारणवश अपने प्रतिवाद-परामर्शदाता को चुनने में असमर्थ हो, तो उसकी प्रार्थना पर, न्यायालय उसके लिए प्रतिवाद-परामर्शदाता की व्यवस्था करेगा। तथापि, यह व्यवस्था उस दशा में लागू नहीं होगी जब कि अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उसके लिए प्रतिवाद-परामर्शदाता चुन लिया गया हो।

अनु० 47—यदि अभियुक्त, प्रतिवाद-परामर्शदाता द्वारा न अभिवेदित किया गया हो तो निम्नांकित दशाओं में, न्यायालय पदेन (ex-officio) उसके लिए परामर्शदाता की व्यवस्था करेगा

(1) जब अभियुक्त अल्प-वयस्क हो,
(2) जब अभियुक्त सत्तर (70) वर्ष से कम आयु का न हो,
(3) जब अभियुक्त बहरा या गूँगा हो,
(4) जब अभियुक्त अपरिपक्व या दुर्बल-मनस्क हो,
(5) जब अन्य कारणवश ऐसा आवश्यक समझा जाए।

अनु० 38—किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा, इस विधि के उपबन्धों के अनुसार नियत किए जाने वाले प्रतिवाद-परामर्शदाता की नियुक्ति अधिवक्ताओं में से होगी।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था के अनुसार नियुक्त किया गया प्रतिवाद-परामर्शदाता यात्रा-व्यय, दैनिक भत्ता, आवास-भत्ता तथा शुल्क (fees) की माँग करने का अधिकारी होगा।

अनु० 39—किसी भी प्रकार से शारीरिक निरोध में रखा गया अभियुक्त या संदिग्ध (व्यक्ति), किसी कार्यालयीय रक्षपाल की उपस्थिति के बिना, अपने प्रतिवाद-परामर्शदाता या किसी अन्य व्यक्ति से भी, जो उसका प्रतिवाद-

परामर्शदाता हो, उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जिसे प्रतिवाद-परामर्शदाता को चुनने का अधिकार हो साक्षात् कर सकता है तथा कोई प्रलेख या अन्य वस्तु ले या दे सकता है (उस दशा में जब कि किसी अधिवक्ता से भिन्न कोई व्यक्ति प्रतिवाद-परामर्शदाता चुना जाने वाला हो तो यह नियम तभी लगेगा जब अनु० 31 के परिच्छेद 2 में निर्दिष्ट अनुमति ले ली गई हो)।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित साक्षात्कार या वस्तु के आदान-प्रदान के संबंध में विधि या आदेश (जिनमें न्यायालय के नियम भी सम्मिलित हैं। यही नियम इसके आगे भी लागू होगा) द्वारा ऐसे उपाय विहित किए जा सकते हैं, जो अभियुक्त या संदिग्ध को भाग निकलने साक्ष्य के विनाश या परिवर्तन करने या उन वस्तुओं के, आदान-प्रदान करने का प्रतिरोध करें, जो (वस्तुएँ) अभियुक्त या संदिग्ध की सम्यक् अभिरक्षा का रोध करती हों।

लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव तथा न्यायिक पुलिस कर्मचारी (जिनमें न्यायिक पुलिस अधिकारी एवं सिपाही दोनों हों सम्मिलित हैं। यही नियम इसके आगे भी लागू होगा) जब छानबीन के लिए ऐसा आवश्यक हो, परिच्छेद 1 में उल्लिखित साक्षात्कार तथा वस्तुओं के आदान-प्रदान के लिए, लोक-कार्यवाही के पहले ही कोई तिथि, स्थान एवं समय निर्धारित कर दें, परन्तु ऐसा निर्धारण, संदिग्ध (व्यक्ति) को प्रतिवाद के लिए अपने अधिकारों के प्रयोग करते समय, अनुचित रूप से अवरोध में न रखे।

अनु० 40—लोक-कार्यवाही की संस्थिति के बाद, प्रतिवाद-परामर्शदाता किसी न्यायालय में अभियोग से संबद्ध प्रलेखों एवं साक्ष्य के लेखों का निरीक्षण या उनकी प्रतिलिपि कर सकता है। तथापि साक्ष्य के लेखों की प्रतिलिपि करने के लिए उसे पीठासीन न्यायाधीश से अनुमति अवश्य लेनी होगी।

अनु० 41—केवल उस दशा में जब कि यह इस विधि में विशेषरूप से विहित हो, प्रतिवाद-परामर्शदाता कार्यवाही की क्रियाओं को अपने नाम में ले सकता है।

अनु० 42—अभियुक्त का वैध प्रतिनिधि, पालक (Curator), विवाहित जोड़ा, वंशीय संबंधी, भाई या बहन किसी भी समय सहायक (होसेनिन) हो सकते हैं।

उस व्यक्ति को, जो अभियुक्त के सहायक के रूप में काम करना चाहता हो, विचारण के प्रत्येक दृष्टान्त के लिये न्यायालय में सूचना देनी चाहिए।

कोई भी सहायक अभियुक्त की कार्यवाही की उन सभी क्रियाओं को वहाँ तक कर सकता है जहा तक कि वे अभियुक्त के व्यक्त अभिप्राय के विरुद्ध न हो। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि इस विधि में यह अन्य प्रकार से विहित हो।

अध्याय 5

निर्णय

अनु० 43—इस विधि में अन्य प्रकार से विहित दशा को छोडकर, कोई भी न्याय-निर्णय (हंकेत्सु) मौखिक कार्यवाही के आधार पर दिया जायगा।

कोई व्यवस्था (केत्तेइ ruling) या आदेश (मेइरेइ, order) आवश्यक रूप से मौखिक कार्यवाही पर आधृत नहीं होगा।

किसी व्यवस्था (ruling) या आदेश के निर्माण में न्यायालय, आवश्यकतानुसार तथ्यों की छानबीन (Examination) कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में लिखित छानबीन किसी सबद्ध सहयोगी न्यायालय (Collegiate Court) के सदस्य को सौप दी जायगी अथवा जिला-न्यायालय परिवार न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय का कोई न्यायाधीश इसके लिए अधियाचित किया जा सकता है।

अनु० 44—किसी भी निर्णय के साथ उसका कारण सलग्न रहेगा।

उस दशा में जब कि कोई ऐसी व्यवस्था (ruling) या आदेश हो, जिसके विरुद्ध किसी अपील की अनुमति न हो तो उसके कारण को अलग किया जा सकता है। तथापि, यह उस व्यवस्था (ruling) के सबध में लागू नहीं होगा जिसके विरुद्ध, अनु० 428, परि० 2 के अनुसार, कोई आपत्ति की जा सके।

अनु० 45—न्याय निर्णय से भिन्न कोई विनिश्चय (decision) किसी सहायक न्यायाधीश द्वारा ही दिया जा सकता है।

अनु० 46—अभियुक्त या अभियोग से सबद्ध कोई भी व्यक्ति, अपने खर्च पर, निर्णय के प्रलेख के अंश या तयाचार (protocol) की, जिसमें निर्णय लिखित हो, प्रतिलिपि या उसके किसी अंश की प्राप्ति के लिये मांग कर सकता है।

अध्याय 6

प्रलेख (Documents) तथा वितरण (Service)

अनु० 47— किसी अभियोग से सम्बद्ध कोई भी प्रलेख लोक विचारण (Public trial) के प्रारम्भ के पहले प्रकाशित नहीं किया जायगा। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब लोक-हित या अन्य किसी कारणवश इसे (प्रकाशित करना) आवश्यक समझा जाय।

अनु० 48—लोक विचारण का कोई नयाचार (Protocol) लोक विचारण की तिथियों पर होने वाली कार्यवाहियों के अनुसार तैयार किया जायगा।

लोक विचारण के नयाचार में उसकी तिथियों पर घटित विचारण से सम्बद्ध प्रमुख विषय रहेंगे जैसा कि न्यायालय के नियमों द्वारा विहित हो।

लोक विचारण का नयाचार एक अच्छे क्रम में विचारण की प्रत्येक तिथि के ठीक बाद या कम से कम निर्णय की घोषणा के समय या पहले ही पूरा हो जाना चाहिये। तथापि यह लोक विचारण के उस नयाचार के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा जिसमें कि निर्णय घोषित हो गया हो।

अनु० 49— यदि अभियुक्त के पास कोई प्रतिवाद-परामर्शदाता न हो तो वह जैसा कि न्यायालय के नियमों द्वारा विहित हो लोक विचारण के नयाचार का निरीक्षण कर सकता है तथा यदि अभियुक्त अन्धा हो और स्वयं न पढ़ सके तो वह नयाचार को अपने लिए जोर से पढ़वाने के लिए माँग कर सकता है।

अनु० 50—उस दशा में जब कि लोक विचारण का नयाचार दूसरे विचारण की तिथि के पहले अच्छे क्रम में पूरा न हुआ हो तो कोई न्यायालय लिपिक लोक-समाहर्ता अभियुक्त या प्रतिवाद परामर्शदाता की प्रार्थना पर अन्तिम विचारण की तिथि पर साक्षियों द्वारा दिए गए प्रमाण की रूपरेखा दूसरे विचारण की तिथि पर या उसके पहले ही सूचित कर दे। ऐसी दशा में यदि प्रार्थना करने वाला लोक-समाहर्ता अभियुक्त या प्रतिवाद-परामर्शदाता साक्षियों द्वारा दिए गए प्रमाण की रूपरेखा की यथार्थता पर आपत्ति करें तो वह आपत्ति भी नयाचार में समाविष्ट की जायगी।

उस दशा में जब कि अभियुक्त या उसके परामर्शदाता की अनुपस्थिति में तैयार किया गया किसी लोक विचारण का नयाचार, दूसरे विचारण की

तिथि के पहले अच्छे क्रम में सज्जित न हो तो न्यायालय-लिपिक दूसरे विचारण की तिथि पर या पहले ही, उपस्थित होने वाले अभियुक्त या उसके परामर्शदाता को अंतिम विचारण की तिथि पर घटित प्रमुख घटनाओं का सूचित करेगा।

अनु० 51 लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या परामर्शदाता किसी लोक-विचारण के नयाचार की यथार्थता पर आपत्ति कर सकता है। यदि उक्त आपत्ति की गई हो तो उसका विवरण नयाचार में समाविष्ट किया जायगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित आपत्ति प्रत्येक व्यवहार (Instance) के लोक-विचारण की अंतिम तिथि के बाद चौदह दिन के अंदर ही की जा सकेगी तथापि, जहाँ तक लोक-विचारण के नयाचार का संबंध है जिसमें कि निर्णय घोषित हो, ऐसी आपत्ति नयाचार की समाप्ति के बाद चौदह दिन के अंदर ही की जा सकती है।

अनु० 52- -लोक-विचारण की तिथि की कार्यवाहियाँ जो लोक-विचारण के नयाचार में लिखित रहती है, उसी नयाचार द्वारा ही प्रमाणित की जा सकती है।

अनु० 53—कोई व्यक्ति किसी विचारण के अभिलेखों (records) का निरीक्षण आपराधिक अभियोग की समाप्ति पर ही कर सकता है। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा, जब कि निरीक्षण से विचारण के अभिलेखों के परिरक्षण, अथवा न्यायालय या लोक-समाहर्ता के कार्यालय के कार्य-व्यापार में बाधा पहुँचती हो।

उस विचारण के किसी अभिलेख का, जिसका सुनना सामान्य जनता के लिए निषिद्ध हो, अथवा किसी अभिलेख का, जिसका निरीक्षण सामान्य जनता के लिये अनुचित होने के कारण प्रतिषिद्ध हो, पिछले परिच्छेद के उपबन्धों के प्रतिकूल, निरीक्षण तब तक नहीं किया जायगा, जब तक कि वे (निरीक्षण करने वाले) उस अभियोग से सबद्ध पक्ष (Parties) न हों, या उनके पास निरीक्षण के लिये समुचित कारण न हो तथा विचारण के अभिलेखों के अभिरक्षक (Custodian) से अनुमति न ले चुके हों।

जापान के संविधान के अनु० 82 परि० 2 के उपबन्धों द्वारा विहित अभियोगों में अभिलेखों का निरीक्षण निषिद्ध नहीं होगा।

विचारण के अभिलेखों के परिरक्षण तथा उनके निरीक्षण के परिव्ययों से सबद्ध विषय अन्य विधि द्वारा विहित किये जायेंगे।

अनु० 54—न्यायालय के नियमों द्वारा अन्य प्रकार से विहित दशा को छोड़कर, दीवानी प्रक्रिया से सबद्ध विधि या अध्यादेश के विधान (प्रकाशन द्वारा वितरण (Service) से सबद्ध उपबन्धों को छोड़कर) प्रलेखों के वितरण (तामीलों) के सबन्ध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे।

अध्याय 7

अवधियाँ

(Periods)

अनु० 55—अवधियों के परिकलन (Calculation) में, जिनका परिकलन घण्टों में हो वह तुरन्त शुरू होगी, जब कि जिनका दिनों, मासो अथवा वर्षों में करना हो पहला दिन उसमें सम्मिलित नहीं किया जायगा। तथापि, भोगाधिकार (Prescription) की अवधि का पहला दिन, उसके घण्टों की सख्या का विचार किये बिना, एक दिन के रूप में गिन लिया जायगा।

मासों एव वर्षों का परिकलन कैलेण्डर के अनुसार होगा।

यदि किसी अवधि का अन्तिम दिन रविवार, पहली, दूसरी, तीसरी जनवरी, 29 वें, 30 वें या 31 वें दिसम्बर, या उस दिन, जिसे सामान्य छुट्टी उद्दिष्ट किया गया हो, पडना हो तो उसे परिकलन में सम्मिलित नहीं किया जायगा। तथापि, यह भोगाधिकार की अवधि के सबध में लागू नहीं होगा।

अनु० 56—न्यायालय के नियमानुसार, कोई भी वैधानिक अवधि, कार्यवाही की क्रियाशा को करने वाले व्यक्ति के अधिवास, निवास या कार्यालय, तथा न्यायालय या लोक-समाहर्ता के कार्यालय के बीच की दूरी के तथा परिवहन एव सचार की सुविधाओं के अनुसार, बढ़ाई जा सकती है।

पिछले परिच्छेद के उपबन्ध उस अवधि के सबध में लागू नहीं होंगे जिसके अन्दर ही किसी घोषित निर्णय के विरुद्ध अपील की जाए।

अध्याय 8

अभियुक्त के आह्वान, प्रस्तुति और निरोध

अनु० 57—कोई न्यायालय किसी अभियुक्त को, समुचित अग्रिम समय देते हुए, जैसा कि न्यायालय के नियमों द्वारा विहित हो, आहूत (summon) कर सकता है।

अनु० 58—न्यायालय किसी अभियुक्त को निम्नांकित दशाओं में प्रस्तुत (produce) करा सकता है

(1) यदि उसका कोई नियत निवास न हो ,

(2) यदि समुचित कारण के बिना वह आह्वाना का अनुपालन न करे या उससे ऐसी आशंका हो कि वह पालन नहीं करेगा ।

अनु० 59 प्रस्तुत किया गया अभियुक्त न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के समय से चौबीस घण्टे के अंदर छोड दिया जायगा । तथापि यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि उक्त समय के अंदर ही कोई निरोध का अधिपत्र (Warrant) कार्यान्वित किया जा चुका हो ।

अनु० 60 न्यायालय अभियुक्त को निरोध में रख सकता है यदि उसे यह पुष्ट करने के समुचित आधार प्राप्त हो जायें कि उसने अपराध किया है और अभियोग यदि निम्नलिखित में से किसी प्रभाग (item) के अन्तर्गत आता हो

(1) जब कि अभियुक्त का कोई नियत निवास न हो ,

(2) जब कि अभियुक्त से इस विषय की आशंका के पर्याप्त प्रमाण हों कि वह साक्ष्य विनष्ट कर देगा ,

(3) जब कि अभियुक्त ने पलायन किया हो या उसके पलायन करने की आशंका के पर्याप्त प्रमाण मिलें।

निरोध की अवधि लोक-कार्यवाही के संस्थित किए जाने के दिन से, दो मास से अधिक नहीं होगी। उस दशा में, जब कि निरोध को जारी रखने की विशेष आवश्यकता हो तो प्रत्येक मास की अंतिम तिथि को निरोध की अवधि, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा उसके नवीकरण के स्पष्ट कारणों के विवरण के साथ, नवीकृत की जाएगी। तथापि अनु० 89 प्रभाग 1 तथा 3 से 5 के अन्तर्गत आने वाली दशाओं को छोडकर, निरोध की अवधि का नवीकरण केवल एक बार होगा ।

उस अभियोग के सम्बंध में जिसमें 500 येन से अधिक अर्थ दण्ड, निरोध या लघु-अर्थदण्ड न हो, इस अनुच्छेद का पहला परिच्छेद केवल उसी दशा में लागू होगा जब कि अभियुक्त का कोई नियत निवास न हो ।

अनु० 61—न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना देने तथा उनके विषय में अभियुक्त के विवरण सुनने के पहले उसे निरोध में नहीं रखा जा सकता। तथापि यह उन अभियोगों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा जिनमें कि अभियुक्त ने पलायन किया हो।

अनु० 62 अभियुक्त का आह्वान (Summons) उसकी प्रस्तुति या निरोध, आह्वान का प्रादेश (writ) अथवा प्रस्तुति या निरोध का अधिपत्र जारी करके निष्पादित किया जायगा।

अनु० 63 आह्वानों के प्रादेश में, अभियुक्त का नाम और उसका निवास अपराध का नाम, दिनांक, उपस्थित होने का समय तथा स्थान, साथ ही ऐसा विवरण जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि वह यदि बिना समुचित कारण के उपस्थित नहीं होगा तो उसके विरुद्ध प्रस्तुति का अधिपत्र जारी किया जायगा तथा इसके साथ अन्य विषय भी जो कि न्यायालय के नियमों द्वारा विहित हो और उक्त प्रादेश जारी करने वाले पीठासीन अथवा राजादिष्ट न्यायाधीश का नाम तथा उसकी मुद्रा (मुहर) रहेगी।

अनु० 64 प्रस्तुति अथवा निरोध के अधिपत्र में अभियुक्त का नाम एवं निवास अपराध का नाम, लोक-कार्यवाही के प्रमुख तथ्य स्थान, जहाँ उसे लाना हो या कारागार जहाँ उसे निरुद्ध करना हो, प्रभावी अवधि तथा यह विवरण कि उक्त अवधि के बीत जाने के पश्चात अधिपत्र जारी नहीं किया जायगा और जारी करने वाले न्यायालय को लौटा दिया जायगा, जारी होने कि तिथि, साथ ही और भी विषय जो न्यायालय के नियमों द्वारा विहित हों तथा अधिपत्र जारी करने वाले पीठासीन अथवा राजादिष्ट न्यायाधीश के नाम एवं मुद्रा (मुहर) रहेंगे।

उस दशा में जब कि अभियुक्त का नाम अनिश्चित हो तो उसकी मुखा-कृति, शरीर गठन एवं अन्य विशेष चिह्नों के विवरण द्वारा उसकी पहचान की जायगी।

उस दशा में जब कि अभियुक्त का निवास अनियत हो तो उसे कहलवाया नहीं जायगा।

अनु० 65—आह्वानों के प्रादेश तामील (वितरित) किये जायेंगे। यदि अभियुक्त कोई प्रलेख इस विवरण के साथ दाखिल करता है कि वह सुनवाई के लिये नियत की गई तिथि पर उपसजात होगा, या यदि न्यायालय,

सुनवाई की तिथि पर उपसजात अभियुक्त को, सुनवाई की दूसरी तिथि पर उपसजात होने के लिये आदेश देता हूँ तो उसका प्रभाव आह्वानो के प्रादेश की तामीली के समान ही होगा। उस दशा में जब कि उसकी उपसजाति (appearance) का आदेश जबानी हुआ हो तो यह तथ्य नयाचार में उद्दिष्ट किया जायगा।

न्यायालय के समीप किसी कारागार में निरुद्ध कोई अभियुक्त कारागार के कर्मचारियो को सूचना देकर आहूत किया जा सकता है। ऐसी दशा में, आह्वानो के प्रादेश की तामीली मान ली जाएगी यदि अभियुक्त को कारागार के कर्मचारियो से सूचना मिल चुकी हो।

अनु० 66--कोई न्यायालय अभियुक्त को उपसजात करने के लिये, तत्काल जहाँ वह रहता हो वहाँ के जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अधियाचना (माँग) कर सकता है।

इस प्रकार अधियाचित न्यायाधीश स्वय किसी अन्य जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश की माँग कर सकता है, जा कि उक्त अधियाचना स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत हो।

यदि अधियाचित न्यायाधीश को स्वय अधियाचना के अदर आने वाले अभियाग का अधिकार न हो ता वह उक्त अधियाचना को अन्य किसी जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के न्यायाधीश के यहाँ अन्तरित कर सकता है जो उक्त अधियाचना का स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत हो।

वह न्यायाधीश जिसने उक्त अधियाचना प्राप्त की हो या जिसके यहाँ अधियाचना अन्तरित की गई हो, प्रस्तुति का अधिपत्र जारी कर सकता है।

अनु० 64 का उपबन्ध पिछले परिच्छेद में लिखित प्रस्तुति के अधिपत्र के सबध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगा। ऐसी दशा में, अधिपत्र के अन्तर्गत यह विवरण रहेगा कि वह अधियाचना के अन्तर्गत जारी किया गया है।

अनु० 67—पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट दशा में अधियाचना के अदर प्रस्तुति का अधिपत्र जारी करने वाले न्यायाधीश को अभियुक्त के लाए जाने के समय से चौबीस घण्टे के अदर यह निश्चय कर लेना होगा कि अभियुक्त की पहचान में कोई गल्ती ता नहीं हुई है।

यदि अभियुक्त की पहचान में कोई गल्ती न हो ता उसे तत्काल नामादिष्ट न्यायालय का सौंप दिया जाएगा। ऐसी दशा में, न्यायाधीश, जिसने

अधियाचना के अन्तर्गत प्रस्तुति का अधिपत्र जारी किया हो, समय की अवधि निर्धारित करेगा जिसके अंदर कि अभियुक्त को नामोद्दिष्ट न्यायालय के समक्ष लाया जायगा।

पिछले परिच्छेद की दशा में, अनु० 59 में उल्लिखित अवधि का परिकलन उस समय से किया जायगा जब कि अभियुक्त नामोद्दिष्ट न्यायालय के समक्ष लाया गया हो।

अनु० 68—*न्यायालय* आवश्यकता पड़ने पर, अभियुक्त को किसी नामोद्दिष्ट स्थान पर उपसजात होने या साथ चलने के लिये आदेश दे सकता है। यदि अभियुक्त बिना समुचित कारण के उक्त आदेश के अनुपालन में असमर्थ रहे तो उसे उक्त स्थान पर उपसजात कराया जा सकता है। ऐसी दशा में अनु० 59 में निर्धारित अवधि का परिकलन उस समय से किया जायगा जब कि अभियुक्त उक्त स्थान पर उपसजात किया गया हो।

अनु० 69—अविलम्बिता की दशा में, कोई भी पीठासीन न्यायाधीश, अनु० 57 से 62, अनु० 65, 66 तथा पिछले अनुच्छेद में विहित उपाय स्वयं कर सकता है या अपने सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य से ऐसा करा सकता है।

अनु० 70—*प्रस्तुति या निरोध के अधिपत्र को, लोक-समाहर्ता के निर्देशन में, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी* द्वारा निष्पादित किया जायगा। तथापि, अविलम्बिता की दशा में उसके निष्पादन का निर्देश किसी पीठासीन न्यायाधीश, राजादिष्ट न्यायाधीश अथवा जिला-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा दिया जा सकता है।

कारागार में रहते हुए अभियुक्त के विरुद्ध जारी किया गया निरोध का अधिपत्र, लोक-समाहर्ता के निर्देशन में कारागार के कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किया जायगा।

अनु० 71—लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या कोई न्यायिक पुलिस कर्मचारी, आवश्यकता पड़ने पर, अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर भी प्रस्तुति के अधिपत्र को निष्पादित कर सकता है, अथवा *लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी द्वारा वहीं निष्पादित करा* सकता है।

अनु० 72– जब अभियुक्त का वर्तमान स्थान अज्ञात हो तो कोई पीठासीन न्यायाधीश (उच्च लोक-समाहर्ता के कार्यालय के) किसी **अधीक्षक समाहर्ता** को, छानबीन करने तथा प्रस्तुति का अधिपत्र निष्पादित करने के लिये समादिष्ट कर सकता है।

उच्च लोक-समाहर्ता के कार्यालय का **अधीक्षक समाहर्ता** जिसे उक्त समादेश मिला हो, अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर किसी लोक-समाहर्ता को छानबीन और प्रस्तुति के अधिपत्र के निष्पादन की कार्यवाही का पालन करने के लिये प्रेरित करेगा।

अनु० 73—प्रस्तुति के अधिपत्र का निष्पादित करने में वह (अधिपत्र) उस अभियुक्त को दिखा दिया जायगा जिसे यथाशीघ्र सीधे न्यायालय के समक्ष या अन्य किसी नामाद्दिष्ट स्थान पर लाया जाएगा। अनु० 66 परि० 4 में उल्लिखित प्रस्तुति के अधिपत्र की दशा में अभियुक्त, अधिपत्र जारी करने वाले न्यायाधीश के समक्ष लाया जाएगा।

निरोध के अधिपत्र के निष्पादित करने में वह (अधिपत्र) उस अभियुक्त को, जिसे कि यथाशीघ्र सीधे नामाद्दिष्ट कारागार में पहुँचा दिया जाएगा, दिखला दिया जाएगा।

अविलम्बिता की स्थिति में, प्रस्तुति या निरोध का कोई अधिपत्र न रहने पर भी, पिछले दो परिच्छेदों पर बिना विचार किए, लोक-कार्यवाही के प्रमुख तथ्यों को और यह कि अधिपत्र जारी किया गया है, सूचित करने के पश्चात् अधिपत्र निष्पादित किया जा सकता है। तथापि, यह अधिपत्र यथासंभव शीघ्र ही उसे दिखा दिया जायगा।

अनु० 74—उस दशा में जब कि अभियुक्त, जिसके विरुद्ध प्रस्तुति या निरोध का कोई अधिपत्र निष्पादित किया जा चुका हो, रक्षी (guard) की देखभाल में भेजा जाने वाला हो तो उसे, आवश्यकतानुसार, निकटस्थ कारागार में, अनन्तिमरूप से निरुद्ध किया जा सकता है।

अनु० 75—उस दशा में जब कि अभियुक्त, जिसके विरुद्ध प्रस्तुति का अधिपत्र निष्पादित किया जा चुका हो, *लाया गया हो, यदि आवश्यक हो तो* उसे कारागार में निरुद्ध किया जा सकता है।

अनु० 76—उस दशा में जब कि अभियुक्त प्रस्तुत किया गया हो, उसे तुरन्त लोक-कार्यवाही का सार सूचित किया जायगा और अपने प्रतिवाद

परामर्शदाता को भी चुनने के लिए उसे सूचित किया जाएगा तथा उस दशा में उसके लिए न्यायालय द्वारा परामर्शदाता के अधिन्यास (assignment) के विषय में भी उसे सूचित किया जाएगा जब कि वह, अपनी निर्धनता या अन्य कारणों से स्वयं परामर्शदाता प्राप्त करने में असमर्थ हो। तथापि, यदि अभियुक्त के पास पहले से ही परामर्शदाता हो तो उसे लोक-कार्यवाही के सार को ही सूचित करना पर्याप्त होगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित उपायों को करने के लिए किसी भी सहयोगी न्यायालय के सदस्य या न्यायालय के लिपिक को प्रेरित किया जा सकता है।

उस दशा में जब कि अनु० 66 परि० 4 के अनुसार प्रस्तुति का अधिपत्र जारी किया गया हो तो पहले परिच्छेद में उल्लिखित उपाय, अधिपत्र जारी करने वाले न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त किए जायेंगे। तथापि, न्यायालय का लिपिक भी ऐसा करने के लिये प्रेरित किया जा सकता है।

अनु० 77—केवल उस दशा को छोड़कर जब कि विरोध प्रस्तुति या बन्दीकरण के बाद ही अभियुक्त को निरुद्ध करने के लिए उसे यह तथ्य बता दिया जाएगा कि वह अपना प्रतिवाद परामर्शदाता चुन ले और यदि वह अपनी निर्धनता या अन्य कारणों से स्वयं परामर्शदाता पाने में असमर्थ हो तो न्यायालय द्वारा उसके लिए परामर्शदाता के अधिन्यास (assignment) का अधिकार भी सूचित किया जाएगा। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा यदि अभियुक्त के पास पहले से ही परामर्शदाता हो।

अनु० 61 के उपबन्ध की दशा में, अभियुक्त को निरुद्ध होने के ठीक बाद पिछले परिच्छेद में विहित तथ्यों के साथ लोक-कार्यवाही का सार भी सूचित किया जाएगा। तथापि, यदि अभियुक्त के पास पहले से ही प्रतिवाद-परामर्शदाता हो तो केवल लोक-कार्यवाही के सार से ही उसे सूचित कर देना पर्याप्त होगा।

पिछले अनुच्छेद के परि० 2 के उपबन्ध, पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित उपायों के संबंध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे।

अनु० 78—प्रस्तुत किया गया या निरुद्ध अभियुक्त अपने प्रतिवाद-परामर्शदाता के चुनाव के लिए, किसी अधिवक्ता या विधिज्ञ-संघ (Bar Association) को नामोद्दिष्ट करते हुए न्यायालय, कारागार के प्रमुख

या उसके स्थानापन्न का प्रार्थनापत्र दे सकता है। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा यदि अभियुक्त के पास पहले से ही परामर्शदाता हो।

न्यायालय या कारागार का प्रमुख अथवा उसका स्थानापन्न, जो उक्त प्रार्थना-पत्र प्राप्त करे, तुरन्त इस तथ्य की सूचना अभियुक्त के अधिवक्ता अथवा विधिज्ञ-संघ को देगा। उस दशा में जब कि अभियुक्त ने प्रार्थनापत्र में दो या अधिक अधिवक्ताओं या विधिज्ञ संघों को नामोदि्दष्ट किया हो तो उनमें से किसी एक को सूचना देना पर्याप्त होगा।

अनु० 79 यदि अभियुक्त को निरुद्ध किया गया हो तो इस तथ्य की सूचना उसके परामर्शदाता को तत्काल दी जाएगी। यदि उसके पास कोई परामर्शदाता न हो तो उसके वैध प्रतिनिधि पालक (Curator), विवाहित जोड़े वशीय संबंधी भाई या बहन में से किसी एक व्यक्ति को यह सूचना दी जाएगी जिसे उसने नामोदि्दष्ट किया हो।

अनु० 80—*निरोध में रखा गया अभियुक्त, जहाँ तक विधि एवं अध्यादेश* अनुज्ञा दें, अनु० 39 परि० 1 में अनिर्दिष्ट व्यक्तियों से साक्षात् कर सकता है, उन्हें प्रलेख या अन्य कोई वस्तु दे या उनसे ले सकता है। यही नियम प्रस्तुति के अधिपत्र पर कारागार में निरुद्ध किए गए अभियुक्त के संबंध में भी लागू होगा।

अनु० 81—यदि इस आशंका का पर्याप्त दृढ़ आधार मिले कि निरोध के अन्तर्गत रहता हुआ अभियुक्त भाग सकता है या साक्ष्य नष्ट कर सकता है तो लोक-समाहर्ता या पदेन लोक-समाहर्ता के निवेदन पर, न्यायालय उसे अनु० 39 परि० 1 में उल्लिखित से भिन्न व्यक्तियों से साक्षात् करने से निषिद्ध कर सकता है, उक्त व्यक्तियों से जो प्रलेख या वस्तु वह ले या उन्हें दे उसकी जाँच कर सकता है अथवा उनका देना या लेना निषिद्ध कर सकता है अथवा उनका अभिग्रहण कर सकता है। तथापि, उसे खाद्य पदार्थ लेने से निषिद्ध नहीं किया जाएगा और न तो उसका अभिग्रहण ही किया जा सकेगा।

अनु० 82—*निरोध के अन्तर्गत आया हुआ* अभियुक्त अपने निरोध का हेतु बतलाने (सूचित करने) के लिये न्यायालय से निवेदन कर सकता है।

निरोध में आए हुए अभियुक्त का प्रतिवाद-परामर्शदाता, वैध प्रतिनिधि, पालक, विवाहित जोड़ा, वंशीय संबंधी, भाई या बहन *अथवा अन्य कोई* अभिरुचि रखने वाला व्यक्ति पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट निवेदन कर सकता है।

पिछले दो परिच्छेदों में निर्दिष्ट निवेदन कार्यकर नहीं होगा यदि अभियुक्त की जमानती निर्मुक्ति अथवा निरोध के निष्पादन का निलम्बन किया जा चुका हो या जब निरोध विखण्डित कर दिया गया हो अथवा जब निरोध का अधिपत्र प्रभावशून्य हो चुका हो।

अनु० 83 सूचना (Indication) की कार्यवाही खुले न्यायालय में की जाएगी।

न्यायालय न्यायाधीशों एवं न्यायालय के लिपिकों के सामने खोला जाएगा।

यदि अभियुक्त तथा उसके प्रतिवाद परामर्शदाता उपसजात न हों तो न्यायालय नहीं खोला जाएगा। तथापि यह अभियुक्त की उपसजाति (appearance) से सबद्ध उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि अभियुक्त बीमारी जैसे अनिवार्य कारणवश उपसजात होने में असमर्थ हो और जहाँ अभियुक्त की ओर से कोई आपत्ति न हो और न तो अभियुक्त के परामर्शदाता की उपसजाति से सबद्ध दशा में ही (लागू होगा) जहाँ कि अभियुक्त की ओर से कोई आपत्ति न हो।

अनु० 84 न्यायालय में पीठासीन न्यायाधीश निरोध के कारणों की अधिसूचना देगा।

अभियुक्त उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता और अन्य व्यक्ति जिसने निवेदन किया हो अपनी समति दे सकते हैं। यही नियम लोक-समाहर्ता के संबंध में भी लागू होगा।

अनु० 85—सूचना (Indication) की कार्यवाही किसी सहयोगी (Collegiate) न्यायालय के सदस्यों द्वारा निष्पादित की जाएगी।

अनु० 86—उस दशा में जब कि एक ही निरोध के संबंध में अनु० 82 में उल्लिखित दो या अधिक निवेदन हों तो सूचना की कार्यवाही पहले निवेदन की तरह ही की जाएगी। एक व्यवस्था (ruling) द्वारा सूचना की *कार्यवाही पूरी हो जाने पर अन्य निवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा।*

अनु० 87—निरोध के आधार (grounds) अथवा उसकी आवश्यकता न रह जाने पर, लोक-समाहर्ता निरोध में रखे गए अभियुक्त उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता वैध प्रतिनिधि पालक, विवाहित जोड़ा वंशीय संबंधी भाई या *बहन या पदन किसी के निवेदन पर न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling)* द्वारा, निरोध को विखण्डित कर देगा।

अनु० 82 परि० 3 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन के संबंध में लागू होंगे।

अनु० 88—निरोध में रखा गया अभियुक्त, उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता, वैध प्रतिनिधि, पालक, विवाहित जोड़ा, वंशीय संबंधी, भाई या बहन उसकी जमानती निर्मुक्ति (release on bail) के लिए निवेदन कर सकता है।

अनु० 82 परि० 3 के उपबन्ध पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन के संबंध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे।

अनु० 89—जब जमानती निर्मुक्ति का निवेदन किया गया हो तो वह निम्नांकित दशाओं को छोड़कर स्वीकृत किया जायगा

(1) जब कि अभियुक्त पर प्राण-दण्ड या असीमित काल के लिए कठोर श्रम-कारावास या कारावास का दण्ड पाने का अपराध आरोपित हो,

(2) जब कि अभियुक्त पहले प्राणदण्ड या असीमित काल के लिए अथवा दस वर्ष से अधिक अवधि के कठोरश्रम-कारावास या कारावास दण्ड के अपराध से अभिशस्त हो,

(3) जब कि अभियुक्त ने स्वभावत (habitually) तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि वाले कठोरश्रम-कारावास, या कारावास के दण्ड का अपराध किया हो,

(4) जब इस आशङ्का का दृढ एवं तर्कसंगत आधार हो कि अभियुक्त साक्ष्य विनष्ट कर सकता है,

(5) जब कि अभियुक्त का नाम और निवास अज्ञात हो।

अनु० 90—कोई न्यायालय, यदि उचित समझे, जमानती निर्मुक्ति (release on bail) की अनुमति पदेन (ex-officio) दे सकता है।

अनु० 91—जब निरोध के अविपन पर, असमुचित दीर्घ अवधि के लिए निरोध निष्पादित हो चुका हो तो न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, अनु० 88 में उल्लिखित व्यक्ति के निवेदन पर या पदेन, निरोध को विखण्डित कर सकता है अथवा जमानती निर्मुक्ति स्वीकृत कर सकता है।

अनु० 82 परि० 3 के उपबन्ध पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन के संबंध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे।

अनु० 92—न्यायालय जमानती निर्मुक्ति की अनुज्ञा करने अथवा उसके लिए किए गए निवेदन को अस्वीकृत करने के पहले ही किसी लोक-समाहर्ता की समति सुनेगा।

अनु० 93—जमानती निर्मुक्ति स्वीकृत हो जाने पर न्यायालय द्वारा जमानत का द्रव्य निश्चित किया जाएगा।

जमानत के द्रव्य की राशि, अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित (insure) करने के लिए अपराध के स्वरूप एवं परिस्थितियों, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का भार, उसके चरित्र तथा जमानत देने की उसकी आर्थिक समर्थता का विचार करते हुए जितनी पर्याप्त एवं समुचित होगी, निश्चित की जाएगी।

जब जमानती निर्मुक्ति स्वीकृत हो गई हो, अभियुक्त के निवास पर निर्बन्धन (restriction) लगाया जा सकता है, अथवा अन्य कोई शर्तें जिन्हें उचित समझा जाय लगाई जा सकती हैं।

अनु० 94—जमानती निर्मुक्ति प्रदान करने वाली व्यवस्था (ruling) जमानत की राशि के जमा हो जाने के पहले निष्पादित नहीं की जाएगी।

न्यायालय जमानत की माँग करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को जमानत की राशि जमा करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है।

न्यायालय, अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे कि वह उचित समझे, जमानत की राशि के बदले में स्थानापन्न करने के लिए पराक्राम्य जमानत (negotiable securities) या लिखित प्रतिश्रुति (written undertaking) प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकता है।

अनु० 95—न्यायालय, यदि उचित समझे तो एक व्यवस्था (ruling) द्वारा निरोध के अंदर रखे गए अभियुक्त को उसके सबन्धी, किसी सरक्षक संस्था या इसी तरह की अन्य संस्था के प्रभार में सौंपकर अथवा उसके निवास पर निर्बन्धन लगाकर निरोध के निष्पादन को निलम्बित कर सकता है।

अनु० 96—यदि अभियुक्त भग गया हो या उसके भग जाने अथवा साक्ष्य विनष्ट करने के संदेह का तर्कसंगत आधार हो, समन करने पर बिना समुचित कारण के उपसजात होने में असमर्थ रहा हो या उसके निवास पर लगाए गए निर्बन्धन अथवा न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों का अतिलंघन

किया हो तो न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, उसकी जमानती निर्मुक्ति अथवा निरोध-निष्पादन के निलम्बन को विखण्डित कर सकता है।

जमानती निर्मुक्ति के विखण्डित हो जाने की दशा में, न्यायालय एक व्यवस्था (ruling) द्वारा जमानती धन-राशि के पूरे या किसी अंश को जब्त कर सकता है।

जब कि जमानत पर निर्मुक्त कोई व्यक्ति, जिसे दण्ड दिया जा चुका हो और निर्णय के अंतिम रूप से बंधनकारी हो जाने पर निष्पादन के लिए न्यायालय के समक्ष बुलाए जाने पर बिना समुचित कारण के उपसजात होने में असमर्थ रहा हो, या भग गया हो तो न्यायालय, किसी लोक-समाहर्ता के प्रावेदन (motion) पर एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, जमानती धन-राशि के पूरे या किसी अंश को जब्त कर सकता है।

अनु० 97—उस दशा में जब कि निरोध को नवीकृत या विखण्डित करना हो अथवा जमानती निर्मुक्ति या निरोध के निष्पादन का निलम्बन कार्यान्वित या विखण्डित करना हो, उस अभियोग के संबंध में जिसकी अपील की अवधि बीती न हो और जिसकी अपील तबतक संस्थित न की गई हो तो उसके लिए आवश्यक व्यवस्था (ruling) मूल (original) न्यायालय द्वारा जारी की जाएगी।

उस अभियोग के संबंध में जिसकी अपील लम्बित हो और कार्यवाहियों के अभिलेख अपील न्यायालय में न पहुँचे हों, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) जारी करने वाले न्यायालय का निर्धारण न्यायालय के नियमों द्वारा किया जाएगा।

पिछले दो परिच्छेदों के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, उस दशा में भी लागू होंगे जहाँ कि निरोध के हेतु की सूचना देनी हो।

अनु० 98—जब कि जमानती निर्मुक्ति या निरोध-निष्पादन का निलम्बन किसी व्यवस्था (ruling) द्वारा विखण्डित करना हो, या निलम्बन की अवधि समाप्त होती हो तो अभियुक्त को, किसी लोक-समाहर्ता के निर्देशन में, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के किसी सचिव, न्यायिक पुलिस कर्मचारी या कारागार अधिकारी द्वारा, जो कि अभियुक्त को निरोध के अधिपत्र की अथवा उस लिखित व्यवस्था की एक प्रति दिखलाएगा जिसमें जमानती निर्मुक्ति या निरोध-निष्पादन का निलम्बन विखण्डित कर दिया गया हो अथवा जिससे निलम्बन की अवधि निर्धारित की गई हो, परिरोध में रख लिया जाएगा।

अध्याय 9

अभिग्रहण और तलाशी

(Seizure and Search)

अनु० 99—न्यायालय आवश्यकतानुसार इस अथवा अन्य विधियों द्वारा अन्यथा विहित न्याओं का छोड़कर किसी भी वस्तु का अभिग्रहण कर सकता है जिसे वह समझे कि वह वस्तु साक्ष्य में उपयुक्त हो सकती है अथवा जो राज्यसात्करण के योग्य है

न्यायालय अभिग्रहण में की जाने वाली वस्तुओं को नामोद्दिष्ट कर सकता है और उसके स्वामी अधिकर्ता या अभिरक्षक को उक्त वस्तु प्रस्तुत करने के लिए आज्ञा दे सकता है।

अनु० 100—न्यायालय अभियुक्त द्वारा या उसके पास भेजे गए तार से संबद्ध कागजों या डाक-सामग्री को जो किसी सरकारी कार्यालय या किसी अन्य संचार-कार्य करने वाले व्यक्ति के अभिरक्षण या अधिकार में हो अभिग्रहण कर सकता है अथवा उन्हें प्रस्तुत करा सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित से भिन्न डाक-सामग्री या तार से संबद्ध कागजों को जो किसी सरकारी कार्यालय या संचार-कार्य करने वाले अन्य किसी व्यक्ति के अभिरक्षण या अधिकार में हो अभिग्रहण किया जा सकता है या उन्हें प्रस्तुत कराया जा सकता है केवल उसी दशा में जब कि प्रस्तुत अभियोग से उनका संबंध जताने वाली परिस्थितियाँ हों।

जब पिछले दो परिच्छेदों के उपबंधों के अन्तर्गत कोई कार्रवाई कार्यान्वित की गई हो तो इस तथ्य की सूचना भेजने वाले (sender) या पाने वाले (addressee) को दी जाएगी। तथापि यह तब लागू नहीं होगा जब कि उक्त अधिसूचना से कार्यवाही में रुकावट आ जाने की आशंका हो।

अनु० 101—वे वस्तुएँ जो अभियुक्त या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा गिरा दी गई हों अथवा जो उनके स्वामी अधिकर्ता या अभिरक्षक द्वारा स्वेच्छया प्रस्तुत की गई हों प्रतिधारित (retained) की जा सकती है

अनु० 102—न्यायालय आवश्यकतानुसार अभियुक्त के शरीर संपत्ति निवास या अन्य किसी स्थान की तलाशी ले सकता है।

अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति के शरीर, सपत्ति, निवास या अन्य किसी स्थान की तलाशी तभी की जा सकती है जब कि परिस्थितियों से यह विश्वास हो जाय कि वहाँ पर अभिग्रहण के योग्य वस्तुएँ हैं।

अनु० 103—यदि कोई व्यक्ति, जो किसी कार्यालय से सबद्ध कोई लोक-कर्मचारी हो या रह चुका हो, अपने अभिरक्षण या अधिकार में रखी हुई वस्तुओं के सबंध में, यह घोषणा करे कि उक्त वस्तुएँ किसी कार्यालयीय रहस्य से सबद्ध हैं तो ऐसी वस्तुओं का अभिग्रहण किसी समर्थ पर्यवेक्षी कार्यालय की समति में ही किया जा सकता है। तथापि, उन दशाओं को छोडकर, जिनमें कि अनुपालन राज्य के प्रधान हितों के प्रतिकूल हो, वह कार्यालय उक्त समति देना अस्वीकृत नहीं कर सकता।

अनु० 104—यदि पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित घोषणा निम्नलिखित व्यक्तियाँ द्वारा की गई हो तो अभिग्रहण, प्रभाग 1 में उल्लिखित व्यक्ति के सबंध में सदन की समति के बिना, तथा प्रभाग 2 में उल्लिखित व्यक्ति के सबंध में मन्त्रि-परिषद् की समति के बिना, नहीं किया जा सकता :

(1) वह व्यक्ति जो **प्रतिनिधि सदन या सभासद्-सदन** का सदस्य हो या रह चुका हो,

(2) वह व्यक्ति जो प्रधान मंत्री या राज्य-मंत्री हो या रह चुका हो।

पिछले परिच्छेद की दशा में **प्रतिनिधि-सदन, सभासद्-सदन** या **मन्त्रि-परिषद्,** केवल उस दशा को छोडकर, जब कि अनुपालन राज्य के प्रधान हितों के प्रतिकूल हो, समति देना अस्वीकृत नहीं कर सकते।

अनु० 105—कोई व्यक्ति जो डाक्टर, दन्तचिकित्सक, दाई, उपचारिका अधिवक्ता, एकस्व अभिकर्ता (patent agent) लेख्य-प्रमाणक या धार्मिक *कार्यकर्ता हो या रह चुका हो,* किसी प्रादेश (mandate) के फलस्वरूप जो उसे अपनी व्यवसायिक दिशा में मिला हो और जिसका सबंध अन्य व्यक्तियों के रहस्यों से हो, अपने अधिकार या अभिरक्षण में रखी हुई वस्तुओं के अभिग्रहण को अस्वीकृत कर सकता है। *किन्तु यह उस दशा में लागू नहीं होगा* यदि मुख्य (मुवक्किल) ने उक्त अभिग्रहण की समति दे दी हो, या अभिग्रहण की *अस्वीकृति को केवल अधिकार के* दुरुपयोग के अतिरिक्त और कुछ न समझा जाए जिसका उद्देश्य अभियुक्त का हित मात्र हो, जब कि वह मुख्य (मुवक्किल) न हो, अथवा कोई विशेष परिस्थितियाँ हो जिनका निश्चय न्यायालय के नियमों द्वारा किया जाएगा।

अनु० 106 अभिग्रहण या तलाशी का अधिपत्र उसी दशा में जारी किया जाएगा जब कि अभिग्रहण या तलाशी मुझे न्यायालय से अपेक्षा करती हो।

अनु० 107—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र में अभियुक्त और अपराध का नाम, वस्तुएँ जिनका अभिग्रहण करना हो अथवा स्थान, व्यक्ति या वस्तु जिनकी तलाशी लेनी हो, प्रभावी अवधि तथा यह विवरण कि उक्त अवधि के बीत जाने पर अधिपत्र का निष्पादन किसी तरह नहीं किया जाएगा और उसे जारी करने वाले न्यायालय को लौटा दिया जाएगा साथही अन्य तथ्य भी जो न्यायालय नियमों द्वारा विहित हो और पीठासीन न्यायाधीश का नाम एवं उसकी मुहर रहेगी।

अनु० 64 के परिच्छेद 2 के उपबन्ध यथोचित परिवर्तन के साथ पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अभिग्रहण एवं तलाशी के सम्बन्ध में लागू होंगे।

अनु० 108—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र का निष्पादन लोक समाहर्ता के निर्देशन में लोक-समाहर्ता-कार्यालय के किसी सचिव अथवा न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। तथापि उन दशाओं में जबकि न्यायालय अभियुक्त के हितों की रक्षा आवश्यक समझे तो पीठासीन न्यायाधीश उस अधिपत्र को न्यायालय लिपिक या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा निष्पादित किए जाने का निदेश दे सकता है।

अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन में न्यायालय उसके निष्पादन करने वाले व्यक्ति को एसे अनुदेश (instructions) लिखित रूप में दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुदेश, किसी सहयोगी (Collegiate) न्यायालय के सदस्य द्वारा दिए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 71 के उपबन्ध अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन के सम्बन्ध में यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

अनु० 109—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन में लोक समाहर्ता-कार्यालय का सचिव अथवा न्यायालय लिपिक आवश्यकतानुसार, न्यायिक पुलिस कर्मचारी से सहायता की माग कर सकता है।

अनु० 110—अभिग्रहण या तलाशी का अधिपत्र उस व्यक्ति को दिखाया जाएगा जिसके विरुद्ध वह कारवाई की गई हो।

अनु० 111—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन में ताले हटाए जा सकते हैं, मुहरें खाली जा सकती है या अन्य कोई आवश्यक उपाय किए जा सकते है। यही नियम खुले न्यायालय में कार्यान्वित, अभिग्रहण या तलाशी के संबन्ध में लागू होगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कार्रवाई अभिगृहीत वस्तुओं के संबन्ध में भी की जा सकती है।

अनु० 112—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन पर्यन्त किसी भी व्यक्ति का प्रवेश करने अथवा बिना अनुज्ञा के वह स्थान छोड़ने के लिए निषिद्ध किया जा सकता है

वह व्यक्ति जो पिछले परिच्छेद के निषेध का अनुपालन न करे उसे निष्पादन की समाप्ति तक वापस जाने (पीछे हट जाने) अथवा कटघर में रखे जाने को बाध्य किया जा सकता है।

अनु० 113—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादित किए जाने के समय लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद परामर्शदाता उपस्थित रह सकते है। तथापि, यह उस अभियुक्त के संबन्ध में लागू नहीं होगा जो शारीरिक अवरोध में रखा गया हो।

अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र को निष्पादित करने वाला व्यक्ति उन व्यक्तियों को, जो कि पिछले परिच्छेद के उपबन्धानुसार उपस्थित रह सकते हों, निष्पादन की तिथि, समय एवं स्थान के बारे में अग्रिम सूचना देगा। तथापि यह उस दशा में लागू नहीं होगा जबकि निष्पादन पर उपस्थित रहने का अधिकारी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपने उपस्थित न रहने की इच्छा अग्रिम रूप में स्पष्टतः व्यक्त करे और न तो उस दशा में हीं, जहाँ कि अविलम्बिता अपेक्षित हो।

अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन में, न्यायालय आवश्यकतानुसार अभियुक्त को उपस्थित रहने को प्रेरित कर सकता है।

अनु० 114—उस दशा में, जबकि अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र का निष्पादन किसी लोक-कार्यालय में करना हो तो उक्त कार्यालय के अध्यक्ष अथवा उसके स्थानापन्न व्यक्ति को इस तथ्य की अधिसूचना दी जाएगी और इस कार्रवाई के कार्यान्वित करते समय उसे उपस्थित रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

पिछले परिच्छेद के उपबंधों द्वारा नियन्त्रित दशाओं को छोड़कर जब कोई अभिग्रहण या तलाशी का अधिपत्र किसी व्यक्ति के निवास परिसर भवन या व्यक्तियों द्वारा रक्षित जलयान में निष्पादित करना हो तो अधिभोक्ता (occupant) या पालक (keeper) अथवा उनके स्थान पर काम करने वाले व्यक्तियों को उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यदि उक्त व्यक्ति न मिलें तो कोई पड़ोसी या स्थानीय लोक-सत्ता के किसी कर्मचारी को उपस्थित रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

अनु० 115—यदि किसी स्त्री के शरीर की तलाशी का निष्पादन करना हो तो एक अन्य वयस्क स्त्री का उपस्थित रहना आवश्यक होगा किन्तु अविलम्बिता की दशाओं में यह लागू नहीं होगा।

अनु० 116—सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद किसी व्यक्ति के निवास परिसर भवन या व्यक्तियों द्वारा रक्षित जलयान में तलाशी या अभिग्रहण के अधिपत्र के निष्पादन के अभिप्राय से तबतक प्रवेश नहीं किया जाएगा जबतक कि अधिपत्र में यह विवरण न हो कि उसका निष्पादन रात्रि में भी होगा।

उस दशा में जबकि तलाशी या अभिग्रहण के किसी अधिपत्र का निष्पादन सूर्यास्त के पूर्व प्रारम्भ किया गया हो तो वह कार्रवाई सूर्यास्त के बाद तक भी जारी रखी जा सकती है।

अनु० 117—पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में विहित निर्बन्धन का अनुपालन अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन के संबन्ध में निम्नांकित स्थानों में आवश्यक नहीं है —

(1) वे स्थान जहाँ स्वभावतः जुआ खेला जाता हो, लाटरी निकाली जाती हो अथवा जहाँ नैतिक आचारों के प्रतिकूल काम होते हों

(2) पान्थशाला (Inns), भोजनालय या अन्य स्थान जहाँ लोग रात को भी पहुँच सकते हों किन्तु केवल उन्हीं घंटों में जबकि वे जन सामान्य के लिए खुले रहते हों।

अनु० 118—उस दशा में जबकि अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र का निष्पादन निलम्बित हो, आवश्यकतानुसार उससे संबद्ध स्थान बन्द किया जा सकता है अथवा इसके लिए कोई रक्षा (guard) तबतक के लिए नियुक्त किया जा सकता है जबतक कि निष्पादन पूरा न हो जाए।'

अनु० 119—जब कोई तलाशी की गई हो और साक्ष्य के किसी अश या अभिग्रहण योग्य वस्तुओं का पता न लगा हो तो उस व्यक्ति की माँग पर, जिसकी तलाशी हुई हो, इस तथ्य का प्रमाण-पत्र उसे दिया जाएगा।

अनु० 120—अभिग्रहण के सदर्भ में, ली गई सपत्ति की एक वस्तु-सूची (inventory) बनाई जाएगी और सपत्ति के स्वामी अधिकर्ता या अभिरक्षक को अथवा उसकी अनुपस्थिति में उस व्यक्ति को, जो उसका अभिवेदन करता हो दे दी जाएगी।

अनु० 121 अभिगृहीत वस्तुओं के सबन्ध में, जिनका परिवहन सुविधापूर्वक न किया जा सके या जिन्हें सुविधापूर्वक अभिरक्षा (custody) में न रखा जा सके, या तो एक रक्षी (guard) रखा जा सकता है या उसका स्वामी या अन्य कोई व्यक्ति उसका अभिरक्षक बनने के लिए नियत किया जा सकता है यदि वह इससे सहमत हो।

अभिगृहीत वस्तुओं को यदि उनसे खतरा पैदा होने की आशका हो, विनष्ट किया अथवा दूर फेंका जा सकता है।

वह व्यक्ति, जिसने अभिग्रहण का अधिपत्र निष्पादित किया हो, पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित कारवाइयों को भी कार्यान्वित कर सकता है, जबतक कि किसी न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश न दिए जायें।

अनु० 122 –यदि इस बात की आशका हो कि अभिगृहीत वस्तुएँ, जो राज्यसात्करण के योग्य हों, खो जाएँगी, विनष्ट या क्षत हो जाएँगी अथवा उन्हें सुविधापूर्वक अभिरक्षा में नही रखा जा सकता तो वे न्यायालय द्वारा बेची जा सकती है और आगम (Proceeds) अभिरक्षा में रखा जा सकता है।

अनु० 123 – अभिगृहीत वस्तुएँ, जिनका प्रतिधारण अनावश्यक हो, वाद की समाप्ति की बिना प्रतीक्षा किए, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, प्रत्यावर्तित की जा सकती है।

अभिग्रहण के अन्तर्गत रखी वस्तुओं का, उन्हें प्रस्तुत करने वाले स्वामी, अधिकर्ता, अभिरक्षक या पार्टी का माँग करने पर, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, अस्थायीरूप से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

लोक-समाहर्ता और अभियुक्त, या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की समति, पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित व्यवस्थाओं (rulings) के कार्यान्वित किए जाने के पहले ही सुनी जाएगी।

अनु० 124—असद् रूप से प्राप्त (ill-gotten) अभिगृहीत माल, जिसका प्रतिधारण अनावश्यक हो लोक-समाहर्ता अभियुक्त अथवा उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की सम्मति सुनने के बाद एक व्यवस्था (ruling) द्वारा वाद की समाप्ति की बिना प्रतीक्षा किए हुए अपहृत पक्ष को प्रत्यावर्तित कर दिए जाएंगे, किन्तु केवल उसी दशा में जब कि उन्हें अपहृत पक्ष को प्रत्यावर्तित करने के स्पष्ट कारण हों।

पिछले परिच्छेद के उपबन्ध किसी बद्धहित (interested) व्यक्ति को, दीवानी प्रक्रिया द्वारा अपने अधिकार प्रदर्शन से नहीं रोकेंगे।

अनु० 125 सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य को अभिग्रहण या तलाशी कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है अथवा जहाँ अभिग्रहण या तलाशी कार्यान्वित करनी हो उस स्थान पर, जिला-न्यायालय, परिवार न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को वैसा करने के लिए अधियाचित किया जा सकता है।

अधियाचित न्यायाधीश जिला-न्यायालय परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को, जिसे उक्त अभिग्रहण के अन्तर्गत कार्य करने का अधिकार हो, अधियाचित कर सकता है।

यदि अधियाचित न्यायाधीश के पास स्वयं, अभिग्रहण के अन्तर्गत विषय पर कोई प्राधिकार न हो तो वह उस अधियाचना को दूसरे जिला-न्यायालय, परिवार न्यायालय, अथवा क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, जो उक्त अधियाचना स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत हो, अन्तरित कर सकता है।

जहाँ तक किसी राजादिष्ट न्यायाधीश या अधियाचित न्यायाधीश द्वारा कार्यान्वित अभिग्रहण या तलाशी का सम्बन्ध है, किसी न्यायालय द्वारा कार्यान्वित अभिग्रहण या तलाशी से सम्बद्ध उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे। तथापि, अनुच्छेद 100 परिच्छेद 3 में उल्लिखित सूचना किसी न्यायालय द्वारा दी जाएगी।

अनु० 126—यदि निरोध या प्रस्तुति के अधिपत्र के निष्पादन के लिए आवश्यक हो तो लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी, अभियुक्त की तलाशी के लिए, किसी व्यक्ति के निवास, अथवा परिसर, भवन या व्यक्तियों द्वारा रक्षित जलयान में प्रवेश कर सकता है। उपर्युक्त दशा में तलाशी का अधिपत्र आवश्यक नहीं है।

अनु० 127—पिछले परिच्छेद के उपबन्धों के अनुसरण में, किसी न्यायिक पुलिस कर्मचारी या लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव द्वारा कार्यान्वित तलाशी के सबन्ध में, अनुच्छेद 111, 112, 114 तथा 118 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे। तथापि, अविलम्बिता की दशा में, अनुच्छेद 114 परिच्छेद 2 के उपबन्धों का अनुपालन आवश्यक नहीं होगा।

अध्याय 10

निरीक्षण द्वारा साक्ष्य

(Evidence by Inspection)

अनु० 128—तथ्यों का पता लगाने के लिए यदि आवश्यक हो तो न्यायालय साक्ष्य का एक निरीक्षण (Inspection of Evidence) कार्यान्वित कर सकता है।

अनु० 129—निरीक्षण के सदर्भ में, शरीर की परीक्षा, शव का विच्छेदन, कब्र का उत्खनन (opening of grave), वस्तुओं का विनाश अथवा अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

अनु० 130—सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, किसी व्यक्ति के निवास अथवा परिसर, भवन या व्यक्तियों द्वारा रक्षित जलयानों में, निरीक्षण के लिए, उनके अधिभोक्ता (occupants) या पालक या उनके स्थान पर काम करने वाले व्यक्तियों की सम्मति से ही प्रवेश किया जा सकता है। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि यह आशंका हो कि निरीक्षण की वस्तु सूर्योदय के बाद न मिल सकेगी।

सूर्यास्त के पहले प्रारम्भ किया गया निरीक्षण, सूर्यास्त के बाद भी जारी रखा जा सकता है।

अनुच्छेद 117 में उल्लिखित स्थानों के सबन्ध में, पहले परिच्छेद में उल्लिखित निर्बन्धन का पालन आवश्यक नहीं।

अनु० 131—शरीर की परीक्षा में लिंग, स्वास्थ्य की दशा, एवं अन्य परिस्थितियों का विचार, अवश्य किया जाएगा और उस व्यक्ति (स्त्री या पुरुष) की ख्याति की क्षति न पहुँचे इसके लिए हर उपाय से, विशेषतः निरीक्षण के ढंग के चयन में, अवश्य विचार किया जाएगा।

किसी स्त्री की शरीर-परीक्षा में, किसी डाक्टर या अन्य वयस्क स्त्री को उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

अनु० 132—न्यायालय, अभियुक्त से भिन्न व्यक्तियों को शरीर-परीक्षा के लिए या तो न्यायालय में या अन्य नामोद्दिष्ट स्थान पर बुला सकता है।

अनु० 133—उस दशा में जबकि पिछले अनुच्छेद के अनुसार आहूत (summoned) व्यक्ति बिना उचित कारण के उपसजात (पेश) न हो तो न्यायालय एक व्यवस्था (ruling) द्वारा उस पर पाँच हजार येन तक का अदाण्डिक अर्थदण्ड (non-penal fine) लगा सकता है और साथ ही उसकी अनुपसजाति (non-appearance) से होने वाले व्यय का प्रतिकर देने के लिए आदेश दे सकता है।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न (immediate) कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 134 उस दशा में जबकि अनुच्छेद 132 के अनुसार समन किया हुआ व्यक्ति, बिना उचित कारण के उपसजात न हो तो उसे पाँच हजार येन तक का अर्थदण्ड अथवा निरोध से दण्डित किया जा सकता है।

पिछले परिच्छेद के अपराध करनेवाले व्यक्ति पर परिस्थितियों के अनुसार, अर्थदण्ड और निरोध दोनों ही दण्ड लगाए जा सकते हैं।

अनु० 135—प्रत्येक व्यक्ति को, जो अनुच्छेद 132 के अनुसार समना (आह्वाना) का पालन न करे, फिर से समन किया जा सकता है अथवा प्रस्तुति के अधिपत्र पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

अनु० 136—अनुच्छेद 62, 63 और 65, यथोचित परिवर्तन के साथ, अनुच्छेद 132 और पिछले अनुच्छेद के उपबन्धों के अन्तर्गत समनों के सबन्ध में लागू होंगे, जबकि अनुच्छेद 62, 64 66, 67 70 71 और अनुच्छेद 73 का परिच्छेद 1, पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित प्रस्तुति (production) के सबन्ध में लागू होंगे।

अनु० 137—उस दशा में जबकि अभियुक्त अथवा अभियुक्त से भिन्न कोई व्यक्ति बिना समुचित कारण के, शरीर की परीक्षा अस्वीकृत कर दे तो उसे एक व्यवस्था (ruling) द्वारा पाँच हजार येन तक का अदाण्डिक अर्थदण्ड (non-penal fine) लगाया जाएगा, और साथ ही उसे उक्त

अस्वीकरण से होनेवाले व्यय का प्रतिकर देने के लिए आदेश दिया जा सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न (immediate) कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 138—प्रत्येक व्यक्ति का, जो बिना समुचित कारण के, शरीर की परीक्षा को अस्वीकृत करे, अधिक से अधिक पांच हजार येन तक का अर्थदण्ड या निरोध का दण्ड दिया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अपराध किया हो, परिस्थितियों के अनुसार, अर्थदण्ड एवं निरोध दोनों ही दण्ड दिया जा सकता है।

अनु० 139—उस दशा में जबकि न्यायालय, शरीर-परीक्षा अस्वीकृत करनेवाले व्यक्ति पर अदाण्डिक अर्थदण्ड या अन्य दण्ड लगाना प्रभावशून्य समझे तो वह उसकी अस्वीकृति (refusal) का बिना विचार किए हुए उसकी शरीर की परीक्षा करा सकता है।

अनु० 140—अनुच्छेद 137 के अन्तर्गत अदाण्डिक अर्थदण्ड लगाने अथवा पिछले अनुच्छेद के अन्तर्गत शरीर-परीक्षा के निष्पादन के पूर्व ही, न्यायालय किसी लोक-समाहर्ता की समति सुनेगा और उस व्यक्ति की आपत्तियों (objections) को निश्चित रूप से जानने के लिए उचित प्रयत्न भी करेगा, जिसकी परीक्षा करनी हो।

अनु० 141—निरीक्षण में, आवश्यकतानुसार, किसी न्यायिक पुलिस कर्मचारी का सहायता के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

अनु० 142—अनुच्छेद 112 से 114, 118 और 125 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, निरीक्षण के सबन्ध में लागू होंगे।

अध्याय 11

साक्षी की परीक्षा

(Examination of Witness)

अनु० 143—इस विधि में अन्यथा विहित दशा को छोड़कर, न्यायालय साक्षी के रूप में किसी भी व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है।

अनु० 144 यदि कोई व्यक्ति, जो लोक-कर्मचारी हो या पहले रह चुका हो, उन तथ्यों के विषय में जानकारी रखता हो जिनके विषय में वह स्वयं, अथवा *लोक-कार्यालय जिससे वह संबद्ध हो या पहले रह चुका हो, यह घोषित* करे कि वे तथ्य कार्यालयीय रहस्यों से सबन्ध रखते हैं, तो साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा, किसी सक्षम पर्यवेक्षी कार्यालय (competent supervisory office) की सम्मति के बिना नहीं की जा सकती। तथापि, उक्त कार्यालय, उन दशाओं को छोड़कर जिनमें अनुपालन राज्य के प्रधान हितों के प्रतिकूल हो, उक्त सम्मति देना अस्वीकृत नहीं कर सकता।

अनु० 145— यदि पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित घोषणा निम्नलिखित *व्यक्तियों द्वारा की गई हो तो साक्षी के रूप में उनकी परीक्षा प्रभाग* **1** में उल्लिखित व्यक्ति के सबन्ध में सदन की सम्मति के बिना, और प्रभाग **2** में उल्लिखित व्यक्ति के सबन्ध में, मन्त्रिपरिषद् की सम्मति के बिना, नहीं की जाएगी :

(1) वह व्यक्ति, जो **प्रतिनिधि-सदन** या **सभासद्-सदन** का सदस्य हो या रह चुका हो,

(2) *वह व्यक्ति, जो प्रधान-मन्त्री या राज्य-मन्त्री हो या रह चुका हो।*

पिछले परिच्छेद की दशा में, प्रतिनिधि-सदन, सभासद्-सदन या मन्त्रिपरिषद् केवल उस दशा को छोड़कर जबकि अनुपालन राज्य के प्रधान हितो प्रतिकूल हो, उक्त सम्मति देना अस्वीकृत नहीं कर सकती।

अनु० 146— कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर देना अस्वीकृत कर सकता है जिसका लक्ष्य स्वयं अपने आपको अभिशस्त (incriminate) करना हो।

अनु० 147—साक्षी ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर देना अस्वीकृत कर सकता है जिसका लक्ष्य निम्नांकित व्यक्तियों का अभिशस्त करना हो

(1) साक्षी का पति या पत्नी, तीसरी सबन्ध-कोटि (third degree of relationship) के अन्दर का रक्त-सबन्धी, अथवा दूसरी सबन्ध-कोटि के अन्तर्गत विवाह-सबन्ध का सबन्धी अथवा वह व्यक्ति जो साक्षी के उपर्युक्त सबन्धियों में से कोई सबन्धी रहा हो,

(2) साक्षी का सरक्षक, सरक्षण का पर्यवेक्षक या पालक (curator),

(3) वह व्यक्ति जिसका सरक्षक, सरक्षण का पर्यवेक्षक, अथवा पालक (curator) साक्षी स्वयं हो।

अनु० 148 यद्यपि साक्षी पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित सबन्धों में से सहापराधियों (co-offenders) या सहप्रतिवादियों (co-defendants) में किसी एक या अधिक द्वारा सबद्ध हो तथापि वह उन तथ्यों के सबन्ध में उत्तर देना अस्वीकार नहीं करेगा जो शेष सहापराधियों या सहप्रतिवादियों से सबन्ध रखते हों।

अनु० 149— कोई व्यक्ति जो डाक्टर दन्तचिकित्सक, दाई, उपचारिका, अधिवक्ता एकस्व अभिकर्ता (Patent Agent), लेख्य प्रमाणक या धार्मिक कार्यकर्ता हो या रह चुका हो, उन तथ्यों के सबन्ध में जिनकी जानकारी उसे किसी प्रादेश (mandate) के फलस्वरूप हुई हो जो उसे अपनी व्यावसायिक दिशा में मिला हो, और जिनका सबन्ध अन्य व्यक्तियों के रहस्यों से हो मौखिक साक्ष्य देना अस्वीकृत कर सकता है। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा यदि मुख्य (मुवक्किल) ने सम्मति दे दी हो अथवा जबकि मौखिक साक्ष्य की अस्वीकृति का केवल अधिकार के दुरुपयोग से अतिरिक्त और कुछ न समझा जाए जिसका उद्देश्य अभियुक्त का हित मात्र हो जबकि वह मुख्य अपराधी न हो अथवा कोई विशेष परिस्थितियाँ हों जिनका निश्चय न्यायालय-नियमों द्वारा किया जाएगा।

अनु० 150—यदि कोई समन किया गया साक्षी बिना उचित कारण के उपसजात होने में असमर्थ रहे तो उसे, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा अधिक से अधिक पाँच हजार येन तक का अदाण्डिक अर्थदण्ड (non-penal fine) दिया जा सकता है और साथ ही उसे उसकी अनुपसजाति (non-appearance) से होने वाले व्ययों के प्रतिकर देने का आदेश दिया जा सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न (immediate) कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 151 – यदि साक्षी के रूप में समन किया गया कोई व्यक्ति, बिना उचित कारण के, उपसजात होने में असमर्थ रहे तो उसे पाँच हजार येन तक का अर्थदण्ड या निरोध का दण्ड दिया जाएगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित दशा में, परिस्थितियों के अनुसार, अर्थदण्ड और निरोध दोनों की दण्ड लगाए जा सकते हैं।

अनु० 152—ऐसे साक्षी को जो समन का अनुपालन न करे, फिर से समन किया जा सकता है।

अनु० 153—अनुच्छेद 62, 63 और 65 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ साक्षी के समनों के संबन्ध में लागू होंगे जबकि अनुच्छेद 62, 64 66, 67 70 71 और 73 परिच्छेद 1 के उपबन्ध साक्षी की प्रस्तुति के संबन्ध में।

अनु० 154 साक्षी को इस विधि में अन्यथा विहित दशा को छोड़कर, शपथ दिलाया जाएगा।

अनु० 155— शपथ न समझ सकने वाले साक्षी की परीक्षा बिना शपथ दिलाए ही की जाएगी।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कोई साक्षी (गलती से) शपथ ले लिया हो तथापि यह उसके प्रमाण को सबल साक्ष्य होने से नहीं रोकता।

अनु० 156 साक्षी को अपने अनुमानों के विवरण देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है जिन्हें उसने अपने अनुभूत तथ्यों से निकाला हो।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित विवरण प्रमाण के रूप में अपनी मान्यता नहीं खोएगा चाहे वह विशेषज्ञ साक्ष्य (expert evidence) का रूप भले धारण कर ले।

अनु० 157 साक्षी की परीक्षा के समय लोक-समाहर्ता अभियुक्त अथवा उसका प्रतिवाद परामर्शदाता उपस्थित रह सकता है।

पिछले परिच्छेद के अनुसार परीक्षा के समय उपस्थित रहने के अधिकारी व्यक्तियों को साक्षी की परीक्षा के स्थान एवं तिथि की सूचना अग्रिम रूप में दी जाएगी। तथापि यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि परीक्षा के समय उपस्थित रहने का अधिकारी व्यक्ति वहाँ उपस्थित न रहने की अपनी इच्छा न्यायालय के समक्ष अग्रिम रूप में स्पष्टतः व्यक्त करे।

जब पहले परिच्छेद में उल्लिखित व्यक्ति साक्षी की परीक्षा के समय उपस्थित होते हों वे किसी पीठासीन न्यायाधीश को अधिसूचित करके साक्षी की परीक्षा कर सकते हैं।

अनु० 158—लोक-समाहर्ता एवं अभियुक्त या उसके प्रतिवाद परामर्शदाता की सम्मति सुनने के बाद, तथा साक्षी, उसकी आयु, व्यवसाय स्वास्थ्य, अन्य विशेष परिस्थितियों के महत्त्व एवं वाद की गुरुता पर विचार करते हुए

न्यायालय यदि आवश्यक समझे तो साक्षी की परीक्षा के लिए न्यायालय से भिन्न किसी स्थान पर समन कर सकता है अथवा वह जहां हो वहां परीक्षा कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित दशा के अंतर्गत न्यायालय लोक-समाहर्ता अभियुक्त और उसके प्रतिवाद परामर्शदाता को न्यायालय द्वारा साक्षी से पूछे जाने वाले प्रश्नों को जानने का अवसर अग्रिम रूप में देगा।

लोकसमाहर्ता अभियुक्त अथवा उसके प्रतिवाद परामर्शदाता पिछले परिच्छेद में उल्लिखित प्रश्नों में क्रमशः अपने प्रश्नों को जोड़ सकते हैं और उन्हें साक्षी से पूछने के लिए न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं।

अनु० 159—पिछले अनुच्छेद द्वारा विहित साक्षी की परीक्षा के समय यदि लोकसमाहर्ता अभियुक्त या उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता उपस्थित न रहा हो तो न्यायालय लोकसमाहर्ता अभियुक्त अथवा उसके प्रतिवाद परामर्शदाता को साक्षी द्वारा प्रमाणित तथ्य जानने का अवसर देगा।

उस दशा में जब कि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित साक्षी के प्रमाण में अभियुक्त को कोई अप्रत्याशित एवं गम्भीर अलाभ हो तो वह अथवा उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता न्यायालय से उन विषयों के संबंध में जिसे वह अथवा उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता प्रतिवाद के लिए आवश्यक समझता हो पुनः परीक्षा के लिए फिर से निवेदन कर सकते हैं।

न्यायालय पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन को खारिज कर सकता है यदि वह उक्त निवेदन को युक्तियुक्त न समझे।

अनु० 160—यदि कोई साक्षी शपथ लेने अथवा बिना उचित कारण के प्रमाण देना अस्वीकृत करे तो उसे एक व्यवस्था (ruling) के आधार पर पांच हजार यन तक का अशास्तिक अर्थदण्ड (non penal fine) एवं साथ ही उक्त अस्वीकृति से होने वाले व्ययों के प्रतिकर देने का आदेश दिया जा सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न (immediate) कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 161—किसी व्यक्ति को शपथ लेने अथवा बिना उचित कारण के प्रमाण देना अस्वीकृत करने पर पांच हजार यन तक का अर्थदण्ड या निरोध का दण्ड दिया जाएगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित दशा के अन्तर्गत परिस्थितियों के अनुसार, अर्थदण्ड एवं निरोध दोनों ही दण्ड लगाए जा सकते हैं।

अनु० 162 न्यायालय एक व्यवस्था (ruling) के आधार पर, आवश्यकतानुसार साक्षी को किसी नामोद्दिष्ट स्थान पर साथ जाने के लिए आदेश दे सकता है। साक्षी को यदि वह बिना किसी उचित कारण के साथ जाने के आदेश का अनुपालन न करे प्रस्तुत कराया जा सकता है।

अनु० 163 उस दशा में जब कि किसी साक्षी की परीक्षा न्यायालय के बाहर करनी हो तो उक्त परीक्षा करने के लिए सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य को प्रेरित किया जा सकता है अथवा जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जहाँ वह साक्षी हो, वैसा (परीक्षा) करने के लिए अधियाचित किया जा सकता है।

अधियाचित न्यायाधीश अपनी बारी में किसी अन्य जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अधियाचित कर सकता है जिसे उक्त अधियाचना स्वीकृत करने का प्राधिकार हो।

यदि अधियाचित न्यायाधीश को अधियाचना के अन्तर्गत विषय पर स्वयं प्राधिकार न हो तो वह अधियाचना को अन्य जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश के यहाँ अन्तरित कर सकता है जिसे उक्त अधियाचना स्वीकृत करने का प्राधिकार हो।

साक्षियों की परीक्षा के सम्बन्ध में राजादिष्ट अथवा अधियाचित न्यायाधीश पीठासीन न्यायाधीश के न्यायालय से सबद्ध कारवाइयाँ कर सकता है। तथापि अनुच्छेद 150 एवं 160 में उल्लिखित व्यवस्थाएँ (rulings) न्यायालय द्वारा भी की जा सकेंगी।

पिछले परिच्छेद को छोड़कर अनुच्छेद 158 परिच्छेद 2 और 3 तथा अनुच्छेद 159 द्वारा विहित सभी कार्यवाहियाँ (प्रधान) न्यायालय द्वारा कार्यान्वित की जाएँगी।

अनु० 164—साक्षी यात्रा-व्यय (travelling expenses), दैनिक भत्ता एवं निवास प्रभारों (lodging charges) की माँग कर सकता है। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा, यदि उसने बिना उचित कारण के शपथ लेने अथवा प्रमाणित करने से इन्कार किया हो।

अध्याय 12

विशेषज्ञ साक्ष्य (Expert Evidence)

अनु० 165—न्यायालय विद्वाना एव अनुभव वाले व्यक्तियो को विशेष साक्ष्य (expert evidence) देने के लिए आदेश दे सकता है।

अनु० 166—विशेषज्ञ साक्षी को शपथ दिलाया जायगा।

अनु० 167—यदि अभियुक्त की शारीरिक या मानसिक दशाओं के सबन्ध में विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता हो, तो न्यायालय, आवश्यकतानुसार, अभियुक्त को किसी औषधालय या अन्य उपयुक्त स्थान में, निश्चित अवधि तक परिरुद्ध रख सकता है।

पिछले परिच्छेद के अनुसार अभियुक्त का परिरुद्ध रखने के लिए परिरोध का एक प्रादेश (writ) जारी किया जाएगा।

इस विधि में अन्यथा विहित दशा का छोडकर, निरोध-सम्बधी उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, पहले परिच्छेद में उल्लिखित परिरोध के सबध में लागू होगे। तथापि, यह जमानती निर्मुक्ति से सबद्ध उपबन्धो के सबध में लागू नही होगे।

अनु० 168—विशेषज्ञ साक्ष्य के लिए आवश्यकतानुसार, कोई विशेषज्ञ साक्षी, न्यायालय की अनुमति से, किसी व्यक्ति के निवास, परिसर, भवन या व्यक्तियो द्वारा रक्षित जलयानो में प्रवेश कर सकता है, शरीर की परीक्षा (जाँच) कर सकता है, शव का विच्छेदन कर सकता है, समाधि उखाड सकता है, अथवा वस्तुओं को तोड या विनष्ट कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुमति देने पर, न्यायालय अनुमति का एक अधिपत्र जारी करेगा जिसमें अभियुक्त का नाम, अपराध, स्थान जिसमें प्रवेश करना हो, शरीर, जिसकी परीक्षा करनी हो, शव जिसका विच्छेदन करना हो, समाधि जिसे उखाडना हो, वस्तुएँ जिन्हें विनष्ट करना हो, विशेषज्ञ साक्षी का नाम तथा न्यायालय के नियमों द्वारा विहित अन्य विषय लिखित रहेंगे।

न्यायालय किसी व्यक्ति (शरीर) की परीक्षा के लिए कुछ उपबन्धों को विहित कर सकता है जिन्हें वह न्यायालय युक्तिसंगत समझे।

विशेषज्ञ साक्षी अनुमति का अधिपत्र उस व्यक्ति को दिखलाएगा जिस पर पहले परिच्छेद में उल्लिखित कार्रवाई हुई हो।

पिछले तीन परिच्छेदों के उपबन्ध विशेषज्ञ साक्षी द्वारा न्यायालय-कक्ष में की जाने वाली पहले परिच्छेद में उल्लिखित कार्रवाइयों के संबंध में नहीं लागू होंगे।

अनुच्छेद 131, 137, 138 और 140 के उपबन्ध यथोचित परिवर्तन के साथ, पहले परिच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार किसी विशेषज्ञ साक्षी द्वारा की गई शरीर की परीक्षा के संबंध में लागू होंगे।

अनु० 169—न्यायालय, सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य को विशेषज्ञ साक्ष्य लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को प्रेरित कर सकता है। तथापि यह अनुच्छेद 167, परिच्छेद 1 में विहित कार्रवाई के संबंध में लागू नहीं होगा।

अनु० 170—विशेषज्ञ साक्षी द्वारा की जाने वाली परीक्षा या जाँच के समय लोक-समाहर्ता या प्रतिवादी-परामर्शदाता उपस्थित रह सकते हैं। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 157 परिच्छेद 2 के उपबन्ध, यथोचित, परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

अनु० 171 प्रस्तुति से संबद्ध उपबन्धों को छोड़कर, पिछले अध्याय के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, विशेषज्ञ साक्ष्य के संबंध में लागू होंगे।

अनु० 172—वह व्यक्ति, जिसकी शरीर-परीक्षा, अनुच्छेद 168, परिच्छेद 1 के अनुसार किसी विशेषज्ञ साक्षी द्वारा की जाने वाली हो, यदि परीक्षा देने से इनकार करे तो विशेषज्ञ साक्षी परीक्षा के लिए किसी न्यायाधीश से निवेदन कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन पर, न्यायाधीश, आवश्यक परिवर्तनों के साथ अध्याय 10 की व्यवस्थाओं के अनुसार, शरीर की परीक्षा कर सकता है।

अनु० 173—विशेषज्ञ साक्षी अपने यात्रा-व्यय, दैनिक भत्ते एवं निवास खर्च के साथ ही साथ अपनी सम्मति एवं परिव्यय की प्रतिपूर्ति के शुल्क की माँग कर सकता है।

अनु० 174—उस दशा में जब कि किसी व्यक्ति की परीक्षा, उन भूतकालीन तथ्यों के सबंध में की गई हो, जिन्हें वह अपने विशेष-ज्ञान के कारण जानता हो, तो इस अध्याय के उपबन्धों के बदले पिछले अध्याय के उपबन्ध ही कार्यकर होंगे।

अध्याय 13

अर्थ-निर्वचन एवं अनुवाद

(Interpretation and Translation)

अनु० 175— उस दशा में जब कि किसी ऐसे व्यक्ति से विवरण लेना हो जो जापानी भाषा में प्रवीण न हो तो एक भाषान्तर करने वाले (द्विभाष) को अर्थ-निर्वाचन के लिए प्रेरित किया जाएगा।

अनु० 176—उस दशा में जब कि किसी बधिर या मूक से विवरण लेना हो तो किसी अर्थ-निर्वाचक को अर्थ लगाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

अनु० 177 वर्ण, चिह्न या सकेत जो जापानी भाषा में न हों अनूदित कराए जा सकते हैं।

अनु० 178 पिछले अध्याय के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, अर्थ-निर्वचन एवं अनुवाद के सम्बन्ध में लागू होंगे।

अध्याय 14

साक्ष्य का परिरक्षण

(Preservation of Evidence)

अनु० 179—अभियुक्त, संदिग्ध अथवा उनका प्रतिवाद-पक्षसमर्थदाता, जब ऐसे कारण हों जिनसे साक्ष्य का अग्रिम परिरक्षण न होने पर, साक्ष्य का उपयोग दुष्कर हो जाय, पहले लोक-विचारण के पूर्व ही, न्यायाधीश से अभिग्रहण, तलाशी, निरीक्षण द्वारा साक्ष्य, साक्षी की परीक्षा अथवा विशेषज्ञ साक्ष्य जैसी कार्रवाइयों के करने का निवेदन कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में विहित निवेदन को प्राप्त करने वाले न्यायाधीश को वही अधिकार होगा जैसा किसी पीठासीन न्यायाधीश के न्यायालय को उसकी कार्रवाइयों के संबंध में होता है।

अनु० 180—कोई लोक समाहर्ता तथा प्रतिवाद-परामर्शदाता, न्यायालय में पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में उल्लिखित कार्रवाइयों से सबद्ध साक्ष्यों के अशो एव प्रलेखों (documents) का निरीक्षण एव उसकी प्रतिलिपि कर सकते हैं। तथापि, यदि प्रतिवाद-परामर्शदाता को साक्ष्य के अशो की प्रतिलिपि करना हो तो उसे न्यायाधीश की अनुमति लेनी होगी।

अभियुक्त या सदिग्ध न्यायालय में न्यायाधीश की अनुमति से, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित प्रलेखो एव साक्ष्य के अशो के निरीक्षण कर सकते हैं। तथापि यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि अभियुक्त या सदिग्ध को कोई प्रतिवाद-परामर्शदाता सौंपा गया हो।

अध्याय 15

विचारण के परिव्यय

(Costs of Trial)

अनु० 181—दण्ड के उद्घोषित किए जाने पर, विचारण के परिव्यय का पूरा या कोई अश अभियुक्त से चार्ज (वसूल) किया जाएगा।

कोई दण्ड उद्घोषित किए जाने पर भी, यह परिव्यय, जो ऐसे कारण से उत्पन्न हुआ हो, जिसे अभियुक्त पर आरोपित किया जा सके, अभियुक्त से वसूल किया जाएगा।

उस दशा में जब कि केवल लोक-समाहर्ता ने ही अपील की हो और वह अपील खारिज की गई या वापस ले ली गई हो तो अपील से सबद्ध परिव्यय अभियुक्त पर नहीं लगाए जाएँगे।

अनु० 182—सहापराधियों के विरुद्ध विचारण का परिव्यय, उन सहापराधियों पर इस तरह लगाया जाएगा जिस से वे सयुक्त और पृथक् रूप से वहन करें।

अनु० 183—यदि, उस दशा में जबकि उस अभियोग में निर्दोषिता या विमुक्ति का कोई निर्णय दिया गया हो जिस पर लोक-कार्रवाई परिवाद, अभियोजन या निवेदन से हुई हो, परिवादकर्ता, अभियोक्ता या निवेदक ने असद्भाव (in bad faith) या घोर प्रमादवश कार्य किया हो तो विचारण का परिव्यय उसी पर लगाया जाएगा।

अनु॰ 184—कार्यवाही के पुनर्विचार की माँग या अपील के संबंध में, जो लोक-समाहर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा वापस ले ली गई हो, अपील या कार्यवाही के पुनर्विचार से संबद्ध परिव्यय उक्त व्यक्ति पर लगाए जाएँगे।

अनु॰ 185—जबकि उस अभियोग में, जिसमें कि कार्यवाहियाँ निर्णय द्वारा समाप्त कर दी गई हों, विचारण का परिव्यय अभियुक्त पर लगाया जाने वाला हो तो उक्त परिव्यय के विषय में निर्णय पदेन (ex-officio) किया जाएगा। ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील केवल तभी की जा सकती है जब कि मुख्य विषयों (principal matters) के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा चुकी हो।

अनु॰ 186—जबकि उस अभियोग में जिसमें कि कार्यवाहियाँ निर्णय द्वारा समाप्त कर दी गई हों, अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति पर विचारण के परिव्यय लगाए जाने वाले हों तो इसके लिए एक पृथक् व्यवस्था (ruling) पदेन जारी की जाएगी। ऐसी व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु॰ 187—जबकि उस अभियोग में विचारण का परिव्यय चार्ज करना हो, जिसमें कि कार्यवाहियों की समाप्ति (termination) निर्णय से भिन्न तरह की गई हो तो इसके लिए उस न्यायालय द्वारा, जिसमें कि अभियोग अंत में लम्बित हो, एक व्यवस्था (ruling) पदेन जारी की जाएगी। ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु॰ 188—यदि, किसी निर्णय में, विचारण के परिव्यय वहन किए जाने के लिए आदेश किया गया हो, (किन्तु) परिव्यय की राशि निश्चित न की गई हो तो वह उस लोक-समाहर्ता द्वारा निश्चित की जाएगी जो इसके निष्पादन का निदेश करने वाला हो।

दूसरा खण्ड

प्राथमिक व्यवहार (First Instance)

अध्याय 1

परिप्रश्न (जाँच) एवं अनुसंधान
(Inquiry and Investigation)

अनु॰ 189—राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस (National Rural Police) के सदस्य अथवा स्वायत्तशासी सत्ताओं (Autonomous Entities) के किसी पुलिस को, विधि द्वारा अथवा राष्ट्रीय लोक-सुरक्षा आयोग (National Public Safety Commission), अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग (Prefectural Public Safety Commission), नगर (City), पौर (Town) ग्राम्य (Village) लोक सुरक्षा आयोग के अथवा सबद्ध स्पेशल वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग (Special Ward Public Saftey Commission) के विनियमों (regulations) द्वारा प्राधिकृत होकर न्यायिक पुलिस कर्मचारी के रूप में अपना कर्तव्य करना होगा।

न्यायिक पुलिस कर्मचारी जब यह समझें कि कोई अपराध किया गया है तो उन्हें अपराधी और उससे सबद्ध साक्ष्य का अनुसधान करना होगा।

अनु॰ 190 – उन व्यक्तियों को, जिन्हें वन विभाग (forestry), रेलवे या अन्य विशेष विषयों में न्यायिक पुलिस कर्मचारी के कृत्य करने हो, उनके कृत्यों के क्षेत्र का विधान अन्य विधि द्वारा किया जाएगा।

अनु॰ 191— लोक-समाहर्ता, यदि आवश्यक समझे, किसी अपराध का अनुसधान स्वय कर सकता है।

किसी लोक-समाहर्ता के अनुदेशानुसार, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव, किसी अपराध का अनुसधान करेगा।

अनु॰ 192—आपराधिक अनुसधान (Criminal Investigation) के विषय में, लोक-समाहर्ताओं एव अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग (Prefectural Public Safety Commission), नगर (City), पौर

(Town) या ग्राम्य (Village) लोक-सुरक्षा आयोग (Public Safety Commission) स्पेशल वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग (Special Ward Public Safety Commission) तथा न्यायिक पुलिस कर्मचारियों में पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय रहेगा।

अनु० 193 कोई लोक-समाहर्ता अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत, न्यायिक पुलिस कर्मचारियों को उनके अनुसंधान के विषय में आवश्यक सुझाव दे सकता है। उक्त सामान्य सुझाव आपराधिक अनुसंधान की मुख्य आवश्यकताओं के मानकों (Standards) के निर्धारण तक ही सीमित रहेंगे और जो (मानक) लोक-कार्यवाही के स्थापन एवं पुष्टीकरण के लिए आवश्यक होंगे।

लोक-समाहर्ता अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत, न्यायिक पुलिस कर्मचारियों को ऐसे सामान्य अनुदेश भी जारी कर सकता है जो उनको अनुसंधान में सहयोग देने के लिए आवश्यक हों।

लोक-समाहर्ता, जबकि वह स्वयं किसी अपराध का अनुसंधान करता हो, आवश्यकतानुसार, न्यायिक पुलिस कर्मचारियों को अनुदेश दे सकता है और उन्हें अनुसंधान में सहायता करने को प्रेरित कर सकता है।

पिछले तीन परिच्छेदों की दशाओं में, न्यायिक पुलिस कर्मचारियों को लोक-समाहर्ता के सुझावों एवं अनुदेशों का अनुसरण करना होगा।

अनु० 194—महा-समाहर्ता (Procurator General), उच्च लोक-समाहर्ता-कार्यालय का अधीक्षक-समाहर्ता (Superintending Procurator) या जिला-लोक-समाहर्ता-कार्यालय का प्रधान (Chief), उन दशाओं में जबकि न्यायिक पुलिस कर्मचारी, बिना उचित कारण के, लोक-समाहर्ता के सुझावों एवं अनुदेशों का अनुसरण न कर सकें, यदि आवश्यक समझे तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई अथवा उनके हटाए जाने के संबंध में आरोप (Charges) फाइल कर सकता है, यदि वे ऐसे न्यायिक पुलिस कर्मचारी हों जो राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस (National Rural Police) के सदस्य या स्वायत्तशासी सत्ताओं (Autonomous Entities) के पुलिस हों तो, या तो राष्ट्रीय लोक-सुरक्षा आयोग, अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग, नगर, पौर या ग्रामीण लोक-सुरक्षा आयोग अथवा स्पेसल वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग में या उस व्यक्ति के यहाँ, जिसे अनुशासनिक कार्रवाई

का अधिकार हो, आरोप फाइल कर सकता है, अथवा उनरे हटाए जाने के लिए, यदि वे राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस कर्मचारियों या स्वायत्तशासी सत्ताओं के कर्मचारियों से भिन्न न्यायिक पुलिस कर्मचारी हों, कार्रवाई कर सकता है।

राष्ट्रीय लोक-सुरक्षा आयोग, अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग, नगर, पौर या ग्रामीण लोक-सुरक्षा या स्पेशल वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग या वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस कर्मचारियों तथा स्वायत्तशासी सत्ताओं के पुलिस कर्मचारियों से भिन्न न्यायिक पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई देने या उन्हें हटाने का अधिकार हो, जब वे यह समझें कि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित आरोप साधार है तो आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध, जैसा विधि द्वारा विहित हो, अनुशासनिक कार्रवाई करें या उन्हें हटा दें।

अनु० 195—लोक-समाहर्ता और लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव, आवश्यकता पड़ने पर, अनुसंधान के लिए अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर भी अपने कर्तव्य कर सकता है।

अनु० 196—लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव, न्यायिक पुलिस कर्मचारी, प्रतिवाद-परामर्शदाता और अन्य व्यक्तियों को जिनके कर्तव्य आपराधिक अनुसंधान से संबद्ध हों, संदिग्ध (suspect) या अन्य व्यक्तियों की ख्याति को क्षति न पहुँचाने और आपराधिक अनुसंधान के प्रशासन में हस्तक्षेप न करने के प्रति सावधान रहना आवश्यक है।

अनु० 197—अनुसंधान के संबंध में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक जाँच की जा सकती है। तथापि, अनिवार्य कार्रवाइयाँ, उन दशाओं को छोड़कर जिनमें उनके लिए इस विधि में विशेष उपबन्ध हो, प्रवर्तित नहीं की जाएँगी।

सार्वजनिक कार्यालयों या सार्वजनिक या वैयक्तिक संस्थाओं से अनुसंधान से संबद्ध आवश्यक विषयों का विवरण देने के लिए माँग की जा सकती है।

अनु० 198—लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव एवं न्यायिक पुलिस कर्मचारी किसी संदिग्ध को, यदि आपराधिक अनुसंधान के अनुसरण में आवश्यक हो, अपने कार्यालय में उपसजात होने के लिए आदेश दे सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं। तथापि, संदिग्ध, उस दशा को छोड़कर जबकि वह बन्दीकरण या निरोध में हो, उपसजात होने से इंकार कर सकता है, अथवा उपसजात होने के बाद किसी समय वापस जा सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित पृच्छा (questioning) की दशा में, सदिग्ध को अग्रिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर सकता है।

सदिग्ध (suspect) का वक्तव्य एक नयाचार (Protocol) में लिखा जाएगा।

सदिग्ध अपने सत्यापन (verification) के लिए पिछले परिच्छेद में उल्लिखित नयाचार का निरीक्षण करेगा अथवा वह उसके सामने पढ़ा जाएगा और यदि वह उसमे कुछ बढ़ाने, घटाने या बदलने का प्रस्ताव करे तो उसके टिप्पण नयाचार में दर्ज किए जायेंगे।

यदि सदिग्ध, यह स्वीकारता है कि नयाचार की अन्तर्वस्तुएँ ठीक है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने एव सील करने के लिए कहा जा सकेगा। तथापि, उस दशा मे लागू नहीं होगा जबकि सदिग्ध ऐसा करने से इन्कार करे।

अनु० 199—अपराध सदिग्ध द्वारा ही किया गया है इस शका का कोई युक्तियुक्त पर्याप्त कारण रहने पर कोई लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी किसी न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जारी किए गए बन्दीकरण के अधिपत्र पर उसे बन्दी कर सकता है। तथापि, पाँच हजार येन तक के अर्थदण्ड, निरोध या छोटे अर्थदण्ड द्वारा दण्डनीय अपराध के सबध में उक्त बन्दीकरण केवल उसी दशा में हो सकेगा जबकि सदिग्ध का कोई निश्चित निवास न हो या यह पिछले परिच्छेद के उपबन्धों के अनुसार बुलाए जाने के बावजूद बिना समुचित कारण के उपसजात होने में असफल रहे।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित बन्दीकरण का अधिपत्र, किसी लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी के निवेदन पर जारी किया जाएगा।

पहले परिच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र की माँग करते हुए, लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस कर्मचारी उस सदिग्ध के विरुद्ध उसी अपराध के लिए पहले किए गए सभी निवेदनों या अधिपत्रों के निर्गमों (issuance) को, जो कोई हों, न्यायालय को सूचित करेगा।

अनु० 200 बदीकरण के अधिपत्र में सदिग्ध का नाम एव निवास, अपराध का नाम, सदिग्ध-अपराध के प्रमुख तथ्य, लोक-कार्यालय या अन्य स्थान जहाँ उसे लाना हो, प्रभावी (effective) अवधि और यह विवरण

कि इस अवधि के बीत जाने पर बन्दीकरण नहीं किया जा सकता और यह कि अधिपत्र जारी करनेवाले न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा जारी होने की तिथि और अन्य विषय जो न्यायालय नियमों द्वारा विहित हों तथा अधिपत्र जारी करनेवाले न्यायाधीश का नाम एवं उसकी मुहर रहेगी।

अनुच्छेद 64 के परिच्छेद 2 और 3 के उपबन्ध यथोचित परिवर्तन के साथ, बन्दीकरण के अधिपत्र के संबंध में लागू होंगे।

अनु० 201 जब किसी बन्दीकरण के अधिपत्र पर संदिग्ध को बन्दी किया जाए तो अधिपत्र उसे दिखाया जाएगा।

अनुच्छेद 73, परिच्छेद 3 के उपबन्ध यथोचित परिवर्तन के साथ उस दशा में भी लागू होंगे जहाँ संदिग्ध बन्दीकरण के अधिपत्र पर बन्दी किया जायगा।

अनु० 202 जब लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस सिपाही ने बन्दीकरण के अधिपत्र पर किसी संदिग्ध को बन्दी किया हो तो पहला (=लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव) उस (संदिग्ध को) लोक-समाहर्ता एवं दूसरा (=न्यायिक पुलिस सिपाही) उसे न्यायिक पुलिस अधिकारी के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत करेगा।

अनु० 203—जब किसी न्यायिक पुलिस अधिकारी ने बन्दीकरण के अधिपत्र पर किसी संदिग्ध को बन्दी किया हो या बन्दीकरण के अधिपत्र पर बन्दी किए गए संदिग्ध को प्राप्त किया हो तो वह उसे अपराध के प्रमुख तथ्यों को, तथा वह प्रतिवाद-परामर्शदाता चुनने का अधिकारी है इस तथ्य को अविलम्ब सूचित करेगा और तब, उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर देते हुए वह उस संदिग्ध को जब कि उसे निरुद्ध करने की आवश्यकता न समझे अविलम्ब निर्मुक्त करेगा अथवा साक्ष्य एवं प्रलेखों के साथ संदिग्ध को, उसके अवरोध में लाए जाने के अड़तालीस (48) घण्टे के अन्दर यदि उसे निरुद्ध करना आवश्यक समझे, किसी लोक-समाहर्ता के यहाँ अन्तरित करने की कार्रवाई कर सकता है।

पिछले परिच्छेद की दशा में, संदिग्ध से यह पूछा जाएगा कि उसके पास प्रतिवाद परामर्शदाता है या नहीं, यदि उसके पास हो तो उसे प्रतिवाद परामर्शदाता चुनने के अधिकार की सूचना देना आवश्यक नहीं है।

यदि संदिग्ध, पहले परिच्छेद में उल्लिखित कालावधि के अन्दर अन्तरित नहीं कर दिया जाता तो उसे अविलम्ब निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

अनु० 204—जब किसी लोक-समाहर्ता ने बन्दीकरण के अधिपत्र पर किसी संदिग्ध को बन्दी किया हो या बन्दीकरण के अधिपत्र पर बन्दी किए गए संदिग्ध को प्राप्त किया हो (वैसे संदिग्ध को छोडकर जो पिछले अनुच्छेद के अनुसार सौंपा गया हो) तो वह उस अपराध के प्रमुख तथ्यों और वह परामर्शदाता चुनने का अधिकारी है—इस तथ्य को अविलम्ब सूचित करेगा और तब उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर देते हुए वह उस संदिग्ध को, जब कि उसे निरुद्ध करने की आवश्यकता न समझे अविलम्ब निर्मुक्त कर देगा, *अथवा उसके अवरोध में लाए जाने के अडतालीस (48) घण्टे के अन्दर,* यदि उसे निरुद्ध करना आवश्यक समझे उसे निरुद्ध करने के लिए किसी न्यायाधीश से निवेदन करेगा। तथापि, उस दशा में जब कि कालावधि के अन्दर कोई लोक-कार्रवाई संस्थित की जा चुकी हो तो निरोध के लिए निवेदन आवश्यक नहीं।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कालावधि के अन्दर निरोध के लिए निवेदन अथवा लोक-कार्रवाई की संस्थिति न की गई हो तो संदिग्ध अविलम्ब छोड दिया जाएगा।

पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 2 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, इस अनुच्छेद के परिच्छेद 1 की दशाओं के संबंध में लागू होंगे।

अनु० 205—जब किसी लोक-समाहर्ता ने अनुच्छेद 203 के उपबन्धों के अनुसार सौंप गए किसी संदिग्ध को प्राप्त किया हो तो वह संदिग्ध को स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा और उसे निरुद्ध करने की आवश्यकता न समझने पर, अविलम्ब निर्मुक्त कर देगा अथवा संदिग्ध को निरुद्ध करने की आवश्यकता समझने पर, वह उस (संदिग्ध) के प्राप्त करने के चौबीस (24) घण्टे के अन्दर उसको निरुद्ध करने के लिए किसी न्यायाधीश से निवेदन करेगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कालावधि, संदिग्ध को, अवरोध में लाए जाने के बाद, बहत्तर (72) घण्टे से अधिक नहीं होगी।

उस दशा में जब कि पिछले दो परिच्छेदों द्वारा विहित कालावधि के अन्दर कोई *लोक-कार्रवाई* संस्थित की जा चुकी हो तो लोक-समाहर्ता द्वारा निरोध के लिए निवेदन करना आवश्यक नहीं।

यदि निरोध के लिये निवेदन या लाक-कार्रवाई की सस्थिति, पहल और दूसरे परिच्छेद में उल्लिखित कालावधि क अन्दर न की जा सके तो सदिग्ध अविलम्ब निर्मुक्त कर दिया जायगा।

अनु० 206—उस दशा में जब कि अनिवार्य परिस्थितिया ने लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी को पिछले तीन अनुच्छेदों में विहित कालावधि के अनुपालन करने से, रोक दिया हो तो लोक-समाहर्ता उनके आधारो के सम्भावित प्रमाण देकर, सदिग्ध को निरुद्ध करने के लिये न्यायाधीश से निवेदन कर सकता है।

निवेदित न्यायाधीश, जैसा कि पिछले परिच्छेद में विहित है, निरोध का अधिपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जबतक कि उसे यह ज्ञान न हो जाय कि अनिवार्य परिस्थितियो के कारण उक्त विलम्ब हुआ है।

अनु० 207—पिछले तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित निरोध के लिये निवेदन प्राप्त करने वाले न्यायाधीश का वही अधिकार होगा जो कि किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश का उसकी कार्यवाही के सबध में होता है। तथापि यह जमानती निर्मुक्त के सबध में लागू नही होगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन पाने पर न्यायाधीश तुरन्त निरोध का अधिपत्र जारी करेगा। तथापि जब उसे ज्ञात हो जाय कि निरोध का कोई आधार नहीं है अथवा पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 2 के उपबन्धो के अनुसार निरोध का अधिपत्र जारी नहीं किया जा सकता तो वह निरोध का अधिपत्र बिना जारी किये ही सदिग्ध को निर्मुक्त करने के लिये अविलम्ब आदेश देगा।

अनु० 208—उस अभियोग वाद के सबन्ध में जिसमें कि सदिग्ध को पिछले अनुच्छेद के उपबन्धो के अनुसार निरुद्ध किया गया हो, जब निरोध के निवेदन किये जाने के दस दिन के अन्दर कोई लोक-कार्यवाही सस्थित न की गई हो तो लोक-समाहर्ता सदिग्ध को अविलम्ब निर्मुक्त कर देगा।

कोई न्यायाधीश, अनिवार्य परिस्थितियो के रहने पर लोक-समाहर्ता के निवेदन पर, पिछले परिच्छेद में विहित अवधि को बढा सकता है। ऐसे अवधि के बढाव या बढावो का योग, किसी भी रूप में, दस दिन से लम्बा (अधिक) नहीं होगा।

अनु० 209—अनुच्छेद 74, 75 और 78 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ बन्दीकरण के अधिपत्र के अन्तर्गत किये गए बन्दीकरण के संबन्ध में लागू होंगे।

अनु० 210—जब प्राण-दण्ड, असीमित काल के लिये या कम से कम तीन वर्ष या उससे अधिक की चरम अवधि के कठोरश्रम कारावास, या कारावास द्वारा दण्डनीय अपराध के संपादन की आशङ्का के पर्याप्त आधार हों और यदि, उसके साथ ही किसी न्यायाधीश से अतीव अविलम्बिता के कारण बन्दीकरण का अधिपत्र पहले न लिया जा सके, तो लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी, उसके हेतुओं के विवरण (Statement of reasons) पर संदिग्ध को पकड़ सकते हैं। ऐसी दशाओं में, न्यायाधीश से बन्दीकरण का अधिपत्र प्राप्त करने के उपाय अविलम्ब किये जायेंगे। यदि बन्दीकरण का अधिपत्र जारी न किया गया हो तो संदिग्ध अविलम्ब विमुक्त कर दिया जायगा।

अनुच्छेद 200 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित बन्दीकरण के अधिपत्र के संबंध में लागू होंगे।

अनु० 211—उस दशा में जब कि कोई संदिग्ध, पिछले अनुच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार बन्दी किया गया हो, अनुच्छेद 199 की व्यवस्थाओं के अनुसार बन्दी किये गए संदिग्ध से संबद्ध व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

अनु० 212—वह व्यक्ति जो कोई अपराध कर रहा हो या जिसने तुरन्त किया हो कुख्यात अपराधी (flagrant) कहा जाएगा।

यदि निम्नांकित में से किसी प्रभाग के अन्तर्गत आनेवाला कोई व्यक्ति, उन परिस्थितियों के अन्तर्गत हो जो स्पष्टतः यह सूचित करें कि अपराध तुरन्त ही कर दिया गया है तो उसे कुख्यात अपराधी (flagrant) समझा जाएगा —

(1) वह व्यक्ति, जिसका पीछा बहुत शोर-गुल के साथ किया गया हो,

(2) वह व्यक्ति, जो असद् रूप से प्राप्त (ill-gotten) माल, हथियार या अन्य वस्तुओं को, जिनका प्रयोग प्रत्यक्षतः अपराध में हुआ हो, ले जा रहा हो,

(3) वह व्यक्ति जिसके शरीर या वस्त्रों पर अपराध के दीख पड़ते हुए चिह्न हों,

(4) वह व्यक्ति, जो ललकारने पर भागने का प्रयत्न करे।

अनु० 213—कोई भी व्यक्ति कुख्यात अपराधी (flagrant) को बिना अधिपत्र के ही बन्दी कर सकता है।

अनु० 214—जब लोक-समाहर्ता लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी से भिन्न किसी व्यक्ति ने कुख्यात अपराधी (flagrant) को बन्दी किया हो तो वह अपराधी को अविलम्ब किसी जिला या स्थानीय लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक समाहर्ता या न्यायिक पुलिस कर्मचारी को सौंप देगा।

अनु० 215 जब किसी न्यायिक पुलिस सिपाही ने किसी कुख्यात अपराधी की सुपुर्दगी पाई हो तो वह उसे तत्काल न्यायिक पुलिस अधिकारी को सौंप देगा।

अपराधी की सुपुर्दगी पानेवाला न्यायिक पुलिस सिपाही, बन्दी करनेवाले व्यक्ति का नाम और निवास तथा बन्दी करने का कारण निश्चित करेगा। आवश्यकतानुसार, वह बन्दी करनेवाले व्यक्ति को तत्सबद्ध सरकारी कार्यालय या लोक कार्यालय तक अपने साथ ले जा सकता है।

अनु० 216—अनुच्छेद 199 के अनुसार बन्दी किए गए संदिग्ध से सबद्ध उपबन्ध बन्दी किए गए कुख्यात अपराधी (flagrant) के संबंध में यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

अनु० 217—पाँच सौ येन तक के अर्थदण्ड, निरोध या छोटे अर्थदण्ड द्वारा दण्डनीय कुख्यात अपराध (flagrant offence) के संबंध में अनुच्छेद 213 से 216 तक के उपबन्ध केवल उसी दशा में लागू होंगे जबकि अपराधी का नाम या निवास अज्ञात हो या अपराधी के निकल भागने की आशंका हो।

अनु० 218—लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी किसी न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए अधिपत्र पर, अपराध के अनुसंधान की आवश्यकता के अनुसार, अभिग्रहण, तलाशी एवं साक्ष्य का निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसी दशा में, शरीर की जाँच के लिए कार्यान्वित अधिपत्र पर ही शरीर की जाँच की जाएगी।

उस दशा में जबकि कोई संदिग्ध शारीरिक अवरोध में हो, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र के बिना भी उसका अंगुली-छाप (finger-prints) या पद-चिह्न लिया जा सकता है, उसकी ऊँचाई या भार मापा जा सकता है या उसके चित्र लिए जा सकते हैं, किन्तु वह (स्त्री या पुरुष) विवस्त्र (नग्न) नहीं किया जा सकता।

पहले परिच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र, लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी की माँग पर ही जारी किया जा सकेगा।

लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी, शरीर की जाँच के लिए अधिपत्र का निवेदन करते समय, शरीर लिंग एवं शारीरिक अवस्थाओं और अन्य विषयों की जाँच की आवश्यकता का कारण अवश्य दिखलाएगा, जो न्यायालय-नियमों द्वारा विहित हो।

कोई न्यायाधीश शरीर की जाँच के लिए कुछ प्रतिबन्ध लगा सकता है जिसे वह युक्ति-युक्त समझे।

अनु० 219—पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र में, संदिग्ध या अभियुक्त का नाम एवं अपराध का नाम, अभिगृहीत की जानेवाली वस्तुएँ, स्थान, शरीर या वस्तुएँ जिनकी तलाशी लेनी हो, स्थान और वस्तुएँ जिनका निरीक्षण करना हो, व्यक्ति जिसकी जाँच करनी हो, शरीर की जाँच से संबद्ध प्रतिबन्ध, प्रभावी (effective) अवधि, यह विवरण कि अभिग्रहण, तलाशी या साक्ष्य का निरीक्षण उक्त अवधि के बीत जाने पर किसी भी तरह नहीं किया जाएगा और अधिपत्र न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा, तथा जारी किए जाने की तिथि के साथ ही साथ न्यायालय-नियमों द्वारा विहित अन्य विषय, और अधिपत्र जारी करने वाले न्यायाधीश का नाम एवं उसके मुद्राक रहेंगे।

अनुच्छेद 64 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र के सम्बन्ध में लागू होंगी।

अनु० 220—उन दशाओं में जहाँ कि *लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता* कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी अनुच्छेद 199 के अनुसार किसी संदिग्ध को बन्दी (गिरफ्तार) करता है या जहाँ वह किसी कुख्यात अपराधी (flagrant offender) को बन्दी करता है, वहाँ वह आवश्यकतानुसार,

निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है। यही नियम, आवश्यकतानुसार, अनुच्छेद 210 के अनुसार बदी किए गए सदिग्ध के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

(1) किसी व्यक्ति के निवास या परिसर, भवन या व्यक्तियो द्वारा रक्षित जलयानो में प्रवेश करना तथा सदिग्ध को ढूँढना,

(2) बदीकरण के स्थान का अभिग्रहण, निरीक्षण या उसकी तलाशी करना।

पिछले परिच्छेद के उत्तर भाग (latter part) में उल्लिखित दशा में, यदि बन्दीकरण का अधिपत्र न पाया जा सके तो अभिगृहीत वस्तुओ को अविलम्ब लौटा दिया जायगा।

पहले परिच्छेद में उल्लिखित कार्रवाई के लिए अधिपत्र की आवश्यकता नही।

परिच्छेद 1 के प्रभाग 2 एव पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ उस दशा में लागू होगी जहाँ कि लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी प्रस्तुति या निरोध का अधिपत्र निष्पादित करे। परिच्छेद 1 के प्रभाग 1 की व्यवस्थाएँ भी यथोचित परिवर्तन के साथ उस दशा में लागू होगी जहाँ कि सदिग्ध के विरुद्ध जारी किया गया प्रस्तुति या निरोध का अधिपत्र निष्पादित किया जाय।

अनु० 221—लोक-समाहर्ता लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी उन वस्तुओ को, जो सदिग्ध या अन्य व्यक्तियो द्वारा छोड दी गई हो या उनको जो उनके स्वामी, अधिकर्ता या अभिरक्षक द्वारा स्वत प्रस्तुत की गई हो, रख सकता है।

अनु० 222 अनुच्छेद 99 100, 102 से 105, 110 से 112, 114, 115 और 118 से 124 तक की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ, अनुच्छेद 218, 220 और 221 के अनुसार किसी लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा कार्यान्वित अभिग्रहण या तलाशी के सम्बन्ध में लागू होगी। अनुच्छेद 110, 112 114, 118, 129, 131 और 137 से 140 तक की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ, अनुच्छेद 218 या 220 की व्यवस्थाओ के अनुसार किसी लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा कार्या-

न्वित साक्ष्य के निरीक्षण के सम्बन्ध में लागू होगी। तथापि, कोई न्यायिक सिपाही (Judicial constable), अनुच्छेद 122 से 124 तक के अनुच्छेदों में विहित कार्रवाई कार्यान्वित नहीं कर सकता।

अनुच्छेद 220 की व्यवस्थाओं के अनुसार संदिग्ध की तलाशी की दशा में, अनुच्छेद 114 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाओं का अनुपालन अविलम्बिता की स्थिति में, आवश्यक नहीं।

अनुच्छेद 116 और 117 की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ, लोक-समाहर्ता लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा अनुच्छेद 218 की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यान्वित अभिग्रहण या तलाशी के संबन्ध में लागू होगी।

कोई लोक-समाहर्ता लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, अनुच्छेद 218 की व्यवस्थाओं के अनुसार निरीक्षण द्वारा साक्ष्य लेने के अभिप्राय से किसी व्यक्ति के निवास, परिसर भवन या व्यक्तियों द्वारा रक्षित जलयान में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि अधिपत्र में यह विवरण न हो कि इसे रात्रि में भी कार्यान्वित किया जा सकता है। तथापि, यह अनुच्छेद 117 में उल्लिखित स्थलों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।

उस दशा में जब कि निरीक्षण द्वारा साक्ष्य लेना सूर्यास्त के पहले शुरू हो गया हो तो कार्रवाई सूर्यास्त के बाद भी जारी रखी जा सकती है।

उस दशा में जब कि कोई लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी, अनुच्छेद 218 की व्यवस्थाओं के अनुसार अभिग्रहण, तलाशी या साक्ष्य का निरीक्षण करे, आवश्यकतानुसार संदिग्ध को उपस्थित कराया जा सकता है।

उस दशा में जब कि कोई व्यक्ति शरीर की जाँच कराना अस्वीकार करे, उस पर अदाण्डिक अर्थदण्ड (non-penal fine) लगाया जायगा अथवा उसे, पहले परिच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार उसके अस्वीकरण से होने वाले परिव्ययों के प्रतिकर के लिए आदेश दिया जायगा, ऐसी कार्रवाइयों के लिए निवेदन न्यायालय से किया जायगा।

अनु० 223—लोकसमाहर्ता, लोकसमाहर्ता-कार्यालय के सचिव, एवं न्यायिक पुलिस कर्मचारी संदिग्ध के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को अपने कार्यालयों

में उपसजात होने के लिए आदेश दे सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं या उसे, यदि आपराधिक अनुसंधान में आवश्यक हो, एक विशेषज्ञ (expert) के रूप में अपनी सम्मति देने या अर्थनिर्णायक (Interpreter) या भाषान्तरकार (translator) के रूप में कार्य करने का निवेदन कर सकते हैं।

अनुच्छेद 198 परिच्छेद 1 एवं इसी के तीसरे से पाँचवें परिच्छेद तक के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद द्वारा विहित दशा में लागू होंगे।

अनु० 224—उन दशाओं में जब कि पिछले अनुच्छेद परिच्छेद 1 के अनुसार किसी विशेषज्ञ साक्ष्य के लिये निवेदन किया गया हो और अनुच्छेद 167 परिच्छेद 1 द्वारा विहित उपाय आवश्यक हो तो लोकसमाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी, उल्लिखित उपायों के लिये न्यायाधीश से निवेदन करेगा।

यदि वह पिछले परिच्छेदों में उल्लिखित निवेदन को तर्कसम्मत समझे तो न्यायाधीश उन्हीं उपायों का कार्यान्वित करेगा जो अनुच्छेद 167 की दशा में होते हैं।

अनु० 225—वह व्यक्ति, जिससे अनुच्छेद 223 परिच्छेद 1 के अनुसार विशेषज्ञ सम्मति देने के लिये निवेदन किया गया हो, न्यायाधीश की अनुमति से, अनुच्छेद 168 परिच्छेद 1 द्वारा विहित उपायों का कार्यान्वित कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुमति, लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी द्वारा माँगी जायगी।

जब न्यायाधीश पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुमति की माँग को तर्कसम्मत समझे तो वह इसे, एक अनुमति का अधिपत्र जारी करके, प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 168 के परिच्छेद 2 से 4 एवं 6 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुमति के अधिपत्र के सम्बन्ध में लागू होंगी।

अनु० 226—जब कोई व्यक्ति, जो अपराध के अनुसंधान के लिये आवश्यक जानकारी प्रत्यक्षतः रखता हो किन्तु उपसजात होने या अनुच्छेद 223 के परिच्छेद 1 के अनुसार परीक्षा में उक्त जानकारी को स्वतः प्रकट करना

अस्वीकार करे तो लोक-समाहर्ता किसी न्यायाधीश से बाद के लोक विचारण के लिये निश्चित पहली तिथि के पहले ही एक साक्षी के रूप में उससे पूछताछ करने का निवेदन कर सकता है।

अनु० 227—जब यह विश्वास करने के कारण हों कि उस व्यक्ति पर, जिसने लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा अनुच्छेद 223 परिच्छेद 1 के अनुसार परीक्षा (examination) के अवसर पर स्वेच्छया सूचना दी, लोक-विचारण के अवसर पर प्रमाण (testimony) में उक्त वक्तव्य (statement) वापस लेने या बदलने के लिये दबाव डाला जा सकता है और जब उक्त प्रमाण अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिये आवश्यक भासित हो तो लोक-समाहर्ता बाद के लोक-विचारण के लिये निश्चित पहली तिथि के पहले ही किसी न्यायाधीश को एक साक्षी के रूप में उस व्यक्ति से पूछताछ करने का निवेदन कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन करते समय लोकसमाहर्ता को उक्त पूछताछ (interrogation) की आवश्यकता के कारणों का प्रकल्पित प्रमाण और अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिये उसकी नितान्त आवश्यकता का प्रमाण देना होगा।

अनु० 228 पिछले दो अनुच्छेदों द्वारा विहित निवेदन जिस न्यायाधीश के यहाँ किया जायगा उसे वही प्राधिकार होगा जो किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश को साक्षियों की परीक्षा (examination) के सबन्ध में होता है।

न्यायाधीश यदि समझे कि यह आपराधिक अनुसंधान के अनुसरण में बाधक नहीं होगा तो वह अभियुक्त, संदिग्ध या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता को, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित परीक्षा के अवसर पर, उपस्थित होने को प्रेरित कर सकता है।

अनु० 229—अप्राकृतिक मृत्यु (unnatural death) से मरे हुए या जिसके विषय में अप्राकृतिक मृत्यु से मरने का संदेह हो उस व्यक्ति की शरीर (शव) मिलने पर जिला या स्थानीय लोक-समाहर्ता-कार्यालय का लोकसमाहर्ता, जिसके अधिकार-क्षेत्र में वह स्थान हो जहाँ शव पाया गया हो, अन्वीक्षण (inquest, शव की जाँच) करेगा।

लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी से पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कार्रवाई करा सकता है।

अनु० 230— किसी अपराध के परिणामस्वरूप अपहृत (क्षत injured) व्यक्ति परिवाद कर सकता है।

अनु० 231—अपहृत पक्ष (injured party) का वैध प्रतिनिधि अपना स्वतन्त्र परिवाद कर सकता है।

अपहृत-पक्ष की मृत्यु पर उसका पति या पत्नी उसके वंशीय सम्बन्धियों में से कोई अथवा भाई या बहन परिवाद कर सकते हैं किन्तु अपहृत पक्ष के स्पष्ट आशय (intention) के विरुद्ध नहीं।

अनु० 232—जहाँ अपहृत-पक्ष का वैध प्रतिनिधि संदिग्ध, संदिग्ध का पति या उसकी पत्नी, (spouse), सम्बन्ध की तीसरी कोटि के अंदर का रक्त-सम्बन्धी या संदिग्ध का तीसरी कोटि के अंदर आने वाला बन्धुता का सम्बन्धी हो तो अपहृत-पक्ष का सम्बन्धी स्वतन्त्र परिवाद कर सकता है।

अनु० 233—किसी मृत-व्यक्ति की मानहानि के अपराध के सम्बन्ध में उसके सम्बन्धी या वंशज परिवाद कर सकते हैं।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थायें वहाँ भी नियन्त्रण करेंगी जहाँ मानहानि के अपराध के सम्बन्ध में अपहृत-पक्ष बिना परिवाद किये ही मर गया हो। तथापि, अपहृत-पक्ष के अभिव्यक्त आशय के विरुद्ध कोई परिवाद नहीं किया जायगा।

अनु० 234—यदि परिवाद पर अभियोजनीय किसी अपराध के सम्बन्ध में परिवाद करने वाला कोई व्यक्ति न हो तो किसी बद्धहित (interested) व्यक्ति के प्रार्थनापत्र पर, लोकसमाहर्ता किसी व्यक्ति को नामोदिष्ट कर सकता है जो परिवाद कर सके।

अनु० 235—परिवाद पर अभियोजनीय किसी अपराध के सम्बन्ध में, अपराधी की जानकारी होने की तिथि से छः मास बीत जाने के बाद कोई परिवाद नहीं किया जायगा। तथापि यह दण्ड संहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 232 परिच्छेद 2 के अनुसार किसी विदेशी शक्ति (foreign power) के प्रतिनिधि द्वारा किये जाने वाले परिवाद या दण्ड-संहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 230 या 231 में उल्लिखित जापान को भेजे गए किसी विदेशी मिशन (Foreign mission) के विरुद्ध अपराध के सम्बन्ध में उक्त मिशन द्वारा किये जाने वाले परिवाद के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।

दण्ड-संहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 229 की व्यवस्था (Proviso) में अवधिक वाद का परिवाद तब तक मान्य (valid) नहीं होगा जब तक कि विवाह को प्रभावहीन या रद्द घोषित करने वाले निर्णय के अटल (irrevocable) होने की तिथि से छः मास के अन्दर न किया जाय।

अनु० 236—जहाँ परिवाद करने के दो या अधिक अधिकारी व्यक्ति हों वहाँ उनमें से एक द्वारा परिवाद की अवधि के अनुपालन की असमर्थता दूसरे के प्रति प्रवर्तित नहीं होगी।

अनु० 237—लोक-कार्यवाही के संस्थित किये जाने के पहले किसी भी समय परिवाद वापस लिया जा सकता है।

अपने परिवाद वापस लेने वाले व्यक्ति को अन्य परिवाद करने से बाधित किया जायगा।

पिछले दो परिच्छेदों की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ माँग (demand) पर किये जाने वाले अभियोग में की गई माँग के सम्बन्ध में लागू होंगी।

अनु० 238—परिवाद (Complaint) पर अभियोजनीय अपराध में एक या उससे अधिक सह-अपराधियों (Co-offenders) के विरुद्ध किया गया परिवाद या उसका प्रत्याहरण (withdrawal) दूसरे सह-अपराधियों के सम्बन्ध में भी कार्यकर होगा।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था, यथोचित परिवर्तन के साथ माँग (demand) या अभियोजन (accusation) पर किये जाने वाले अभियोग के सम्बन्ध में किये गये अभियोजन या माँग या उसके प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध में लागू होगी।

अनु० 239—कोई व्यक्ति जिसे यह विश्वास हो कि कोई अपराध किया गया है अभियोजन कर सकता है।

जब कोई सरकारी या लोक-कर्मचारी अपने कार्यों के सम्पादन में यह विश्वास करे कि कोई अपराध किया गया है तो उसे अभियोजन अवश्य करना होगा।

अनु० 240—परिवाद प्रतिपत्री (proxy) द्वारा किया जा सकता है। यही नियम परिवाद के प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

अनु० 241—परिवाद या अभियोजन लिखित या मौखिक रूप में किसी लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी के यहाँ किया जायगा।

किसी मौखिक परिवाद या अभियोजन के ले लेने पर लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी एक नयाचार (Protocol) तैयार करेगा।

अनु० 242—किसी परिवाद या अभियाजन के ले लेने पर न्यायिक पुलिस अधिकारी प्रलेख (documents) एवं उससे सबद्ध साक्ष्य का अश लोक-समाहर्ता को तुरन्त अग्रेषित (forward) करेगा।

अनु० 243—पिछले दो अनुच्छेदों की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ, परिवाद या अभियाजन के प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध में भी लागू होगी।

अनु० 244 दण्ड-संहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 232 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाओं के अनुसार किसी विदेशी शक्ति (foreign power) के प्रतिनिधि द्वारा किया जाने वाला परिवाद या उसका प्रत्याहरण (withdrawal) इस विधि (law) के अनुच्छेद 241 तथा पिछले अनुच्छेद की व्यवस्थाओं के विचार किये बिना परराष्ट्र मंत्री के यहाँ किया जा सकता है। यही नियम दण्ड-संहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 230 या 231 में उल्लिखित जापान को भेजे गए किसी विदेशी मिशन (mission) के विरुद्ध अपराध के लिये उस मिशन द्वारा किये जाने वाले परिवाद या उसके प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध में लागू होगा।

अनु० 245—अनुच्छेद 241 एवं 242 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, आत्म प्रत्याख्यान (self-denunciation) के सम्बन्ध में लागू होगी।

अनु० 246—इस विधि में अन्यथा विहित दशा को छोड़कर, जब किसी न्यायिक पुलिस अधिकारी ने किसी अपराध का अनुसंधान किया हो तो वह उस अभियोग को, प्रलेख एवं साक्ष्य के अंश के साथ लोक-समाहर्ता के यहाँ भेज देगा। तथापि, यह उस अभियोग के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा जो लोक-समाहर्ता द्वारा विशेष रूप से नामोद्दिष्ट किया गया हो।

अध्याय 2

लोक-कार्यवाही

(Public Action)

अनु० 247—लोक-कार्यवाही लोकसमाहर्ता द्वारा संस्थित की जायगी।

अनु० 248—यदि अपराधी के चरित्र, आयु एवं स्थिति, अपराध की

गुरुता परिस्थिति जिनमें अपराध किया गया हो, और अपराध-सम्पादन के बाद की दशाओं पर विचार करने के बाद, अभियोजन (Prosecution) अनावश्यक समझा जाय तो वाद-कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

अनु० 249—वाद-समाहृता द्वारा नामादिष्ट, अभियुक्त से भिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध वाद-कार्यवाही कार्यकर नहीं होगी।

अनु० 250—भोगाधिकार (Prescription) निम्नलिखित अवधियों के बीत जाने पर पूरा होगा

(1) प्राण-दण्ड पाने योग्य अपराध के लिये, पन्द्रह वर्ष,

(2) अनिश्चित अवधि वाले कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास दण्ड पाने योग्य अपराधों के लिये, दस वर्ष

(3) कम से कम दस वर्ष की चरम अवधि (maximum term) के कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास दण्ड पाने योग्य अपराधों के लिये सात वर्ष

(4) अधिक से अधिक दस वर्ष की चरम अवधि के कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास दण्ड पाने योग्य अपराधों के लिये, पाँच वर्ष,

(5) पाँच वर्ष से कम की चरम अवधि के कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास के दण्ड या अर्थदण्ड पाने योग्य अपराधों के लिये, तीन वर्ष,

(6) निरोध या छोटे अर्थदण्ड पाने योग्य अपराधों के लिए, एक वर्ष।

अनु० 251—जहाँ तक दो या अधिक प्रधान दण्डों (principal penalties) में से एक अथवा दो या अधिक प्रधान दण्डों के एक साथ आरोपण (Concurrent imposition) द्वारा दण्डनीय अपराधों का संबंध है, पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (उनमें से) गुरुतम दण्ड (heaviest penalty) के सम्बन्ध में लागू होंगी।

अनु० 252—जहाँ दण्ड संहिता (Penal Code) के अनुसार दण्ड बढ़ाना या कम करना हो तो अनुच्छेद 250 की व्यवस्थाएँ, इस तरह न बढ़ाए गए या कम न किए गए दण्ड के सम्बन्ध में ही लागू होंगी।

अनु० 253—भोगाधिकार (prescription) उस समय से आरम्भ हो जायगा जबकि आपराधिक कृत्य समाप्त हुआ हो।

दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप में (cojointly) किए गए अपराध के सम्बन्ध में भोगाधिकार की अवधि सभी सह-अपराधियों (co-offenders) के लिए उसी समय से आरम्भ हो जायगी जबकि अंतिम कृत्य (final act) समाप्त हुआ।

अनु० 254—अभियोग के विरुद्ध लोक-कार्यवाही के संस्थित हो जाने पर भोगाधिकार रुक जाएगा और उस समय आरंभ हो जावेगा जब क्षेत्राधिकारिक अक्षमता (jurisdictional incompetency) अधिसूचित करने वाला या लोक-कार्यवाही को खारिज (रद्द) करने वाला कोई निर्णय अंतिम रूप में बन्धनकारी (finally binding) हो गया हो। तथापि, यह उन अभियोगों में नहीं लागू होगा जिनमें लोक-कार्यवाही की संस्थिति (institution of public action), अनुच्छेद 271 के परिच्छेद 2 के अनुसार अपनी मान्यता (validity) खो चुकी हो।

सह-अपराधियों (co offenders) में से एक के विरुद्ध संस्थित लोक-कार्यवाही द्वारा किया गया भोगाधिकार का विराम (cessation) अन्य सह-अपराधियों के विरुद्ध भी प्रभावी होगा तथा रुका हुआ भोगाधिकार अभियोग के निर्णय के अन्ततः बन्धनकारी (finally binding) हो जाने पर फिर शुरू हो जायगा।

अनु० 255 उस अवधि में भोगाधिकार चालू नहीं रहेगा जिसमें कि अपराधी जापान के बाहर रहे या वह अपने को इस तरह छिपा ले कि उस अभ्यारोपण (indictment) की एक प्रति तामील करना असंभव हो जाय।

जापान से अपराधी की अनुपस्थिति या उसका छिप जाना, जिससे कि उसे अभ्यारोपण (indictment) की प्रति तामील करना असंभव हो गया हो, सिद्ध करने के लिए आवश्यक विषय न्यायालय के नियमों द्वारा विहित किए जाएँगे।

अनु० 256—लोक-कार्यवाही की संस्थिति न्यायालय को एक लिखित अभ्यारोपण (written indictment) फाइल करने के द्वारा की जायगी।

लिखित अभ्यारोपण में निम्नांकित विषय रहेंगे —

(1) अभियुक्त (accused) का नाम तथा अन्य विषय, जो अभियुक्त को निर्दिष्ट करने में आवश्यक हों,
(2) आरोपित अपराध के घटक तथ्य,
(3) आरोप,

आरापित अपराध के घटक तथ्यो का स्पष्ट विवरण निर्दिष्ट गणका (counts) के रूप में दिया जाएगा जिसमें अपराध के समय, घटना-स्थल तथा उसके ढग या जानकारी के अनुसार, अवश्य वर्णन किया जाएगा।

आराधा का वर्णन उन विधियो एव अध्यादशो के लागू होने वाले अनुच्छेदो की गणना द्वारा किया जाएगा जिनका अभियुक्त ने उल्लघन किया हो। तथापि उक्त अनुच्छेदा की गणना सबधी गल्तियाँ (errors), लाक-कार्यवाही की सस्थिति की मान्यता पर प्रभाव नही डालेगी, यदि उनके द्वारा अभियुक्त के प्रतिवाद में काई सारवान् प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने की आशका न हो।

अनेक गणका (counts) और लागू हाने वाले अनुच्छेद वैकल्पिक (alternative) या यौगिक (conjunctive) रूप में उल्लिखित किए जा सकते है।

काई भी साक्ष्य-विषयक लख या अन्य वस्तु जा न्यायाधीश का पूर्वनिर्णय (Prejudication) करने में साधक हो सके, लिखित अभ्यारोपण में न ता अनुबद्ध की जायगी और न निर्दिष्ट की जायगी।

अनु० 257—लाक-कार्यवाही प्राथमिक न्यायालय (first instance) से निर्णय दिए जाने से पहले वापस ली जा सकती है।

अनु० 258—यदि लाक-समाहर्ता यह समझे कि प्रस्तुत अभियोग उसके निजी लाक-समाहर्ता-कार्यालय से सबद्ध न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में नही आता तो वह उक्त अभियोग को प्रलेखो एव साक्ष्य के अशा के सहित, क्षमताशील न्यायालय से सबद्ध किसी लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लाक-समाहर्ता के पास भेज देगा।

अनु० 259—जब किसी लोक-समाहर्ता ने लोक-कार्यवाही न सस्थित करने के लिए कोई कार्रवाई किया हो तो वह सदिग्ध के निवेदन करने पर उसे उक्त तथ्य की सूचना अविलम्ब देगा।

अनु० 260—यदि किसी अभियोग के सबध में जिसमें परिवाद (complaint), अभियोजन (accusation) या माँग (demand) की गई हो, लाककार्यवाही सस्थित की गई हो अथवा इसके सस्थित न किए जाने की कार्रवाई की गई हो तो उक्त तथ्य की सूचना लाक-समाहर्ता द्वारा परिवादी (complainant) अभियाक्ता (accuser) या माँग करने वाले व्यक्ति को तत्काल दी जाएगी। यही नियम उस दशा में भी लागू हागा जहाँ लोक-

कारवाई वापस ले ली गई हो अथवा अभियोग दूसरे लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता के यहाँ भेज दिया गया हो।

अनु० 261—यदि किसी अभियोग के सम्बन्ध में जिसमें परिवाद अभियोजन या माँग की गई हो लोक-कार्यवाही संस्थित न करने का कारवाई की गई हो तो परिवादी अभियोक्ता या माँग करने वाले व्यक्ति के निवेदन पर लोक-समाहर्ता उसे उक्त कारवाई के कारण की सूचना तत्काल देगा।

अनु० 262 यदि किसी अभियोग में जिसके सम्बन्ध में दण्डसंहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 193 से 196 तक के अनुच्छेदों में उल्लिखित अपराधों से सबद्ध अभियोजन या परिवाद किया गया हो और परिवादी या अभियोक्ता लोक-समाहर्ता द्वारा लोक-कार्यवाही संस्थित न करने की कारवाई से असन्तुष्ट हो तो वह अभियोग को किसी न्यायालय में विचारणार्थ (for trial) सौंपने के लिए उस जिला-न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त लोक-समाहर्ता-कार्यालय आता हो जिसमें सबद्ध वह लोक समाहर्ता हो।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र लोक-कार्यवाही संस्थित न करने के लिए कारवाई करने वाले लोक-समाहर्ता के यहाँ लिखित प्रार्थना-पत्र के रूप में अनुच्छेद 260 में उल्लिखित सूचना के प्राप्त करने के सात दिनों के अन्दर दिया जाएगा।

अनु० 263 पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्रार्थनापत्र अनुच्छेद 262 की व्यवस्था (ruling) कार्यान्वित की जाने के पहले वापस लिया जा सकता है।

पिछले परिच्छेद में विहित वापसी (withdrawal) करने वाला व्यक्ति उसी अभियोग के सम्बन्ध में पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्रार्थनापत्र को फिर से नहीं दे सकता।

अनु० 264—अनुच्छेद 262 के परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्रार्थनापत्र को यदि साधार समझे तो लोक-समाहर्ता लोक-कार्यवाही संस्थित करेगा।

अनु० 265—अनुच्छेद 262 के परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्रार्थनापत्र पर किसी सहयोगी न्यायालय द्वारा विचारण एवं निर्णय किया जायगा।

न्यायालय यदि आवश्यक समझे तो सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य को तथ्य के अनुसंधान के लिए प्रेरित कर सकता है या जिला-न्यायालय या

क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश का ऐसा करने के लिए अधियाचित कर सकता है। ऐसी दशा में राजादिष्ट (commissioned) न्यायाधीश या अधियाचित (requisitioned) न्यायाधीश का वही प्राधिकार होगा जो किसी न्यायालय के न्यायाधीश या पीठासीन (presiding) न्यायाधीश का होता है।

अनु० 266—अनुच्छेद 262 परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्रार्थनापत्र पाने, पर, न्यायालय निम्नांकित वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्था (ruling) जारी करेगा

(1) विधि अथवा अध्यादेश द्वारा निश्चित किये गए प्रपत्र (form) या रूप से प्रतिकूल रूप में दिया गया, या प्रार्थनापत्र देने के अधिकार के समाप्त हो जाने के बाद दिया गया, या आधारहीन प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया जायगा,

(2) यदि प्रार्थनापत्र सुदृढ (well-founded) हो तो अभियोग क्षमताशील जिला-न्यायालय में विचारण के लिये सुपुर्द कर दिया जायगा।

अनु० 267—जब पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 2 में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) जारी की जा चुकी हो तो अभियोग पर लोक-कार्यवाही संस्थित समझी जायगी।

अनु० 268—जब कोई अभियोग अनुच्छेद 266 प्रभाग 2 की व्यवस्थाओं के अनुसार किसी न्यायालय में सुपुर्द किया गया हो तो वह (न्यायालय) अधिवक्ताओं (advocates) में से किसी एक का नामोद्दिष्ट करेगा जो लोक-कार्यवाही का संधारण (sustain) करेगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित नामोद्दिष्ट अधिवक्ता, उस अभियोग के निर्णय के अन्तिम रूप से बाध्यकारी (finally binding) होने तक लोक-कार्यवाही के संधारण के लिये, लोक-समाहर्ता के कार्य करेगा। तथापि, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अधिवक्ता किसी लोक-समाहर्ता को, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिवों या न्यायिक पुलिस कर्मचारी को आपराधिक अनुसंधान के लिये निर्देशित करने की आज्ञा देगा।

पिछले परिच्छेद के अनुसार लोकसमाहर्ता के कार्य करने वाले अधिवक्ता को विधियों एवं अध्यादेशों के अनुसार लोक-सेवा (public service) में लगे हुए कर्मचारी के रूप में समझा जायगा।

न्यायालय, पहले परिच्छेद के अनुसार नामोद्दिष्ट अधिवक्ता के नामोद्देश (designation) को किसी समय निरस्त कर सकता है यदि वह (न्यायालय) समझे कि वह अपने कार्य करने में योग्य नहीं है अथवा कोई दूसरी विशेष परिस्थितियाँ हों।

पहले परिच्छेद के अनुसार नामोद्दिष्ट अधिवक्ता को मन्त्रि-परिषद् के आदेश द्वारा निश्चित भत्ते दिये जायेंगे।

अनु० 269—जब कोई न्यायालय, अनुच्छेद 262 के परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्रार्थनापत्र को खारिज कर या प्रार्थनापत्र वापस ले लिया जाय तो न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) के आधार पर प्रार्थनापत्र देने वाले व्यक्ति को प्रार्थनापत्र सम्बन्धी कार्यवाही से होने वाले परिव्यय के पूरे अथवा किसी अंश के प्रतिकर (compensation) देने का आदेश दे सकता है। उक्त व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न (immediate) कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 270—लोक-कार्यवाही के संस्थित किये जाने के बाद, लोक-समाहर्ता उस अभियोग से सबद्ध साक्ष्य के अंश एवं प्रलेखों का निरीक्षण एवं उनकी प्रतिलिपि कर सकता है।

अध्याय 3

लोक-विचारण (Public Trial)

अनुभाग 1 लोक-विचारण की तैयारी तथा उसकी प्रक्रिया।
(Preparation for Public Trial and Process of Public Trial)

अनु० 271—लोक-कार्यवाही संस्थित की जाने पर, न्यायालय अभियुक्त को अभ्यारोपण (indictment) की एक प्रति अविलम्ब तामील करेगा।

यदि लोक-कार्यवाही संस्थित की जाने के दो मास के अन्दर अभ्यारोपण की प्रतिलिपि अभियुक्त को तामील न की जा सके तो लोक-कार्यवाही की संस्थिति की मान्यता निष्क्रियतया (retroactively) समाप्त हो जायगी।

अनु० 272—लोक-कार्यवाही के संस्थित हो जाने पर न्यायालय अभियुक्त को अधिसूचित करेगा कि वह (अपने खर्च से) अपना प्रतिवाद-परामर्शदाता चुन सकता है, अथवा यदि वह निर्धनता या अन्य कारणों से प्रतिवाद-परामर्श-

दाता न चुन सके तो वह अपने लिये परामर्शदाता नियुक्त करने के लिये न्यायालय से निवेदन कर सकता है। तथापि, यह तब लागू नहीं होगा यदि अभियुक्त के पास पहले से ही प्रतिवाद-परामर्शदाता हो।

अनु० 273—पीठासीन न्यायाधीश लोक-विचारण (public trial) की तिथि निश्चित करेगा।

लोक-विचारण की तिथि पर अभियुक्त को समन किया जायगा।

लोकसमाहर्ता प्रतिवाद-परामर्शदाता एवं सहायक (assistant) को लोक-विचारण की तिथि की सूचना दी जायगी।

अनु० 274—यदि अभियुक्त का न्यायालय के उपान्त (precincts) में मिलने पर न्यायालय द्वारा लोक-विचारण की निश्चित तिथि की सूचना दी जाय तो उसे समन का प्रादेश (writ of summons) तामील किया गया समझा जायगा।

अनु० 275—लोक-विचारण के लिये निश्चित पहली तिथि तथा अभियुक्त को समन के प्रादेश की तामीली में न्यायालय-नियमों द्वारा विहित समुचित अवकाश (reasonable interval) रहेगा।

अनु० 276—न्यायालय पदेन अथवा लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर, लोक-विचारण के लिये नियत तिथि को बदल सकता है।

जैसा कि न्यायालय-नियमों द्वारा विहित हो, न्यायालय लोक-विचारण की नियत तिथि के बदलने के पहले ही लोकसमाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की राय सुनेगा। तथापि, अविलम्बिता (urgency) की स्थिति में यह लागू नहीं होगा।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था (proviso) द्वारा विहित दशाओं में न्यायालय लोकसमाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता को नई तिथि (new date) पर लोक-विचारण के आरम्भ (commencement) के समय आपत्ति करने का अवसर देगा।

अनु० 277—यदि किसी न्यायालय ने अपने प्राधिकार (authority) के दुरुपयोग के फलस्वरूप लोक-विचारण की तिथि बदल दिया हो तो उस अभियोग से संबद्ध व्यक्ति, उच्चतम न्यायालय के नियमों (rules) अथवा

अनुदेशों (instructions) के अनुसार अन्तर्वर्ती प्रशासनिक नियंत्रण कार्यवाहियों (judicial administrative control proceedings) में उपचार का निबन्धन कर सकते हैं।

अनु० 278 यदि लोक विचारण के लिए समन किया गया कोई व्यक्ति बीमारी या अन्य कारणों से नियत तिथि पर उपसजात न हो सके तो वह न्यायालय नियमों के अनुसार चिकित्सा प्रमाणपत्र (medical certificate) या अन्य साक्ष्य-सामग्री (evidential materials) को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

अनु० 279—लोक-समाहर्ता अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर या स्वेन कोई न्यायालय अन्य सरकारी-कार्यालयों या संस्थाओं को चाहे वे सार्वजनिक या व्यक्तिगत हों लोक विचारण के लिये आवश्यक विषयों का विवरण देने के लिये आदेश दे सकता है।

अनु० 280 लोक-कार्यवाही के संस्थित होने के बाद और लोक विचारण की प्रथम तिथि के पहले की निरोध सम्बंधी कार्यवाहियों का कार्यभार न्यायाधीश द्वारा किया जायगा।

जहाँ अनुच्छेद 204 या 205 द्वारा विहित कालावधियों की समाप्ति के पूर्व ही अनुच्छेद 199 या 210 की व्यवस्थाओं के अनुसार बन्दी किये गए किसी संदिग्ध या प्रत्यक्ष अपराधी (flagrant offender) के विरुद्ध लोक कार्यवाही संस्थित की जा चुकी हो और जिस निरोध के अधिपत्र द्वारा निरोधित किया गया हो न्यायाधीश अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराधों की सूचना अविलम्ब देगा और इस पर उसका विवरण (statement) सुनेगा और यदि न्यायाधीश निरोध का अधिपत्र जारी न करे तो उसे तुरन्त विमुक्त करने का आदेश अवश्य देगा।

पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित न्यायाधीश का वही अधिकार होगा जो किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश (presiding judge) को कार्यवाहियों के संबंध में होता है।

अनु० 281—अनुच्छेद 158 द्वारा विहित किसी उपबन्ध (condition) पर विचार करने और लोकसमाहर्ता अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की राय सुनने के बाद न्यायालय यदि आवश्यक समझे तो लोक विचारण के लिए नियत तिथि से भिन्न किसी तिथि पर साक्षियों की परीक्षा कर सकता है।

अनु० 282 सुनवाई (hearing) किसी न्यायालय-कक्ष में लोक-विचारण की तिथि पर की जाएगी।

न्यायालय न्यायाधीश (या न्यायाधीशों) और न्यायालय लिपिकों की समवेत (assembled) उपस्थिति तथा लोकसमाहर्ता की उपस्थिति में खोला जाएगा।

अनु० 283 यदि अभियुक्त कोई न्यायिक व्यक्ति (juridical person) हो तो वह सदैव प्रतिपत्री (proxy) द्वारा उपसजात हो सकता है।

अनु० 284—यदि अभ्यारोपित अपराध (offence charged) का दण्ड पाँच हजार येन से अधिक न हो या कोई छोटा अर्थदण्ड हो तो अभियुक्त को उपसजात नहीं होना पड़ेगा। तथापि वह प्रतिपत्री (proxy) द्वारा उपसजात हो सकता है।

अनु० 285—यदि अभ्यारोपित अपराध का दण्ड निरोध (detention) हो तो लोक-विचारण की तिथि पर निर्णय दिए जाते समय अभियुक्त को अवश्य उपस्थित रहना पड़ेगा। लोक-विचारण की अन्य किसी भी अवस्था में, जब कि न्यायालय यह समझे कि उसकी उपस्थिति उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, उसे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दे सकता है।

जहाँ अभ्यारोपित अपराध (offence charged) का दण्ड अधिक से अधिक तीन वर्ष की चरम अवधि का कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास हो अथवा पाँच हजार येन से अधिक का अर्थदण्ड हो, वहाँ अभियुक्त का लोक-विचारण की तिथि पर अनुच्छेद 291 में वर्णित कार्यवाहियों के अवसर पर तथा निर्णय दिए जाने के समय अवश्य उपस्थित रहना होगा। लोक-विचारण की अन्य अवस्था में, पिछले परिच्छेद का अंतिम भाग (last part) लागू होगा।

अनु० 286—पिछले तीन अनुच्छेदों द्वारा अन्यथा विहित दशाओं के अतिरिक्त, अभियुक्त के उपस्थित न रहने पर लोक-विचारण नहीं किया जाएगा।

अनु० 287 लोक-विचारण के न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को तब तक किसी तरह के शारीरिक अवरोध में नहीं रखा जाएगा जब तक कि वह कोई हिंसक प्रयोग या निकल भागने का प्रयत्न नहीं करता।

तथापि, शारीरिक अवरोध (physical restraint) में न रखे जाने की स्थिति में भी अभियुक्त पर आरक्षी (guards) रखे जा सकते हैं।

अनु० 288—पीठासीन न्यायाधीश की अनुज्ञा के अतिरिक्त अभियुक्त न्यायालय से नहीं हट सकेगा।

पीठासीन न्यायाधीश अभियुक्त को न्यायालय में ठहरने एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए (to maintain order) उचित उपाय कर सकता है।

अनु० 289 यदि अभ्यारोपित अपराध का दण्ड प्राण-दण्ड अनिर्धारित काल का या तीन वर्ष से अधिक चरम अवधि का कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास हो तो लोक विचारण बिना प्रतिवाद-परामर्शदाता के नहीं किया जाएगा।

जहाँ प्रतिवाद-परामर्शदाता उपसंजात न हो या उन अभियोगों में तब तक प्रतिवाद परामर्शदाता चुना ही न गया हो जिनमें लोक विचारण प्रतिवाद-परामर्शदाता की उपस्थिति के बिना न किया जा सके तो पीठासीन न्यायाधीश पदेन (ex officio) अभियुक्त के लिये प्रतिवाद-परामर्शदाता अवश्य नियुक्त करेगा।

अनु० 290 यदि अनुच्छेद 37 के किसी प्रभाग (item) के अन्तर्गत दशाओं में से किसी में प्रतिवाद परामर्शदाता उपसंजात नहीं होता तो न्यायालय, पदेन (ex officio) प्रतिवाद-परामर्शदाता नियुक्त कर सकता है।

अनु० 291 लोक विचारण के आरंभ करते समय लोक-समाहर्ता द्वारा अभ्यारोपण (indictment) जोर से पढ़ा जाएगा।

अभ्यारोपण पढ़ जाने के बाद पीठासीन न्यायाधीश अभियुक्त को अवश्य अधिसूचित करेगा कि वह सदैव चुपचाप रह सकता है और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकता है तथा न्यायालय नियमों द्वारा विहित अन्य विषयों को भी सूचित करेगा जो अभियुक्त के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हों और अभियुक्त एवं उसके प्रतिवाद परामर्शदाता को अभियोग के सम्बन्ध में अपना विवरण देने का अवसर अवश्य देगा।

अनु० 292—पिछले अनुच्छेद द्वारा विहित कार्यवाही की समाप्ति के बाद साक्ष्य की परीक्षा (examination of evidence) आरंभ की जाएगी।

अनु० 293 साक्ष्य की परीक्षा समाप्त होने पर, लोकसमाहर्ता तथ्य के विषय में एवं विधि के विनियोग (application of law) के संबन्ध में अपनी सम्मति देगा।

अभियुक्त एवं उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता भी अपनी सम्मति देंगे।

अनु० 294—न्याय विचारण के लिए नियत तिथि पर सुनवाई (hearing), पीठासीन न्यायाधीश की अध्यक्षता में की जाएगी।

अनु० 295 पीठासीन न्यायाधीश (अभियुक्त या छोड़कर साक्षी एवं दूसरा के विषय में) पूछे गए किसी भी प्रश्न अथवा विचारण से संबद्ध व्यक्तियों द्वारा दिए गए किसी विवरण (statement) को विलम्बित कर सकता है यदि वे अनावश्यक रूप से दुहराए गए हों, वाद-पद से असंबद्ध हों अथवा किसी भी तरह ग्राह्य न हों, वहीं तक जहाँ तक कि यह (विलम्बन) उन व्यक्तियों के मुख्य अधिकारों को हानि न पहुँचाए।

यही नियम उस दशा में भी लागू होगा जहाँ विचारण से संबद्ध व्यक्तियों द्वारा अभियुक्त से प्रश्न किया जाय।

अनु० 296 लोकसमाहर्ता साक्ष्य की परीक्षा करने के बाद बतलाएगा कि वह क्या प्रमाणित करने की प्रत्याशा रखता है। तथापि, वह अग्राह्य सामग्री पर आधृत अथवा साक्ष्य के रूप में न देने योग्य विषयों पर आधृत कोई ऐसा विवरण नहीं देगा जो न्यायालय में पक्षपात (prejudice) कराने में साधक हो अथवा कोई प्रतिकूल प्रभाव (prejudication) उत्पन्न कराने वाला हो।

अनु० 297—जहाँ तक साक्ष्य की परीक्षा की प्रक्रिया (process) का सम्बन्ध है न्यायालय लोकसमाहर्ता और अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की सम्मति सुनने के बाद, उसका क्षेत्र, प्रक्रम एवं प्रणाली निर्धारित करेगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कार्यवाही को कार्यान्वित करने के लिए न्यायालय अपने किसी भी सहयोगी सदस्य को प्रेरित कर सकता है।

न्यायालय, किसी भी समय जब वह उचित समझे, लोक-समाहर्ता और अभियुक्त अथवा उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की सम्मति एवं सुझाव सुनने के बाद, पहले परिच्छेद के अनुसार पूर्व निर्धारित साक्ष्य की परीक्षा के क्षेत्र, प्रक्रम एवं प्रणाली को बदल सकता है।

अनु० 298—लोकसमाहर्ता, अभियुक्त और उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता साक्ष्य की परीक्षा के लिए निवेदन कर सकते हैं।

न्यायालय, यदि आवश्यक समझे, साक्ष्य की परीक्षा पदेन (ex-officio) कर सकता है।

अनु० 299 किसी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, अर्थनिर्वाचक या अनुवादक की परीक्षा का निवेदन करने के पहले, लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता अपने विरोधी पक्ष (opponent party) को अग्रिम रूप में उस व्यक्ति का नाम एवं पता जानने का अवसर देगा। जब कोई लेख्य (documentary) या वास्तविक साक्ष्य (real evidence) परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाय या इसके निरीक्षण के लिए विरोधी पक्ष को अग्रिम रूप में अवश्य अवसर दिया जाएगा। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा यदि विरोधी पक्ष आपत्ति न करे।

साक्ष्य की परीक्षा की व्यवस्था (ruling) पदेन (ex-officio) जारी करने के पहले, न्यायालय लोक-समाहर्ता और अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की सम्मति अवश्य सुनेगा।

अनु० 300—लोक-समाहर्ता उन प्रलेखों की परीक्षा का निवेदन अवश्य करेगा जिनका साक्ष्य के रूप में प्रयोग, *अनुच्छेद 321 परिच्छेद 1, प्रभाग 2 के अंतिम भाग की व्यवस्थाओं के अनुसार हो सकता है।*

अनु० 301—जहाँ अभियुक्त का वक्तव्य (statement), जिसे अनुच्छेद 322 और अनुच्छेद 324 के परिच्छेद 1 की व्यवस्थाओं के अनुसार साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त किया जा सके, अभ्यारोपित अपराध की स्वीकृति (confession) हो तो उसकी परीक्षा का निवेदन (request) तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपराध के घटक तथ्यों का प्रमाणित करने वाले अन्य साक्ष्यों की परीक्षा न हो जाय।

अनु० 302—जहाँ अनुच्छेद 321 से 323 तक या 326 की व्यवस्थाओं के अनुसार साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त किए जाने योग्य प्रलेख अनुसंधान के अभिलेखों (investigation records) के ही अंश हों तो लोक-समाहर्ता उन्हें अन्य फाइलों से जहाँ तक हो सके अलग करते हुए उनकी परीक्षा का निवेदन करेगा।

अनु० 303—न्यायालय, लोक विचारण की तिथि पर, उन सभी प्रलेखों की परीक्षा (जाँच) करेगा जिनमें साक्षियों या अन्य व्यक्तियों की परीक्षा (examination), अभिग्रहण और तलाशी एवं साक्ष्य के निरीक्षण के परिणाम (result) तथा लोक-विचारण की तैयारी के संदर्भ में प्रलेखीय या वास्तविक साक्ष्य के रूप में अभिगृहीत सभी वस्तुएँ होंगी।

अनु० 304—साक्षियों विशेषज्ञ-साक्षियों, अर्थनिर्वाचकों या अनुवादकों की परीक्षा (examination) सर्वप्रथम किसी पीठासीन न्यायाधीश या सह-न्यायाधीश (associate judge) द्वारा की जाएगी।

लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता पीठासीन न्यायाधीश को अधिसूचित करके पिछले परिच्छेद में उल्लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद साक्षियों, विशेषज्ञ-साक्षियों, अर्थनिर्वाचकों या अनुवादकों की परीक्षा कर सकते हैं। उस दशा में जहाँ कि साक्षियों विशेषज्ञ-साक्षियों, अर्थनिर्वाचकों या अनुवादकों की परीक्षा लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर आरंभ की गई हो, वहाँ निवेदन करने वाला व्यक्ति ही उनकी परीक्षा करने वाला पहला व्यक्ति होगा।

न्यायालय यदि उचित समझे तो लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की सम्मति सुनने के बाद, पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित परीक्षा का क्रम (order) बदल सकता है।

अनु० 305—*लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता द्वारा किए गए निवेदन पर की जाने वाली लेख्य-साक्ष्यों की परीक्षा के संबंध* में पीठासीन न्यायाधीश निवेदन करने वाले व्यक्ति को उन्हें जोर से पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तथापि, पीठासीन न्यायाधीश उन लेख्य-साक्ष्यों को स्वयं जोर से पढ़ सकता है अथवा सह-न्यायाधीश या न्यायालय-लिपिक से ऐसा करा सकता है।

उस दशा में जबकि न्यायालय लेख्य-साक्ष्यों की परीक्षा पदेन (ex-officio) करे तो पीठासीन न्यायाधीश उन लेख्यों को स्वयं जोर से पढ़ेगा या सह-न्यायाधीश अथवा न्यायालय-लिपिक से ऐसा कराएगा।

अनु० 306—लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके परामर्शदाता द्वारा किए गए निवेदन पर की जाने वाली वास्तविक साक्ष्यों (real evidences) की परीक्षा के संबंध में, पीठासीन न्यायाधीश, निवेदन करने वाले व्यक्ति को उन्हें दिखाने के लिए प्रेरित करेगा। तथापि, पीठासीन न्यायाधीश स्वयं उन्हें दिखा सकता है अथवा किसी सह-न्यायाधीश या न्यायालय-लिपिक से ऐसा करा सकता है।

उस दशा में जबकि न्यायालय वास्तविक साक्ष्यों की परीक्षा, पदेन करे तो पीठासीन न्यायाधीश स्वयं उन्हें विचारण (trial) से संबद्ध व्यक्तियों

को दिखाएगा अथवा किसी सह-न्यायाधीश या न्यायालय-लिपिक से ऐसा कराएगा।

अनु० 307—*अन्य वास्तविक साक्ष्यों में, जिनका सार* (purport) प्रमाण का काम दे, प्रलेखों (documents) की परीक्षा दोनों ही अनुच्छेद 305 एवं पिछले अनुच्छेद के अनुसार की जाएगी।

अनु० 308—*न्यायालय, लोक-समाहर्ता एवं अभियुक्त अथवा उसके* प्रतिवाद-परामर्शदाता को साक्ष्य के प्रमाणक मूल्य (probative value) *पर आपत्ति करने के लिए आवश्यक उचित अवसर अवश्य प्रदान करेगा।*

अनु० 309—*लोक-समाहर्ता अभियुक्त या उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता* साक्ष्यों की परीक्षा के सम्बन्ध में आपत्तियाँ (objections) खड़ी कर सकते हैं।

लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता, पिछले परिच्छेद द्वारा विहित आपत्तियों के अतिरिक्त, पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्यान्वित *किसी भी कार्रवाई पर आपत्ति कर सकते हैं।*

न्यायालय पिछले दो परिच्छेदों के अन्तर्गत की गई आपत्तियों पर एक व्यवस्था (ruling) जारी करेगा।

अनु० 310—*लेख*-विषयक या वास्तविक साक्ष्य, परीक्षा समाप्त हो जाने *पर न्यायालय के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत किए जाएँगे। तथापि, जहाँ तक* किसी प्रलेख का सवाल है, न्यायालय की अनुमति से मूल के बदले में उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा सकती है।

अनु० 311—*विचारण में* भय से अभियुक्त सदैव चुपचाप रह सकता है या किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकता है।

जहाँ अभियुक्त स्वेच्छया अपना वक्तव्य (statement) दे तो पीठासीन न्यायाधीश किसी समय आवश्यक विषयों (matters) पर प्रश्न कर सकता है।

सह-न्यायाधीश (associate judge), लोक-समाहर्ता, प्रतिवाद-परामर्शदाता, सह-प्रतिवादी (*co-defendant*) या उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता भी, पीठासीन न्यायाधीश को अधिसूचित कर, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित दशाओं में अभियुक्त से प्रश्न कर सकते हैं।

अनु० 312 लोक-समाहर्ता के निवेदन पर न्यायालय उसे गणक (count) या अभ्यारोपण में उद्धृत दाण्डिक उपबन्धों (penal provisions) को जोड़ने, वापस लेने या बदलने की अनुमति उस अवस्था तक देगा जहाँ तक कि उसमें अभ्यारोपित अपराध (offence charged) की अनन्यता (identity) में हेर-फेर न हो।

न्यायालय जहाँ विचारण की प्रगति के अनुसार उचित समझे, किसी लोक-समाहर्ता को दाण्डिक उपबन्धों या गणकों को जोड़ने या बदलने का आदेश दे सकता है।

जहाँ दाण्डिक उपबन्ध या गणक जोड़े गए, वापस लिए गए या बदले गए हों वहाँ न्यायालय अभियुक्त को जोड़े गए, वापस लिए गए या बदले गए अंशों की अविलम्ब अधिसूचना देगा।

जहाँ न्यायालय का यह विश्वास हो कि अभ्यारोपण के दाण्डिक उपबन्धों या गणकों में जोड़ या परिवर्तन से अभियुक्त के प्रतिवाद पर सारवान प्रतिकूल प्रभाव (substantial prejudice) पड़ेगा तो वह अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा लोक-विचारण की प्रक्रिया को उतने समय तक के लिए रोक देगा जितने में अभियुक्त अपने पर्याप्त प्रतिवाद के लिए तैयार हो सके।

अनु० 313—न्यायालय जब उचित समझे, लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर या पदेन (ex-officio) एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, मौखिक कार्यवाहियों को अलग या सम्मिलित कर सकता है अथवा समाप्त की गई मौखिक कार्यवाहियों को फिर से आरम्भ कर सकता है।

जहाँ अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हो, न्यायालय एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, न्यायालय-नियमों के अनुसार मौखिक कार्यवाहियों को पृथक् कर सकता है।

अनु० 314—यदि अभियुक्त विकृतचित्तता की अवस्था (state of unsound mind) में हो तो लोक विचारण की प्रक्रिया, लोक-समाहर्ता और परामर्शदाता की सम्मति सुनने के बाद, उक्त अवस्था के सातत्य (continuance) में, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, रोक दी जाएगी। तथापि, उस दशा में जब कि निर्दोषिता, विमुक्ति, दण्ड-क्षमा या लोक-कार्यवाही के

परिहार (dismissal) के निर्णय देने के स्पष्ट कारण हों तो ऐसा निर्णय अभियुक्त की उपस्थिति की बिना प्रतीक्षा किए ही सुना दिया जाएगा।

यदि अभियुक्त बीमारी के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हो तो लोक-विचारण की प्रक्रिया, लोकसमाहर्ता और प्रतिवाद-परामर्शदाता की सम्मति सुनने के बाद, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा तबतक के लिए रोक दी जाएगी जबतक उसका उपस्थित होना सम्भव न हो जाय। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा जहाँ अनुच्छेद 284 और 285 के अनुसार कोई प्रतिपत्री (proxy) उपस्थित कराया गया हो।

जहाँ किसी अपराध के घटक तथ्यों की सत्ता या अभाव को प्रमाणित करने के लिए अपरिहार्य कोई साक्षी बीमारी के कारण लोक विचारण की तिथि पर उपस्थित न हो सकता हो तो न्यायालय लोक-विचारण की प्रक्रिया को तबतक के लिए अवश्य रोक देगा जबतक कि उसका उपस्थित होना सम्भव न हो जाय, केवल उस दशा को छोड़कर जब कि न्यायालय उसकी परीक्षा लोक-विचारण की तिथि से अन्य तिथियों पर करना उचित समझे।

पिछले तीन परिच्छेदों के अनुसार विचारण रोकने के पहले न्यायालय किसी चिकित्सा विशेषज्ञ (medical expert) की सम्मति सुनेगा।

अनु० 315—जहाँ लोक विचारण के आरम्भ के बाद ही एक (या अनेक) न्यायाधीश बदल दिया (दिए) गया (गए) हो (हों) तो उसकी कार्यवाही नवीकृत की जाएगी। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि केवल न्याय निर्णय (judgment) मात्र का उद्घोषित किया जाना ही शेष रहा हो।

अनु० 316—किसी जिला-न्यायालय के अकेले एक न्यायाधीश द्वारा भी प्रचालित कार्यवाहियाँ प्रभाव-शून्य नहीं होंगी चाहे प्रस्तुत अभियोग ऐसा भले ही हो जिसे किसी सहभागी-न्यायालय (collegiate court) में ही विचारा जाना वैध हो।

अनुभाग 2 साक्ष्य (Evidence)

अनु० 317—तथ्यों (facts) का पता साक्ष्य के आधार पर लगाया जाएगा।

अनु० 318 —साक्ष्य का प्रमाणक मूल्य (probative value) न्यायाधीशों के स्वतंत्र विवेक (discretion) पर छोड़ दिया जाएगा।

अनु० 319— बाध्यता, यन्त्रणा या धमकी द्वारा अथवा लम्बे बन्दीकरण या निरोध के बाद की गई संस्वीकृति (confession) अथवा जिसके स्वेच्छया न किए जाने का सन्देह हो ऐसी संस्वीकृति को साक्ष्य में नहीं माना जाएगा।

उस दशा में अभियुक्त को अभिशस्त (convicted) नहीं किया जाएगा जहाँ उसकी निजी संस्वीकृति ही चाहे वह खुले न्यायालय में की गई हो या नहीं उसके विरुद्ध एक मात्र प्रमाण हो।

पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित संस्वीकृति में अभियुक्त की कोई भी स्वीकृति आ सकती है जो उसे अध्यारोपित अपराध का दोषी अभिस्वीकृत करे।

अनु० 320 अनुच्छेद 321 से 328 तक के अनुच्छेदों द्वारा अन्यथा विहित दशा के अतिरिक्त न तो किसी व्यक्ति द्वारा लोक-विचारण की तिथि पर मौखिक रूप में दिए गए वक्तव्य के बदले किसी प्रलेख को साक्ष्यरूप में प्रयोग किया जाएगा और न अन्य व्यक्ति द्वारा लोक-विचारण की तिथि से भिन्न अन्य तिथियों पर दिए गए किसी वक्तव्य का मौखिक विवरण ही साक्ष्य रूप में प्रयुक्त होगा।

अनु० 321—अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा दिया गया लिखित वक्तव्य (written statement) या प्रलेख (document), जिसमें उसका वक्तव्य हो और उसी के द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील किया गया हो, केवल निम्नांकित प्रभागों में से किसी के अन्तर्गत होने पर ही साक्ष्य रूप में प्रयुक्त हो सकेगा

(1) जहाँ तक उस प्रलेख का संबंध है, जिसमें किसी व्यक्ति का न्यायाधीश के समक्ष दिया गया वक्तव्य हो, जहाँ कि वह लोक विचारण की तैयारी या लोक-विचारण की तिथि पर, मृत्यु, मानसिक स्थिति की विकृति (unsoundness), लापता होने (missing), या जापान के बाहर रहने के कारण उपसजात न हो या प्रमाणित न करे अथवा वह शरीर से इतना असमर्थ हो कि प्रमाणित न कर सके या जहाँ वह उल्लिखित तिथि पर उपसजात होकर अपने पहले के वक्तव्य से किसी रूप में भिन्न प्रमाण दिया हो,

(2) जहाँ तक उस प्रश्न का संबंध है जिसमें किसी व्यक्ति का लोक समाहर्ता के समक्ष दिया गया वक्तव्य हो, जहाँ वह लोक विचारण की तैयारी या लोक विचारण की तिथि पर मृत्यु, मानसिक स्थिति की विकृति (unsoundness) लापता होने (missing) या जापान के बाहर रहने के कारण उपस्थित न हो सके या प्रमाणित न कर सके अथवा शरीर से इतना असमर्थ हो कि प्रमाणित न कर सके अथवा जहाँ वह उल्लिखित तिथि पर उपस्थित होकर अपने पहले के वक्तव्य के विरुद्ध या उससे तत्त्वतः भिन्न प्रमाण दिया हो, तथापि अन्तिम दशा में यह कथन वहीं लागू होगा जहाँ विशेष परिस्थितियों से जिनके कारण न्यायालय को यह पता लग सके कि पहले के वक्तव्य उल्लिखित तिथि पर पूछताछ (interrogation) के समय में दिए गए प्रमाण से अधिक विश्वसनीय हैं।

(3) जहाँ तक पिछले दो प्रश्नों (items) में वर्णित से भिन्न लिखित वक्तव्यों का संबंध है, जहाँ कि वक्तव्य देने वाला व्यक्ति लोक विचारण की तैयारी या लोक विचारण की तिथि पर मृत्यु, मानसिक स्थिति की विकृति (unsoundness) लापता होने (missing) या जापान के बाहर रहने के कारण उपस्थित न हो सके या प्रमाणित न कर सके या वह शरीर से इतना असमर्थ हो कि प्रमाणित न कर सके और उसके पिछले वक्तव्य अभ्यारोपित अपराध के आवश्यक प्रमाण हों, तथापि यह उसी दशा में लागू होगा जब कि विशेष परिस्थितियाँ रही हों जिनमें वक्तव्य दिए गए और जो विशेष प्रत्ययता (special credibility) उत्पन्न करें।

कोई लिखित अभिलेख (record) जिसमें अभियुक्त से अन्य किसी व्यक्ति द्वारा लोक विचारण की तैयारी या लोक-विचारण की तिथि पर दिए गए वक्तव्य हों अथवा वह लिखित अभिलेख जिसमें न्यायालय या किसी न्यायाधीश द्वारा किए गए निरीक्षण (inspection) के परिणाम (result) का वर्णन हो, पिछले परिच्छेद का बिना विचार किए ही साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

कोई लिखित अभिलेख जिसमें लोकसमाहर्ता, लोकसमाहर्ता कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा किए गए निरीक्षण के परिणाम का वर्णन हो, इस अनुच्छेद के पिछले परिच्छेद का बिना विचार किए ही साक्ष्यरूप में प्रयुक्त किया जा सकता है यदि इसे तैयार करने वाला

व्यक्ति लोक विचारण की तिथि पर साक्षी के रूप में उपसजात हो और जाँच किए जाने पर प्रलेख का सत्यापन करे।

पिछला परिच्छेद यथोचित परिवर्तन के साथ, उस प्रलेख (document) के सबन्ध में लागू होगा जिसे किसी विशेषज्ञ साक्षी (expert witness) ने तैयार किया हो और जिसमें उसके निष्कर्षों (conclusions) एव प्रक्रिया (process) का वर्णन हो जिसके अन्तर्गत उसने अपनी समति दी हो।

अनु० 322—अभियुक्त द्वारा दिया गया कोई लिखित वक्तव्य (written statement) या प्रलेख जिसमें उसका वक्तव्य हो और उसके द्वारा हस्ताक्षर एव सील किया गया हो, उसके विरुद्ध साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त हो सकता है यदि वक्तव्य में अभियुक्त द्वारा की गई उस तथ्य की स्वीकृति (admission) हो जो उसके हित (interest) के विरुद्ध है अथवा यदि वक्तव्य असाधारण परिस्थितियो (unusual circumstances) में दिया गया हो जिनसे विशेष प्रत्ययता (special credibility) पैदा हो गई हो। तथापि, जहाँ लिखित वक्तव्य या प्रलेख में अभियुक्त द्वारा अपने हित के विरुद्ध तथ्य की स्वीकृति (admission) की गई हो और यह सदेह हो कि स्वीकृति स्वेच्छया नही की गई है तो वह, एव साथ ही साथ अनुच्छेद 319 द्वारा विहित दशाओ में, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जायगा, चाहे स्वीकृति (admission) किसी अपराध की सस्वीकृति (confession) भले न हो।

कोई लिखित अभिलेख, जिसमें अभियुक्त द्वारा पहले, लोक-विचारण की तैयारी या लोक-विचारण की तिथि पर, दिए गए वक्तव्य हो, तभी तक साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त हो सकता है जब तक कि वह स्वेच्छया दिया गया प्रतीत हो।

अनु० 323—पिछले दो अनुच्छेदों में विहित से भिन्न प्रलेख (documents) केवल तभी साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं यदि वे निम्नांकित में से कोई हों :

(1) किसी के कुटुम्ब रजिस्टर (family register) की एक प्रति या विलेख (notarial deed) की प्रति अथवा उन तथ्यों को प्रमाणित करने वाले ऐसे ही अन्य लोक-लेख्य (public documents) जिन्हें प्रमाणित करने का कर्तव्य (duty) या प्राधिकार (authority) किसी लोक-कर्मचारी (जिनमें विदेशी सरकार के कर्मचारी भी सम्मिलित है) को हो,

(2) कोई लेखा-पुस्तक (account book), जल-यात्रा अभिलेख (voyage log) एवं अन्य प्रलेख जो व्यापार को नियमित परिधि में तैयार किए गए हों,

(3) पिछले दो प्रभागों द्वारा विहित से भिन्न प्रलेख जो अपने अन्तर्गत तथ्यों के दृढ़ कथन (assertions) के प्रति विशेष प्रत्ययता में (special credibility) प्रदान करने वाली परिस्थितियों तैयार किये गए हों।

अनु० 324—जहाँ तक अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा लोक-विचारण की तैयारी की तिथि या उस लोक-विचारण की तिथि पर दिए गए मौखिक वक्तव्यों का सम्बन्ध है, जिसमें अभियुक्त के विचारण के पहले के वक्तव्य (pre-trial statements) हों अनुच्छेद 322 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होंगी।

जहाँ तक अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा उल्लिखित तिथि पर दिए गए मौखिक वक्तव्यों का सबंध है जिनमें अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा दिए गए, विचारण के पूर्व के वक्तव्य (pre trial statements) हों, अनुच्छेद 321, परिच्छेद 1 प्रभाग 3 की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

अनु० 325—पिछले चार अनुच्छेदों के अनुसार साक्ष्य-रूप में ग्राह्य वक्तव्य या प्रलेख न्यायालय द्वारा तब तक साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि उसे अनुसंधान के बाद यह विश्वास न हो जाय कि किसी व्यक्ति के वक्तव्य या प्रलेख में वर्णित वक्तव्य, जो अन्य व्यक्ति द्वारा लोक विचारण की तैयारी की तिथि या लोक-विचारण की तिथि पर दिये गए मौखिक वक्तव्य में निहित हो, स्वेच्छया (voluntarily) दिया गया था।

अनु० 326—अनुच्छेद 321 से 325 तक के अनुच्छेदों के अतिरिक्त भी कोई प्रलेख या वक्तव्य केवल तभी साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त हो सकता है जब कि लोक-समाहर्ता और अभियुक्त उसके लिए सम्मति (consent) दें और न्यायालय उन परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जिनमें उक्त प्रलेख या वक्तव्य लिया गया था, इसे उचित समझे।

उन अभियोगों में जहाँ अभियुक्त की अनुपस्थिति (non-attendance) में भी साक्ष्यों की परीक्षा (examination of evidences) कार्यान्वित की जा सकती हो और अभियुक्त उपसजात न हो तो पिछले परिच्छेद में

उल्लिखित सम्मति उसने दे दी ऐसा मान लिया जायगा। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा जहाँ उसके बदले में उसका प्रतिपक्षी या परामर्शदाता उपसजात हो।

अनु० 327—लोक-समाहर्ता और अभियुक्त या उसके प्रतिवाद परामर्शदाता के सहमत होने पर किसी प्रलेख के अन्तर्विषयों के सम्बन्ध में लिखित अनुबन्ध (written stipulations) या किसी प्रमाण का सारांश, जो यदि साक्षी न्यायालय में उपसजात होने वाला होता तो दिया जाता मौलिक प्रलेख (original document) की जाँच के बिना ही या लोक-विचारण में साक्षी से बिना पूछताछ किए ही साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तथापि अनुबन्ध के प्रमाणक मूल्य (probative value) पर किसी भी समय आपत्ति (objection) की जा सकती है।

अनु० 328 किसी प्रलेख या मौखिक वक्तव्य (oral statement) का जिसे अनुच्छेद 321 से 324 तक के अनुच्छेदों द्वारा साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त किया जा सके, उस वक्तव्य की प्रत्ययता (credibility) निर्धारण करने की प्रणाली (method) के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है जो लोक-विचारण की तैयारी की तिथि या लोक-विचारण की तिथि पर अभियुक्त, साक्षी या अन्य व्यक्तियों (जिन्होंने अपने वक्तव्य (statements) न्यायालय के बाहर दिए हों) द्वारा दिए गए हों।

अध्याय 3

लोक-विचारण का विनिश्चय
(Decision in Public Trial)

अनु० 329—किसी अभियुक्त के विरुद्ध लम्बित (pending) अभियोग (case) की दशा में, जो न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र (jurisdiction) में न आता हो, अक्षमता (incompetency) की उद्घोषणा एक निर्णय (judgment) द्वारा की जायगी। तथापि, अनुच्छेद 266, प्रभाग 2 के अन्तर्गत किसी जिला-न्यायालय में विचारण के लिए सौंपे गए अभियोग के संबंध में न्यायालय अक्षमता की उद्घोषणा नहीं करेगा।

अनु० 330—यदि कोई अभियोग, जिसके लिए लोक-कार्यवाही उसके विशेष क्षेत्राधिकार में आने के कारण किसी उच्च न्यायालय में संस्थित की गई हो,

किसी निम्न न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में आता हो तो पिछले अनुच्छेद की व्यवस्थाओं का बिना विचार किए एक व्यवस्था द्वारा उस क्षमताशील (competent) न्यायालय में अन्तरित कर दिया जायगा।

अनु० 331—अभियुक्त के प्रार्थना-पत्र देने की दशा के अतिरिक्त न्यायालय प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (territorial jurisdiction) के संबंध में अक्षमता की उद्घोषणा नहीं करेगा।

अभियुक्त के विरुद्ध लम्बित अभियोग (case) के संबंध में साक्ष्य की परीक्षा प्रारम्भ की जाने के बाद किसी भी अक्षमता की अभ्युक्ति (plea of incompetency) को वरीयता नहीं दी जायगी।

अनु० 332—कोई निम्न-न्यायालय एक व्यवस्था द्वारा किसी अभियोग को अधिकार-क्षेत्र-संपन्न जिला-न्यायालय में अन्तरित कर देगा यदि वह अभियोग का जिला-न्यायालय में विचारित कराना उचित समझे।

अनु० 333 जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध लम्बित अभियोग के संबंध में अपराध का प्रमाण मिलता हो वहाँ अनुच्छेद 334 की दशा को छोड़कर एक निर्णय द्वारा दण्ड की उद्घोषणा की जायगी।

ऐसे दण्ड के साथ ही साथ निर्णय द्वारा दण्ड निष्पादन के निलम्बन (suspension) की उद्घोषणा की जायगी।

अनु० 334—जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध लम्बित अभियोग के संबंध में दण्ड क्षमा किया जानेवाला हो तो निर्णय द्वारा इस तथ्य की उद्घोषणा की जायगी।

अनु० 335—अभियुक्त को अपराधी उद्घोषित करने में अपराध के घटक तथ्यों, साक्ष्य की सूची (inventory), तथा विधियों एवं अध्यादेशों की प्रयुक्ति (application) का निर्देश किया जायगा।

जहाँ अपराध के संघटन (formation of offence) को बाधित करने वाले वैधानिक आधारों (legal ground) के संबंध में कोई आरोप लगाया गया हो अथवा उन तथ्यों के संबंध में लगाया गया हो जिनके कारण दण्ड बढ़ाया (aggravated) या घटाया (commuted) जा सके तो उस पर भी विनिश्चय (decision) का निर्देश किया जायगा।

अनु० 336—यदि अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग में किसी अपराध का संघटन न हो अथवा यदि अपराध में प्रमाण का अभाव हो तो अभियुक्त को

निर्णय (judgemeut) द्वारा निर्दोष' (not guilty") उदघोषित किया जायगा।

अनु० 337—विमुक्ति (acquittal) की उदघोषणा निर्णय द्वारा निम्नांकित दशाओं में की जायगी।

(1) जहाँ कोई अन्तिम बाध्यकारी निर्णय (finally binding judgment) पहले ही दिया जा चुका हो

(2) जहाँ अपराध-संपादन के बाद ही प्रवर्तित (लागू) किये गए विधि या अध्यादेश द्वारा दण्ड परिहृत (abolished) कर दिया गया हो

(3) जहाँ कोई सामान्य राजक्षमा (general amnesty) घोषित की गई हो

(4) जहाँ कोई भोगाधिकार (prescription) पूरा किया गया हो।

अनु० 338—निम्नांकित दशाओं में निर्णय द्वारा लोक कार्यवाही निरस्त (dismiss) कर दी जायगी

(1) जहाँ अभियुक्त पर न्यायालय का अधिकार क्षेत्र लागू न हो

(2) जहाँ कोई लोक-कार्यवाही अनुच्छेद 340 के उल्लंघन में संस्थित की गई हो

(3) जहाँ उसी अभियोग पर, जिस पर कोई लोक-कार्यवाही की गई थी दूसरी लोक-कार्यवाही उसी न्यायालय में लाई गई हो

(4) जहां लोक-कार्यवाही संस्थित करने की प्रक्रिया (procedure) उससे संबद्ध व्यवस्थाओं के विरोध में होने के कारण प्रभावहीन (void) हो।

अनु० 339—निम्नलिखित दशाओं में एक व्यवस्था द्वारा लोक कार्यवाही निरस्त कर दी जायगा

(1) जहाँ अभ्यारोपण (indictment) के सभी गणक (counts) चाहे वे सही क्यों न हों कोई विशिष्ट अपराध का वर्णन न करें,

(2) जहाँ यह (लोक-कार्यवाही) वापस ले ली गई हो,

(3) जहाँ अभियुक्त मर गया हो या न्यायिक व्यक्ति (juridical person) होने के कारण (अभियुक्त रूप में) न हो,

(1) जहाँ अनुच्छेद 10 या 11 की व्यवस्थाओं द्वारा न्यायनिर्णय (adjudication) बाधित हो।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 340 जहाँ वापसी (withdrawal) के फलस्वरूप लोक-कार्यवाही को निरस्त करने वाली व्यवस्था अन्तिम बाध्यकारी (finally binding) हो जाय तो उस अपराध के लिये केवल उसी दशा में नई लोक-कार्यवाही संस्थित की जा सकती है जब कि वह किसी नवाविष्कृत (newly discovered) सारवान साक्ष्य (material evidence) पर आधृत हो।

अनु० 341—उस दशा में जब कि कोई अभियुक्त बयान (statement) देने से इनकार करे बिना अनुमति के न्यायालय से निवृत्त (retire) हो जाय या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा शान्ति स्थापन के लिये न्यायालय से निवृत्त होने के लिये आदेश पावे तो उसका बयान बिना सुने ही निर्णय दिया जा सकता है।

अनु० 342—लोक विचारण-न्यायालय (public trial court) में निर्णय उद्घोषणा (pronouncement) अवश्य कराया जायगा।

अनु० 343—कारावास या किसी गुरुतर दण्ड दिये जाने के समय जमानत या निरोध निष्पादन का निलम्बन (suspension) प्रभावहीन हो जायगा। ऐसी दशा में अनुच्छेद 98 की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ केवल तभी लागू होंगी जब कि जमानत या निरोध निष्पादन के निलम्बन की कोई नई व्यवस्था न जारी की गई हो।

अनु० 344—अनुच्छेद 89 की व्यवस्थाएँ कारावास या गुरुतर दण्ड दिये जाने के बाद नहीं लागू होंगी।

अनु० 345—निर्दोषिता (not guilty) विमुक्ति दण्ड-क्षमा दण्ड निष्पादन के निलम्बन लोक-कार्यवाही के निरसन अक्षमता (incompetency) या अर्थदण्ड या छोटे अर्थदण्ड का निर्णय दिये जाने के समय निरोध का अधिपत्र (warrant of detention) प्रभावहीन हो जायगा।

अनु० 346—यदि अभिगृहीत (seized) वस्तुओं के संबंध में राज्य-सात्करण (confiscation) की उद्घोषणा न की गई हो तो अभिग्रहण (seizure) से उक्त वस्तुओं की छूट की उद्घोषणा की गई समझी जायगी।

अनु० 347—यदि अभिग्रहण के अन्तर्गत रखे गए अन्यायार्जित (ill-gotten) मालों के संबंध में, अपकृत-पक्ष (injured party) को पुनः लौटा देने के स्पष्ट हेतु (clear reason) हों तो उक्त मालों का अपकृत-पक्ष को प्रत्यावर्तित करने (restoration) का एक उद्घोषण किया जायगा।

वह अभियोग भी जिसमें अपकृत-पक्ष अन्यायार्जित माल के विचार के लिये ली गई किसी वस्तु का पुनः लौटाने की मांग करे, पिछले परिच्छेद द्वारा ही नियन्त्रित होगा।

जहाँ अनन्तिम रूप से प्रत्यावर्तित (provisionally restored) मालों के संबंध में, कोई विरोधी उद्घोषण न किया गया हो, वहाँ प्रत्यावर्तन का उद्घोषण किया गया समझा जायगा।

पिछले तीन परिच्छेदों के अतिरिक्त कोई भी वद्धहित (interested) व्यक्ति दीवानी प्रक्रिया (civil procedure) के अनुसार अपने अधिकारों का दृढ़-प्रतिपादन (assertion) कर सकता है।

अनु० 348—यदि कोई न्यायालय अभियुक्त पर अर्थदण्ड, छोटे अर्थदण्ड या अतिरिक्त वसूली (additional collection) का उद्घोषण करे तो न्यायालय वस्तुतः या पदेन लोकसमाहर्ता के निवेदन पर, उक्त उद्घोषित धनराशि की अनन्तिम अदायगी (provisional payment) का आदेश दे सकता है, यदि वह समझे कि निष्पादन के विलम्बित होने की दशा में जब तक निर्णय अन्ततः बाध्यकारी न हो जाय तब तक निर्णय को निष्पादित करना असंभव या अत्यन्त कठिन होगा।

अनन्तिम अदायगी के विनिश्चय (decision) का उद्घोषण न्यायाधीश द्वारा दण्ड के उद्घोषण के साथ ही साथ किया जायगा।

अनन्तिम अदायगी के आदेश करने वाले विनिश्चय को अविलम्ब निष्पादित किया जा सकता है।

अनु० 349—उस दशा में, जब कि दण्ड-निष्पादन को निलम्बित करने वाला उद्घोषण विखण्डित किया जाने वाला (to be rescinded) हो, लोकसमाहर्ता जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय से,

जिसके अधिकार-क्षेत्र में सिद्धदोष व्यक्ति (convicted person) रहता हो या रह चुका हो, उक्त विखण्डन (rescission) की माँग करेगा।

जब पिछले परिच्छेद में उल्लिखित माँग की जा चुकी हो, न्यायालय अभियुक्त या उसके प्रतिपत्री (proxy) की सम्मति सुनने के बाद एक व्यवस्था जारी करेगा। उक्त *व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न कोकोकु अपील की* जा सकती है।

अनु० 350—उस दशा में जब कि दण्ड-संहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 52 के अनुसार किसी दण्ड का निर्धारण किया जाने वाला हो तो लोक-समाहर्ता उस न्यायालय से दण्ड निर्धारित करने की माँग करेगा जिसने उस अभियोग पर दण्ड निर्धारित करने का अन्तिम निर्णय दिया हो। इस दशा में, पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होंगी।

तीसरा खण्ड-अपील

अध्याय 1

सामान्य उपबन्ध

(General Provisions)

अनु० 351—अपील (जोसो) किसी लोकसमाहर्ता या अभियुक्त द्वारा की जा सकती है।

जब अनुच्छेद 266 के प्रभाग 2 के अनुसार किसी न्यायालय में विचारण के लिये सौंपा गया कोई अभियोग दूसरे अभियोग के साथ सामूहिक रूप में *विचारित किया गया हो और निर्णय दिया गया हो तो अनुच्छेद 268 के परिच्छेद* 2 के अनुसार लोकसमाहर्ता के कार्यों को करने वाला अधिवक्ता (advocate) एवं दूसरे अभियोग में लगा हुआ लोक-समाहर्ता क्रमशः स्वतंत्र रूप में उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं।

अनु० 352—अभियुक्त या लोकसमाहर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध कोई व्यवस्था (ruling) जारी की गई हो, कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 353—अभियुक्त का वैध प्रतिनिधि (legal representative) या पालक (curator) अभियुक्त की ओर से अपील कर सकता है।

अनु० 354—जहाँ निरोध का कारण निर्देशित किया गया हो, निर्देशन (indication) का निवेदन करने वाला व्यक्ति भी, अभियुक्त की ओर से निरोध (detention) के विरुद्ध अपील कर सकता है। यही नियम अपील को निरस्त करने वाली व्यवस्था के संबंध में भी लागू होगा।

अनु० 355—मूल न्यायालय (orginal instance) का प्रतिपत्री (proxy) या परामर्शदाता अभियुक्त की ओर से अपील कर सकता है।

अनु० 356—पिछले तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित अपील अभियुक्त के स्पष्टतः व्यक्त किए गए आशय (intention) के विरुद्ध नहीं की जायगी।

अनु० 357—निर्णय के किसी अंश के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

वह अपील जो निर्णय के किसी अंश मात्र तक ही सीमित न हो, पूरे निर्णय पर की गई समझी जायगी।

अनु० 358—अपील करने की अवधि निर्णय विज्ञापित करने के दिन से आरम्भ हो जायगी।

अनु० 359—लोक-समाहर्ता अभियुक्त या अनुच्छेद 352 में उल्लिखित व्यक्ति अपील वापस ले सकते है।

अनु० 360 अनुच्छेद 353 या 354 में उल्लिखित व्यक्ति अभियुक्त की सम्मति (consent) से अपील वापस ले सकते हैं।

अनु० 361—वह व्यक्ति जिसने कोई अपील वापस ले ली हो, उसी अभियोग के सम्बन्ध में दूसरी अपील नहीं कर सकता। यही उस अभियुक्त के सबंध में लागू होगा जिसने अपील को वापस लेने की समति (consent) दी हो।

अनु० 362—जब अनुच्छेद 351 से 355 तक के अनुच्छेदों के बल पर (by virtue of) अपील करने का अधिकारी व्यक्ति, ऐसे कारण से जो स्वयं उस पर या उसके प्रतिनिधि पर आरोपित न किया जा सके, अपील करने की अवधि के अंदर अपील करने से रोक दिया गया हो तो वह अपील करने के अपने अधिकार की पुनःप्राप्ति (recovery) के लिए मूल न्यायालय (original court) में प्रार्थनापत्र दे सकता है।

अनु० 363—अपील करने के अधिकार की पुनःप्राप्ति (recovery of right) की माँग लिखित रूप में उस अवधि के अंदर की जायगी, जो अपील करने की अवधि के बराबर होगी जिसका और आरंभ उस दिन होगा जिस दिन अपील रोकने वाला कारण समाप्त हुआ।

अपील करने के अधिकार की पुनःप्राप्ति की माँग करने वाला व्यक्ति उक्त माँग के साथ ही साथ अपील के लिये एक प्रार्थना-पत्र देगा।

अनु० 364—अपील करने के अधिकार की पुनःप्राप्ति की माँग के सबंध में की गई व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 365—जब अपील करने के अधिकार की पुनःप्राप्ति की माँग की गई हो तो मूल-न्यायालय निर्णय के निष्पादन को रोकने वाली कोई व्यवस्था

तब तक के लिये जारी कर सकता है जब तक कि पिछले अनुच्छेद में विहित व्यवस्था जारी न कर दी जाय। इस दशा में, अभियुक्त के विरुद्ध निरोध का अधिपत्र जारी किया जा सकता है।

अनु० 366— यदि कारागार में रहते हुए अभियुक्त द्वारा अपील के लिये लिखित प्रार्थनापत्र मुख्य काराधिकारी (Chief Prison Officer) या उसके सहायक के पास, अपील की अवधि के अंदर दे दिया जाय तो ऐसी अपील विहित अवधि में की गई समझी जायगी।

यदि अभियुक्त लिखित प्रार्थना-पत्र स्वयं तैयार करने में असमर्थ हो तो मुख्य काराधिकारी या उसका सहायक उसके लिये प्रार्थना-पत्र लिख देगा अथवा अपने अधीन किसी कर्मचारी से ऐसा करा देगा।

अनु० 367 पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, उन अभियोगों में लागू होंगी जहाँ कारागार में रहता हुआ अभियुक्त अपील वापस ले या अपील करने के अपने अधिकार की पुनःप्राप्ति की माँग करे।

अनु० 368 उस दशा में जब कि केवल लोक-समाहर्ता द्वारा संस्थित अपील खारिज की या वापस ली गई हो, राज्य (State) अभियोग के तत्कालीन अभियुक्त को उस न्यायालय में जिसमें अपील की गई हो अपील के कारण किये गए व्ययों (expenses) का प्रतिकर (compensation) देगा।

अनु० 369—प्रतिकर की राशि में केवल यात्रा-व्यय (travelling expenses), दैनिक भत्ते, और आवास खर्च (lodging charges), जिन्हें तत्कालीन अभियुक्त एवं तत्कालीन प्रतिवाद-परामर्शदाता (then Defense Counsel) ने लोक-विचारण की तैयारी या लोक विचारण की तिथि पर उपसजात होने के लिये दिया हो, और पारिश्रमिक (remuneration) रहेगा जिसे अभियुक्त ने परामर्शदाता को दिया हो, तथा जहाँ तक अनुदान (grant) की जाने वाली राशि का संबंध है आपराधिक प्रक्रिया के परिव्ययों (Costs of Criminal Procedure) से संबद्ध विधि (Law) के परामर्शदाता एवं साक्षी से संबद्ध व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, क्रमशः तत्कालीन अभियुक्त एवं तत्कालीन परामर्शदाता के संबंध में लागू होंगी।

अनु० 370—प्रतिरर तत्कालीन अभियुक्त या उसके प्रतिनिधी (proxy) की प्रार्थना पर, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जिसने उस अभियाग पर अपना अपीलीय क्षेत्राधिकार (appelate jurisdiction) प्रयुक्त किया हो, एक व्यवस्था द्वारा स्वीकृत (allowed) किया जायगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित प्रार्थना (request), अपील खारिज करने वाले निर्णय के अधिसूचित किये जाने या अपील के वापस लिये जाने के बाद दो मास के अंदर की जायगी।

उच्च न्यायालय द्वारा पहले परिच्छेद के बल पर जारी की गई व्यवस्था पर अनुच्छेद 428 के परिच्छेद 2 के अनुसार आपत्ति (objection) की जा सकती है। आसन्न कोकोकु अपील से सबद्ध व्यवस्थाएँ भी, यथोचित परिवर्तन के साथ, उल्लिखित आपत्ति के संबंध में लागू होंगी।

अनु० 371 इस संहिता (Code) में अन्यथा विहित दशा को छोड़कर, न्यायालय के नियम प्रतिरर संबन्धी प्रार्थना प्रतिरर की अदायगी एवं प्रतिरर से सबद्ध अन्य कार्यवाही का अधिकृत करेंगे।

अध्याय 2

कोसो अपील

(Koso Appeal)

अनु० 372—किसी जिला-न्यायालय परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय द्वारा प्रथम न्यायालय (first instance) में दिए गए निर्णय के विरुद्ध कोसो अपील की जा सकती है।

अनु० 373—कोसो अपील के लिए निर्धारित अवधि चौदह दिन होगी।

अनु० 374—कोसो अपील प्रथम न्यायालय (Court of first instance) में कोसो अपील के लिए लिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए की जायगी।

अनु० 375—जहाँ यह स्पष्ट हो कि कोसो अपील, कोसो अपील करने के अधिकार की समाप्ति के बाद की गई है, प्रथम न्यायालय उसे एक व्यवस्था के आधार पर खारिज कर देगा। ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न (immediate) कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 376—अपीलकर्ता (appellant) किसी अपील के हेतुओं का विवरण अपीलीय न्यायालय को, न्यायालय-नियमों द्वारा विहित अवधि के अंदर, अवश्य प्रस्तुत करेगा।

जैसा कि न्यायालय-नियमों या इस संहिता (Code) में अपेक्षित हो किसी अपील के हेतुओं के विवरण के साथ परामर्शदाता या लोकसमाहर्ता का प्रमाण-पत्र या प्रकल्पित प्रमाण (presumptive proof) अवश्य संलग्न किया जायगा।

अनु० 377—जहाँ निम्नांकित में से किसी आधार पर किसी अपील की जाय परामर्शदाता या लोकसमाहर्ता के प्रमाणपत्र के साथ अपील के हेतुओं का विवरण इस आशय से संलग्न किया जायगा कि (यदि अवसर दिया जाय) ऐसे आधारों की सत्ता का पर्याप्त प्रमाण दिया जा सकता है

(1) जब कि मूल-न्यायालय का संघटन विधि द्वारा विहित रूप में न किया गया हो,

(2) जब कि किसी न्यायाधीश ने जिसे कुछ वैधानिक कारणों (legal reason) से निर्णय में भाग नहीं लेना चाहिए था किन्तु उसने निर्णय देने में वस्तुतः भाग लिया हो,

(3) जब कि खुले लोक-विचारण से संबद्ध व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया गया हो।

अनु० 378—जहाँ किसी अपील निम्नांकित में से किसी आधार पर की जाय, अपील के हेतुओं के विवरण (statement) में, अभिकथित आधार (ground alleged) को प्रत्येय (credible) बनाने के लिए उन विषयों का समुचित उद्धरण रहेगा जो विषय उस अभिलेख में आते हों जिसमें पहले की कार्यवाही एवं मूल न्यायालय द्वारा लिए गए साक्ष्य के अन्तर्विषयों (contents) का विवरण हो

(1) जब कि न्यायालय अपने को अवैध रूप से (illegally) क्षमताशील (competent) या अक्षम (incompetent) समझ ले,

(2) जब कि लोक-कार्यवाही अवैध रूप से स्वीकृत या खारिज की गई हो,

(3) जब कि अभ्यारोपण (indictment) में आए हुए किसी गणन (count) के संबंध में निर्णय न दिया गया हो अथवा उस गणन के संबंध में दिया गया हो जो अभ्यारोपण में न हो

(4) जब कि निर्णय सम्पूर्ण न दिया गया हो या हेतु विरोध में रहे हों।

अनु० 379—जहाँ कोसो अपील पिछले दो अनुच्छेदों द्वारा विहित से भिन्न इस आधार पर की जाय कि कार्यवाही में किसी विधि या अध्यादेश का उल्लंघन किया गया है और यह कि वह उल्लंघन निर्णय में महत्वपूर्ण (material) स्थान रखता है तो अपील के हेतुओं के विवरण में अभिकथित आधार का प्रत्यय (credible) बनाने के लिए उन विषयों का समुचित उद्धरण रहेगा जो उस अभिलेख में आते हों जिसमें की गई कार्यवाही एवं मूल न्यायालय द्वारा लिए गए साक्ष्य के अन्तर्विषयों (contents) का वर्णन हो।

अनु० 380 जहाँ कोसो अपील मूल न्यायालय द्वारा विधि या अध्यादेश के निर्माण (construction) अथ विवेचन (interpretation) या प्रयुक्ति (application) में की गई भूल (mistake) के आधार पर की जाय और वह भूल निर्णय में महत्वपूर्ण रही हो तो अपील के हेतुओं के विवरण में उक्त भूल एवं निर्णय में उसकी महत्वपूर्णता का विशद निर्देश किया जायगा।

अनु० 381—जहाँ कोसो अपील इस आधार पर की जाय कि दण्ड का निर्धारण अनुचित एवं अन्यायपूर्ण ढंग से किया गया है तो अपील के हेतुओं के विवरण में अभिकथित आधार का प्रत्यय बनाने के लिए उन विषयों का समुचित उद्धरण रहेगा जो उस अभिलेख (record) में आते हों जिसमें की गई कार्यवाही एवं मूल न्यायालय द्वारा लिए गए साक्ष्य के अन्तर्विषयों का वर्णन हो।

अनु० 382—जहाँ कोसो अपील तथ्यों के अनुसंधान में त्रुटि (error) एवं निर्णय में उसकी स्पष्ट महत्वपूर्णता (obvious materiality) के आधार पर की जाय तो अपील के हेतुओं के विवरण में अभिकथित आधार को प्रत्यय बनाने के लिए उन विषयों का समुचित उद्धरण रहेगा जो उस अभिलेख में आते हों जिसमें की गई कार्यवाही एवं मूल न्यायालय द्वारा लिए गए साक्ष्य के अन्तर्विषयों का वर्णन हो।

अनु० 383—जहाँ कोसो अपील निम्नांकित में से किसी आधार पर की जाय तो अपील के हेतुओं के विवरण का आधार के प्रकल्पित प्रमाण के साथ संलग्न किया जायगा

(1) जब कि कार्यवाही के पुनर्विचार (reopening of procedure) का समर्थन करने वाला कोई तथ्य मिलता हो (सइशिन),

(2) जब कि अवर न्यायालय में निर्णय दिये जाने के ठीक बाद, दण्ड का परिहार या परिवर्तन कर दिया गया हो या सामान्य राजक्षमा (general amnesty) की घोषणा की गई हो।

अनु० 384—कोसो अपील अनु० 377 से 383 तक के अनुच्छेदों द्वारा विहित अपीलों के आधारों में से किसी एक के दृढ़कथन (asserting) द्वारा की जा सकती है।

अनु० 385—जहाँ यह स्पष्ट हो कि कोसो अपील का प्रार्थनापत्र विधि या अध्यादेश द्वारा विहित प्रपत्र (form) के अनुसार नहीं बनाया गया है अथवा अपील करने के अधिकार की समाप्ति के बाद दिया गया है तो कोसो अपील का न्यायालय उसे एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर देगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था के विरुद्ध अनुच्छेद 428 परिच्छेद 2 के अनुसार आपत्ति (objection) की जा सकती है, ऐसी दशा में, आसन्न कोकोकु अपील की व्यवस्थाएँ भी यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होंगी।

अनु० 386—कोसो अपील का न्यायालय कोसो अपील को एक व्यवस्था द्वारा खारिज (dismiss) कर सकता है

(1) जब कि कोसो अपील के हेतुओं का विवरण अनुच्छेद 376 परिच्छेद 1 में विहित अवधि के अन्दर न प्रस्तुत किया जाय,

(2) जब कि कोसो अपील के हेतुओं का विवरण इस संहिता (Code) एवं न्यायालय के नियमों द्वारा निश्चित किए गए प्रपत्र (form) के अनुसार न हो, अथवा जब इसके साथ, इस संहिता (Code) अथवा न्यायालय-नियमों द्वारा विहित आवश्यक प्रकल्पित प्रमाण या प्रमाणपत्र (certificate) न हो।

अनु० 393—पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित अनुसंधान (investigation) के लिए आवश्यकता समझने पर कोसो अपील का न्यायालय लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर या पदेन तथ्यों की जाँच कर सकता है। तथापि, उन साक्ष्यों के संबंध में जिनके विषय में यह प्रदर्शित करने वाला प्रकल्पित प्रमाण (presumptive proof) प्रस्तुत किया जाय कि प्रथम न्यायालय में मौखिक कार्यवाहियों के पर्यवसान (conclusion) के पहले उन्हें जाँच के लिए नहीं दिया जा सका तो न्यायालय उक्त साक्ष्यों की जाँच केवल उसी दशा में करेगा जबकि वे दण्ड के अनुचित निर्धारण (*improper determination*) अथवा निर्णय के लिए महत्व-पूर्ण तथ्य के अनुसंधान में की गई त्रुटियों के प्रमाण के लिए आवश्यक हों।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित जाँच (examination) सहयोगी-न्यायालय के किसी सदस्य द्वारा कार्यान्वित कराई जा सकती है, अथवा इसे करने के लिए जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय का कोई न्यायाधीश अधियाचित किया जा सकता है। ऐसी दशा में, राजादिष्ट न्यायाधीश या अधियाचित न्यायाधीश के वही अधिकार होंगे जो किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश के रहते हैं।

अनु० 394—कोई साक्ष्य जो प्रथम न्यायालय में साक्ष्य-रूप में स्वीकृत या प्रयुक्त किया गया हो, कोसो अपील के न्यायालय में भी साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

अनु० 395—जब कोसो अपील का कोई प्रार्थना-पत्र विधि या अध्यादेश द्वारा विहित प्रपत्र के अनुसार न दिया गया हो या कोसो अपील करने के अधिकार की समाप्ति के बाद दिया गया हो तो कोसो अपील का न्यायालय निर्णय द्वारा इसे खारिज कर देगा।

अनु० 396—जहाँ अनुच्छेद 377 से 383 तक के अनुच्छेदों में विहित कोसो अपील के आधारों (grounds) में से कोई न हो तो इसे एक निर्णय *द्वारा खारिज कर दिया जायगा।*

अनु० 397—जहाँ अनुच्छेद 377 से 383 तक के अनुच्छेदों में विहित कोसो अपील के आधारों में से कोई हो तो एक निर्णय द्वारा मूल निर्णय (original judgment) खण्डित कर दिया जायगा।

अनु० 398—जबकि मूल निर्णय का इस आधार पर खण्डित करना हो कि मूल-न्यायालय (original court) ने अपने को अवैध रूप से अक्षम (incompetent) घोषित किया अथवा लोक-कार्यवाही को अवैध रूप से खारिज कर दिया तो वह अभियोग एक निर्णय द्वारा पुनः मूल न्यायालय को वापस भेज दिया जायगा।

अनु० 399—यदि मूल निर्णय का इस आधार पर खण्डित करना हो कि न्यायालय ने अवैधरूप से अपने को क्षमताशील (competent) समझ लिया तो वह अभियोग एक निर्णय के द्वारा किसी क्षमताशील प्रथम न्यायालय में अन्तरित कर दिया जायगा। तथापि उस अभियोग पर यदि फौजी अपील के न्यायालय को प्रथम न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र प्राप्त हो तो वह उस अभियोग पर प्रथम न्यायालय के रूप में विचार (try) करेगा।

अनु० 400—जब कि मूल निर्णय को पिछले दो अनुच्छेदों में उल्लिखित आधारों से भिन्न किसी आधार पर खण्डित करना हो तो वह अभियोग या तो मूल न्यायालय को पुनः वापस कर दिया जायगा या एक निर्णय द्वारा मूल न्यायालय की ही कोटि के अन्य किसी न्यायालय में अन्तरित कर दिया जायगा। तथापि यदि न्यायालय यह समझे कि वह मूल न्यायालय या अपील-न्यायालय द्वारा परीक्षित (examined) एवं प्रस्तुत अभिलेखों (records) एवं साक्ष्यों के आधार पर अविलम्ब निर्णय दे सकता है तो वह उस अभियोग पर निर्णय दे सकता है।

अनु० 401—उस दशा में जब कि मूल निर्णय (original judgment) को अभियुक्त के लाभ के लिए खण्डित किया जाय तो ऐसे निर्णय को उस सहाभियुक्त (co-accused) के लिए भी खण्डित किया जायगा जिसने फौजी अपील किया हो यदि खण्डित करने का आधार (ground) उस सहाभियुक्त के संबंध में भी समान हो।

अनु० 402—उस अभियोग में जिसमें अभियुक्त द्वारा या उसके लाभ के लिए फौजी अपील की गई हो तो मूल निर्णय द्वारा आरोपित दण्ड से गुरुतर दण्ड की घोषणा नहीं की जायगी।

अनु० 403—उस दशा में जब कि कोई मूल न्यायालय लोक-कार्यवाही को खारिज करने वाली किसी व्यवस्था को जारी करने में अवैध रूप से असमर्थ रहे तो लोक-कार्यवाही एक व्यवस्था द्वारा खारिज की जायगी।

जहाँ तक पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था का संबंध है अनुच्छेद 385 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएं, यथाचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

अनु० 404—इस संहिता (Code) में अन्यथा विहित दशा को छोड़कर, **दूसरे खण्ड** (Book II) में प्रतिपादित लोक-विचारण (public trial) से संबद्ध व्यवस्थाएं, यथाचित परिवर्तन के साथ, कोसो अपील के विचारण के संबंध में लागू होंगी।

अध्याय 3

जोकोकु अपील

(Jokoku Appeal)

अनु० 405– जोकोकु अपील प्रथम या द्वितीय न्यायालय (first or second instance) में किसी **उच्च न्यायालय** द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध निम्नांकित दशाओं में की जा सकती है

(1) इस आधार पर कि **संविधान** का उल्लंघन हुआ है अथवा **संविधान** के निर्माण, अर्थनिर्वचन या विनियोग (प्रयुक्ति) में त्रुटि (error) हुई है,

(2) इस आधार पर कि **उच्च न्यायालय** द्वारा पूर्व स्थापित न्यायिक दृष्टान्तों (judicial precedents) से असंगत कोई निर्णय किया गया है,

(3) उन अभियोगों में, जिनके लिए **उच्चतम न्यायालय** का कोई न्यायिक दृष्टान्त (judicial precedent) न हो, इस आधार पर कि पूर्ववर्ती **उच्चतम न्यायालय** (दइ शिन इन) द्वारा अथवा **जोकोकु** अपील न्यायालय के रूप में **उच्च न्यायालय** द्वारा अथवा इस संहिता (Code) के प्रवर्तन (enforcement) के बाद **कोसो** अपील न्यायालय के रूप में **उच्च न्यायालय** द्वारा पूर्व स्थापित न्यायिक दृष्टान्तों (judicial precedents) से असंगत (incompatible) निर्णय किया गया है।

अनु० 406—जोकोकु अपील के न्यायालय के रूप में **उच्चतम न्यायालय**, न्यायालय नियमों के अनुसार, किन्हीं भी वैसे अभियोगों को, उनके मूल-

निर्णय के अन्तिम बाध्यकारी (finally binding) होने के पहले ही ले सकता है जिन्हें वह समझे कि उनमें विधि या अध्यादेश के निर्माण-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण समस्या अन्तर्हित है चाहे वे वैसे अभियोग न हों जिनकी जोकोकु अपील पिछले अनुच्छेद के अन्त पर की जा सके।

अनु० 407—जोकोकु अपील के हेतुओं के विवरण में न्यायालय नियमों के अनुसार अपील के आधार (ground) का निर्देश विशेष रूप से रहेगा।

अनु० 408—जहाँ जोकोकु अपील के न्यायालय को जोकोकु अपील के हेतुओं के विवरण एवं अन्य प्रलेखों (documents) की जाँच करने के बाद, यह पता लग जाय कि अपील निर्वाह्य (sustainable) नहीं है तो वह एक निर्णय द्वारा मौखिक कार्यवाहियों का बिना आयोजन किये ही अपील को खारिज कर सकता है।

अनु० 409—जोकोकु अपील के न्यायालय के लिए स्वार विचारण की तिथि पर अभियुक्त को समन करना आवश्यक नहीं है।

अनु० 410—यदि जोकोकु अपील के न्यायालय को यह ज्ञात हो जाय कि अनुच्छेद 405 के प्रत्येक प्रभाग द्वारा विहित खण्डित करने (quashing) के आधारों में से कोई है तो वह मूल निर्णय को एक निर्णय द्वारा खण्डित कर देगा। तथापि यह लागू नहीं होगा यदि आधार की सत्ता निर्णय को एकदम प्रभावित न करे।

पिछला परिच्छेद उस दशा में लागू नहीं होगा जहाँ यद्यपि जहाँ तक अनुच्छेद 405 के प्रभाग 2 और 3 की प्रयुक्ति (application) का सम्बन्ध है मूल निर्णय को खण्डित करने के कुछ आधार मिलते हों तथापि जोकोकु अपील का न्यायालय मूल निर्णय को खण्डित करने के बदले प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त (judicial precedent) का भंग करना या बदलना अधिक उचित समझता हो।

अनु० 411—चाहे अनुच्छेद 405 के किसी भी प्रभाग में विहित कोई भी आधार न हो यदि जोकोकु अपील का न्यायालय निम्नांकित कारणों से मूल निर्णय को खण्डित न करना न्यायतः असंगत समझे तो वह एक निर्णय द्वारा उसे खण्डित कर सकता है

(1) जब कि विधि या अध्यादेश के निर्माण (construction) अथवा निर्वचन (interpretation) या प्रयुक्ति (application) में

कोई भूल (mistake) रह गई हो जो निर्णय में महत्त्वपूर्ण (material) हो।

(2) जब कि दण्ड नितान्त अन्यायपूर्ण एवं अनुचित रूप से लगाया गया हो,

(3) जब कि तथ्यों के अनुसंधान में कोई घोर त्रुटि (gross error) हो जो निर्णय में महत्त्वपूर्ण हो,

(4) जब कि कार्यवाही के पुनर्विचार (सइशिन) का समर्थन करने वाला कोई हेतु हो,

(5) जब कि मूल निर्णय दिए जाने के बाद, दण्ड का परिहार (abolition) या परिवर्तन कर दिया गया हो, या सामान्य राज-क्षमा (general amnesty) की घोषणा की गई हो।

अनु० 412 जब मूल-निर्णय को इस आधार पर खण्डित करना हो कि न्यायालय ने अवैध रूप से अपने को क्षमताशील (competent) मान लिया था तो वह अभियोग एक निर्णय द्वारा, क्षमताशील किसी अपील न्यायालय या क्षमताशील प्रथम न्यायालय में अन्तरित कर दिया जायगा।

अनु० 413—जब कि मूल-निर्णय को, पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित आधारों से भिन्न आधार पर खण्डित करना हो तो वह अभियोग एक निर्णय द्वारा, या तो मूल-न्यायालय (original court) या प्रथम-न्यायालय में वापस भेज दिया जायगा या इन्हीं न्यायालयों के तुल्य कोटि के किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित कर दिया जायगा। तथापि, यदि जोकोकु अपील का न्यायालय समझे कि वह, मूल-न्यायालय या प्रथम-न्यायालय द्वारा जाँच किए गए एवं पूर्व प्रस्तुत साक्ष्यों तथा अभिलेखों के आधार पर, अविलम्ब निर्णय दे सकता है तो वह उस अभियोग पर निर्णय दे सकता है।

अनु० 414 इस संहिता में अन्यथा विहित दशा को छोड़कर, पिछले अध्याय की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ, जोकोकु न्यायालय के विचारण के संबंध में लागू होंगी।

अनु० 415—अपने निर्णय के अन्तर्विषयों (contents) में त्रुटि पाने पर जोकोकु अपील का न्यायालय लोक-समाहर्ता या अभियुक्त या उसके परामर्शदाता के निवेदन पर, अन्य निर्णय द्वारा उसका संशोधन कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन, निर्णय के उद्घोषण के दिन के बाद दस दिन के अन्दर किया जायगा।

जोकोकु अपील का न्यायालय, यदि उचित समझे इस अनुच्छेद के प्रथम परिच्छेद में उल्लिखित व्यक्तियों के निवेदन पर पिछले परिच्छेद द्वारा निर्धारित अवधि को बढ़ा सकता है।

अनु० 416—मौखिक कार्यवाही बिना किये ही सशोधन के लिये निर्णय दिया जा सकता है।

अनु० 417—जोकोकु अपील का न्यायालय, उस दशा में जब कि वह सशोधन (amendment) के लिये निर्णय न दे एक व्यवस्था द्वारा, निवेदन को अविलम्ब अस्वीकृत कर देगा।

अनुच्छेद 415 के परिच्छेद 1 के बल पर सशोधन के निर्णय के विरुद्ध फिर कोई निवेदन प्रस्तुत नहीं किया जायगा।

अनु० 418—जोकोकु अपील के न्यायालय का निर्णय, अनु० 415 में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अथवा जहाँ इसी अनुच्छेद के परिच्छेद 1 के अनुसार कोई निवेदन किया गया हो उस दशा में सशोधन के लिये निर्णय दिये जाने या निवेदन अस्वीकृत करने वाली व्यवस्था के निर्णय दिये जाने पर अन्तिम बाध्यकारी हो जायगा।

अध्याय 4

कोकोकु अपील

(Kokoku Appeal)

अनु० 419—उन अभियोगों को छोड़कर, जिनमें यह विशेषतः विहित है कि एक आसन्न (immediate) कोकोकु अपील की जा सकती है, किसी न्यायालय द्वारा जारी की गई व्यवस्था के विरुद्ध, इस संहिता (Code) में अन्यथा विहित दशा को छोड़कर कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 420—किसी न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र या कार्यवाहियों से सबद्ध, निर्णय से पहले की गई व्यवस्था के विरुद्ध केवल उन अभियोगों को छोड़

कर, जिनमें यह विशेषत विहित है कि आसन्न कोकोकु अपील की जा सकती है, कोई कोकोकु अपील नहीं की जायगी।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ निरोध, जमानती निर्मुक्ति, अभिगृहीत वस्तुओं के अभिग्रहण या प्रत्यावर्तन (restoration) संबंधी व्यवस्था या विशेषज्ञ साक्ष्य (expert evidence) के लिये आवश्यक परिरोध-संबंधी व्यवस्था के संबंध में लागू नहीं होगी।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाओं के रहते हुए भी, किसी निरोध के विरुद्ध, इस आधार पर कि अपराध का संदेह नहीं है, कोई कोकोकु अपील नहीं की जायगी।

अनु० 421—आसन्न (immediate) कोकोकु अपील को छोड़कर, कोकोकु अपील किसी भी समय की जा सकती है तथापि यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि मूल-व्यवस्था का निरसित (cancelled) करने में कोई वास्तविक लाभ न हो।

अनु० 422—आसन्न कोकोकु अपील के लिए विहित अवधि तीन दिन की होगी।

अनु० 423—कोकोकु अपील मूल-न्यायालय (original court) को एक लिखित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए की जायगी।

मूल-न्यायालय, यह जान लेने पर कि कोकोकु अपील सुदृढ़ आधार (well-founded) पर है, व्यवस्था की त्रुटि (error) को ठीक कर देगा। उस दशा में जब कि वह कोकोकु अपील के पूरे या किसी अंश को निराधार (groundless) पावे, लिखित प्रार्थनापत्र को, उसमें सलग्न लिखित सम्मतियों (written opinions) के साथ, कोकोकु अपील के न्यायालय में, प्रार्थना-पत्र पाने के दिन के बाद तीन दिन के अन्दर, भेज देगा।

अनु० 424—आसन्न कोकोकु अपील को छोड़कर, (सामान्य) कोकोकु अपील में निर्णय के निष्पादन को निलम्बित करने का प्रभाव (effect) नहीं होगा। तथापि, मूल न्यायालय, एक व्यवस्था द्वारा, निष्पादन को तब तक के लिये निलम्बित कर सकता है जब तक कि कोकोकु अपील पर न्याय-निर्णय न दे दिया जाय।

कोकोकु अपील का न्यायालय, एक व्यवस्था द्वारा, निर्णय को निलम्बित कर सकता है।

अनु० 425—आसन्न कोकोकु अपील के लिए विहित अवधि में, एवं जब कोकोकु अपील की जा चुकी हो, निर्णय का निष्पादन निलम्बित कर दिया जायगा।

अनु० 426—कोकोकु अपील को नियन्त्रित करने वाली व्यवस्थाओं (provisions) के प्रतिकूल रूप में की गई कोकोकु अपील अथवा यदि कोई कोकोकु अपील निराधार (groundless) हो तो वह एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर दी जायगी।

यदि कोकोकु अपील सुदृढ़ आधार पर हो तो मूलव्यवस्था (original ruling), एक व्यवस्था (ruling) द्वारा निरसित कर दी जायगी, और आवश्यकतानुसार, फिर से नया निर्णय दिया जायगा।

अनु० 427—कोकोकु अपील के न्यायालय के विरुद्ध, फिर कोई कोकोकु अपील नहीं की जायगी।

अनु० 428—किसी उच्च न्यायालय की व्यवस्था के विरुद्ध कोई कोकोकु अपील नहीं की जायगी।

उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई व्यवस्था पर, जिसके विरुद्ध विशेष व्यवस्थाओं (special provisions) द्वारा आसन्न कोकोकु अपील विहित हो अथवा जिसके विरुद्ध अनुच्छेद 419 एवं 420 के बल पर कोकोकु अपील की जा सके, उच्च न्यायालय में आपत्ति (objection) की जा सकती है।

कोकोकु अपील से सम्बद्ध व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित आपत्ति के संबंध में लागू होंगी। आसन्न कोकोकु अपील से सम्बद्ध व्यवस्थाएँ (provisions), यथोचित परिवर्तन के साथ उस व्यवस्था (ruling) की आपत्ति के संबंध में लागू होंगी जिसके विरुद्ध आसन्न (immediate) कोकोकु अपील विशेष व्यवस्थाओं (special provisions) द्वारा विहित हो।

अनु० 429—निम्नांकित निर्णयों में से किसी पर असंतुष्ट कोई व्यक्ति, निर्णय के विखण्डन (rescission) या परिवर्तन (alteration) के लिये, यदि निर्णय क्षिप्र-न्यायालय द्वारा दिया गया हो तो जिला-न्यायालय में, जिसके अधिकारक्षेत्र में वह अभियोग हो, अथवा यदि उच्चतर न्यायालय के किसी

न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो तो उस न्यायालय में, जिसका वह न्यायाधीश हो, निवेदन (request) कर सकता है —

(1) आपत्ति के प्रस्ताव (motion) को खारिज करने वाला निर्णय (decision),

(2) निरोध, जमानती निर्मुक्ति, अभिग्रहण या अभिगृहीत वस्तुओं (seized articles) के प्रत्यावर्तन (restoration) से संबद्ध निर्णय,

(3) विशेषज्ञ साक्ष्य (expert evidence) के लिये परिरोध (confinement) का आदेश करने वाला निर्णय,

(4) अदाण्डिक अर्थदण्ड (non-penal fine) लगाने वाला या किसी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, अर्थनिर्वाचक या अनुवादक के व्ययों (expenses) के प्रतिकर (compensation) का आदेश करने वाला निर्णय,

(5) अदाण्डिक अर्थदण्ड लगाने वाला या किसी व्यक्ति के व्यया के प्रतिकर का आदेश करने वाला निर्णय, जिसके शरीर की जांच होने वाली हो,

अनुच्छेद 420 परि० 3 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में विहित निवेदन के संबंध में लागू होंगी।

पहले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन प्राप्त करने वाला जिला-न्यायालय या परिवार-न्यायालय किसी सहयोगी-न्यायालय (collegiate court) द्वारा एक व्यवस्था बनवाएगा।

पहले परिच्छेद के प्रभाग 4 या 5 में उल्लिखित निर्णय के विखण्डन (rescission) या परिवर्तन (alteration) के लिये निवेदन उक्त निर्णय दिये जाने के दिन के तीन दिन के अन्दर, किया जायगा।

पिछले परिच्छेद के निवेदन के लिये विहित अवधि में एवं उक्त निवेदन किये जाने पर, निर्णय का निष्पादन निलम्बित रखा जायगा।

अनु० 430—प्रत्यक व्यक्ति, जिसे अनुच्छेद 39, परिच्छेद 3 में उल्लिखित कार्रवाइयों अथवा अभिग्रहण या अभिगृहीत वस्तुओं के प्रत्यावर्तन (restoration) से संबद्ध कार्रवाइयों पर, जो किसी लोक-समाहर्ता या लोकसमाहर्ता-

कायाल्य के सचिव द्वारा नारा की गई हो कोई आपत्ति (objection) हो उक्त लोकसमाहना या सचिव के लोकसमाहना-कार्यालय से सबद्ध न्यायालय में उन कार्रवाइयो के निरसन (cancellation) या परिवर्तन (alteration) के लिए निवेदन कर सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति जिसे पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कार्रवाइयों पर जो किसी न्यायिक पुलिस-कर्मचारी द्वारा नारा की गई हो कोई आपत्ति हो उन कार्रवाइयो के निरसन या परिवर्तन के लिये उस जिला-न्यायालय या जिला-न्यायालय में निवेदन कर सकता है जिसके अधिकार-क्षेत्र में वह स्थान आता हो जहा पर उक्त न्यायिक पुलिस कर्मचारी अपना कार्य करता हो।

प्रशासनिक वादकरण (administrative litigation) से सबद्ध विधि एवं अध्यादेश की व्यवस्थाएं पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित निवेदन के सबंध में लागू नहीं होगी।

अनु० 431—पिछले दो अनुच्छेदो में उल्लिखित निवेदन लिखित रूप में किसी समनागत न्यायालय (competent court) में किये जायेंगे।

अनु० 432—अनुच्छेद 421 426 और 427 की व्यवस्थाएँ (provisions) यथोचित परिवर्तन के साथ उस दशा में लागू होगी जहाँ अनुच्छेद 429 और 430 में उल्लिखित निवेदन किये गए हो।

अनु० 433—इस व्यवस्था या आदेश (order) के विरुद्ध जिस पर इस संहिता में कोई आपत्ति विहित नहीं है अनुच्छेद 405 में विहित किसी हेतु के रहने के आधार (ground) पर उच्चतम न्यायालय में कोकोतु अपील की जा सकती है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कोकोतु अपील के लिये विहित अवधि पाँच दिन की होगी।

अनु० 434—अनुच्छेद 423 424 और 426 की व्यवस्थाएँ (provisions), यथोचित परिवर्तन के साथ इस संहिता में अन्यथा विहित दशा को छोड़कर पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में उल्लिखित कोकोतु अपील के संबंध में लागू होगी।

चौथा खण्ड

कार्यवाही का पुनर्विचार

(Reopening of Procedure)

अनु० 435–निम्नांकित दशाओं में कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन उस व्यक्ति के हित के लिए किया जा सकता है जिसके विरुद्ध "दोषिता" ("guilty") का कोई निर्णय अन्तत बाध्यकारी हो चुका हो

(1) जब कि लेख्यसाक्ष्य (documentary evidence) या साक्ष्य के अंश, जिन पर मूल-निर्णय आधृत था, अन्य अन्तत बाध्यकारी निर्णय द्वारा जाली (forged) या परिवर्तित (altered) सिद्ध हो चुके हों,

(2) जब कि कोई मौखिक साक्ष्य (testimony), विशेष-सम्मति (expert opinion), अर्थ-निर्वचन या अनुवाद, जिस पर कि मूल निर्णय आधृत था, अन्य अन्तत बाध्यकारी निर्णय द्वारा नकली (false) सिद्ध हो चुका हो,

(3) जब कि किसी दोषी (guilty) घोषित व्यक्ति के विरुद्ध किए गए मिथ्या अभियोग (false accusation) का अपराध अन्य अन्तत बाध्यकारी निर्णय द्वारा प्रमाणित किया जा चुका हो, तथापि यह केवल उसी दशा में लागू होगा जहाँ "दोषिता" का निर्णय उक्त मिथ्या अभियोग के ही कारण दिया गया हो,

(4) जब कि विनिश्चय (decision), जिस पर कि मूल-निर्णय आधृत था, एक अन्तत बाध्यकारी विनिश्चय द्वारा परिवर्तित कर दिया गया हो,

(5) जब कि किसी अभियोग में, जिसमें किसी एकस्व अधिकार (patent right), उपयोगिता-आदर्श अधिकार (utility model right) अभिकल्प अधिकार (design right), या व्यापार-छाप अधिकार (trade-mark right) के अतिलंघन (infringing) के

आधार पर 'दाविता का निर्णय दिया जा चुका हो उक्त अधिकारी को प्रभावहीन करता हुआ एकस्व कार्यालय (Patent Office) का कोई विनिश्चय (decision) अन्तिम बाध्यकारी हो चुका हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा ऐसा ही (उक्त अधिकारी को प्रभावहीन करने वाला) निर्णय दिया गया हो

(6) जब कि ऐसा स्पष्ट साक्ष्य (clear evidence) नवाविष्कृत (newly discovered) हो कि किसी दोषी घोषित व्यक्ति के संबंध में 'निर्दोषिता' ('not guilty') या विमुक्ति (acquittal) का निर्णय दिया जाय अथवा किसी दोषित (condemned) व्यक्ति के संबंध में दण्ड क्षमा (remission) का निर्णय दिया जाय अथवा मूल निर्णय द्वारा प्रतिपादित अपराध से हल्का (lighter) अपराध मान लिया जाय

(7) जब कि किसी अन्तिम बाध्यकारी निर्णय द्वारा यह प्रमाणित हो जाय कि मूल निर्णय में भाग लेने वाले न्यायाधीश या मूल निर्णय के आधारभूत लेख्यसाक्ष्य के निर्माण में भाग लेने वाले न्यायाधीश या मूल निर्णय के आधारभूत साक्ष्य प्रलेख (evidential document) या वक्तव्य (statements) को तैयार करने वाले लोक-समाहर्ता लोक-समाहर्ता कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा कार्यालयीय कार्यों (official functions) के संबंध में किए गए अपराध रहे हैं। तथापि यह केवल वहीं लागू होगा जहाँ उस दशा में जब कि उक्त न्यायाधीश लोक-समाहर्ता लोक समाहर्ता-कार्यालय के सचिव अथवा न्यायिक पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध मूल निर्णय दिए जाने के पूर्व ही कोई लोक कार्यवाही (public action) की गई हो मूल निर्णय देने वाला न्यायालय उक्त तथ्य से अनभिज्ञ रहा हो।

अनु० 436—निम्नांकित दशाओं में किसी अन्तिम बाध्यकारी निर्णय के विरुद्ध जिसके द्वारा कोसो अपील या जोकोकु अपील खारिज की गई हो उस व्यक्ति के हित के लिए जिसके प्रति निर्णय दिया गया हो कार्यवाही के पुनर्विचार के लिए निवेदन किया जा सकता है

(1) यदि पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 1 या 2 में उल्लिखित हेतु (causes) मिलते हों,

(2) यदि पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 7 में उल्लिखित हेतु उस न्यायाधीश के सबंध में मिलते हों जिसने मूल-निर्णय या मूल-निर्णय में साक्ष्य के रूप में अंगीकृत लेख्य-साक्ष्य (documentary evidence) की तैयारी (preparation) में भाग लिया हो।

किसी अभियोग पर, जिसमें प्रथम न्यायालय में, अन्तिम बाध्यकारी निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किया गया था, कार्यवाही के पुनर्विचार का निर्णय दिए जाने के बाद किसी अपील को खारिज करने वाले निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन नहीं किया जायगा।

किसी अभियोग पर जिसमें प्रथम या द्वितीय न्यायालय में किसी अन्तिम बाध्यकारी निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किया गया था कार्यवाही के पुनर्विचार का निर्णय दिए जाने के बाद, जोकोकु अपील खारिज करने वाले निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन नहीं किया जायगा।

अनु० 437– जब किसी अभियोग में ऐसा अन्तिम बाध्यकारी निर्णय पाना असम्भव हो जिसमें, पिछले दो अनुच्छेदों के अनुसार, किसी अन्तिम बाध्यकारी निर्णय द्वारा प्रमाणित किए गए किसी अपराध का कोई तथ्य (fact) कार्यवाही के पुनर्विचार का हेतु बनाया जाय तो उक्त तथ्य को प्रमाणित करने पर कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किया जा सकता है। तथापि, यह उस अभियोग के सम्बन्ध में नहीं लागू होगा जिसमें ऐसा अन्तिम बाध्यकारी निर्णय, साक्ष्य के अभाव (lack of evidence) के कारण न पाया जा सके।

अनु० 438— कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन मूल-निर्णय देने वाले न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र (jurisdiction) में आएगा।

अनु० 439—निम्नांकित व्यक्ति कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन कर सकते हैं

(1) (क्षमताशील न्यायालय से संबद्ध) लोक-समाहर्ता
(2) दोषी घोषित किया गया व्यक्ति
(3) दोषी घोषित किए गए व्यक्ति के वैध प्रतिनिधि एवं पालक,
(4) दोषी घोषित किए गए व्यक्ति के पति या पत्नी (spouse) या सगा संबंधी भाई या बहन यदि वह व्यक्ति मर गया हो अथवा विकृत चित्तता (unsound mind) की स्थिति में हो।

अनुच्छेद 435 प्रभाग 7 या अनुच्छेद 436 परिच्छेद 1 प्रभाग 2 में उल्लिखित हेतुओं के बल पर कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन केवल लोक-समाहर्ता द्वारा किया जा सकता है यदि वह अपराध दोषी घोषित व्यक्ति द्वारा उकसाया गया (instigated) हो।

अनु० 440—जब लोक-समाहर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन करे तो वह प्रतिवाद-परामर्शदाता (defense counsel) चुन सकता है।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाओं (provision) के अनुसार प्रतिवाद परामर्शदाता का चुनाव तब तक मान्य (valid) रहेगा जब तक कार्यवाही के पुनर्विचार में कोई निर्णय न हो जाय।

अनु० 441—कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन दण्ड-निष्पादन (execution of penalty) के पूरे किए जाने के बाद भी अथवा जहाँ दण्ड निष्पादित न किया जाने वाला हो किया जा सकता है।

अनु० 442—कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन दण्ड के निष्पादन को नहीं रोकेगा। तथापि किसी क्षमताशील न्यायालय से संबद्ध लोक समाहर्ता-कार्यालय का लोक-समाहर्ता दण्ड के निष्पादन को तब तक के लिए रोक सकता है जब तक कि कार्यवाही के पुनर्विचार के निवेदन के संबंध में कोई निर्णय (decision) न दिया जाय।

अनु० 443—कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन वापस लिया जा सकता है।

वह व्यक्ति जिसने कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन वापस लिया हो फिर उसी हेतु (same cause) पर कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन नहीं कर सकेगा।

अनु० 444—अनुच्छेद 366 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, कार्यवाही के पुनर्विचार के निवेदन एवं प्रत्याहरण (withdrawal) के संबंध में लागू होंगी।

अनु० 445—कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन प्राप्त कर लेने पर, न्यायालय, आवश्यकतानुसार, उस निवेदन के हेतु से संबद्ध तथ्यों का अनुसंधान चालू करने के लिए, सहयोगी-न्यायालय के किसी सदस्य को प्रेरित कर सकता है अथवा इस करने के लिए जिला-न्यायालय, कुटुम्ब-न्यायालय, या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अधियाचित कर सकता है। ऐसी दशा में, राजादिष्ट न्यायाधीश या अधियाचित न्यायाधीश का वही अधिकार होगा जो न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश का होता है।

अनु० 446—जब कार्यवाही के पुनर्विचार का कोई निवेदन विधि या अध्यादेश के प्रपत्र (form) के विरुद्ध अथवा निवेदन करने के अधिकार की समाप्ति (termination) के बाद किया गया हो तो वह एक व्यवस्था के द्वारा खारिज कर दिया जायगा।

अनु० 447—जब कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन निराधार (without grounds) हो तो वह एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर दिया जायगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था के जारी किये जाने के बाद, किसी भी व्यक्ति द्वारा उसी हेतु पर फिर से, कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन नहीं किया जा सकेगा।

अनु० 448—जब कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन सुदृढ़ आधार (well-founded) पर हो तो कार्यवाही के पुनर्विचार को आरंभ करने के लिये एक व्यवस्था जारी की जायगी।

जब कार्यवाही के पुनर्विचार का आरम्भ करने के लिये कोई व्यवस्था जारी की जा चुकी हो तो दण्ड का निष्पादन, एक व्यवस्था द्वारा रोका जा सकता है।

अनु० 449 जब, किसी अपील खारिज करने वाले अन्ततः बाध्यकारी निर्णय के संबंध में तथा उल्लिखित निर्णय द्वारा अन्ततः बाध्यकारी हुए प्रथम न्यायालय के किसी निर्णय के संबंध में, कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किये जाने पर प्रथम न्यायालय (court of first instance) ने कार्यवाही

के पुनर्विचार में कोई निर्णय दे दिया हो तो कोसो अपील का न्यायालय एक व्यवस्था द्वारा कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन खारिज कर देगा।

जब प्रथम या द्वितीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जोकोकु अपील खारिज करने वाले अन्तिम बाध्यकारी निर्णय के संबंध में तथा उक्त निर्णय द्वारा अन्तिम बाध्यकारी हुए प्रथम या द्वितीय न्यायालय के किसी निर्णय के संबंध में कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किये जाने पर प्रथम या द्वितीय न्यायालय ने कार्यवाही के पुनर्विचार में कोई निर्णय दे दिया हो तो जोकोकु अपील का न्यायालय एक व्यवस्था द्वारा कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन खारिज कर देगा।

अनु० 450 अनुच्छेद 446 447 परिच्छेद 1 अनुच्छेद 448 परिच्छेद 1 अथवा अनुच्छेद 449 परिच्छेद 1 में उल्लिखित व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 451—उस अभियोग में जिसके संबंध में कार्यवाही का पुनर्विचार आरंभ करने के लिए व्यवस्था अन्तिम बाध्यकारी हो चुकी हो न्यायालय अनुच्छेद 449 की दशा को छोड़कर अपनी श्रेणी (grade) के अनुसार नये सिरे से (anew) विचारण करेगा।

अनुच्छेद 314 के परिच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 339 परिच्छेद 1 प्रभाग 3 के निकाय (body) की व्यवस्थाएँ (provisions) निम्नांकित दशाओं में पिछले परिच्छेद में उल्लिखित विचारण (trial) के संबंध में लागू नहीं होंगी

(1) जब कि कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किसी मृत-व्यक्ति (dead person) या विकृत चित्त (unsound mind) व्यक्ति की ओर से किया गया हो जिसे ठीक होने की कोई आशा न हो

(2) जब कि दोषी घोषित व्यक्ति कार्यवाही के पुनर्विचार में कोई निर्णय दिये जाने के पूर्व ही मर गया हो या विकृत चित्तता की स्थिति में आ गया हो और उसे ठीक होने की आशा न हो।

पिछले परिच्छेद की दशा में बिना अभियुक्त की उपसजाति (appearance) के विचारण किया जा सकता है। तथापि उसके प्रतिवादी परामर्श

दाता (defense counsel) की अनुपस्थिति में विचारण नही किया जायगा।

यदि पिछले परिच्छेद की दशा में कार्यवाही के पुनर्विचार के लिए निवेदन करने वाला व्यक्ति प्रतिवाद-परामर्शदाता नही चुनता तो उसके लिये पीठासीन न्यायाधीश पदेन (ex-officio) कोई परामर्शदाता निर्दिष्ट करेगा।

अनु० 452—कार्यवाही के पुनर्विचार में, मूल-निर्णय में घोपित किये गए दण्ड स गुरुतर (heavier)दण्ड नही दिया जायगा।

अनु० 453—यदि कार्यवाही के पुनर्विचार में 'निर्दोष' की घोषणा की गई हो तो ऐस निणय का सरकारी राजपत्र (Official Gazette) एव समाचार पत्रो में प्रकाशित किया जायगा।

——

पाँचवाँ खण्ड

असाधारण अपील

(Extraordinary Appeal)

अनु० 454—जब, किसी निर्णय के अन्तिम बाध्यकारी होने के बाद यह ज्ञात हो गया हो कि अभियोग का विचारण (trial) या निर्णय विधि या अध्यादेश के उल्लंघन (violation) में हुआ है तो महा-समाहर्ता (Procurator General) उच्चतम न्यायालय में असाधारण अपील कर सकता है।

अनु० 455—असाधारण अपील करने में, उसके हेतुओं (reasons) के विवरण वाला एक लिखित प्रार्थनापत्र उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जायगा।

अनु० 456—लोक समाहर्ता लोक विचारण (public trial) की तिथि पर लिखित प्रार्थनापत्र के आधार पर बहस करेगा।

अनु० 457—असाधारण अपील निराधार होने पर एक निर्णय द्वारा खारिज कर दी जायगी।

अनु० 458—यदि कोई असाधारण अपील सुदृढ़ आधारों (well-founded) पर समझी जाय तो निम्नांकित वर्गों (categories) के अनुसार निर्णय दिया जायगा

(1) जब कि मूल निर्णय विधि या अध्यादेश के उल्लंघन (violation) में दिया गया हो तो उल्लंघन में आने वाले अंश को खण्डित कर दिया जायगा। तथापि यदि मूल निर्णय अभियुक्त के लिये अहितकारक (disadvantageous) रहा हो तो उसे खण्डित कर दिया जायगा और अभियोग पर फिर से (anew) निर्णय दिया जायगा,

(2) जब कोई कार्यवाही विधि या अध्यादेश के उल्लंघनमें हो तो उल्लंघन में आने वाली कार्यवाही खण्डित कर दी जायगी।

अनु० 459— पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 1 के प्रतिबन्ध (provisio) के अन्तर्गत दिए गए निर्णय को छोड़कर, असाधारण अपील में निर्णय का प्रभाव (effect) अभियुक्त तक नहीं बढ़ेगा।

अनु० 460 न्यायालय केवल उन्हीं विषयों का अनुसंधान करेगा जो असाधारण अपील के लिखित प्रार्थनापत्र में उक्त रहेंगे।

न्यायालय मूल-न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र (jurisdiction), लोक-कार्यवाही की स्वीकृति (acceptance of public action) एवं अभियोग की प्रक्रिया से सम्बद्ध तथ्यों की जाँच कर सकता है। इस दशा में अनुच्छेद 393, परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

छठा खण्ड

क्षिप्र-प्रक्रिया
(Summary Procedure)

अनु० 461—क्षिप्र-न्यायालय, अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी मामले में, लोक-समाहर्ता की माँग पर एक क्षिप्र-आदेश (summary order) द्वारा लोक-विचारण के पूर्व ही पाँच हजार येन तक का अर्थदण्ड या छोटा अर्थदण्ड दे सकता है। इस दशा में दण्ड-निष्पादन का निलम्बन, राज्य-सात्करण (confiscation) एवं अन्य सहायक कार्रवाइयाँ (accessory dispositions) की जा सकती हैं।

क्षिप्र-आदेश केवल उसी दशा में दिया जायगा जहाँ लोक-समाहर्ता द्वारा की गई क्षिप्र-आदेश की माँग की अधिसूचना जिस दिन संदिग्ध को दी गई हो उस दिन से सात दिन बीत चुके हों और संदिग्ध की ओर से क्षिप्र-प्रक्रिया (summary procedure) पर कोई आपत्ति (objection) न हो।

अनु० 462—क्षिप्र-आदेश की माँग लिखित रूप में लोक-कार्यवाही की संस्थिति (institution) के साथ ही साथ की जायगी।

अनु० 463—यदि, उस दशा में जब कि पिछले अनुच्छेद के अन्तर्गत माँग (demand) की गई हो, ऐसा समझा जाय कि अभियोग क्षिप्रआदेश जारी किए जाने योग्य नहीं है अथवा ऐसा करना उचित नहीं है तो विचारण सामान्य व्यवस्थाओं (provisions) के अनुसार किया जायगा।

अनु० 464—क्षिप्र-आदेश में, अपराध का घटक तथ्य, प्रयुक्त विधि या अध्यादेश, दण्ड (penalty) एवं की जाने वाली अन्य सहायक कार्रवाइयाँ एवं यह वक्तव्य (statement) कि नियमित विचारण (regular trial) के लिए प्रार्थना-पत्र, आदेश की अधिसूचना (notification) के दिन से सात दिन के अन्दर दिया जा सकता है, लिखे जायँगे।

अनु० 465—वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई क्षिप्र-आदेश जारी किया गया हो, या लोक-समाहर्ता, उस (क्षिप्र आदेश) की अधिसूचना मिलने के सात दिन के अन्दर नियमित विचारण के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र लिखित रूप में क्षिप्र-आदेश जारी करने वाले न्यायालय में दिया जायगा। नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर, न्यायालय इस तथ्य की अधिसूचना तुरन्त लोक-समाहर्ता या उस व्यक्ति को देगा जिसके विरुद्ध क्षिप्र-आदेश जारी किया गया हो।

अनु० 466—नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र प्रथम न्यायालय (first instance) में कोई निर्णय दिए जाने के पहले वापस लिया जा सकता है।

अनु० 467 अनुच्छेद 353, 355 से 357 एवं 359 से 365 तक की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ, नियमित विचारण (regular trial) के प्रार्थना-पत्र एवं उसके प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध में लागू होगी।

अनु० 468—यदि नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र विधियां एवं अध्यादेशों के प्रपत्रों (forms) के विरुद्ध दिया गया हो अथवा प्रार्थना-पत्र देने के अधिकार की समाप्ति (termination) के बाद दिया गया हो तो वह एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर दिया जायगा। ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न (immediate) कोकोकु अपील की जा सकती है।

यदि नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र विधि-सगत (legal) समझा जाय तो विचारण सामान्य व्यवस्थाओं के अनुसार चालू किया जायगा।

पिछले परिच्छेद की दशा में क्षिप्र-आदेश बाध्यकारी (binding) नहीं होगा।

अनु० 469—नियमित विचारण के प्रार्थना-पत्र पर कोई निर्णय दिए जाने पर क्षिप्र-आदेश प्रभाव शून्य हो जायगा।

अनु० 470—क्षिप्र-आदेश के वे ही प्रभाव (effects) होंगे जो नियमित विचारण के प्रार्थना-पत्र देने की अवधि के बीत जाने अथवा प्रार्थनापत्र वापस लेने पर अंतिम निर्णय (irrevocable judgment) के होते हैं। यही उस दशा में भी लागू होगा जहाँ नियमित विचारण के प्रार्थनापत्र को खारिज करने वाला विनिश्चय (decision) अटल (irrevocable) हो चुका हो।

सातवाँ खण्ड

विनिश्चय का निष्पादन

(Execution of Decision)

अनु० 471—इस संहिता में अन्यथा विहित दशा को छोड़कर, किसी विनिश्चय (decision) का निष्पादन उसके अन्तिम बाध्यकारी हो जाने पर किया जायगा।

अनु० 472—विनिश्चय का निष्पादन उस विनिश्चय देने वाले न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता द्वारा निर्देशित किया जायगा। तथापि, यह अनुच्छेद 70 परिच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 108, परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्रतिबन्ध (proviso) की दशा में लागू नहीं होगा और न तो ऐसे अभियोगों (cases) के सम्बन्ध में ही जिनमें इसका निदेशन किसी न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किया जाना आवश्यक हो।

उस दशा में, जब कि किसी अपील पर किए गए अथवा अपील की वापसी (withdrawal) पर किए गए विनिश्चय (decision) के परिणाम स्वरूप किसी अवर न्यायालय (inferior court) का कोई विनिश्चय निष्पादित करना हो तो अपील के न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय का लोक-समाहर्ता उसके निष्पादन (execution) को निर्देशित करेगा। तथापि, यदि अभियोग के अभिलेख (records) अवर न्यायालय या उस न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय में हो तो उस न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय का लोक-समाहर्ता विनिश्चय के निष्पादन को निर्देशित करेगा।

अनु० 473—विनिश्चय के निष्पादन को लिखित रूप में निर्देशित किया जायगा और इस लेख के साथ विनिश्चय के प्रलेख (document of decision) अथवा नयाचार (protocol) की एक प्रति अथवा उसका उद्धरण (extract) जिसमें विनिश्चय अङ्कित हो संलग्न रहेगा। तथापि, निदेश (direction) भी, यदि वह दण्ड के निष्पादन का न हो, विनिश्चय के प्रलेख के मूल या प्रतिलिपि अथवा उद्धरण या नयाचार की प्रति या उसके उद्धरण पर मुद्रांक (mitome-in) लगा कर दिया जा सकता है।

अनु० 474- उस दशा में जब कि अर्थदण्ड या छोटे दण्डों अर्थ के अतिरिक्त दो या अधिक प्रधान दण्ड (principal penalties) हो तो गुरुतम (दण्ड) को सबसे पहले निष्पादित किया जायगा। तथापि लोकसमाहर्ता महालोकसमाहर्ता (Procurator General) की अनुमति से जब कि वह उच्चतम लोक-समाहर्ता कार्यालय का लोकसमाहर्ता हो, अथवा (उच्च लोक-समाहर्ता-कार्यालय के) अधीक्षक समाहर्ता (Superintending Procurator) की अनुमति से जबकि वह उच्चतम लोक समाहर्ता-कार्यालय से भिन्न किसी (कार्यालय) का लोक-समाहर्ता हो गुरुतर दण्ड के निष्पादन को रोक (stay) एवं अन्य दण्ड का निष्पादित करा सकता है।

अनु० 475 प्राण दण्ड का निष्पादन अटार्नी जनरल (Attorney-General) के आदेश के अन्तर्गत किया जायगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित आदेश निर्णय के अन्ततः बाध्यकारी होने के दिन से छः मास के अन्दर दिया जायगा। तथापि उन दशाओं में, जहाँ अपील करने के अधिकार की पुनः प्राप्ति (recovery of right to Appeal) या कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन (request) किया गया हो अथवा असाधारण अपील या राज-क्षमा (amnesty) की याचिका (petition) या प्रार्थना-पत्र (application) दिया जा चुका हो तो उसकी प्रक्रिया (procedure) के पर्यवसान की अवधि एवं वह अवधि जब तक के लिए सह-प्रतिवादियों पर यदि कोई हो, घोषित निर्णय अन्ततः बाध्यकारी न हो जाय उक्त अवधि में परिगणित (calculated) नहीं की जायेंगी।

अनु० 476– अटार्नी जनरल (Attorney General) द्वारा प्राण-दण्ड के निष्पादन का आदेश दिए जाने की दशा में ऐसा निष्पादन पाँच दिन के अन्दर कार्यान्वित किया जायगा।

अनु० 477—प्राण-दण्ड लोक-समाहर्ता, लोक समाहर्ता-कार्यालय के सचिव, एवं कारागार के संरक्षक (warden of prison) या उसके प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित किया जायगा।

कोई भी व्यक्ति लोक-समाहर्ता या कारागार के संरक्षक की अनुमति के बिना निष्पादन के स्थान (place of execution) में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

local public entities) को सौंप देगा तथा किसी चिकित्सालय या अन्य अनुकूल स्थान (suitable place) में रखवा देगा।

वह व्यक्ति, जिसके दण्ड का निष्पादन रोक दिया गया हो, एक कारागार में तब तक रखा जायगा जब तक कि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कार्रवाई कार्यान्वित नहीं कर दी जाती, और इस प्रकार के निरोध की अवधि दण्ड की अवधि में सम्मिलित की जायगी।

अनु० 482—कठोरश्रम-कारावास, कारावास अथवा निरोध का निष्पादन, निम्नांकित दशाओं में, दण्ड घोषित करने वाले न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता अथवा जिला-लोकसमाहर्ता-कार्यालय के, जिसके क्षेत्राधिकार में वह स्थान आता हो जहाँ अपराधित व्यक्ति स्थित हो, निदेशन के अधीन, रोक दिया जायगा। तथापि, लोक-समाहर्ता को, यदि वह उच्चतम लोकसमाहर्ताकार्यालय का सदस्य हो तो महा-लोकसमाहर्ता की अथवा यदि वह उच्चतम लोकसमाहर्ता-कार्यालय से अन्य का लोक-समाहर्ता हो तो (उच्च लोक-समाहर्ताकार्यालय के) अधीक्षक-समाहर्ता (Superintending Procurator) की अग्रिम अनुमति लेना आवश्यक होगा :

(1) यदि अपराधित व्यक्ति के स्वास्थ्य में, दण्ड के निष्पादन के फलस्वरूप गम्भीर ह्रास हो गया हो अथवा यह भय हो कि वह जीवित नहीं बचेगा,

(2) यदि अपराधित व्यक्ति कम से कम सत्तर वर्ष की आयु का हो ;

(3) यदि अपराधित महिला एक सौ पचास या इससे अधिक दिनों की गर्भिणी हो,

(4) यदि अपराधित महिला के बच्चा प्रसव करने के बाद साठ दिन न बीते हों,

(5) यदि यह आशंका हो कि दण्ड के निष्पादन से अप्रतिकार्य अलाभ (irretrievable disadvantage) होगा,

(6) यदि अपराधित व्यक्ति के महाजनक (grand parents, पितामही-पितामह) या माता-पिता कम से कम सत्तर वर्ष की आयु के या विकलांग (crippled) अथवा असाध्य बीमार (seriously ill) हों, और उनकी देख-भाल करनेवाला अन्य कोई सबंधी न हो,

(7) यदि अपराधित व्यक्ति के पुत्र (children) या पौत्र (grand children) शैशवावस्था में हो और उनकी देखभाल करने वाला कोई संबंधी न हो ,

(8) यदि अन्य कोई गम्भीर कारण (serious cause) हो ।

अनु० 483--विचारण के परिव्यय (Costs of trial) का वहन करने का आदेश करने वाले विनिश्चय का निष्पादन, अनुच्छेद 500 द्वारा विहित निवेदन (request) के लिए नियत अवधि तक अथवा उस दशा में जब कि उक्त निवेदन किया जा चुका हो उस पर विनिश्चय के अन्तत बाध्यकारी हो जाने तक के लिये, रोक दिया जायगा ।

अनु० 484--यदि प्राण दण्ड, कठोरश्रम-कारावास या निरोध के दण्ड से अपराधित व्यक्ति परिरोध में न हो तो लोकसमाहर्ता उसे दण्ड के निष्पादन के लिये बुलायेगा । यदि उक्त बुलावे (calling) के उत्तर में वह उपसजात न हो तो एक सुपुर्दगी का प्रादेश (writ of commitment) जारी किया जायगा ।

अनु० 485--यदि प्राण दण्ड, कठोरश्रम-कारावास, कारावास या निरोध के दण्ड से अपराधित व्यक्ति निकल भगा हो अथवा उसके निकल भगने की आशंका हो तो लोक-समाहर्ता तुरन्त एक सुपुर्दगी का प्रादेश जारी करेगा अथवा किसी न्यायिक पुलिस अधिकारी को ऐसा करने का आदेश देगा ।

अनु० 486--यदि प्राण दण्ड, कठोरश्रम-कारावास, कारावास या निरोध के दण्ड से अपराधित व्यक्ति का पता (whereabouts) अज्ञात हो तो लोकसमाहर्ता उच्च लोक-समाहर्ता-कार्यालय के किसी अधीक्षक समाहर्ता (Superintending Procurator) से, उसे कारागार में सौंपने का निवेदन करेगा ।

इस प्रकार से निवेदित किया गया अधीक्षक समाहर्ता लोकसमाहर्ता को अपने जिले में सुपुर्दगी का प्रादेश जारी करने का निदेशन देगा ।

अनु० 487--सुपुर्दगी के प्रादेश में, अपराधित व्यक्ति का नाम, निवास-स्थान एवं आयु, दण्ड का नाम एवं अवधि तथा सुपुर्दगी के अन्य विषय लिखित रहेंगे, और इस पर लोकसमाहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी का नाम तथा मुद्राक (सील) रहेगा ।

अनु० 488—सुपुर्दगी के प्रादेश का वही प्रयोजन होगा जो प्रस्तुति के अधिपत्र (warrant of production) का होता है।

अनु० 489—प्रस्तुति के अधिपत्र के निष्पादन से संबद्ध व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, सुपुर्दगी के प्रादेश के निष्पादन के संबन्ध में लागू होगी।

अनु० 490—अर्थदण्ड लघु अर्थदण्ड, राज्यसात्करण, अतिरिक्त वसूली (additional collection) अदाण्डिक अर्थदण्ड (non-penal fine), जब्ती (sequestration), विचारण के परिव्यय, परिव्यय के प्रतिकर अथवा अनन्तिम अदायगी (provisional payment) के आरोप करने वाले (imposing) विनिश्चय का निष्पादन, लोकसमाहर्ता के आदेश द्वारा किया जायगा। ऐसे आदेश का वही प्रयोजन होगा जो बन्धन (obligation) के किसी निष्पादनीय हक (executable title) का होता है।

दीवानी प्रक्रिया से (civil procedure) से संबद्ध विधि एवं अध्यादेश की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट विनिश्चयों (decisions) के निष्पादन के संबंध में लागू होंगी। तथापि, *विनिश्चय की तामीली (service of the decision) निष्पादन के पहले* आवश्यक नहीं।

अनु० 491—करो (taxes) या अन्य लागों (imposts) अथवा सरकारी एकाधिकारों (monopolies) से संबद्ध विधि या अध्यादेश की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आरोपित राज्यसात्करण (confiscation) या अर्थदण्ड या अतिरिक्त वसूली (additional collection) का निष्पादन, निर्णय के अन्तत बाध्यकारी हो जाने के बाद, अभियुक्त के मर जाने की स्थिति में, उत्तराधिकार की संपत्ति पर किया जा सकता है।

अनु० 492—यदि, उस दशा में जब कि कोई न्यायिक व्यक्ति (juridical person) *अर्थदण्ड, राज्यसात्करण या अतिरिक्त वसूली से उपराधित किया* गया हो और वह न्यायिक व्यक्ति निर्णय के अन्तत बाध्यकारी हो जाने के बाद, समामेलन (amalgamation) द्वारा समाप्त (extinguish) हो गया हो तो समामेलन के बाद जो न्यायिक व्यक्ति कार्य करता हो या जो समामेलन द्वारा बनाया गया हो उस पर दण्ड का निष्पादन किया जायगा।

अनु० 493—यदि, उस दशा में जब कि प्रथम या द्वितीय न्यायालयों में

अनन्तिम अदायगी (provisional payment) के विनिश्चय किए गए हों, प्रथम न्यायालय का विनिश्चय (decision) निष्पादित किया जा चुका हो तो ऐसा निष्पादन द्वितीय न्यायालय के विनिश्चय के लिए धन की राशि के उस परिमाण तक समझा जायगा जितना द्वितीय न्यायालय के विनिश्चय द्वारा जमा करने का आदेश दिया गया हो।

पिछले परिच्छेद की दशा में जब प्रथम न्यायालय में अनन्तिम अदायगी के विनिश्चय के निष्पादन द्वारा प्राप्त धनराशि का परिमाण उक्त विनिश्चय द्वारा द्वितीय न्यायालय में जमा की जाने के लिए आदिष्ट धनराशि के परिमाण से बढ़ जाय तो अधिक परिमाण की वापसी (reimbursed) कर दी जायगी।

अनु० 494—यदि अनन्तिम अदायगी के विनिश्चय के निष्पादन के बाद किसी अर्थदण्ड, लघु अर्थदण्ड या अतिरिक्त वसूली का विनिश्चय अन्तिम बाध्यकारी हो गया हो तो जमा किए गए परिमाण तक दण्ड निष्पादित समझा जायगा।

पिछले परिच्छेद की दशा में जब अनन्तिम अदायगी के विनिश्चय के निष्पादन द्वारा धनराशि का परिमाण अर्थदण्ड, लघु अर्थदण्ड, या अतिरिक्त वसूली के परिमाण से बढ़ जाय तो अधिक परिमाण की वापसी कर दी जायगी।

अनु० 495—अपील के लिए विहित अवधि में निरोध के दिनों की संख्या अपील के प्रार्थनापत्र के बाद निरोध द्वारा लम्बित निर्णय (detention pending judgment) के दिनों की संख्या को छोड़कर नियत दण्ड (regular penalty) के परिकलन में सम्मिलित की जायगी।

अपील के प्रार्थनापत्र के बाद निरोध द्वारा लम्बित निर्णय के दिनों की संख्या निम्नांकित दशाओं में नियत दण्ड के परिकलन (calculation) में सम्मिलित की जायगी:

(1) उस अभियोग में जिसमें अपील के लिए प्रार्थनापत्र लोकसमाहर्ता द्वारा दिया गया हो;

(2) उस अभियोग में जिसमें अपील के लिए प्रार्थनापत्र लोक-समाहर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया हो और अपीलीय क्षेत्राधिकार सम्पन्न न्यायालय (court of appellate jurisdiction) द्वारा मूल निर्णय खण्डित कर दिया गया हो।

पिछले दो परिच्छेदों के अनुसार परिकलन के लिए, निरोध द्वारा लम्बित निर्णय का एक दिन, दाण्डिक अवधि (penal term) के एक दिन या बीस येन की राशि के बराबर गिना जायगा।

अपीलीय क्षेत्राधिकार-सम्पन्न न्यायालय द्वारा मूल-निर्णय खण्डित किए जाने के बाद कार्यान्वित निरोध का, अपील के लम्बन (pendency) की अवधि में निरोध के दिनों की संख्या की तरह परिकलन में सम्मिलित किया जायगा।

अनु० 496—राज्यसात्करण में लिए गए मालों का लोक-समाहर्ता द्वारा बेच दिया जायगा।

अनु० 497—यदि, राज्यसात्करण के निष्पादन के बाद तीन मास के अन्दर अधिकारी व्यक्ति द्वारा राज्यसात्कृत माल (confiscated goods) को लौटाने की माँग (demand) की जाय तो लोक-समाहर्ता, विनष्ट किए जाने अथवा दूर फेंके जाने वाले मालों को छोड़कर, उन्हें वापस दे देगा।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित माँग (demand) राज्यसात्करण में लिए गए मालों के बेचे जाने के बाद की गई हो तो लोक-समाहर्ता लोक-विक्रय (public sale) में प्राप्त आगम (proceeds) को वापस दे देगा।

अनु० 498—उस दशा में जब कि कोई जाली (forged) या परिवर्तित (altered) वस्तु वापस दी गई हो तो उस वस्तु पर ही उसके जाली या परिवर्तित अंश का निर्देश किया जायगा।

उस दशा में जब कि कोई जाली या परिवर्तित वस्तु का अभिग्रहण न किया गया हो तो इसे प्रस्तुत कराया जायगा और पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट उपाय (measures) किए जायेंगे। तथापि, यदि वह वस्तु किसी लोक-कार्यालय की हो तो उसके जाली या परिवर्तित अंश की सूचना उस कार्यालय को दी जायगी और उचित कार्रवाई कराई जायगी।

अनु० 499—उस दशा में जब कि अभिगृहीत माल (goods under seizure), जिसे वापस करना हो ऐसे अधिकारी व्यक्ति का पता अज्ञात रहने या अन्य कारण से वापस न किया जा सके तो लोक-समाहर्ता इस तथ्य की सार्वजनिक सूचना (public notice) सरकारी राजपत्र (Official Gazette) में देगा।

पिछले तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित प्रावेदनों (motions) एवं उनके प्रत्याहरण (withdrawal) के संबंध में लागू होगी।

अनु० 504 अनुच्छेद 500 से 502 तक के अनुच्छेदों में उल्लिखित प्रावेदनों (motions) के संबंध में जारी की गई व्यवस्था विरुद्ध, आसन्न के (immediate) कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 505—किसी अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड की पूरी अदायगी न कर सकने की दशा में जहाँ तक किसी निवास-निकेतन (work-house) में निरोध के निष्पादन का संबंध है, दण्डों के निष्पादन से संबद्ध व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होंगी।

अनु० 506 अनुच्छेद 490, परिच्छेद 1 में निर्दिष्ट विनिश्चयों में किसी भी विनिश्चय के निष्पादन व खर्च (costs of execution) उस व्यक्ति से वसूल किए जायेंगे, जिस व्यक्ति पर उक्त निष्पादन का उद्ग्रहण किया गया हो और निष्पादन के साथ ही साथ दीवानी प्रक्रिया (civil procedure) से संबद्ध विधि एवं अध्यादेश की व्यवस्थाओं के अनुसार, वसूल किया जायगा।

अनुपूरक उपबन्ध :

(Supplementary Provisions)

यह संहिता जनवरी 1, 1949 से लागू होगी।

शब्दावली

अक्षम	incompetent
अक्षुण्ण	inviolate
अग्नि काण्ड	arson
अटल निर्णय	irrevocable judgment
अतिचार	trespass
अतिरिक्त	additional
अतिरिक्त दण्ड	additional penality
अदाण्डिक अर्थदंड	non-penal fine
अधिकार	right
अधिकार क्षेत्र	jurisdiction
अधिकारी	officer
अधिनियम	act
अधिन्यास	assignment
अधिपत्र	warrant
अधिभोक्ता	occupant
अधियाचित	requisitioned
अधिलंघन	suppression
अधिवक्ता	advocate
अधिवास	domicile
अधिवेशन	session
अधिसेविता	servitude
अध्यादेश	ordinance
अध्याय	chapter
अनुच्छेद	article
अनुदेश	instruction
अनुपूरक	supplementary
अनुपूरक उपबन्ध	supplimentary provisions
अनुवाद	translation
अनुसन्धान	investigation
अनूढा-गमन	fornication
अनेकापराध	Heigozai
अन्ततः बाध्यकारी	finally binding
अन्तर्विवेक	conscience
अन्तर्विषय	content
अपकृत पक्ष	injured party
अपराध	crime
अपराधित	condemned
अपराधी	criminal
अपवर्जन	exclusion
अपहरण	abduction
अपीलीय क्षेत्राधिकार	appelate jurisdiction
अप्रतिकार्य	irretrievable
अभिग्रहण	seizure
अभित्याग	desertion
अभित्रास	intimidation
अभियाचना	demand
अभियुक्त	accused

अभियोक्ता	accuser
अभियोग	case
अभियोजन	prosecution
अभिरक्षक	custodian
अभिरक्षण	custody
अभिलेख	record
अभिशस्त करना	incriminate
अभ्यारोपण	indictment
अभ्युक्ति	plea
अर्थनिर्वचन	interpretation
अर्हता	qualification
अवधि	term
अवर न्यायालय	Inferior court
अवरोध	restraint
अश्लीलता	obscenity
असंगत	incompatible
असहिष्णुता	intolerance
असाधारण अपील	extraordinary appeal
असावधानी	negligence
अहितकारक	disadvantageous
आगम	proceeds
आधार	ground
आपत्ति	objection
आपराधिक अनुसंधान	criminal investigation
आपराधिक विधियां	criminal laws
आप्लावन	inundation
आय-व्ययक	budget
आयात	import
आयोग	Commission
आशय	intention
आसन्न	immediate
उकसाना	instigate
उच्चतम न्यायालय	Supreme Court
उच्च न्यायालय	High Court
उपयोग	utilization
उपसंजाति	appearance
उपसहायक	accessory
उपान्त	precincts
उल्लंघन	violation
ऋण पत्र	security
एकस्व अभिकर्ता	patent agent
कपटपूर्ण उपाय	fraudulent stratagem
कब्रिस्तान	cemetery
कर	tax
कठोरश्रम-कारावास	Penal servitude
कर्तव्य	duty
कर्मचारी	official
कर्मशाला	work-house
कारागार	prison
कारावास	imprisonment
कार्यवाही	proceeding
कार्यवाही पर पुनर्विचार	reopening of procedure

कार्यालय भ्रष्टाचार	official corruption
कारवाई	disposition
कुख्यात	flagrant
कुर्की	attachment
कुलीनता	peerage
केतु	signal
क्षमावरान	anne ty
क्षिप्र आदेश	summary order
क्षिप्रन्यायालय	summary pro
क्षिप्रप्रक्रिया	cedure
क्षेत्राधिकारिक अक्षमता	jurisdictional incompetency
खण्डित करना	quash
ख्याति	reputation
खण्ड	counts
गर्भपात	abortion
गुरुता	gravity
गृहयुद्ध	civil war
गोपनीयता	secrecy
घटाव	mitigation
घायल करना	wounding
घोर त्रुटि	gross error
घोषणा	pronouncement
चरम	maximum
चोट	injury
चोरी	theft
छुड़ा लेना	rescue
जनमत संग्रह	referendum
जनहित	public welfare
जमानत निर्मुक्ति	release on bail
जल-नल	water main
जलयान	vessel
जालसाजी	forgery
जाली	forged
जाली सिक्का	counterfeit coin
जुआ खेलना	gambling
तथ्य	fact
तलाशी	search
त्यागपत्र	resignation
दम्पति	spouce
दण्ड	penalty
दण्ड घटाने वाली परिस्थितियाँ	extenuating circumstances
दण्ड प्रक्रिया संहिता	code of criminal procedure
दण्ड संहिता	penal code
दलन	oppression
दाण्डिक निरोध	penal detention
दीवानी प्रक्रिया	civil procedure
दौत्यसम्बन्धी	diplomatic
द्विपत्नीत्व	bigamy

धमकी	threat
धात्री	midwife
नयाचार	protocol
निकाल दिया गया	deleted
नियन्त्रण	control
नियम	regulation
निरीक्षण	inspection
निरोध	detention
निर्णय	judgement
निर्देशन	indication
निर्दोष	not guilty
निर्बन्धन	restriction
निर्वाचक	electors
निर्वाह्य	sustainable
निलम्बन	suspension
निवास प्रभार	lodging charges
निविदा	tender
निष्पादन	execution
नुकसान पहुँचाना	damage
न्यायपालिका	judiciary
न्यायाधीश	judge
न्यायालय	court
न्यायिक दृष्टान्त	judicial precedent
न्यास	trust
न्यूनतम	minimum
पड़ताल	entry
पदनाम	designation
पदेन	ex-officio
परामर्शदाता	counsel
परिकलन	calculation
परिच्छेद	paragraph
परित्याग	renunciation
परिप्रश्न (जाँच)	inquiry
परिरक्षण	preservation
परिरोध	confinement
परिवर्तन	commutation
परिवाद	complaint
परिवादी	complainant
परिव्यय	costs
परिहार	abolition
परीक्षा	examination
पर्यवेक्षण	supervision
पलायन	escape
पारपत्र	passport
पालक	curator
पीठासीन न्यायाधीश	presiding judge
पीड़ा	torture
पुन प्राप्ति	recovery
पुनरावृत्त अपराध	repeated crimes
पुनर्विलोकन	review
पूछताछ	interrogation
प्रकल्पित प्रमाण	presumptive proof
प्रख्यापन	promulgation
प्रणाल	sluice
प्रतिकर	compensation
प्रतिनिधि	representative

प्रतिनिधि-सदन	House of representative	प्रादेश	writ
प्रतिपत्री	proxy	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	territorial jurisdiction
प्रतिबन्ध	proviso	प्राधिकरण	authorisation
प्रतिरक्षा	defense	बन्दीकरण	arrest
प्रतिवाद परामर्शदाता	defense counsel	बलवा	riot
प्रतिविधान	rescript	बलात्कार	rape
प्रतिवेदन	report	बाधा डालना	obstruct
प्रतिसंहरण	revocation	बाध्यता	obligation
प्रतिसंहृत करना	revoke	बाँध	embankment
प्रत्याभूत	guaranteed	भुगतान	payment
प्रत्यावर्तन	restoration	भागाधिकार	prescription
प्रत्याहरण	withdrawal	मन्त्रि-परिषद	cabinet
प्रत्यय	credible	महत्त्वपूर्ण	material
प्रभाग	item	महाभियोग	public impeachment
प्रभुत्व	sovereignty	मानव के मौलिक अधिकार	fundamental human rights
प्रमाणक मूल्य	probative value	मानववध	homicide
प्रयत्न	attempt	मिथ्या अभियोग	false accusation
प्रलेख	document	मिथ्या साक्ष्य	perjury
प्रवर्तन	enforcement	मुख्य अपराधी	principal
प्रशासन	administration	मुद्रा	seal
प्रस्ताव	resolution	मूल न्यायालय	original court
प्रस्तुति	production	यातायात अवरोध	traffic obstruction
प्राणदण्ड	death penalty	यात्रा व्यय	travelling expenses
प्राथमिक न्यायालय	court of first instance		
प्राथमिक व्यवहार	first instance		

रक्षी	guard
राजप्रतिनिधि	regent
राजप्रतिनिधि मण्डल	regency
राजवित्तीय वर्ष	fiscal year
राजस्व	revenue
राजादिष्ट	commissioned
राज्य-सदन-विधि	imperial house law
राज्य सभा	Diet
राज्यसात्करण	confiscation
राज्य सिंहासन	imperial throne
राष्ट्रीय-ध्वज	National flag
लगाना	impose
लघु अर्थदण्ड	minor fine
लम्बन	pendecy
लम्बित	pending
लापता होना	missing
लिखित अनुबन्ध	written stipulations
लूट	robbery
लेखा	record
लेखापरीक्षक मण्डल	board of audit
लेखा परीक्षण	audit
लेख्य प्रमाणक	notary
लोक अधिकारी	public officer
लोक कर्मचारी	public official
लोक कार्यालय	public office
लोक प्राधिकरण	public authority
लोक विचारण	public trial
लोक विक्रय	public sale
लोक समाहर्ता	public procurator
वसूली	collection
वादकरण सामर्थ्य	litigation capacity
वापसी	restoration
विकलांग	crippled
विखण्डन	rescission
विचारण	trial
वितरण	service
वित्त	finance
विधान	law
विधायक अंग	law-making organ
विधि, विधान	law
विधिज्ञ संघ	bar association
विधेयक	bill
विध्वस्त करना	subvert
विनिमय	exchange
विनियोग (प्रयुक्ति)	application
विनियोजन	appropriatio
विनिश्चय	decision
वियोजन	non-constitution
विलेख	deed

विवरण (वक्तव्य)	statement
विवाचक	arbitrator
विशेषज्ञ साक्ष्य	expert evidence
विशेष प्रत्ययता	special credibility
विशेषाधिकार	privilege
वैध	legal
व्यवसाय	business
व्यवस्था	provision
शोषण	exploitation
षडयन्त्र	plot
संदिग्ध	suspect
संधिपत्र	treaty
संगत	agreement
संमति	consent
संविधान	constitution
संशोधन	amendment
संश्रय देना	harbor
संस्वीकृति	confession
संहिता	code
सचिव	secretary
सत्यांकन	ratification
सत्यापन	verification
सभासद् सदन	House of councillors
समन (आह्वान)	summon
समर्थ न्यायाधिकारी	competent judicial officer
समाधि	grave
समाप्ति	extinction
समामेलन	amalgamation
समावेदन	motion
सम्राट्	emperor
सरकारी राजपत्र	official gazette
सरगना	ring leader
सर्वोच्च विधि	supreme law
सहन्यायाधीश	associate judge
सह-प्रतिवादी	co defendant
सहयोगी	collegiate
सहापराधिता	complicity
सहापराधी	accomplice
सांविधानिकता	constitutionality
साक्षी	witness
साक्ष्य	evidence
साक्ष्यसामग्री	evidential material
साख	credit
सामयिक निर्मुक्ति	provisional release
सामान्य उपबन्ध	general provisions
सार्वजनिक नीलामी	public auction
सार्वजनिक वयस्क मताधिकार	Universal adult suffrage

सिद्धदोष	convicted	स्थानीय लोक सत्ता	local public entity
सीमित	limited	स्थानीय स्वायत्त शासन	local self government
सुनवाई	hearing	स्वीकृति	approval
सुपुर्दगी का आदेश	writ of commitment	हरण	kidnapping
सूची	inventory	हल्का करना	mitigate

———

GLOSSARY

abduction	अपहरण
abolition	परिहार
abortion	गर्भपात
accessory	उपसहायक
accomplice	सहापराधी
accuser	अभियोक्ता
accused	अभियुक्त
act	अधिनियम
additional	अतिरिक्त
additional penalty	अतिरिक्त दण्ड
administration	प्रशासन
advocate	अधिवक्ता
agreement	सगन
amalgamation	समामेलन
amendment	संशोधन
amnesty	क्षमाप्रदान
appearance	उपसंजाति
appelate jurisdiction	अपीलीय क्षेत्राधिकार
application	विनियोग(प्रयुक्ति)
appropriation	विनियोजन
approval	स्वीकृति
arbitrator	विवाचक
arrest	बन्दीकरण
arson	अग्निकाण्ड
article	अनुच्छेद
assignment	अभिन्यास
associate judge	सहन्यायाधीश
attachment	कुर्की
attempt	प्रयत्न
audit	लेखा परीक्षा
athorisation	प्राधिकरण
Bar Association	विधिज्ञ संघ
bigamy	द्विपत्नीत्व
bill	विधेयक
board of audit	लेखापरीक्षक मण्डल
budget	आयव्ययक
business	व्यवसाय
cabinet	मन्त्रि-परिषद
calculation	परिकलन
case	अभियोग
cemetery	कब्रिस्तान
chapter	अध्याय
civil procedure	दीवानी प्रक्रिया
civil war	गृह युद्ध
code	संहिता
co-defendant	सह प्रतिवादी
code of criminal procedure	दण्ड प्रक्रिया संहिता

collection	वसूली
collegiate	सहयोगी
commission	आयोग
commissioned	राजादिष्ट
commutation	परिवर्तन
compensation	प्रतिकर
competent judicial officer	समर्थ न्यायाधिकारी
complainant	परिवादी
complaint	परिवाद
complicity	सहापराधिता
condemned	अपराधित
confession	संस्वीकृति
confinement	परिरोध
confiscation	राज्यसात्करण
conscience	अन्तर्विवेक
consent	सम्मति
constitution	संविधान
constitutionality	सांविधानिकता
content	अन्तर्विषय
control	नियन्त्रण
convicted	सिद्ध दोष
costs	परिव्यय
court	न्यायालय
counsel	परामर्शदाता
counterfeit coin	जाली सिक्का
counts	गणक
court of first instance	प्राथमिक न्यायालय
credible	प्रत्येय
credit	साख
crime	अपराध
criminal	अपराधी
criminal investigation	आपराधिक अनुसन्धान
criminal laws	आपराधिक विधियाँ
crippled	विकलांग
custodian	अभिरक्षक
custody	अभिरक्षण
curator	पालक
damage	नुकसान पहुँचाना
death penalty	प्राणदण्ड
decision	विनिश्चय
deed	विलेख
defense	प्रतिरक्षा
defense counsel	प्रतिवाद परामर्शदाता
deleted	निकाल दिया गया
demand	अभियाचना
desertion	अभित्याग
designation	पदनाम
detention	निरोध
diet	राज्य सभा
diplomatic	दौत्यसम्बन्धी
disadvantageous	अहितकारक

di_po ition	कारवाइ
document	प्रलग्न
domicile	अधिवास
duty	क्तव्य
electors	निर्वाचक
embankment	बाँध
emperor	सम्राट
enforcement	प्रवतन
entry	पन्नाल
escape	पलायन
evidence	साक्ष्य
evid ntial material	साक्ष्य सामग्री
examination	परीक्षा
exchange	विनिमय
exclu ion	अपवजन
execution	निष्पादन
ex officio	पदेन
expert evidence	विशेषज्ञ साक्ष्य
exploitation	शोषण
extenuating circumstances	दण्ड घटाने वाली परिस्थितियाँ
extinction	समाप्ति
extraordinar appeal	असाधारण अपील
fact	तथ्य
false accu ation	मिथ्या अभियोग
finally binding	अन्तिम बाध्यकारी
finance	वित्त
fir t instance	प्राथमिक व्यवहार
fi al year	राजवित्तीय वर्ष
flagrant	कुख्यात
forged	जाली
for_ ry	जालसाजी
forni ation	अनन्य-गमन
fraudulent stratagem	कपटपूर्ण उपाय
fundamental human rights	मानव के मौलिक अधिकार
gambling	जुआ खेलना
general provisions	सामान्य उपबन्ध
grave	समाधि
_ravity	महत्ता
gro s error	घोर त्रुटि
ground	आधार
_uranteed	प्रत्याभूत
guard	रक्षा
harbor	आश्रय देना
hearing	सुनवाई
heigozar	अनकापराध
high court	उच्च न्यायालय
homicide	मानववध
house of councillors	सभासद-सदन

house of representatives	प्रतिनिधि सदन
immediate	आसन्न
imperial house law	राज्य-सदन विधि
imperial throne	राज्य सिंहासन
import	आयात
impose	लगाना
imprisonment	कारावास
incompatible	असंगत
incompetent	अक्षम
incriminate	अभिशस्त करना
indication	निर्देशन
indictment	अभ्यारोपण
inferior court	अवर न्यायालय
injured party	अपहृत पक्ष
injury	चोट
inquiry	परिप्रश्न (जाँच)
inspection	निरीक्षण
instigate	उकसाना
instruction	अनुदेश
intention	आशय
interpretation	अर्थनिर्वचन
interrogation	पूछताछ
intimidation	अभित्रास
intolerance	असहिष्णुता
inundation	आप्लावन
inventory	सूची
investigation	अनुसंधान
inviolate	अक्षुण्ण
irretrievable	अप्रतिकार्य
irrevocable judgement	अटल निर्णय
item	प्रभाग
judge	न्यायाधीश
judgement	निर्णय
judicial precedent	न्यायिक दृष्टान्त
judiciary	न्यायपालिका
jurisdiction	अधिकारक्षेत्र
jurisdictional incompetency	क्षेत्राधिकारिक अक्षमता
kidnapping	हरण
law	विधान
law	विधि विधान
law making organ	विधायक अंग
legal	वैध
limited	सीमित
litigation capacity	वादकरण सामर्थ्य
local public entity	स्थानीय लोक सत्ता
local self government	स्थानीय स्वायत्त शासन

lodging charges	निवास प्रभार
material	महत्वपूर्ण
maximum	चरम
midwife	धात्री
minimum	न्यूनतम
minor fine	लघु अर्थदण्ड
missing	लापता होना
mitigate	हल्का करना
mitigation	घटाव
motion	समावेदन
National flag	राष्ट्रीय ध्वज
negligence	असावधान
non constitution	विधानेतर
non penal fine	अदाण्डिक अर्थदण्ड
notary	लेख्य प्रमाणक
not guilty	निर्दोष
objection	आपत्ति
obligation	बाध्यता
obscenity	अश्लीलता
obstruct	बाधा डालना
occupant	अधिभोक्ता
officer	अधिकारी
official	कर्मचारी
official corruption	कार्यालयीय भ्रष्टाचार
official gazette	सरकारी राजपत्र
oppression	दलन
ordinance	अध्यादेश
original court	मूल न्यायालय
Paragraph	परिच्छेद
passport	पारपत्र
patent agent	एकस्व अभिकर्ता
payment	भुगतान
peerage	कुलीनता
penal code	दण्ड संहिता
penal detention	दाण्डिक निरोध
penal servitude	कठोरश्रम कारावास
penalty	दण्ड
pendency	लम्बन
pending	लम्बित
perjury	मिथ्या शपथ
plea	अभ्युक्ति
plot	षडयन्त्र
precincts	उपान्त
prescription	भोगाधिकार
preservation	परिरक्षण
presiding judge	पीठासीन न्यायाधीश
presumptive proof	प्रकल्पित प्रमाण
principal	मुख्य अपराधी
prison	कारागार
privilege	विशेषाधिकार
probative value	प्रामाणिक मूल्य

proceeding	कार्यवाही
proceeds	आगम
production	प्रस्तुति
promulgation	प्रख्यापन
pronouncement	घोषणा
prosecution	अभियोजन
protocol	नयाचार
proviso	प्रतिबन्ध
provision	व्यवस्था
provisional release	सामयिक निर्मुक्ति
proxy	प्रतिपत्री
public auction	सार्वजनिक नीलामी
public authority	लोक प्राधिकरण
public impeachment	महाभियोग
public office	लोक कार्यालय
public officer	लोक अधिकारी
public official	लोक कर्मचारी
public procurator	लोक समाहर्ता
public sale	लोक विक्रय
public trial	लोक विचारण
public welfare	जनहित
qualification	अर्हता
quash	खण्डित करना
rape	बलात्कार
ratification	सत्यापन
record	लेखा
record	अभिलेख
recovery	पुनः प्राप्ति
referendum	जनमत संग्रह
regency	राजप्रतिनिधि मण्डल
regent	राजप्रतिनिधि
regulation	नियम
release on bail	जमानती निर्मुक्ति
renunciation	परित्याग
reopening of procedure	कार्यवाही पर पुनर्विचार
repeated crimes	पुनरावृत्त अपराध
report	प्रतिवेदन
representative	प्रतिनिधि
reputation	ख्याति
requisitioned	अधियाचित
rescission	विखण्डन
rescript	प्रतिविधान
rescue	छुड़ा लेना
resignation	त्याग पत्र
resolution	प्रस्ताव
restoration	वापसी
restoration	प्रत्यावर्तन

restraint	अवरोध
restriction	निर्बन्धन
revenue	राजस्व
review	पुनर्विलोकन
revocation	प्रतिसंहरण
revoke	प्रतिसंहृत करना
right	अधिकार
riot	बल्वा
ring leader	सरगना
robbery	लूट
seal	मुद्रा
search	तलाशी
secrecy	गोपनीयता
secretary	सचिव
security	ऋणपत्र
seizure	अभिग्रहण
service	वितरण
servitude	अधिसविता
session	अधिवेशन
signal	केतु
sluice	प्रणाल
sovereignty	प्रभुत्व
special credibility	विशेष प्रत्येयता
spouce	दंपति
subvert	विध्वस्त करना
summary court	क्षिप्रन्यायालय
summary order	क्षिप्रआदेश
summary procedure	क्षिप्रप्रक्रिया
summon	समन (आह्वान)
supervision	पर्यवेक्षण
supplementary	अनुपूरक
supplementary provisions	अनुपूरक उपबन्ध
suppression	अधिलंघन
supreme court	उच्चतम न्यायालय
supreme law	सर्वोच्च विधि
suspect	संदिग्ध
suspension	निलम्बन
statement	विवरण (वक्तव्य)
sustainable	निर्वाह्य
tax	कर
tender	निविदा
term	अवधि
territorial jurisdiction	प्रादेशिक क्षेत्र विस्तार
theft	चोरी
threat	धमकी
torture	पीड़ा
traffic obstruction	यातायात अवरोध
translation	अनुवाद
travelling expenses	यात्राव्यय

treaty	संधिपत्र
warrant	अधिपत्र
trespass	अतिचार
trial	विचारण
trust	न्यास
Universal adult suffrage	सार्वजनिक वयस्क मताधिकार
utilization	उपयोग
verification	सत्यापन
vessel	जलयान
violation	उल्लंघन
water main	जलनली
withdrawal	प्रत्याहरण
witness	साक्षी
workhouse	कर्मशाला
wounding	घायल करना
writ	प्रादेश
writ of commitment	सुपुर्दगी का प्रादेश
written stipulations	लिखित अनुबन्ध